


“चौदहवीं पंद्रहवीं शताब्दी के हिन्दी साहित्य  
में चित्रित भारतीय स्त्रियों की दशा”



इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी  
की डिग्री हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

निर्देशक

डॉ० हेरम्ब चतुर्वेदी

शोध कर्ती

अर्चना भटनागर

मध्य एवं आधुनिक इतिहास विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2001

## विषय - सूची

अध्याय - प्रथम :

पृष्ठ सख्या

पृष्ठभूमि - ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक

अध्ययन काल से पूर्व नारी की स्थिति

१ - ८४

अध्याय - द्वितीय :

चौदहवीं, पन्द्रहवीं शताब्दी की महिलाओं का

सामाजिक स्तर

८५ - १०२

अध्याय - तृतीय :

सस्कारों में स्त्रियों की भूमिका

१०३ - १३२

अध्याय - चतुर्थ :

स्त्रियों की वेशभूषा, आभूषण तथा प्रसाधन

१३३ - १६१

अध्याय - पंचम :

मध्यकालीन स्त्रियों का आर्थिक योगदान

१६२ - १९०

अध्याय - षष्ठम .

मध्यकालीन स्त्रियों के आमोद प्रमोद के साधन

१९१ - २१०

अध्याय - सप्तम :

उपसंहार

२११ - २३३

सदर्भ ग्रन्थ सूची

२३४ - २४५

## प्राक्कथन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी फिल उपाधि हेतु यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसका विषय है “चौदहवी-पन्द्रहवी शताब्दी के हिन्दी साहित्य में चित्रित भारतीय स्त्रियों की दशा”।

उत्तर भारत में चौदहवी - पन्द्रहवी शताब्दी भारत वर्ष में तुर्की सल्तनत के सुदृढीकरण का काल था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सिद्धान्तों और राजनीतिक परीक्षणों के चलते अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, संस्थाओं का भी विकास हुआ था। इसी काल में राज्य के सुदृढीकरण के साथ उसके साम्राज्य में परिणत होने पर कार्य भी पूर्ण हुआ था। जब दक्षिण और ध्रुव दक्षिण के राज्य दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अंग बन गये थे। इसी काल में राज्य सत्ता से पूर्णतया विमुख सूफी सतों व भक्त कवियों द्वारा आय जनता का मार्ग प्रशस्त किया गया। जहाँ एक तरफ दरबारी इतिहासकार राज्य से आश्रय अथवा धन लोलुपता में राज्य केन्द्रित अथवा राजनीतिक केन्द्रित इतिहास लिख रहे थे, वही आम जन के इतिहास की रचना ये ही सन्त आदि कर रहे थे।

अतः उपरोक्त कारणों के चलते इस समाज का अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। किन्तु किसी भी समाज के अध्ययन के लिए स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों का वास्तविक द्योतक होता है।

साहित्य और समाज का सबंध सदैव अनन्य और अपूर्व माना जाता है। साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है, इस उक्ति के साथ साहित्य और समाज के एक दूसरे का प्रतिरूप और आदर्श माना जाता है। सार रूप में साहित्य किसी भी देश,

काल, युग के विशिष्ट जनो एव सामान्य जनो दोनो के विचारो, व्यवहारो, कार्यों और सुख दुःख की अनुभूतियो का चित्रण करता है, अतः साहित्य को समकालीन समाज की जीवन धारा चेतना, आदर्श, मूल्य, व्यवहार और प्रगति अवनति का एक सामान्य एव बेबाक लेखा-जोखा माना जा सकता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे चौदहवी - पन्द्रहवी शताब्दी के हिन्दी साहित्य मे चित्रित भारतीय स्त्रियो की स्थिति को साहित्यिक साक्ष्यो से खोजने एव उसके रूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

यह मेरा पुनीत कर्तव्य है कि मै उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूँ, जिन्होने मेरे इस शोध कार्य की पूर्ति मे अमूल्य सहयोग दिया। इनमे अग्रणी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वान “डा० हेरम्ब चतुर्वेदी” है जिनसे मुझे इस शोध प्रबन्ध के विषय की प्रेरणा मिली तथा नितान्त व्यस्तता मे भी उनकी मुझ पर अनुकम्पा रही।

उनके योग्य मार्ग दर्शन तथा बहुमूल्य निर्देशन के लिए मै उनके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। उनका स्नेह एव आशीर्वाद मुझे सदा ही प्राप्त होता रहा है। श्रीमती आभा चतुर्वेदी पत्नी श्री हेरम्ब चतुर्वेदी की भी मै आभारी हूँ जिनका असीम स्नेह व आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, तथा उन्होने मुझे घर का एक सदस्य मानकर मेरा समय-समय पर उत्साह वर्धन किया।

अध्ययन काल के सामाजिक जीवन का वर्णन करने वाले दस्तावेजो, साक्ष्यो और ग्रन्थो को प्राप्त करने, अध्ययन करने और सार तत्व निकालने के लिए सदा से भारत में प्रसिद्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से अभूतपूर्व सहायता मिली, साथ ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन, ईश्वरी प्रसाद शोध संस्थान, इलाहाबाद हिन्दुस्तानी एकेडेमी, राजकीय पुस्तकालय, इलाहाबाद आदि से सबधित सामग्री की कार्यपूर्ति और प्रस्तुतीकरण हेतु इन पुस्तकालयो के प्रति मै निःसन्देह आभारी हूँ।



यह भी मेरे लिए एक गौरवपूर्ण एव असीम प्रसन्नता की बात है कि मैं अपनी विभागाध्यक्षा (डा० रेखा जोशी) तथा अन्य अध्यापक, अध्यापिकाओं के प्रति भी आभार प्रदर्शित करूँ, जिन्होंने समय-समय पर शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित किया एव इसकी सम्पूर्णता के लिए आशीर्षक प्रदान किया।

इसके साथ ही मैं अपने श्वसुर श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, सास श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव एव अपने पति श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग एव प्रोत्साहन से यह शोध कार्य सरलता से पूर्ण हो सका।

मुझे अपनी माता श्रीमती चन्दा भटनागर एव पिता श्री आदर्श कुमार भटनागर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, जिनकी प्रेरणा एव स्नेहाशीष से प्रस्तुत शोध कार्य सम्पन्न हो सका।

इसके साथ ही मैं अपने भाइयों श्री अखिलेश कुमार भटनागर एव विशाल कुमार भटनागर, एव बहन कु० वन्दना भटनागर के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ।

परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना दिखावा सा प्रतीत होता है किन्तु पग-पग पर दिये गये सहयोग एव सहपरामर्शों को भुलाया नहीं जा सकता है।

अन्त मे मैं श्रद्धा तथा उत्साह के अवलम्बन में पूज्य माँ को अपना यह शोध कार्य समर्पित करती हूँ।

अर्चना भटनागर  
अर्चना भटनागर

पृष्ठभूमि : ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक

चौदहवीं शताब्दी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण एवं अनेक मायनों में दिलचस्प अध्याय है। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण सक्रमण एवं सधिकाल है। इलबारी तुकों की राज्य स्थापना के बाद अलाउद्दीन खिलजी (1296-1316 ई०) द्वारा राजनीतिक दृष्टिकोणों में तथा प्रशासनिक तंत्र में अनेक मौलिक सुधार किये गये। ये परिवर्तन इतने आधार भूत थे कि इन्हीं के परिणाम स्वरूप खिलजी द्वारा सत्ता ग्रहण को खिलजी क्रान्ति की सज़ा दी जाती है। इस काल में अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल विद्रोहों के स्थाई उन्मूलन का प्रयास किया अपितु बाजार नियंत्रण के विशेष सदर्भ में उसके वित्तीय सुधार, सैन्य सुधार प्रशासनिक परिवर्तन तथा साम्राज्य प्रसार एवं उसके सुदृढीकरण की प्रक्रिया पूरे काल में साथ-साथ चलते रहे। अतः यह काल अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1320 ई० में खिलजी वंश के पश्चात् ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली। जिसका एक शासक मुहम्मद बिन तुगलक अपनी विद्वता व ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसने चार महत्वाकांक्षी योजनाएँ बनाईं किन्तु अधिकारियों के अव्यवहारिक क्रियान्वयन के कारण इतिहासकारों के मध्य वह एक विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप में चित्रित हुआ। फिरोज तुगलक (1351-1388 ई०) अपनी सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा उदारवादी सुधारों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने अन्ततः उसके तथा उसके वंश के पतन की नींव रखी। इस वंश के आंतरिक ढहते ढाँचे को तैमूर के बाह्य

आक्रमण ने पूरी तरह से धूल धूसरित कर दिया। उनके परवर्ती तुगलक तथा सैय्यद वंश के उत्तराधिकारी ऐतिहासिक रूप से महत्वहीन हैं। 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बहलोल लोदी के शासन की स्थापना के साथ 1451 ई० से राजनैतिक स्थायित्व का काल पुनः स्थापित होता है। इसी वंश के अंतिम शासक इब्राहीम लोदी 1517-1526 ई० को परास्त करके बाबर 16वीं शताब्दी में मुगल काल की नींव रखता है।

अलाउद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा तथा दामाद था, वह अपने आप में एक उद्योगी तथा उत्साही सैनिक था। अलाउद्दीन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। 1290 ई० में अलाउद्दीन को अपने चाचा के सिंहासन पर बैठने के उपरान्त अमीर-ए-तुजुक का पद मिला। कुछ समय बाद इलाहाबाद के निकट कडा मानिकपुर का इक्तादार नियुक्त कर दिया गया था। खिलजी सैनिक जो शक्ति तथा धन प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखते थे, वह भी अलाउद्दीन को अनुकूल नेता मानते थे और उनको विश्वास था कि दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

1292 ई० में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा के नगर को जीतकर अपार धन एवं बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएँ लूट कर लाया। लूट का एक भाग उसने सुल्तान के पास भिजवा दिया, जिससे प्रसन्न होकर जलालुद्दीन ने उसे अवध का भी इक्तादार बना दिया, साथ ही उसे राज्य का सैन्य मंत्री अथवा 'आरिज -ए-मुमालिक' बनाया गया। इस पद का लाभ उठाते हुए उसने बड़ी संख्या में नए सैनिकों की भर्ती की। मालवा के आक्रमण के दौरान उसे दक्षिण के देवगिरी राज्य की समृद्धि की सूचना मिली थी अतः वह इस राज्य को

यदि नये शासक इब्राहीम को उचित समर्थन प्राप्त होता तो वह अलाउद्दीन का कट्टर प्रतिद्वंदी होता। इसके अलावा शक्तिशाली हिन्दू सामन्त भी जिन्हे तुर्की प्रभुत्व का जुआ असहनीय हो रहा था, वे इससे मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर मंगोल दिल्ली सल्तनत के उत्तर-पश्चिम प्रवेश द्वार पर प्रहार कर रहे थे। इसलिए परिस्थिति भयकर दिखाई पड रही थी और यदि अलाउद्दीन कम साहस वाला व्यक्ति होता तो उसका दिल टूट जाता। अलाउद्दीन ने अनेक कठिनाइयो के बावजूद दिल्ली पर कब्जा करने की जुगत में हमेशा लगा रहा, जब अलाउद्दीन को यह खबर मिली की जलालुद्दीन के वंशजो व समर्थको में फूट पड गयी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और दिल्ली की ओर अपनी सेना के साथ कूच कर गया, मार्ग में दक्खिन का धन जनता में लुटाता चला गया।

3 अक्टूबर 1296 ई0 को अलाउद्दीन ने बगैर इब्राहीम से युद्ध किये विजय प्राप्त की चूकि इब्राहीम के अधिकतर सैनिक अलाउद्दीन से जा मिले थे। अलाउद्दीन ने साठ हजार अश्वारोही एवं साठ हजार पैदल सैनिको के साथ बलबन के लाल किले पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार वह दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ। अलाउद्दीन ने तख्त पर बैठते ही सबसे पहला कार्य जनता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जिससे उसके सभी अपराधो को जनता भूल जाए इसके लिए अलाउद्दीन ने जो धन लूटा था, उसको जनता में पानी की तरह बहाया। यह नियम दिल्ली में कुछ रोज तक चलता रहा। इस प्रकार अलाउद्दीन के विश्वासघातो को भूलकर जनता उसकी उदारता की प्रशंसा करने लगी। सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी उसके पक्ष में हो गये, इन अमीरो और पदाधिकारियो की सहायता से तथा चतुर कूटनीति द्वारा अपने दुश्मनो एवं समर्थको को अपने मार्ग से हटाकर स्वयं अलाउद्दीन सिंहासन पर आसीन हुआ।

ऐसा कहा जाता है कि जो अपनों का सगा नहीं होता को दूसरो का सगा कभी नहीं हो सकता, इस बात को अलाउद्दीन ने अपने दिमाग मे रखा था । सिंहासन पर बैठते ही उसने सबसे पहला काम उन अमीरो और पदाधिकारियो को जो इब्राहिम को छोड कर आये वे कुछ को तो मृत्यु दण्ड की सजा दी कुछ को अधा करवा दिया, और जो शेष बचे उनको कारागार मे डाल दिया । इन अमीरो और पदाधिकारियो पुत्र एव स्त्रियो की सम्पत्ति को अपने कब्जे मे करने के उपरान्त उन्हे दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश कर दिया । अलाउद्दीन का यह सिद्धान्त था कि सबसे पहले विश्वासघातियो से लाभ उठाना चाहिए जो कि स्वयं के हित मे हो उसके उपरान्त जब अपना काम निकल जाए तो उन्हे दण्ड देना चाहिए ।

अलाउद्दीन के शासन काल के प्रारम्भिक दिनों मे विद्रोह का कारण अशान्ति थी । प्रथम विद्रोह मगोलो का हुआ । जोकि भारत मे जलालुद्दीन फिरोज के समय से थे, वो लोग नये मुसलमान कहे जाते थे । 1299 ई० मे जब गुजरात के आक्रमण की सफलता के बाद सेना लौट रही थी तो रास्ते मे लूट के सामानो के बटवारे से असन्तुष्ट होकर उन्होने अलाउद्दीन के एक भतीजे एव नसरत खाँ के भाई को मौत के घाट उतार दिया । अलाउद्दीन ने जब यह सुना तो उसने विद्रोहियो के दिल्ली मे रह रहे परिवार की स्त्रियो तथा बच्चो का कत्ल करवा कर अपने भाई एव पुत्र की मौत का बदला लिया ।

दूसरा विद्रोह अकतखखाँ ने किया था जो सुल्तान के भाई का बेटा था । सुल्तान जब रणथम्भौर जा रहा था, तो रास्ते मे तिलापट के निकट शिकार के लिए रूका जब वह शिकार के लिए रूका तो एक रोज वह बिल्कुल अकेला था इसका

फायदा उठाकर अकतख खाँ ने अपने सैनिकों के सहयोग से सुल्तान पर आक्रमण कर दिया जिस वक्त आक्रमण हुआ सुल्तान के अग्रक्षक मौके पर पहुँच गये और वीरतापूर्वक उन्होंने दुश्मनो का सामना किया, किन्तु अकतख खाँ ने यह समझा कि सुल्तान की मौत हो गयी है, और इसकी घोषणा लौटकर सेना में कर दी। सुल्तान के निवास पर कब्जा करने की नियत से अकतख खाँ ने अपने सैनिकों के साथ आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया, किन्तु सुल्तान बच गया था। सुल्तान ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अकतख खाँ और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तीसरा विद्रोह इससे भी अधिक भयंकर हुआ, जब सुल्तान रणथम्भौर का घेरा डाले हुए था उस समय उसके दो भानजो 'अमीर उमर' और 'मगू खाँ' ने बदायूँ तथा अवध में विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया किन्तु वफादार सूबेदारों ने उन्हें पराजित करके बंदी बना लिया। चौथा विद्रोह सुल्तान की राजधानी दिल्ली में ही हुआ, जिसमें 'हाजी मौला' नामक एक विद्रोही अफसर ने एक विरोधी फौज बनाकर दिल्ली के 'तमादी' कोतवाल को मार डाला और अपनी सफलता का फायदा उठाने के उद्देश्य से उसने सीरी के कोतवाल को मारने की कोशिश की लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली, उसने अपने उम्मीदवार को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाकर राज्य की शक्ति हासिल करने की कोशिश की। किन्तु मलिक हमीदुद्दीन नामक एक स्वामिभक्त अफसर ने विद्रोही को मार गिराया। यह विद्रोह एक के बाद एक कुछ ही प्रारम्भिक वर्षों में हुए। इसलिए सुल्तान को लगने लगा कि शासन व्यवस्था में कुछ दोष अवश्य हैं।

सुल्तान ने इन विद्रोहों के कारणों को जानने के लिए अपने मित्रों एवं सलाहकारों के साथ बैठकर "मजलिस-ए-खलबत" या "मजलिस-ए-खास" मंत्रणा की। इस मंत्रणा से यह निष्कर्ष निकला कि शासन व्यवस्था में कुछ मौलिक

कमियाँ हैं। विद्रोह के निम्नवत कारण थे — (1) सुल्तान के जो गुप्तचर थे वह अयोग्य थे जिससे सुलतान को अपने पदाधिकारियों एवं जनता के बारे में सही जानकारी नहीं हो पाती थी (2) मद्यपान सभी एक साथ बैठकर किया करते थे जिससे आपस में एक दूसरे के प्रति भाई चारे की भावना उत्पन्न हो जाती थी, जिससे विद्रोह तथा षडयंत्र के लिए बल मिलता था, (3) सामाजिक मेल-मिलाप, आपस में विवाह सबध, अमीरों का एक साथ उठना बैठना, इससे सुल्तान के विरुद्ध सभी सगठित हुए, (4) कुछ गणमान्य लोगों के अधिकार में बहुत ज्यादा धन होने के कारण उन्हें सोचने एवं विद्रोह करने का समय मिलता था ।

### **प्रशासनिक उपाय :**

जैसे ही अलाउद्दीन की स्थिति मजबूत हो गई उसके अन्दर विश्वास भी मजबूत होता गया। अलाउद्दीन चाहता था कि जो कानून हो वह उसका स्वयं का रहे । अलाउद्दीन का यह भी सिद्धान्त था कि “राजा का कोई संबन्धी नहीं होता राज्य में जितने लोग रहते हैं वो सभी उसके सेवक तथा प्रजा हैं,” अलाउद्दीन ने जिस वक्त नीति निर्धारित करने की योजना बनाई उस वक्त उसने किसी भी व्यक्ति या विशेष दल से प्रभावित हो कर नहीं किया ।

तेरहवी शताब्दी तक सुल्तान दो वर्गों के प्रभाव में थे, एक वर्ग अमीर और दूसरा वर्ग उलेमा का था। सुल्तान यह कभी नहीं चाहता था, कि पुराने अमीर फिर से राज्य में अपनी शक्ति की स्थापना करे । वह सभी को अपना सेवक बनाकर रखना चाहता था। सुल्तान ने उन लोगों को इतना आतंकित कर दिया था कि किसी भी दरबारी में इतना साहस न था, कि वह सुलतान को कोई राय दे सके, या जनता के लिए किसी प्रकार की रियायत के लिए कह सके। सिर्फ एक

ही व्यक्ति था जो कि स्वयं सुल्तान का दोस्त तथा दिल्ली का कोतवाल था, जिसका नाम 'अला-उल-मुल्क' था जो सुल्तान को राय देने का साहस कर सकता था।

अलाउद्दीन ने यह भी कहा कि "मैं यह बिल्कुल नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित, मैं अपने राज्य की भलाई के लिए जो उचित समझूँगा उसी कार्य को करने की आज्ञा देता हूँ"। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन राज्य का पहला सुल्तान था जिसने कि धर्म पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, उसने "यास्मीन -उल-खिलाफत-नासिरी-अमीर-उल-मुमिनिन" की उपाधि धारण की। जबकि अलाउद्दीन शिक्षित नहीं था, फिर भी उसमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी नहीं थी। वह राज्य की राजनीति में धर्मान्ध उलेमा की सलाह के अनुकरण को अव्यवहारिक समझता था, क्योंकि अन्तिम न्याय के दिन उसका क्या होगा उसे इस बात की चिन्ता नहीं थी। उसने काजी 'मुगीसुद्दीन' से कहा "यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ और मेरे पूर्वज कई पीढ़ियों से मुसलमान हैं। विद्रोह रोकने के लिए, जिनमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होती है, मैं जनता को ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य और उनके हित के लिए उचित होते हैं किन्तु आजकल के लोग बड़े घृष्ट और सुनी-अनसुनी करने वाले होते हैं और मेरे आदेशों का पालन भली भाँति नहीं करते। अतः मेरे लिए आवश्यक है कि मैं उन्हें कठोर दण्ड दूँ ताकि वे आज्ञाकारी बनें। मैं यह नहीं जानता कि 'शरीयत' में उसकी अनुमति है या नहीं"।

समकालीन इतिहासकार सुल्तान को ईश्वर का 'नायब' या 'खलीफा'



मानते थे । उनका मत था कि “सुल्तान को परिस्थिति के अनुसार कठोर अथवा दयालु होना चाहिए” । लोगो मे न्याय का प्रचार करने के लिए शक्ति और सत्ता सपन्न शासक की आवश्यकता है, और शासक के ऊपर किसी का अधिपत्य नहीं होना चाहिए । उसने योग्यता के आधार पर पदो का वितरण किया । उसने किसी धर्मयुद्ध की कल्पना भी नहीं की, और धार्मिक उद्देश्यो पर बल न देकर समयानुकूल और व्यावहारिक शासन व्यवस्था की विवेक पूर्ण ढंग से स्थापना की ।

### **बाजार नियन्त्रण के विशेष संदर्भ में राजत्व नीति :**

अलाउद्दीन के पास बहुत ही विशाल सेना थी । अलाउद्दीन को राजद्रोह का दमन ही नहीं बल्कि विद्रोह का उन्मूलन भी करना था एव मंगोलो से युद्ध भी होता था जो कि हर वर्ष राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर धावा बोला करते थे । अलाउद्दीन की एक इच्छा यह भी थी कि वह संपूर्ण भारत को विजय करना चाहता था ।

गल्ला मण्डी मे भाव की स्थिरता अलाउद्दीन की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जब तक वह जीवित रहा इन मूल्यों मे तनिक भी वृद्धि नहीं हुई । कीमते कम या नीचे कर दी गयी । कीमते निश्चित करके सुल्तान ने अनाज का बाजार और सरकारी अनाज विक्रयालय स्थापित किये ।

सरकार सामन्तो एव ‘खालसा भूमि’ से राजस्व उपज के रूप मे वसूल करती थी इस प्रकार अलाउद्दीन ने अन्य कर वसूल करके अपनी स्थिति को मजबूत किया । किसी भी व्यक्ति को किसानों से सीधे अनाज खरीदने की आज्ञा नहीं थी । दिल्ली के सभी व्यापारियो को ‘शाहना-ए-मण्डी’ नामक पदाधिकारी

के दफ्तर मे अपना नाम पजीकरण कराना पडता था। राज्य की तरफ से यह सुविधा थी कि जिन व्यापारियो के पास पर्याप्त धन नही होता था उन्हे राज्य की ओर से अग्रिम धन दिया जाता था। इन व्यापारियो को निश्चित दर पर सामान बेचने की आज्ञा थी। इस नियम को किसी भी व्यापारी को तोडने की आज्ञा न थी। जो व्यापारी जनता को निश्चित मूल्यो पर सामान मुहैया नही कराता था और यदि सामानो को कम तौलता था तो उस व्यापारी के शरीर का उतना ही मास काट दिया जाता था। राज्य मे सट्टेबाजी दलाली और चोर बाजारी को खत्म कर दिया गया था तथा द्वाबा के पदाधिकारियो से यह लिखित मे गारटी ली जाती थी कि कोई भी व्यापारी अनाज को चोरी से गोदामो मे जमा नही करेगा। किसी भी व्यापारी को अनाज एव वस्तुओ को खरीदने से पहले प्रमुख व्यक्ति अमीरो एवं पदाधिकारियो को 'शाह-ने-मण्डी के दफ्तर से परमिट लेना पडता था। इस नियम को राज्य मे कठोरता से लागू किया गया था। अगर इन नियमो का कोई उल्लघन करता था तो उसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता था। इन सभी सुधारो के परिणाम स्वरूप सभी वस्तुए बहुत ही सस्ती हो गयी थीं। यहाँ तक कि राज्य मे घोडे, पशुओ, नौकर-चाकर एव गुलामो का मूल्य भी बहुत कम हो गया था। अलाउद्दीन के इस कार्य की लगभग सभी समकालीन इतिहासकारो ने भूरि भूरि प्रशसा की है। अलाउद्दीन के इस नियम को पूरे साम्राज्य मे लागू किया गया था या सिर्फ दिल्ली तक ही यह नियम सीमित थे। इस विषय मे लेखको मे आपस मे मतैक्य नही है। फिर भी अलाउद्दीन की प्रशसा करनी होगी कि उसने इस कठिन समस्या को हल करने की कोशिश की। इन सभी सुधारो से यह प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। उसे सिर्फ इतने से ही सतोष नही था, कि, बाजार नियंत्रण तथा रहन-सहन का खर्च कम करने से सारी समस्याए हल होगी।

सुल्तान यह भी चाहता था, कि राजस्व मे आर्थिक वृद्धि भी हो और इसके लिए सुल्तान ने अपने राजस्व विभाग के सुधार की ओर ध्यान दिया ।

इसके अतिरिक्त गैर मुसलमानो को 'जजिया' देना पडता था। इसके लिए सुल्तान ने भूमि की नाप करवायी और वास्तविक उपज के आधार पर भू-राजस्व निर्धारित किया ।

अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम उन सभी भूमि अनुदानो को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारियो, विद्वानों और धर्मशास्त्रियो के पास राज्य की ओर से दी गई भेट, अनुदान या पुरस्कार के रूप मे थी। ये छोटी अक्ताओं के समान थे, अर्थात विभिन्न व्यक्तियो को दिये गये ऐसे भूखण्ड थे, जिनका राजस्व उनके वेतन या पुरस्कार के समान माना जाता था। अलाउद्दीन ने एक अन्य अध्यादेश द्वारा उपज का पचास प्रतिशत भूमिकर (खराज) के रूप मे निश्चित किया। अलाउद्दीन पहला ऐसा मुस्लिम शासक था, जिसने भूमि की वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निश्चित किया। इस पद्धति के अन्तर्गत सभी की भूमि पर पचास प्रतिशत की स्वीकृति दर से लगान वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त गैर मुलसमानो से लिया जाने वाला कर था।

अलाउद्दीन ने सबसे पहले भूमि का बन्दोबस्त करने के पहले पटवारियो और अभिलेखो से पता लगाया कि राज्य के गाँव मे कितनी भूमि खेती के लिए उपयुक्त है और उस पर कितना लगान उचित होगा इसके लिए अलाउद्दीन ने योग्य एव ईमानदार राजस्व पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इन सभी सुधारो से परिणाम यह हुआ कि राज्य की आय मे पर्याप्त वृद्धि हुई। इन सभी का बोझ व्यापारियो भूमिकरो, किसानो और जनता के सभी वर्गों पर पडा।

सुल्तान सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने के पक्ष में बिलकुल नहीं था फिर भी सुल्तान के समय में अनेक व्यक्ति इत्तों का उपयोग करते थे इनस प्रथा को एकदम से खत्म करना या नष्ट करना सम्भव नहीं था। विशेष कर कि उन राज्यों में जो नवविजित थे।

## सेना का गठन -

अलाउद्दीन जैसे महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी सुल्तान के लिए एक शक्तिशाली सेना को रखना अनिवार्य था। क्योंकि अपने उपयुक्त नियमों को लागू करना राजस्व संबंधी कार्यों को कार्यान्वित करना, तथा अपनी विजय की महत्वाकांक्षा सतुष्ट करने के लिए एव देश को मंगोलों के हमेशा आक्रमण से बचाने के लिए एक सुदृढ़ शक्तिशाली सेना का गठन करना आवश्यक था। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन ने अपनी सैन्य सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया। अलाउद्दीन पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्थाई सेना की नींव डाली, जो हमेशा राजधानी की सेवा के लिए तैयार रहती थी। फौज में सेना की भर्ती 'सेना मंत्री' द्वारा की जाती थी। सेना को राजकीय कोष से नकद वेतन मिलता था। एक सैनिक का वेतन दो सौ चौतीस टका प्रति वर्ष था और जो सैनिक अतिरिक्त घोड़ा रखते थे उन्हें 78 टका अधिक मिलता था। सेना को युद्ध की सारी सामग्री राज्य के खर्चों पर मिलती थी। अलाउद्दीन ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सेना मंत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिकों का "हुलिया" (आकृति का विवरण) लिखने की परम्परा जारी किया चूंकि सैनिक लोग अच्छे घोड़ों की जगह खराब घोड़े रखकर राज्य को धोखा दिया करते थे इसके लिए अलाउद्दीन ने घोड़ों के शरीर पर निशान लगाने की प्रथा शुरू किया इसे 'दाग प्रथा' के नाम से जाना

जाता है। यह नियम काफी पुराने थे। भारत तथा और भी देशो मे इस प्रथा का प्रचलन था। इतिहासकार 'फरिश्ता' के अनुसार सेना मे चार लाख पचहत्तर हजार अश्वारोही थे''। किसी भी लेखक ने पैदल सेना की सख्या का वर्णन नही किया है फिर भी यह माना जाता है कि अश्वारोही सैनिको से कही अधिक पैदल सेना रही होगी। अलाउद्दीन सेना के सगठन साज सज्जा एव अनुशासन की ओर खुद बहुत सचेत रहता था।

### उत्तर भारत की विजय -

अलाउद्दीन की सैन्य विजयो को हम दो भागो मे बाँट सकते है । अलाउद्दीन का उत्तर पर विजय अभियान, गुजरात, रणथम्भौर, चित्तौड, मालवा, मारवाड, एव जालौर मुख्य है। 1299 ई0 मे अलाउद्दीन ने एक शक्तिशाली सेना को 'उलूग खॉ' एव 'नसरत खॉ' की देख रेख मे गुजरात पर विजय प्राप्त करने भेजा इस राज्य पर कई बार तुर्की सेनाओं ने आक्रमण किया था परन्तु एक भी विजय के लक्ष्य पर नही पहुच सकी उस समय 'बघेल राजा कर्ण' गुजरात पर शासन किया करता था। अलाउद्दीन की सेना मे अन्हिलवाडा को चारो ओर से घेर कर उस पर कब्जा कर लिया। कर्ण की रानी कमलादेवी आक्रमणकारियो के अधिकार मे आ गई थी। परन्तु राजा कर्ण अपनी बेटी देवल देवी को लेकर वहा से भाग निकला और जाकर के देवगिरी के राजा रामचन्द्र के यहा शरण ले ली, इस प्रकार से आक्रमणकारी सेनाओ ने पूरे गुजरात राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। युद्ध मे जो माल लूटा गया था उसके बटवारे को लेकर के जो नये मुसलमान (भारत मे बसे हुए मगोलो) थे, ने विद्रोह कर दिया। विजेताओ के विजय की

खुशी मे इन नये मुसलमानो ने विध्न डालने की कोशिश की, जिसको विजयी सेनाओ ने क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया।

अलाउद्दीन ने उत्तर की विजय को आगे बढ़ाते हुए अपना दूसरा आक्रमण रणथम्भौर के किले पर किया। रणथम्भौर जो कि राजस्थान मे मुसलमानो की सैनिक चौकी थी, परन्तु अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वहाँ का राजा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का वंशज 'हम्मीर देव' राज्य किया करता था। अलाउद्दीन का रणथम्भौर पर आक्रमण करने का दो कारण था पहला कारण ऐसे किलो को जीतना जो कि दिल्ली का अंग रह चुके थे। दूसरा कारण हम्मीर देव ने कई विद्रोही मुसलमानो को अपने यहाँ शरण दिया था। इस कारण अलाउद्दीन ने उसको दण्ड देना उचित समझा। जिस वक्त उलूग खॉ एव नुसरत खॉ को हम्मीर देव के विरुद्ध आक्रमण पर भेजा गया था उन लोगों ने झैनपर अधिकार करके रणथम्भौर को चारो ओर से घेरे लिया था। परन्तु इस युद्ध मे नुसरत खॉ मारा गया और अलाउद्दीन के सैनिक पराजित हुए एक बार पुनः राजपूतो ने रणथम्भौर पर अपनी विजय प्राप्त की। इन सबको देखते हुए अलाउद्दीन ने फैसला किया कि वह रणथम्भौर के आक्रमण पर जाएगा अलाउद्दीन ने पूरे एक वर्ष तक रणथम्भौर को चारो तरफ से घेरे रखा, किन्तु विजय की कोई किरण नजर नही आ रही थी इसलिए अलाउद्दीन ने छल का प्रयोग किया। इस प्रकार 'हम्मीर देव' के प्रधान मंत्री रनमल को अपनी ओर मिलाया। रनमल की सहायता से जुलाई 1301 ई0 को घेरे को सफलता पूर्वक खत्म करते हुए किले की दीवारो पर चढ गये एव हम्मीर देव तथा उसके परिवार बच्चे एव बच्चे हुए सैनिको को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन के हुकुम से हीरनमल को भी मौत की सजा दिया चूँकि रनमल ने स्वयं अपने स्वामी को धोखा दिया था इसलिए ये आदमी

विश्वास के काबिल नहीं था, इसलिए अलाउद्दीन 'रणथम्भौर' पर विजय प्राप्त करके दिल्ली लौटा ।

1303 ई० के शुरूआत में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतने का मन बना लिया । 28 जनवरी को दिल्ली से कूच कर के चित्तौड़ को घेर लिया । अलाउद्दीन पूरे भारत पर राज्य करने की योजना बना रहा था । लेकिन मेवाड़ के स्वतंत्र रहते हुए इस योजना का पूरा होना नामुमकिन था । इसलिए चित्तौड़ पर आक्रमण करने का यह पर्याप्त कारण था । अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले को घेरने के उपरान्त चित्तौड़ नामक पहाड़ी पर अपना आसन जमा लिया फिर भी वह किले को अपने कब्जे में नहीं कर सका यह घेराव लगभग पांच माह तक चलता रहा लेकिन राजपूतों की बहादुरी की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने शत्रुओं को अपने किले पर कब्जा नहीं करने दिया राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन की इतनी बलशाली सेना के आगे युद्ध करना उचित नहीं समझा । अतः राणा रतन सिंह ने 26 अगस्त 1303 ई० को हथियार डाल दिया, लेकिन राजपूतों की स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए भीषण जौहर किया । अलाउद्दीन विजयी हुआ और विजय के उन्माद में उसने राजपूतों के नरसंहार की आज्ञा दे दी । अमीर खुसरो जिसने कि यह अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा । उसने लिखा है कि " एक रोज में 30 हजार राजपूत मारे गये । अलाउद्दीन चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र को वहाँ का शासक बनाकर दिल्ली लौटा आया राजपूतों ने नये शासक को बहुत कष्ट पहुँचाया, इसलिए 1311 ई० में अलाउद्दीन का पुत्र खिज्र खॉ जो चित्तौड़ का शासक था अपने पद से स्वयं हट गया । इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपना विजय अभियान प्रारम्भ रखते हुए 1305 ई० में मालवा के प्रान्त जो कि राजस्थान से लगा हुआ है ।

जिसका अधिकाधिक भाग दिल्ली सल्तनत में समाहित हो चुका था उसके जीतने के उद्देश्य से 'आइन-उल-मुल्क मुलतानी' को जालौर तथा उज्जैन पर अक्रमण करने के लिए 9 दिसम्बर 1305 ई० को राजा हरनद के विरुद्ध भेज दिया। इस युद्ध में राजा हर नन्द पराजित हुए। इस विजय के उपरान्त उज्जैन चन्देरी, माडू, धार पर दिल्ली सेना का कब्जा हो गया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने मालवा पर विजय हासिल की।

अलाउद्दीन ने इसके बाद 1308 ई० में मारवाड़ पर कब्जा करने की योजना बनाई, क्योंकि राजस्थान में केवल वही एक प्रदेश था जिसने तुर्कों की विजय को हमेशा पराजय में बदला, सुल्तान की सेना ने राजस्थान के इस शक्तिशाली दुर्ग सिवाना को चारों तरफ से घेर लिया। यह घेराव काफी समय तक चलता रहा परन्तु अलाउद्दीन को सफलता की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अलाउद्दीन का धैर्य टूट गया। अलाउद्दीन ने अपने आप पर काबू न रखते हुए तीव्रता से अपनी सेना का संचालन किया, इसका परिणाम यह हुआ कि मारवाड़ के राजा शीतल देव को मजबूर होकर अलाउद्दीन से संधि करनी पड़ी। राजा को अलाउद्दीन के सामने उपस्थित होने की आज्ञा दी गयी लेकिन उसके किले को उसी के अधिकार में रहने दिया गया। परन्तु राजा के राज्य को छीन कर दिल्ली सल्तनत के अमीरों में बाँट दिया गया। अलाउद्दीन ने भी खलीफा की सत्ता को मान्यता दी। उसने 'यास्मिन-उल-खिलाफत नासिरी- अमीर-उल-मुमिनिन' की उपाधि धारण की।

अलाउद्दीन पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निश्चित किया। बरनी मापन की पद्धति और उसके



उपकरणों के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं रहा। फिर भी वह बिस्वा के आधार पर राजस्व एकत्र करने की बात कहता है। इस पद्धति के अन्तर्गत सभी की भूमि पर पचास प्रतिशत की स्वीकृति दर से लगान वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था।

1305 ई० में राजा कनेरदेव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मगर अपनी जुबान पर काबू न रख सका और हमेशा अपनी बहादुरी की चर्चा किया करता था इससे अलाउद्दीन का क्रोध भड़क उठा। उसने राजा को नीचा दिखाने के लिए अपने महल की नौकरानी के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। उस स्त्री ने जालौर को चारों तरफ से घेर लिया। इन सब को देखते हुए कनेर देव पर काफी दबाव पड़ा। कनेरदेव आत्म समर्पण करने जा ही रहा था कि अचानक गुलेबी हिशत की मृत्यु हो गयी। राजपूतों ने उसके पुत्र को पराजित किया और मौत के घाट उतार दिया। जब कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में कुछ कुमुक जालौर पहुँच गयी तो दिल्ली सल्तनत की सेना ने राजा को परास्त कर दिया। राजा को और उसके सबधियों को मौत के घाट उतार दिया गया। तथा जालौर को दिल्ली की सल्तनत में समाहित कर लिया गया इस प्रकार अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत पर पूर्ण विजय हासिल की।

### दक्षिण नीति :

अलाउद्दीन ने उत्तर की सीमा को जीतने के उपरान्त दक्षिण राज्य को भी जीतने का सकल्प लिया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुलतान था जिसने विन्ध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की।

भारत मे उस समय दक्षिण मे चार शाक्तिशाली राज्य थे :-

- 1 पश्चिम मे देवगिरी का यादव राज्य जिसमे महाराष्ट्र सम्मिलित था और देवगिरी (आधुनिक दौलताबाद ) जिसकी राजधानी थी, राजा राम चन्द्र देव यहाँ के शासक थे ।
- 2 पूरब मे तैलगाना का काकतीय राज्य जिसकी राजधानी वारंगल थी, यहा के राजा प्रताप रूद्र देव द्वितीय थे ।
- 3 कृष्णा नदी के दक्षिण मे स्थित होयसल राज्य जिसमें आधुनिक मैसूर तथा कुछ अन्य जिले सम्मिलित थे और जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, होयसल में राजा बीर बल्लाल देव का राज्य था ।
- 4 सुदूर दक्षिण का पांड्य राज्य जिसकी राजधानी मदुरा थी। यहाँ पर राजसिंहासन के लिए वीर पाड्य तथा सुन्दर पाड्य नामक दो भाइयो मे सघर्ष चल रहा था। सुन्दर पाड्य अपने भाई वीर पाड्य से पराजित होकर दिल्ली चला गया था और अलाउद्दीन से अपना सिंहासन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगा ।

अलाउद्दीन सिर्फ यह चाहता था कि जो दक्षिण के राजा हैं वह उसकी अधीनता मे हो और हर वर्ष कर दे यदि इन शत्रु को दक्षिण के राजा स्वीकार करे तो अलाउद्दीन उनके राज्यो को उनके अधिकार मे छोड़ने को तैयार था। अलाउद्दीन का मकसद सिर्फ इतना था कि उस प्रदेश से अधिक से अधिक कर हासिल करे।

अलाउद्दीन ने 1294 ई० में देवगिरी के यादव राज्य को अपने हक में करके वहा के राजा को अपना सामन्त बना लिया और बहुत अधिक मात्रा में उससे धन वसूल किया। अलाउद्दीन नसरत खॉ के भतीजे छजू को दक्षिण के दूसरे राज्य तैलगाना को लूटने के लिए भेज दिया। किन्तु वहा के राजा प्रताप रूद्र देव ने उसे पराजित किया ।

1294 ई० में एलिचपुर का प्रान्त राजा रामचन्द्र देव ने अलाउद्दीन को सौंप दिया था। रामचन्द्र देव ने तीन साल से राजस्व नहीं दिया था इसलिए अलाउद्दीन ने उसका दमन करने के लिए 1306 ई० - 1307 ई० में एक सेना सल्तनत के नाइब मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजी थी। मलिक ने एलिचपुर पर कब्जा कर लिया और वहा का सूबेदार एक तुर्की को बना दिया और खुद देवगिरी पर आक्रमण किया। राम चन्द्र देव ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दिल्ली जाकर अलाउद्दीन के सामने बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। अलाउद्दीन ने राम चन्द्र देव को ' रायरायन ' की उपाधि से नवाजा और उसके राज्य को उसी के अधिकार में रहने दिया। इन सबके अलावा नौसारी का जिला अलाउद्दीन ने रामचन्द्र देव को व्यक्तिगत जागीर के तौर पर दिया ।

1303 ई० में अलाउद्दीन ने तैलगाना पर धावा बोला था किन्तु उस युद्ध में वो असफल रहा। यह बात अलाउद्दीन के दिल में हमेशा खटकती थी और वह जल्दी से जल्दी इस असफलता का जो कलक अलाउद्दीन पर लगा था उसको मिटाना चाहता था। 1308 ई० में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को इस की जिम्मेदारी दी और उसको जल्द से जल्द खाना होने के लिए कहा। काफूर ने वारगल पहुँचकर उसको चारों ओर से घेर लिया । काफूर ने घेरने के उपरान्त

वारगल की भीतरी रक्षक सेना को काफी नुकसान पहुँचाया। वहाँ के राजा ने काफूर के सामने आत्म समर्पण किया जिसमें तीन सौ हाथी, सात हजार घोड़े एवं काफी बहुमूल्य वस्तुएँ आक्रमणकारी को युद्ध की क्षति को पूरा करने के लिए भेंट स्वरूप दिया और हर वर्ष कर देने का भी वचन दिया। वारगल को अपने अधीनस्थ करने के उपरान्त अलाउद्दीन ने 1310 ई० में दक्षिण के तीसरे शक्तिशाली राज्य को जीतने के लिए मलिक काफूर एवं हाजी को विन्ध्य के उस पार एक बहुत ही विशाल सेना के साथ भेजा। 1309-10 ई० में देवागिरी का राजा शकर देव था। काफूर अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ जा पहुँचा दिल्ली के मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए उसने गोदावरी नदी के पार एक रक्षा सेना को हमेशा तैनात रखा यह सावधानी इसलिए भी रखी गयी थी क्योंकि काफूर को शकर देव की वफादारी पर शक था। काफूर ने देवागिरी से द्वार समुद्र की ओर कूच दिया। काफूर इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि होयसल राजा को उसके आने की पूर्व सूचना न मिल सकी और वह चारों ओर से घिर गया तथा युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ उसकी राजधानी पर आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। वहाँ के मंदिर को लूटा गया। अतः ये होयसल राजा को मजबूर होकर भारी हरजाना देना पड़ा एवं दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन की आधीनता स्वीकारनी पड़ी।

काफूर ने पाण्ड्य राज्य के लिए द्वार समुद्र से कूच किया जो कि दक्षिण प्रायद्वीप के आखिरी किनारे पर स्थित था। वीर पाण्ड्य तथा सुन्दर पाण्ड्य दो भाइयों में राजगद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था। वीर पाण्ड्य ने सुन्दर पाण्ड्य को पराजित कर दिया इसलिए वहाँ गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया। काफूर ने इसका फायदा उठाया और एक अपरिचित देश में प्रवेश करने का साहस किया। वह मदुरा पहुँचा जिसे राजा वीर पाण्ड्य छोड़कर चला गया था। काफूर ने मदिरो को नष्ट करके नगर को लूटा।

रामेश्वरम् पहुँच कर उसने विशाल मदिरो को नष्ट कर दिया। वही पर उसने अलाउद्दीन के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। 1311 ई० में वह दिल्ली लौट गया और अपने साथ अपार धन सम्पदा ले गया जिसका मूल्य लगभग दस करोड़ टका था। इससे पूर्व इतना लूट का माल कोई भी अपने साथ दिल्ली नहीं ले गया था।

वारगल के प्रताप रूद्र देव ने सुल्तान को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि “मेरी राजधानी दिल्ली से बहुत दूर है इसलिए कृपा करके किसी पदाधिकारी को यही भेज दीजिए। सुल्तान ने काफूर को देवगिरी भेज दिया। देवगिरी से वह गुलबर्गा पहुँचा और उस पर कब्जा जमा लिया इसके उपरान्त उसने कृष्णा तथा तुगभद्रा नदियों के बीच के राज्यों पर अधिकार प्राप्त किया। रायचुर तथा मुद्गल में उसने अपनी रक्षा सेनाएँ तैनात कर दी।

इस प्रकार समस्त दक्षिण भारत पर दिल्ली का अधिकार हो गया।

मंगोलों के आक्रमण के कारण अलाउद्दीन के शासन काल में अत्यधिक अशान्ति रही। जिसके कारण पंजाब, मुल्तान तथा सिन्ध के साथ-साथ दिल्ली तथा गंगा यमुना के उपजाऊ राज्यों के लिए भी असुरक्षा व मंगोल आक्रमण का संकट पैदा हो गया। अलाउद्दीन एक योग्य और साहसी शासक था वह मंगोलों को सफलता पूर्वक रोककर भारत के आन्तरिक आक्रमणकारी युद्धों को जारी रख सका। उसने मंगोलों के कई आक्रमणों को असफल कर दिया था। अलाउद्दीन के शासन काल की शुरुआत से ही मंगोलों ने उसे कष्ट देना शुरू कर दिया था। य० 1308 ई० तक अलाउद्दीन के ऊपर संकट छाया रहा।

मंगोलो द्वारा किया गया पहला आक्रमण 1296 ई० मे हुआ। उस वक्त अलाउद्दीन को गद्दी पर बैठे कुछ ही महीने हुए थे। उसने एक 'अमीर जफर खाँ' को उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। यह युद्ध जालन्धर के निकट हुआ जिसमे भीषण नर सहार हुआ तथा मंगोलो की पराजय हुई मंगोलो द्वारा दूसरा आक्रमण 1297 ई० मे हुआ। इस बार सीरी के किले पर मंगोलो ने जबरदस्त घेरेबन्दी कर दी। परन्तु जफर खाँ ने भी आक्रमणकारियो को परास्त कर दिया। तथा मंगोल नेता को उसके 1700 अनुयायियो तथा उनकी स्त्रियो व बच्चो को बन्दी बनाकर दिल्ली भेज दिया। 1299 ई० मे अपने नेता कुतुलुग ख्वाजा की अध्यक्षता मे मंगोल पुनः भारत आ धमके। इस बार वे लूटमार न करके बल्कि विजय के उद्देश्य से आये थे। सुल्तान के लिए यह अत्यन्त ही सकट का काल था। राजधानी की रक्षा के लिए उसने अपने मित्र दिल्ली के कोतवाल 'अला-उल मुल्क' से राय ली। अलाउद्दीन ने दूसरे ही दिन मंगोलो पर आक्रमण कर दिया। 'जफर खाँ' के नेतृत्व मे यह आक्रमण हुआ और उसने शत्रु को हराकर खदेड़ा किन्तु मंगोलो ने उसे सेना के मुख्य भाग से हटाकर घेर लिया और मार डाला। इसके बाद भी आक्रमणकारियो का साहस छूट गया और वे अपने देश को भाग गये। परन्तु अलाउद्दीन को जफर खाँ जैसे जाँबाज सेनानायक का निधन अधिक नही खला क्योकि वह उसकी महत्वाकाक्षा के कारण उसे खतरनाक समझता था। अलाउद्दीन जिस वक्त चित्तौड का घेरा डाले हुए था उसी वक्त मंगोलों ने चौथा आक्रमण किया। मंगोल सेना मे कुल 12 हजार सैनिक थे। मंगोलो ने 'तार्गी' के नेतृत्व मे दिल्ली के समीप पहुँचने के उपरान्त अपना खेमा स्थापित कर दिया मंगोल इतनी तेजी से आये थे कि जो वहां के प्रान्तीय गवर्नर (इक्तादार) थे वे

दिल्ली तक नहीं पहुँच सके। मंगोलो के कारण ही अलाउद्दीन को तीन महीने तक सीरी के दुर्ग में घेरे बंदी में ही रहना पड़ा था। मंगोलो ने दिल्ली के आस पास के राज्यों को लूटा और वहाँ से वापस चले गये। भविष्य में राजधानी पर मंगोल आक्रमण न हो इसके लिए अलाउद्दीन ने पंजाब मुल्तान एवं सिंध में नये किलो का निर्माण कराया एवं जो किले पुराने हो चुके थे उनकी अच्छी तरह मरम्मत करवायी। इन किलो की रक्षा के लिए सुल्तान ने एक शक्तिशाली सेना भी रखी। इसके अलावा अलाउद्दीन ने एक बहुत ही विशेष सेना को रखा जो सीमा की रक्षा किया करती थी। इसका सेनापति 'गाजी तुगलक' था जिसने बाद में तुगलक वंश की नींव डाली थी।

इन सभी व्यवस्थाओं के रहते हुए अली बेग के नेतृत्व में मंगोल सेना ने पंजाब पर आक्रमण किया। जिस वक्त पंजाब पर मंगोलो का आक्रमण हुआ उस वक्त अलाउद्दीन ने मलिक काफूर एवं गाजी मलिक के नेतृत्व में एक सेना आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए भेजी। इस सेना ने मंगोलो को बुरी तरह से पराजित किया तथा उनके नेता को बन्दी बना लिया। मंगोलो के प्रमुख नेताओं को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया तथा अन्य बंदी बनाये गये सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1305 ई० में गाजी मलिक को पंजाब का इक्तादार बनाया गया। 1306 ई० में मंगोलों ने एक बार फिर आक्रमण किया। मुल्तान के समीप सिंधु को पार करने के उपरान्त हमेशा की तरह लूट पाट करते हुए हिमालय की तरफ बढ़े। गाजी मलिक ने रास्ते में ही मंगोलो का मुकाबला किया और उनमें से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 50 मंगोलो को बन्दी बनाकर मौत के घाट उतार दिया और उनकी स्त्रियों और बच्चों को दासों के

रूप में बेच दिया।

मंगोलों ने अंतिम आक्रमण 1307-08 ई० में किया इनका नेता इकबाल मन्द नामक सैनिक था, लेकिन इकबाल अपनी सेना के साथ सिन्धु नदी को पार करने के उपरान्त अधिक आगे नहीं बढ़ पाया। चूँकि रास्ते ही में दिल्ली की सेना ने उसकी सेना को घेर कर पराजित कर दिया। एक बड़ी सख्या में मंगोल सैनिक बन्दी बनाये गये, इन बन्दियों को दिल्ली भेज कर मौत के घाट उतार दिया गया। 1308 ई० के बाद मंगोलों ने अलाउद्दीन के राज्य में आक्रमण करने की (विध्वंस करने) की जुरत नहीं की।

अलाउद्दीन ने अपने सबसे बड़े पुत्र खिज़्र ख़ाँ को उत्तराधिकार से वंचित करके अपने नाबालिग पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इस छः वर्ष के बालक को मलिक काफूर ने सिंहासन पर आसीन किया। एव स्वयं उसका अभिभावक बन कर राज्य का शासक बन बैठा। खिज़्र ख़ाँ एव उसका छोटा भाई शादी ख़ाँ दोनों को अन्धा करवा दिया। उसके बाद अलाउद्दीन की विधवा से शादी करके उसके सारे जवाहरात एव सम्पत्ति अपने कब्जे में करने के बाद उसको बन्दी बना लिया। अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र जिसकी आयु लगभग 17-18 वर्ष थी उसे बन्दी बनवा कर अपने आदमियों को मलिक काफूर ने उसकी आँखें निकालने के लिए भेजा किन्तु अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक ख़ाँ ने उन आदमियों को रिश्वत देकर काफूर को मौत के घाट उतारने के लिए भेजा। उन आदमियों ने इस कार्य को बड़ी सरलता से पूरा किया। इस प्रकार लोगों ने उसके भाई को अभिभावक माना। मुबारक दो-तीन महीने तक इस कार्य को करता रहा एव मौका पाकर अपने ही भाई को सिंहासन से हटाकर अधा



बना दिया और खुद 'कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी' के विरुद्ध सिंहासन पर बैठ गया।

मुबारक ने अपने शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर शासन का कार्य आरम्भ किया। क्योंकि उसके राज्य की जनता तथा अमीरों की सद्भावनाएँ साथ थीं। उसने सभी बन्दियों को मुक्त करके अपने पिता के समय के अध्यादेशों को रद्द कर दिया। उसकी नीति थी क्षमा करो और भूल जाओ। उन्होंने काफूर की हत्या करने वालों को दण्ड देकर अपने सम्मान को बरकरार रखा। मुबारक ने बाजार के ऊपर से जो अलाउद्दीन खलजी द्वारा स्थापित किया गया नियंत्रण था, उसे हटा दिया तथा जो भूमि जब्त कर ली थी, उन भूमियों को उचित अधिकारियों को लौटा दिया गया। जो कर था उसको भी कम कर दिया गया, इस प्रकार लोगों ने चैन की साँस ली। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। जो दरबारी और पदाधिकारी थे उनका नैतिक आचरण गिरा जो नया सुल्तान गद्दी पर बैठा वह सुरा और सुन्दरी को लेकर घिर गया। सुखराव नाम के व्यक्ति का उस पर अधिक प्रभाव था। सुखराव एक निम्न जाति का था जिसने कुछ ही समय पहले इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। सुल्तान के आचरण को देखते हुए दरबारी लोग भी उसी के रग में ढल गये। इसका असर शासन पर पड़ा जिससे शासन व्यवस्था कमजोर हो गयी।

देश में जो विद्रोही धारणा के थे उन लोगों ने राज्य परिवर्तन से शीघ्र ही लाभ उठाने की कोशिश की। देवगिरी के राजाओं ने अपने स्वतंत्रता की फिर एक बार स्थापना कर ली। इस प्रकार राजपुताना का महत्वपूर्ण राज्य मारवाड़ स्वतंत्र हो गया। सुल्तान को एक बार फिर सारी व्यवस्था को दुरूस्त करना जरूरी हो गया।

‘एन-उल-मुल्क’ मुलतानी को गुजरात भेजा गया, जिसने वहाँ के विद्रोह को सफलतापूर्वक खत्म किया एव जफर खॉ को वहाँ का ‘इक्तादार’ बना दिया। मुबारक शाह खलजी ने देवगिरी को फिर से जीतने की योजना भी बनाई। मुबारक ने 1317 ई० में दक्षिण की ओर कूच किया। देवगिरी का राजा सुलतान के आने की सूचना पाकर अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया, किन्तु वह पकड़ा गया सुलतान ने उसकी खाल खिचवा ली और उसके सिर को काटकर देवगिरी के फाटक पर लटका दिया गया। देवगिरी को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करके तुर्की अफसरों के हाथों में दे दिया गया और राज्य में जगह जगह पर सेना का प्रबन्ध कर दिया गया। मुबारक शाह ने ‘मलिक यकलाकी’ को देवगिरी का ‘इक्तादार’ नियुक्त किया। अब सुखराव को मदुरा जीतने के लिए सुलतान ने भेजा। इसके उपरान्त वह स्वयं दिल्ली लौट आया।

दक्षिण में जो सफलता मुबारक को प्राप्त हुई थी, उससे सुलतान की महत्वाकांक्षा एव विजय लिप्सा बढ़ गई। सुलतान ने अपने ससुर जफर खॉ और अपने सबसे ‘अजीज शहीम’ को बगैर किसी कारण के मौत के घाट उतरवा दिया और अपने शासन की ओर ध्यान न दे करके सुरा और सुन्दरी में डूब गया। यहाँ तक भी कहा जाता है कि वह दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन कर आया करता था और भाँडों द्वारा अमीरों का अभद्र तरीके से अभिनन्दन करने की आज्ञा दे दी। इससे उसका परिणाम यह हुआ कि राज्य में अव्यवस्था फैल गयी तथा विद्रोह की सुगन्धुगाहट शुरू हो गयी। मलिक जो देवगिरी का इक्तादार था उसने विद्रोह शुरू किया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन दक्षिण के एक स्वामी भक्त अफसर ने मलिक को पराजित किया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। मुबारक ने मलिक के नाक और कान कटवा दिये। कुछ समय बाद मुबारक ने

उससे क्षमा कर दिया और समाना का इक्तादार बना दिया लेकिन उसके सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया ।

खुसरव के सौतेले भाई हिसामुद्दीन ने भी विद्रोह किया परन्तु वह भी केन्द्रीय सेनाओं से पराजित हुआ। उसको भी बन्दी बना कर दिल्ली भेजा गया लेकिन खुसरव को खुश रखने के लिए हिसामुद्दीन को सुलतान ने क्षमा कर दिया। खुसरव खुद दक्षिण में एक राज्य बनाने की जुगत में था जब इसकी सूचना सुलतान को मिली तो सुलतान ने अपने साथियों पर विश्वास न करते हुए खुद खुसरव को दिल्ली बुलाया और जिन लोगों ने खुसरव पर राजद्रोह का आरोप लगाया था उनको उनके पदों से मुक्त कर दिया तथा सभी को कारागार में डाल दिया।

## गियासुद्दीन तुगलक

गाजी तुगलक का जन्म एक निम्न वर्ग के परिवार में हुआ था। तुगलक का पिता एक तुर्की गुलाम था, माता पंजाब की जाटनी थी। केवल अपनी योग्यता एवं परिश्रम के कारण वह महत्वपूर्ण पद पर पहुँचा था। वह 1305 ई० में पंजाब का इक्तादार बना। मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध उसको उत्तर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा के लिए भेजा गया था। अलाउद्दीन के शासन काल के अंतिम समय में उसकी गिनती शक्तिशाली अमीरों में होने लगी थी, किन्तु वह और उसका पुत्र जूना खॉ बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, इन लोगों ने तेरहवीं शताब्दी के तुर्कों जैसी ही नीति अपनायी और खुसरव के खिलाफ युद्ध किया और युद्ध में खुसरव को पराजित किया। इस युद्ध में खुसरव को पराजित कर मार डाला। इसके पश्चात् एक विजेता

के रूप में उसने दिल्ली में प्रवेश किया। उसने सिंहासन पर बैठने के पूर्व यह खोज करायी कि अगर अलाउद्दीन का कोई भी वंशज हो तो उसे ही सिंहासन पर बैठा दूँ परन्तु जब कोई न मिला तो 8 सितम्बर 1320 ई० को वह गियासुद्दीन तुगलक गाजी के नाम से सिंहासन पर आसीन हुआ। वह पहला सुलतान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द का प्रयोग किया था।

अमीरो तथा जनता को खुश रखना उसका सबसे पहला कर्तव्य था। उसने खलजी लडकियो की शादी का भी इन्तजाम किया (जो लडकियाँ अपने वंश की पराजय के पश्चात् बच गयी थीं) पूर्व सुलतान के जो लोग पक्ष में थे उनके साथ उसने बहुत कठोर व्यवहार किया और उनकी जागीरे छीन ली। निजामुद्दीन औलिया जिसको की खुसरव शाह ने 5 लाख टका दिये थे उसने वापस करने से मना कर दिया। इससे सुलतान क्रोधित हो गया और उसके एव शेख निजामुद्दीन औलिया के मध्य एक कटुतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसी क्रम में खुसरव द्वारा उलेमा (धर्माधिकारियों) को भी धन देकर चुप कराया गया था इन लोगों से भी आदेश द्वारा राज्य के धन को अवैधानिक रूप से प्राप्त किये जाने पर लौटाने के लिए कहा गया उलेमा के लगभग सभी सदस्यों ने खुसरव से प्राप्त धन लौटा दिया।

गियासुद्दीन ने किसानों के हित की रक्षा के लिए कार्य किया। शासन काल में भूमि की पडताल करने का परमिट खत्म कर दिया। उसके स्थान पर सुलतान ने ये आज्ञा दी की भू-राजस्व का अधिकाधिक भूमिकर खुद निर्धारित करना चाहिए। राजस्व वसूल करने वाले पदाधिकारियों को कमीशन नहीं दिया जाता था उसके एवज में उन्हें भूमि दी जाती थी इस पर किसी भी प्रकार का कोई

कर नहीं था। इसके अलावा उन्हें किसानों से थोड़ा बहुत शुल्क लेने की आज्ञा थी। इस विषय में गियासुद्दीन ने अलाउद्दीन की भूमि मापन प्रथा को समाप्त कर दिया और फिर वही पुरानी व्यवस्था शुरू की, जो खलजी पूर्व के शासन में थी। उसने कृषि के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किये। बजर भूमियों को खेती के योग्य बनाया जिससे अनेक गाँव बस गये। राजस्व व्यवस्था में जब उचित सुधार हुआ उसके पश्चात् गियासुद्दीन ने यातायात के साधनों को बढ़ाने की कोशिश की। जनता की सुविधा के लिए गियासुद्दीन ने अनेक किलों व पुलों आदि का निर्माण कराया। गियासुद्दीन को डाक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने का श्रेय जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक एव खुसरव के शासन काल में न्याय विभाग ठीक नहीं था। गियासुद्दीन ने इसमें सुधार किया। तथा राजकीय ऋण वसूल करने के लिए जो शारीरिक यातनाएँ दी जाती थीं उसे खत्म कर दिया।

समाज सुधार के लिए उसने शराब बनाने और बेचने पर प्रतिबन्ध लगा रखा था। खुसरव के शासन काल में जिन राज्यों ने दिल्ली प्रभुत्व से स्वयं को मुक्त कर लिया था उनका पुनः दमन करना गियासुद्दीन तुगलक का मुख्य लक्ष्य था। वह उन राज्यों को जीतकर दिल्ली में मिलाना चाहता था। वारंगल के राजा प्रताप रूद्र देव ने दिल्ली से सबंध तोड़ लिया था। सुलतान ने अपने पुत्र जूना खॉ को जिसे उलूग खॉ की उपाधि मिली थी उसका दमन करने के लिए 1321 ई० में दिल्ली भेजा। उलूग खॉ ने वारंगल को घेर कर वहाँ के राजा को अत्यधिक परेशान कर दिया जिससे राजा को संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। उसने उसके संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह बिना किसी शर्त के उसका आत्म समर्पण चाहता था। तब प्रताप रूद्र देव ने आवेश में आकर घेरा डालने वालों का मार्ग काट दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि कोई भी समाचार मिलना बंद हो गया और

यह अफवाह फैल गयी कि गियासुद्दीन तुगलक की दिल्ली में मृत्यु हो गयी है। शहजादा ने अपने मित्रों की राय से घेरा उठा लिया तथा सिंहासन पर कब्जा करने दिल्ली की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस प्रकार यह प्रथम दक्षिणी आक्रमण असफल रहा।

जून खॉ को देवगिरी पहुँच कर जब यह पता चला कि उसके पिता की मृत्यु का समाचार झूठा है तो वह सीधा दिल्ली पहुँचा और अपनी गलती के लिए पिता से क्षमा मागी। सुलतान ने उसे क्षमा प्रदान कर दिया। 1323 ई० में उसको एक बार फिर वारगल भेजा गया इस बार घेरे का संचालन इतना मजबूत किया गया कि राजा तथा उसके परिवार के लोग एव सामंत विजेताओं के चंगुल में फस गये। तिलगाना पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त इसे छोटे क्षेत्रों में बाँट दिया गया। उसके पश्चात् वहाँ शासन करने के लिए तुर्की अमीर और पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। वारगल का नाम सुलतानपुर रखा गया। इस प्रकार वह दिल्ली सल्तनत के एक प्रान्त की राजधानी बनायी गयी।

जब दिल्ली की सेनाएँ तैलगाना से दिल्ली वापस लौट रही थी उस समय रास्ते में जून खॉ ने उड़ीसा के उत्कल राज्य पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से काफी मात्रा में धन को लूटा इस प्रकार तैलगाना एव उत्कल की लूट का सामान लेकर वह दिल्ली वापस आ गया।

बगाल में सिंहासन के लिए गियासुद्दीन, शिहाबुद्दीन एव नसीरुद्दीन इन तीनों भाइयों के बीच युद्ध चल रहा था। गियासुद्दीन ने 1319 ई० में शिहाबुद्दीन को उसके सिंहासन से हटाकर खुद उस पर जा बैठा। नसीरुद्दीन जो कि बगाल की गद्दी खुद चाहता था, इसने सुलतान गियासुद्दीन तुगलक से सहायता के लिए

कहा सुलतान ने नसीरुद्दीन की बात मान ली और खुद बगाल के लिए कूच कर दिया। सुलतान ने एक योग्य अफसर को जिसका नाम 'जफर खॉ' था उसको लखनौती पर धावा बोलने के लिए भेज दिया। बगाल का गियासुद्दीन इस युद्ध में पराजित हुआ और बन्दी बना लिया गया इस प्रकार नसीरुद्दीन दिल्ली सल्तनत की अधीनता में बगाल के सिंहासन पर बैठा और बगाल को दिल्ली के राज्य में शामिल कर लिया गया इसके पश्चात् सुलतान लूट के सामान के साथ दिल्ली पुनः वापस आ गया।

1324 ई० में शहजादा जूना खॉ दक्षिण में था। मंगोलों ने उत्तरी भारत पर धावा किया। लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और उनके नेताओं को बंदी बना कर उन्हें दिल्ली लाया गया।

## मुहम्मद बिन तुगलक

मुहम्मद बिन तुगलक में वह सभी गुण विद्यमान थे उसमें बुद्धि कुषाग्र, एवं उसकी स्मरण शक्ति आश्चर्यजनक थी एवं ज्ञान पिपासा असीम थी। मुहम्मद बिन तुगलक भौतिक विज्ञान, ज्योतिष, गणित दर्शन एवं साहित्य एवं काव्य का विद्वान था, उसको ललित कला एवं संगीत से बहुत अधिक प्रेम था। मुहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तिगत जीवन एवं नैतिक स्तर बहुत उच्च कोटि का था। वह स्वभाव से बहुत ही कोमल था। समकालीन इतिहासकारों बर्नी तथा इब्नबतूता ने सुलतान की भूरि भूरि प्रशंसा की है इन लेखकों का कहना था कि मुहम्मद बिन तुगलक दान भेट, पुरस्कार आदि खुले हाथों से दिया करता था। किन्तु मुहम्मद को नैतिकता में हमेशा विश्वास रहा है और अपने धर्म के प्रति भी काफी सचेत था।

मुहम्मद तुगलक का पालन पोषण एक सैनिक की तरह हुआ था वह एक अनुभवी सेनानायक था एव उसके नेतृत्व में कई युद्ध लड़े गये थे। मुहम्मद बिन तुगलक को सैनिक जीवन से बहुत ही लगाव था। सभी इतिहासकारों ने एक मत होकर मुहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा की है। मुहम्मद एक निष्पक्ष व्यक्ति था स्वभाव से बहुत ही उदार था। लेकिन यह कहना होगा कि शासक के रूप में वह काफी हद तक असफल था। 26 साल शासन करने के बावजूद उसके हाथ एक भी सफलता नहीं लगी। मुहम्मद बिन तुगलक को उत्तराधिकारी के रूप में एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य मिला जिसमें उत्तरी भारत तथा दक्षिण सम्मिलित था। परन्तु तुगलक की मृत्यु से पहले दिल्ली सल्तनत का आकार बहुत ही छोटा हो गया था। दक्षिण भारत दिल्ली से आजाद हो गया था। बंगाल ने भी दिल्ली से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। मुहम्मद बिन तुगलक को जिस वक्त मृत्यु ने घेर रखा था उसी समय सिंध भी उसके हाथों से निकल गया। जो राज्य दिल्ली साम्राज्य में थे वही विद्रोह एव अन्तर्कलह चल रही थी मुहम्मद बिन तुगलक को एक दिली इच्छा थी वह भारत की सीमाओं के बाहर के देशों को जीते। किन्तु सिंहासन पर बैठने के पश्चात् उसको जो कुछ भी मिला था उससे भी हाथ धो बैठा। मुहम्मद बिन तुगलक की महवाकाशा थी कि राजस्व व्यवस्था और मुद्रा को वैज्ञानिक आधार पर खड़ा करना। परन्तु ये सभी योजनाएं विफल हो गयी, मुहम्मद ने अपने मृत्यु के पहले अपनी असफलता को माना।

समकालीन इतिहासकार बर्नी सुलतान की पाँच महत्वपूर्ण योजनाओं का मुख्य रूप से उल्लेख करता है : (1) दोआब में कर वृद्धि (2) देवगिरी को राजधानी बनाना (3) साकेतिक मुद्रा जारी करना, (4) खुरासान पर आक्रमण और (5) कराचिल की ओर अभियान।



आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने उपज बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाये तथा साथ साथ अधिक उपजाऊ प्रदेश दोआब में कर वृद्धि की घोषणा की। यह वृद्धि 1/10 से 1/20 के बीच में थी जो कि अनुचित नहीं की जा सकती। क्योंकि इतनी वृद्धि से किसानों पर कोई दबाव नहीं पड़ा। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस वर्ष कर में वृद्धि की गई उस वर्ष अकाल पड़ गया और उपज नहीं हो सकी। भू राजस्व अधिकारियों ने निश्चित राशि को निर्दयता से वसूल करने का प्रयत्न किया। असहाय वर्ग घबरा गया किन्तु शक्तिशाली जमींदारों ने लगान देने से इन्कार कर दिया। किसानों ने अपना काम करना बंद कर दिया धीरे धीरे स्थिति और खराब हो गई। दोआब के विद्रोहों को सख्ती से दबाया गया क्योंकि जो सुलतान उलेमा वर्ग को उनकी गलतियों के लिए क्षमा नहीं कर सकता था वह जमींदारों के विद्रोह को कैसे सहन कर सकता था।

विद्रोहों के जिम्मेदार दो मुख्य वर्गों (उलेमा तथा अमीर वर्ग) पर नियंत्रण करने के लिए सुलतान ने ठोस कदम उठाये। सुलतान अकाल तथा बिमारी के प्रकोप को तो नहीं रोक सका, लेकिन उसने सबसे पहले उलेमा वर्ग से निपटने के लिए कूटनीतिज्ञता तथा कभी कभी शक्ति का भी प्रयोग किया। सुलतान धर्मशास्त्र, इतिहास तथा इस्लामी कानून में विशेष रूचि रखता था और उलेमा वर्ग की त्रुटियों के प्रति सजग था। इसलिए यह वर्ग स्वार्थी तथा चापलूस हो चुका था। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता थी। अपने विशेषाधिकार का हनन उलेमा वर्ग के लिए असहनीय हो उठा तो उन्होंने सुलतान को 'काफिर' की सजा दी और लोगों को सुलतान के विरुद्ध विद्रोह के लिए भड़काना शुरू कर दिया। उलेमाओं का विरोध मुहम्मद तुगलक के लिए परेशानी का कारण बना, इसलिए सुलतान द्वारा खलीफा के प्रति सम्मान दिखाना तथा 'अब्बासी खलीफा' से मान्यता प्राप्त

करना एक राजनीतिक कदम था। अमीरो तथा अफसरो को वफादार बनाने के लिए व प्रशासन में सुधार लाने के लिए मुहम्मद तुगलक ने उन पुराने अफसरों तथा कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया जिन पर उपद्रव फैलाने या किसी विद्रोह में भाग लेने का सदेह था। उनके स्थान पर नये लोगो को नियुक्त कर दिया गया। इन लोगो की नियुक्तिया पुराने अफसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गयी। मुहम्मद तुगलक के अमीर वर्ग में खानदानी अमीरो के अतिरिक्त कई जातियों के लोग थे जिनमें मुख्यतः मगोल, विदेशी तथा हिन्दू भी थे। अमीरो द्वारा विद्रोहों का उलेमा वर्ग ने लाभ उठाया और कई अन्य कारणों ने समन्वित रूप से मुहम्मद तुगलक के विशाल साम्राज्य को जीते जी ही विघटित करना शुरू कर दिया।

(1) समकालीन इतिहासकार बरनी के अनुसार “चूँकि देवगिरी साम्राज्य के केन्द्र में था तथा सभी ओर से एक जैसी दूरी पर था। अतः इसे नई राजधानी के लिए चुना गया। किन्तु एक अन्य समकालीन इतिहासकार (मेहदी हुसैन) के अनुसार “दक्षिण में मुसलमानों की कमी के कारण देवगिरी को दूसरा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बनाना पडा। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया और यह मुस्लिम सस्कृति का केन्द्र भी बन गया। यहाँ पर कई सूफी सत भी बस गये और यह इसी सस्कृति का प्रमाण है कि तदुपरात इसी स्थान से बहमनी राज्य का विकास हुआ। राजधानी परिवर्तन का कुछ भी कारण हो। इससे तीन बातें तो स्पष्ट हो ही जाती हैं: (1) दक्षिण में जो कि सल्तनत का अग बने चुका था वहाँ अभी भी असुरक्षा की स्थिति बनी हुई थी। अतः सुलतान को विश्वास हो गया कि दक्षिण में एक शक्तिशाली प्रशासनिक केन्द्र का होना आवश्यक है जहाँ से दक्षिण के किसी भी विद्रोह को दबाया जा सके।

(2) राजधानी परिवर्तन होने के बाद भी दिल्ली वीरान नहीं हुई, बल्कि पहले की ही तरह आबाद रही। पहले की ही तरह सशक्त रूप से प्रशासन चलता रहा और दिल्ली तथा दौलताबाद के बीच संपर्क बना रहा तथा दोनों मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बने रहे।

(3) दिल्ली से जो उलेमा दौलताबाद गये थे वे दिल्ली की शान को नहीं भूल पाये थे इसलिए उनकी नाराजगी बढ़ती गई तथा वे हर समय लौटने के बारे में सोचने लगे। सुलतान ने उनकी भावनाओं को समझ लिया तथा कुछ वर्षों बाद दिल्ली जाने की अनुमति मिल गयी। लोगों के मन में सुलतान के प्रति आदर कम हो गया। तथा जो लोग वहाँ रह गये थे। उन्होंने इसी प्रशासनिक केन्द्र तथा संस्कृति के प्रभाव से बहमनी राज्य के पनपने में सहायता की।

तीसरी मुख्य योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। समकालीन इतिहासकार बरनी के अनुसार सुलतान विदेशी प्रदेशों को जीतना चाहता था, तथा इसके अलावा सुलतान बहुत ही खर्चीली प्रवृत्ति का था और उसका खजाना भी खाली हो रहा था। इसीलिए सुलतान को 'सांकेतिक मुद्रा' का प्रचलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परन्तु एक अन्य समकालीन इतिहासकार 'नैलसन राइट' ने दिल्ली के सुलतान के सिक्कों का वर्णन करते हुए बताया है कि 1327-30 ई० में जब सांकेतिक मुद्रा जारी की गई, उस समय भारत में ही नहीं, बल्कि ससार भर में चाँदी की कमी हो गयी। बगाल की खानों में पर्याप्त मात्रा चाँदी नहीं मिली और न ही बाहर से आये व्यापारी इसे भारत में ला सके। ऐसी स्थिति में सुलतान ने इस बहुमूल्य धातु को बनाने के लिए थोड़े समय के लिए ताँबे तथा इससे मिश्रित काँसे के सिक्के जारी किये इन सिक्कों का मूल्य चाँदी के सिक्कों के

बराबर घोषित किया गया और सुलतान ने अपेक्षा की कि लोग इसे स्वीकार करे। उस समय सिक्के बनाने की कला भी साधारण थी। कोई पेचीदे डिजाइन भी उनमें नहीं थे। और न ही कोई सरकारी नियंत्रण / सरकारी टकसाल भी थी। सर्राफ की दुकानों पर भी टकसाल का काम होता था। मध्यवर्ती जमींदार चांदी के सिक्के से हथियार खरीदने लगे। किन्तु जब सारी सम्पत्ति व अर्थव्यवस्था दयनीय सी नजर आने लगी तब निराश होकर सुलतान को साकेतिक मुद्रा बदल करनी पड़ी।

मुहम्मद तुगलक ने लगभग तीन लाख सत्तर हजार घुडसवारों की एक विशाल सेना इकट्ठी की ताकि उसे खुरासान विजय के लिए भेजा जा सके इस सेना में दोआब के राजापूत तथा कुछ मंगोल भी शामिल थे। सुलतान के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इस विशाल सेना का क्या किया जाए। यदि इसे पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो ये सैनिक कानून व्यवस्था भंग करके उत्पात मचा सकते थे। सुलतान ने ऐसी स्थिति में यही उचित समझा कि इस सेना के कुछ भाग को उत्तरी भारत की पर्वतीय श्रृंखला में सीमाओं को दृढ़ करने के लिए भेजा जाए। जब दक्षिण की सुरक्षा पूर्ण हो गई तो उसका ध्यान पर्वतीय सीमा की तरफ गया। ताकि उत्तर भारत में किलों की श्रृंखला को पूर्ण किया जा सके। खुरासान के विरुद्ध तैयार की गई कुछ सेना इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए उपयोगी हो सकती थी। लेकिन कुछ कारणों से यह अभियान असफल ही रहा। पर्वतीय स्थानों पर सैनिक, वर्षा तथा बीमारी का सामना न कर सके।

इन प्रयोगों के निराशाजनक परिणामों तथा खुरासान अभियान के लिए बनाई गई सेना की बरखास्तगी ने सुलतान के लिए कई परेशानियाँ खड़ी कर दीं। उलेमा वर्ग पहले से ही सुलतान से नाराज था क्योंकि मुहम्मद तुगलक के धार्मिक एवं

प्रशासनिक विचार उनके विचारों से अलग थे। उलेमा अपने परंपरागत विशेषाधिकारों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। सुलतान ने कई उलेमाओं की निर्दयता से हत्या करवा दी तथा दूसरों को बड़ी बड़ी सजाएँ दी। सुलतान किसी भी विद्रोही को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में भारत में रह रहे सूफियों तथा सैय्यदों ने अपना अनादर समझा तथा सुलतान के विरुद्ध लोकमत तैयार करना प्रारम्भ कर दिया। सुलतान एक ओर से उपद्रव को रोकने के लिए बढ़ता तो दूसरी ओर संघर्ष प्रारम्भ हो जाता। अतः 1351 ई० में सिंध के विद्रोह को दबाते हुए सुलतान की मृत्यु हो गई।

## फिरोजशाह तुगलक

20 मार्च 1351 ई० में मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोजशाह तुगलक दिल्ली का शासक बना। फिरोजशाह तुगलक ने मुहम्मद तुगलक के खोये हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से सिंध तथा बंगाल में सैनिक अभियान किये गये। जबकि दक्षिण में स्वतंत्र मदुरा बहमनी तथा विजय नगर राज्य को वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस दृष्टिकोण से फिरोजशाह का शासन कमजोर रहा और इस कमजोरी को छुपाने के लिए उलेमा वर्ग को प्रसन्न रखा। फिरोजशाह के शासनकाल के अंतिम चरण में गंभीर रूप से राजनीतिक तथा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। तथा उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही विशाल तुगलक साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर कई स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। सिंध में मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के समय जो अमीर शाही खेमे में थे वह यह निश्चित नहीं कर पाये थे कि गद्दी किसको मिलेगी। अतः उन्होंने

यह फैसला किया कि उनकी सेना दिल्ली की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर नया सुलतान नियुक्त किया जाएगा। इस परिस्थिति में उलेमा वर्ग के कुछ लोगो ने फिरोज शाह से धार्मिक रियायतो का वायदा ले लिया। इसके उपरान्त अमीर तथा उलेमा वर्ग दोनो ने सुलतान फिरोज को शासक बनाने का निर्णय स्वीकार कर लिया। सुलतान ने सिध से लेकर दिल्ली तक के मार्ग तक आने वाली मन्दिरो, दरगाहो तथा खानकाहो को दिल खोलकर धार्मिक अनुदान दिया। उलेमा वर्ग नये सुलतान के पक्ष में हो गया। दिल्ली की सल्तनत सभालते ही उसने मलिक मकबूल को अपना वजीर बनाया तथा दोनों ने मिलकर मुहम्मद तुगलक द्वारा उत्पन्न मुसीबतों को समाप्त करने का प्रयास किया, तथा जिन लोगों को सरकार के कर्जे देने थे उन्हें माफ कर दिया गया। उपज के अनुसार लगान तय किया गया। खून खराबा व अत्याचार को समाप्त करने की आज्ञा दी गयी तथा सरकारी पदो को वशानुगत कर दिया गया। सभी वर्ग के लोगो पर सरकारी नियंत्रण में ढील दे दी गयी। शायद इन्ही बातो से प्रेरित होकर समकालीन इतिहासकार फिरोज शाह के काल को समृद्धि का काल मानते हैं। प्रशासन की ओर ध्यान न देकर उलेमा वर्ग को रियायते देना, सैनिक अफसरों के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप इत्यादि करना शायद लोगो की सुलतान के प्रति वफादारी का कारण रहा हो किन्तु ये कारण ही तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए भी जिम्मेदार थे।

फिरोज तुगलक ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। बगाल के इलियास शाह को सजा देने के लिए जब सैनिक कार्यवाही की गई तो किले पर विजय पाते ही सुलतान ने घोषणा कर दी कि वह किसी और मुसलमान का खून नहीं बहा सकता क्योंकि ऐसा करने पर उसमें और असभ्य मंगोलो में क्या फर्क रहेगा। अततः सुलतान 1354 ई० में दिल्ली लौट आया। इस

कार्यवाही से बगाल के शासक का साहस बढ़ गया। इसके उपरान्त 1359 ई० में जब जफर ख़ाँ ने जोकि बगाल के शासक से बचकर समुद्र के रास्ते से सिंध तक पहुँच गया था, फ़िरोज तुगलक से सहायता के लिए अपील की थी तब एक और सैनिक अभियान भेजा गया। इस सैनिक कार्यवाही से कुछ प्रदेश सुलतान के पक्ष में आ गये थे परन्तु सैनिक दृष्टि से इसे सफल नहीं कहा जा सकता। इस अभियान के दो महत्वपूर्ण परिणाम हुए जौनपुर शहर की स्थापना तथा फ़िरोजशाह द्वारा अपने लड़के फतह ख़ाँ को उत्तराधिकारी नियुक्त करना तथा सिक्कों में अपने नाम के साथ उनका नाम भी अंकित करना।

सुलतान के गवर्नर आइन-ए-मुल्क-माहरू की इस शिकायत पर कि सिंध का शासक मंगोलो की सहायता कर रहा है एवं उनको सलतनत के विरुद्ध भड़का रहा है तो सुलतान फ़िरोज शाह ने सिंध के शासक के विरुद्ध आक्रमण का आदेश दे दिया। सिंधियों द्वारा रक्षात्मक तरीके अपनाए गये। इसके विपरीत सुलतान की सेना में महामारी फैल गई और लगभग तीन चौथाई सेना को मजबूर होकर गुजरात आना पड़ा। भागते हुए सैनिकों का सुलतान ने पीछा किया। सुलतान गुजरात पहुँचने के बजाय कच्छ के दलदल में फँस गया। जैसे तैसे वह गुजरात पहुँचा और फिर अपनी बहादुरी की बातें करने लगा। फिर सैनिक कार्यवाही हुई और इस बार तुगलक सेना सफल हुई। लगभग दो ढाई वर्ष के (1365-67 ई०) के अन्तराल पर फ़िरोज शाह दिल्ली लौट आया। इस बीच सुलतान फ़िरोज शाह का वज़ीर दिल्ली के अमीरों को झूठी सांत्वना देता रहा कि सुलतान सिंध में विजय के ऊपर पुर्नविजय प्राप्त कर रहा है।

फिरोज शाह ने दिल्ली पहुँचने पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि सभी अफसर जो कि सिध अभियान में मारे गये है। उनकी जागीरे उनके उत्तराधिकारियो को बगैर किसी शर्त के दे दी गई है, वे सिपाही जिन्होने गुजरात मे खजाने से साठ प्रतिशत वेतन लेकर मुझे छोड दिया तथा दिल्ली भाग आये है उनकी जागीरे भी रखी हुई है, क्योकि मै नही चाहता कि किसी को भी शिकायत का मौका मिले। सरकारी पदो को वशानुगत करना तथा ज्यादातर सैनिको को वेतन के बदले में जागीरे दे देना कुछ ऐसे कार्य थे जिससे, भ्रष्टाचार को बढावा मिला तथा सैनिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई तथा तुगलक साम्राज्य का स्थाई रूप से कायम रहना असभव हो गया ।

फिरोज शाह की मृत्यु के बाद लगान प्राप्त करना कठिन हो गया क्योकि लगान वसूली प्रायः सैनिक शक्ति के कारण होती थी और वह शक्ति अब लुप्त हो गयी थी।

इसी काल मे भवन निर्माण कला को भी प्रोत्साहन दिया गया उसने अपनी प्रजा तथा उलेमा वर्ग को प्रसन्न रखने के लिए कई परोपकारी कार्य किये। पुराने भवनों की मरम्मत करवायी तथा कुछ नये मदरसो व मस्जिदों का निर्माण करवाया। कुछ नये शहर जैसे हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली तथा जौनपुर आदि बसाये गये। गरीब किसानो मे लगभग सौ लाख टका बांटा गया ताकि वे अपनी जमीन को आबाद कर सके। अस्पताल व गरीबो के लिए दीवान-ए-खैरात से पैसे का प्रबन्ध किया गया। तोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तम्भ लाकर दिल्ली मे स्थापित किये गये। प्रशासन की सबसे बडी उपलब्धि हॉसी तथा सिरसा के क्षेत्रो मे पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरो की खुदाई करवायी। इन नहरो के पानी से



शाही महल के अलावा 180 मील पूर्व पंजाब के प्रदेश की सिचाई की जाती थी। साथ ही उपज वृद्धि तथा अकाल से निपटने के लिए ठोस नीति अपनायी गयी।

उलेमा वर्ग को धार्मिक अनुदान दिये गये। दासों की सख्या में असाधारण वृद्धि भी तुगलक साम्राज्य की राजनीतिक तथा आर्थिक विघटन का कारण बनी। दास जो कि सुलतान को उपहार में मिलते थे इनकी सख्या 1,80,000 तक पहुँच गयी। सभी दासों को कोई न कोई पद दिया गया। दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई तथा उन पर होने वाले खर्च के लिए एक अलग खजाना रखा गया। इन दासों का वेतन 10 से 100 टके था।

फिरोज शाह ने अड़तीस वर्ष के लंबे कार्य काल में जो तरीके अपनाये उनमें राजनीतिक बुद्धिमत्ता की कमी थी। दक्षिण सदैव के लिए तुगलक साम्राज्य से अलग हो गया। बगाल तथा सिंध पहले की ही तरह विद्रोही हो गये। मालवा तथा खानदेश स्वतंत्र हो गये। सन् 1388 ई० में फिरोजशाह की मृत्यु पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया।

## अमीर तिमूर

अमीर तिमूर का जन्म 1336 ई० में ट्रास-आक्सीयाना में कैच नामक स्थान में हुआ था। तैमूर के पिता अमीर तुर्गाई बार्लस चगताई शाखा के प्रमुख थे। 1369 ई० में तैमूर समरकंद के सिंहासन पर बैठा। वह अत्यधिक महात्वाकांक्षी व साहसी था। उसने ईरान, अफगानिस्तान और मैसेपोटामिया पर आक्रमण करके उन पर अधिकार कर लिया था। इन सफलताओं से उसकी महात्वाकांक्षा और बढ़

गई। हिन्दुस्तान की अपार धन सपदा ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य मूर्ति पूजा का नाश करना था।

अपनी सेना के अग्रगामी दल को तैमूर ने अपने पोते पीर मुहम्मद की अधीनता में भेज दिया था जिसने 1398 ई० में सुलतान को घेरकर उसपर अधिकार कर लिया था। तथा उसने स्वयं एक शक्तिशाली सेना लेकर अप्रैल 1398 ई० में समरकन्द से कूच किया तथा अक्टूबर में मुलतान के उत्तर पूरब में पचहत्तर मील दूर तालम्बा नामक स्थान को घेर लिया। नगर में लूटपाट के बाद वहाँ के निवासियों का कत्ल कर दिया। इसके उपरान्त पाक पटन, दिपालपुर, भटनेर, सिरसा और कैथाल होता हुआ, मार्ग में आग लगाता तथा लोगों की हत्या करता हुआ दिसम्बर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली पहुँच गया। सुलतान महमूद तथा उसके प्रधानमंत्री भल्लू इकबाल ने तैमूर के आने पर उसका मुकाबला करने का प्रयास किया। तुगलक सेना से युद्ध करने से पहले तैमूर ने एक लाख हिन्दुओं को जिनको दिल्ली से आते समय उसने बन्दी बनाया था उनका निर्भयता पूर्वक उनका कत्ल कर दिया जिससे उनके रहने से युद्ध के समय किसी भी प्रकार का सकट न उत्पन्न हो सके। अतः 17 दिसम्बर को उसने युद्ध किया और महमूद को पराजित कर दिया। भारतीय सेना में 10 हजार अश्वारोही, चालीस हजार पैदल तथा एक सौ बीस हाथी थे। सुलतान महमूद गुजरात की ओर, भल्लू इकबाल बुलन्द शहर की ओर भाग गया।

18 दिसम्बर 1398 ई० में तैमूर ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। उलेमा के नेतृत्व में राजधानी के नागरिक विजेता के सामने उपस्थित हुए और दया की प्रार्थना की। तैमूर ने नागरिकों को जीवन दान देना स्वीकार कर लिया। किन्तु

आक्रमणकारी सेना के अत्याचार पूर्ण आचरण के कारण वहाँ नागरिको को उसका प्रतिरोध करना पडा। इस पर तैमूर ने क्रोधित होकर नरसहार की आज्ञा दे दी। जोकि कई दिनों तक जारी रहा। दिल्ली के हजारो नागरिको को बंदी बना लिया गया तथा हजारो का वध कर दिया गया ।

विजेता पन्द्रह दिन तक दिल्ली मे रूका। उसकी इच्छा न तो वहा रहने की थी और न ही उस पर शासन करने की थी। 1 जनवरी 1399 ई0 को उसने दिल्ली छोड दिया और समरकन्द जाने की तैयारी करने लगा। फिरोजाबाद होता हुआ वह मेरठ पहुँचा तथा 19 जनवरी 1399 ई0 को उस पर कब्जा कर लिया। इसके उपरान्त हरिद्वार के निकट उसे दो हिन्दू सरदारो से युद्ध करना पडा। जिसमे हिन्दुओ की पराजय हुई। इसके बाद शिवालिक पहाडियो के किनारे किनारे बढ़ता हुआ वह कांगड़ा पहुँचा वहाँ भी उसने लूटपाट की तथा जम्मू को भी लूटा तथा वहाँ अत्यन्त क्रूरता पूर्वक नरसहार किया। 19 मार्च 1399 ई0 को उसने स्वदेश लौटने के लिए सिन्धु को पार किया । भारत को जितना दुःख और क्षति तैमूर ने पहुँचाई उतना किसी आक्रमणकारी ने एक आक्रमण मे नहीं पहुँचाया होगा ।

जिस समय तैमूर लौट कर गया उस समय समस्त उत्तरी भारत मे घोर दुःख और अराजकता व्याप्त हो गयी। तैमूर ने हमारे देश के उत्तरी पश्चिमी प्रान्तो दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी भागों को इतनी बुरी तरह लूटा तथा जलाकर नष्ट भ्रष्ट किया कि उन प्रदेशो को पुर्न समृद्धि प्राप्त करने मे कई वर्ष लग गये। लाखो पुरूषो, बच्चो व स्त्रियो को निमर्मता पूर्वक वध कर दिया गया था। सिध से दिल्ली तक दोनो ओर के कई मील तक की रबी की फसल को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया था। उसकी सेनाओ ने हर जगह अनाज लूटा और बर्बाद किया अतः भारतीय

नगरों में वस्तुओं का अभाव हो गया। लाशों के सड़ने से पानी तथा वायु प्रदूषित हो गये। तथा सर्वत्र महामारी फैल गयी। मार्च 1399 ई० में नुसरत शाह जिसे पहले उसके प्रतिद्वन्द्वी ने मार भगाया था फिर दिल्ली लौट आया। किन्तु महमूद के प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल ने शीघ्र उसका पीछा करके मार भगाया। 1401 ई० में उसने महमूद को पुनः दिल्ली बुलाकर उसे अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। इस प्रकार तैमूर ने जाने से पहले दिल्ली सल्तनत को छिन्न भिन्न कर दिया।

**सैय्यद वंश :**

**खिज़्र ख़ाँ**

खिज़्र ख़ाँ सैय्यद वंश का प्रथम तथा योग्य शासक था इसके सिंहासन पर बैठते ही पंजाब, मुलतान तथा सिंध पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया तथा राज्य का विस्तार अब लगभग दुगुना हो गया।

खिज़्र ख़ाँ को अपने शासन काल में कोई विशेष सफलता नहीं मिली उसमें इटावा, कटेहर, कन्नौज, पटियाली और कम्पिल को फिर से जीतने की कोशिश की, परन्तु उसे अधिक सफलता नहीं मिली।

लगभग हर वर्ष लूट पाट करने तथा राजस्व वसूलने के लिए वह सैनिक यात्राएँ करता और लूट का माल लेकर वापस लौट आता। राज्य के जिलों से सैनिकों की सहायता के बिना वह राजस्व वसूली नहीं कर सकता था। उसके मंत्री ताज-उल-मुल्क ने अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए उसको सहयोग

दिया परन्तु उसे अधिक सफलता नहीं मिली। दिल्ली तथा गुजरात तथा दिल्ली और जौनपुर में प्रतिद्वन्द्विता प्रारम्भ हो गई और इन दोनों नये स्थापित राज्यों के शासकों ने दिल्ली को जीतकर अपने राज्यों में मिलाने का प्रयत्न किया। उत्तरी पूर्वी पंजाब में खोक्खर नेता जसरथ ने अधिक उपद्रव मचाया। दोआब के सामन्त निरन्तर विद्रोह करते रहे। मेवात के नादिर ने भी विद्रोह किया। खिज़्र ख़ाँ ने लगातार हो रहे इन विद्रोहों का दमन करने के लिए कठोर संघर्ष किया। परन्तु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सामन्तों के साथ विद्रोहियों जैसे बर्ताव करता और उन्हें पूरी तरह कुचल देता अतः उसने सामन्तों के साथ समझौते की नीति से काम लिया। इन्हीं कष्टों और अव्यवस्था से जर्जरित होकर खिज़्र ख़ाँ 20 मई 1421 ई० को इस सत्ता से चल बसा। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार वह न्याय प्रिय तथा उदार शासक था। लेकिन वह अयोग्य था तथा उसमें शक्ति व चरित्र का अभाव था।

## मुबारक शाह

जब खिज़्र ख़ाँ मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था उसने अपने पुत्र मुबारक ख़ाँ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और सिंहासन धारण करते ही उसने मुबारक शाह की उपाधि ग्रहण की। अमीरों ने उसे अपना शासक स्वीकार कर लिया किन्तु उसे उनसे विशेष सहयोग नहीं मिला। अपने पिता की ही तरह उसे भी विद्रोहियों तथा अव्यवस्थाओं का दमन करने के लिए सैनिक यात्राएँ करनी पड़ी। मुबारक शाह को भटिण्डा तथा दोआब में विद्रोहों का दमन करने में सफलता मिली। किन्तु नमक की पहाड़ियों के खोक्खर लोगों को वह दण्ड नहीं

दे सका। उसका नेता जसरथ महात्वाकाक्षी सामन्त था और दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था। मुबारक ने दिल्ली के खोये हुए प्रान्तों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। राज्य के वजीर सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिन्दू एवं मुस्लिम अमीरों ने सुलतान के विरुद्ध सघर्ष किया। 19 फरवरी 1434 ई० को जब मुबारक यमुना नदी के किनारे एक नये नगर का निर्माण करने का निरीक्षण करने गया उसी समय षडयन्त्रकारी उस पर टूट पड़े और उसका कत्ल कर दिया।

### मुहम्मद शाह :

मुबारक शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने मुहम्मद को सिंहासन पर बिठाया। वह खिज़्र खॉ का नाती और मुबारक शाह का पुत्र था। वजीर 'सरवर-उल-मुल्क' राज्य की शक्ति को अपने हाथों में रखना चाहता था। इसलिए उसने राजकोष भण्डारों तथा हाथियों को अपने अधिकार में रखा। उसने सुलतान को फुसला कर 'खानेजहाँ' की उपाधि धारण की तथा राज्य के उच्च पदों पर उसने अपने समर्थकों की नियुक्ति कर दी। बयाना, अमरोहा, नारनौल, कुहराम की जागीरें एवं दोआब में कुछ परगने उसने अपने उन मित्रों व अनुयायियों को दे दी जिन्होंने मुबारक शाह की हत्या में भाग लिया था। परन्तु 'कमाल-उल-मुल्क' नाम का एक अमीर खिज़्र खॉ के वश के प्रति वफादार था तथा मुबारक शाह के हत्यारों के विरुद्ध अपने क्रोध को छिपा के रखा था। वह उन्हें दण्डित करना चाहता था। इसके लिए उसने गुप्त तरीके से उसने अपने अनुयायियों का एक दल संगठित करके अपने अनुयायियों को लेकर ठीक समय पर आ गया और 'सरवर उल-

मुल्क ' तथा उसके साथियों की हत्या कर दी। इसके उपरान्त 'कमाल-उल-मुल्क' वजीर नियुक्त हो गया। उसने भी महत्वपूर्ण पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त कर दिया। परन्तु उसे भी पूर्ण सफलता नहीं मिली क्योंकि उसके पास कोई शक्ति शाली सेना नहीं थी। विद्रोह पहले की ही तरह होते रहे। जौनपुर के इब्राहीम शर्की ने सल्तनत के पूर्वी भाग पर आक्रमण करके कई परगनों पर अधिकार कर लिया। झलवा के महमूद ने भी दिल्ली के आस पास आक्रमण किये किन्तु अपनी राजधानी माण्डू पर अहमदशाह के आक्रमण का समाचार सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। तथा वह यह सुनकर भी घबरा गया था कि लाहौर और सरहिन्द का सूबेदार बहलोल लोदी कुमुक लेकर दिल्ली सेना की सहायता के लिए भी आ रहा है। बहलोल लोदी समय पर आ गया और मालवा की सेना को खदेड़ कर उनका सामान छीन लिया। समय पर इस तरह की सेवा के लिए बहलोल को 'खाने जहाँ' की उपाधि मिली।

इसी समय दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया बहलोल लोदी स्वयं दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए बहलोल ने अफगानों की एक सेना इकट्ठी करके दिल्ली पर आक्रमण कर दिया परन्तु वह असफल रहा। इसी संकटपूर्ण स्थिति में 1445 ई० में मुहम्मद शाह की मृत्यु हो गई।

### अलाउद्दीन आलम शाह :

इसके उपरान्त मलिक और अमीरों ने मुहम्मद के पुत्र अलाउद्दीन को आलम शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठा दिया। नया सुलतान अपने पिता से भी

ज्यादा अयोग्य था। बहलोल लोदी ने दिल्ली सरकार की दुर्बलता का लाभ उठाया उसके भाग्य से नये सुलतान तथा वजीर हमीद खॉं मे झगडा हो गया । सुलतान अहमद खॉं वध करना चाहता था। हमीद खॉं ने बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया उसने सोचा कि अमीर अफगान को अपने हाथो की कठपुतली बनाकर उसे पूर्ववत शासन का संचालन करेगा । किन्तु बहलोल लोदी ने कुटिल नीति से दिल्ली पर अधिकार करके हमीद को अपने रास्ते से हटा दिया। अलाउद्दीन आलमशाह कमजोर शासक था। वह सम्पूर्ण राज्य बहलोल लोदी को सौंपकर स्वयं बदायूँ चला गया और वही रहने लगा। बहलोल लोदी ने खुतबा तथा सिक्को से आलम शाह का नाम हटवा कर 19 अप्रैल 1451 ई0 को स्वयं को सुलतान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन आलम शाह एक साधारण अमीर की भांति बदायूँ मे रह रहा था और वहीं पर कुछ वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गयी।

### **बहलोल लोदी :**

बहलोल लोदी अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा लोदी के शाहूखेल नामक कुटुम्ब में उत्पन्न हुआ था। बहलोल मलिक काला का पुत्र था जो कि जसरथ खोक्खर को हराकर स्वतंत्र सरदार बन बैठा था। बहलोल के चाचा सुलतान शाह को खिन्न खॉं ने 1419 ई0 मे सरहिद का सूबेदार नियुक्त किया और इस्लाम खॉं की उपाधि धारण की । उसे पजाब के अफगानो को अपने नेतृत्व मे सगठित किया था अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने पुत्र कुतुब खॉं को छोडकर बहलोल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तथा उसकी मृत्यु के बाद बहलोल लोदी सरहिन्द का सूबेदार नियुक्त हो गया। बाद मे उसने लाहौर को भी



अपनी सूबेदारी में सम्मिलित कर लिया। बहलोल चतुर तथा महात्वाकाक्षी पदाधिकारी था। वह वजीर हमीद को राजशक्ति में भाग नहीं लेने देना चाहता था। उससे झगड़ा करने से सकट उत्पन्न हो सकता था अतः उसने चालाकी से काम लिया। उसने हमीद खाँ के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार किया। उसने उसे विश्वास दिला दिया कि उसकी कोई महत्वाकाक्षा नहीं है तथा वह सेनापति के पद से सन्तुष्ट है। एक दिन अपने अनुयायियों के साथ बहलोल लोदी वजीर का अभिवादन करने गया। बहलोल के चचेरे भाई कुतुब खाँ ने वजीर निकाल कर चारों ओर कस दिया। वजीर को कारागार में डाल दिया तथा बहलोल ने अलाउद्दीन आलमशाह को दिल्ली लौटने के लिए लिखा। परन्तु आलमशाह ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसने 19 अप्रैल 1451 ई० को अपना राज्याभिषेक करा लिया और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया।

बहलोल कुशल राजनीतिज्ञ था, वह अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह समझता था उसकी शक्ति पूरी तरह अफगान अनुयायियों पर निर्भर थी इसलिए वह उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया करता था। वह स्वयं को उन्हीं में से एक समझता था। वह सिंहासन पर न बैठ कर स्वयं उनके सामने कालीन पर बैठता था और अमीरों को अपने साथ बैठाया करता था।

सेना में विश्वास बनाने के लिए तथा अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए वह खुले हाथों से दान, भेट, तथा पुरस्कार आदि दिया करता था। अपने मूल निवास से उसने अफगानों को बुलाकर उन्हें बड़े बड़े भू भाग जागीरों के रूप में प्रदान की एवं अपने कबीले के प्रमुख व्यक्तियों को पदोन्नति का उसने वचन दिया।

बहलोल लोदी ने राज्य मे आन्तरिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए तथा अमीरो और सूबेदारो को जिन्होने उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। उन्हे दण्ड देने के लिए कठोर सैनिक वादी नीति का अनुसरण करने का निर्णय किया। उन्हे आतंकित करने के लिए वह कई बार स्वय आस पास के जिलो मे सेनाए लेकर गया ।

### सिकन्दर लोदी :

बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए दो गुट बन गये। एक उसके तीसरे पुत्र निजाम खाँ को जो जनता मे सिकन्दर शाह के नाम से प्रसिद्ध था। दूसरे जो सुलतान के सबसे बडे पुत्र बारबक शाह के समर्थक थे जो उस समय जौनपुर का शासक था। परन्तु अधिकतर पठान अमीर निजाम खाँ के समर्थक हो गये और 17 जुलाई 1489 ई0 को सिकन्दर शाह के नाम से सुलतान नियुक्त कर दिया गया।

सिकन्दर ने थोडे ही समय मे अपनी नीति, चरित्र और सुदृढ शासन व्यवस्था के द्वारा उसने दिखा दिया कि उसका चुनाव उचित था और दिल्ली के शासन के लिए वह बहलोल के पुत्रो में योग्य था। उसका प्रथम उद्देश्य अपने प्रतिद्वन्दियो का दमन करके अपने अनुयायियो की शक्ति मे वृद्धि करना तथा आन्तरिक व्यवस्था स्थापित करना था सिकन्दर का चाचा आलम खाँ भी सिहासन के लिए उम्मीदवार था। सिकदर ने उसे रापडी मे पराजित करके वहाँ से भगा दिया। आलम खाँ ने ईसा खाँ के यहाँ शरण ली जो सिकदर का विरोधी था ।

सिकन्दर ने आलम खॉ को ईसा खॉ से पृथक करके अपने पक्ष में मिला लिया तथा इटावा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसके बाद उसने ईसा खॉ को पटियाला के निकट युद्ध में पराजित किया। युद्ध के कुछ ही दिनों के बाद ईसा खॉ की मृत्यु हो गयी। सिकन्दर खॉ का चचेरा भाई आजम हुमायूँ भी गद्दी का उम्मीदवार था उसे भी सुलतान ने हराकर कालपी को छीनकर मुहम्मद खॉ लोदी के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद तातारखॉ लोदी को परास्त किया लेकिन झातरा की जागीर उसके हाथ में ही रहने दी। इस प्रकार सिंहासनारोहण के एक वर्ष के अन्दर उसने अपने विरोधियों को परास्त कर दिया और अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया।

सिकन्दर अपने बड़े भाई बारबक शाह जो जौनपुर का शासक था को अपने अधीन करना चाहता था। उसने जौनपुर एक शान्ति दूत भेजा जो असफल रहा। किन्तु जौनपुर के भूतपूर्व सुलतान हुसैन शाह ने बिहार में शरण ली जो दोनों भाइयों के आपसी सघर्ष का लाभ उठाना चाहता था। सिकन्दर ने युद्ध किया। उसने बारबक शाह को जो अपनी सेना लेकर कन्नौज तक पहुँच गया था को पराजित किया। हार कर बारबक शाह बदायूँ चला गया लेकिन वहाँ भी सिकन्दर ने उसे घेर लिया और आत्म समर्पण करने के लिए मजबूर किया। सिकन्दर ने नाम मात्र के लिए उसे जौनपुर का सुल्तान बना दिया और उसके राज्य को विभक्त करके अनुयायियों में बाँट दिया तथा उसके दरबार एव महल में गुप्तचर नियुक्त कर दिये। किन्तु बारबक शाह नितान्त अयोग्य शासक निकला। इसलिए सिकन्दर ने उसे हराकर कारागार में डाल दिया तथा जौनपुर में अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया।

जौनपुर का दमन तथा अपने पैतृक राज्य पर निरकुशता स्थापित करने के बाद सिकन्दर अफगान अमीरों को उचित नियंत्रण एवं अनुशासन में लाने के लिए प्रयास करने लगा। वह राज्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का इच्छुक नहीं था। उसने अपने सूबेदारों तथा अन्य पदाधिकारियों की आय व्यय के हिसाब की उचित जाँच पर जोर दिया। गबन करने वालों तथा हिसाब में गड़बड़ी करने वालों को कठोर दण्ड दिया। अपने मुख्य अमीर मुबारक खाँ लोदी को जिसे जौनपुर का राजस्व वसूल करने के लिए रखा था उसे कठोर दण्ड देकर राज्य का गबन किया हुआ धन लौटाने के लिए कहा। सिकन्दर अमीरों तथा दरबारियों के किसी भी प्रकार के अशिष्ट अथवा असम्मानपूर्ण आचरण को वह सहन नहीं करता था। अमीरों ने बदला लेने के उद्देश्य से सिकन्दर को हटाकर उसके भाई फतह खाँ को सिंहासन पर बैठाने का षडयंत्र रचा। परन्तु समय से पूर्व इस षडयंत्र का भेद खुल गया तो सुलतान ने बाईस अमीरों को दरबार से बाहर निकाल दिया इस प्रकार सिकन्दर को अमीरों पर उचित नियंत्रण करने में सफलता मिली। जब सिकन्दर किसी अमीर के लिए फरमान जारी करता था तो वह अमीर छह मील चलकर उचित रस्म के साथ स्वीकार करता था।

शासक के रूप में सिकन्दर की सफलता का श्रेय उसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता को जाता था। सिकन्दर का शासनकाल भौतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। सिकन्दर अत्यन्त महत्वाकांक्षी था इसलिए उसने दिल्ली तुर्की सल्तनत के खोये हुए प्रान्तों को पुनः प्राप्त करने की योजना बनाई। अपने भाई बारबक शाह का दमन करने तथा जौनपुर को दिल्ली राज्य में मिलाने के कारण उसका बिहार से

सघर्ष हो गया जो उस समय बगाल का एक भाग था। जौनपुर के कुछ जमींदारों का भूतपूर्व सुलतान हुसैन शाह से घनिष्ठ संबंध था जो उस समय बगाल में रह रहा था। सिकन्दर इन जमींदारों की शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना चाहता था। इसलिए उसने फाफामऊ (इलाहाबाद के निकट) के भील राजा पर जो विद्रोही जमींदारों का नेता था, आक्रमण किया। परन्तु राजा का पूर्ण रूप से दमन नहीं हो सका। 1494 ई० के आक्रमण में सुलतान की सेना को भारी क्षति हुई तथा घोड़ों की एक बड़ी संख्या नष्ट हो गई। इसकी सूचना विद्रोही राजाओं ने हुसैन शाह को दे दी तथा सिकन्दर से लड़ने के लिए आमंत्रित किया। हुसैन शाह एक बड़ी सेना लेकर सुलतान से लड़ने के लिए बिहार से आ गया सिकन्दर ने उसके मार्ग को रोककर तथा बनारस के निकट भयंकर युद्ध हुआ। जिसमें हुसैन शाह पराजित होकर भाग गया। सिकन्दर ने हुसैन शाह का पीछा किया और बिहार पर अधिकार करके दिल्ली में मिला लिया।

धौलपुर तथा ग्वालियर को भी सिकन्दर जीतना चाहता था। 1502 ई० में कठिन तथा काफी लम्बे संघर्ष के बाद सुलतान को राजा विनायक देव के हाथों से धौलपुर छीनने में सफलता प्राप्त की। परन्तु ग्वालियर विजय के लिए सिकन्दर की शक्ति तथा योग्यता कम थी।

कई वर्ष तक लगातार वह मानसिंह पर जो सुदृढ़ किले तथा निकटवर्ती प्रदेश पर आक्रमण किया। 1504 ई० में सिकन्दर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। वह उसे सैनिक छावनी तथा धौलपुर, ग्वालियर और मालवा के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिए आधार बनाना चाहता था। कई वर्षों के परिश्रम के बाद सुलतान ने मन्दैल, उतगिर नरवर और चंदेली पर अधिकार कर लिया था। परन्तु

वह ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला न सका। वह मालवा को भी जीतना चाहता था परन्तु उसकी यह इच्छा भी पूर्ण नहीं हो सकी।

1510 ई० में उसने नागौर को जीत लिया। विजेता के रूप में सिकन्दर को सफलता हासिल हुई सिकन्दर का स्वास्थ्य गिर गया और वह बीमार पड़ गया। 21 नवम्बर 1517 ई० को उसकी मृत्यु हो गई।

### **इब्राहीम लोदी :**

सिकन्दर की मृत्यु के उपरान्त अफगान अमीरो ने सर्वसहमति से उसके पुत्र इब्राहीम को सिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासनारोहण के उपरान्त उसने इब्राहीमशाह की उपाधि धारण की।

अपने पिता द्वारा आरम्भ किये गये विजय अभियान को पूरा करना इब्राहिम की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था। उसने सर्वप्रथम ग्वालियर विजय का संकल्प लिया। ग्वालियर राज्य के शासक ने इब्राहीम के भाई जलाल खॉ को शरण दी, अतः दोनों के मध्य यह युद्ध का एक बहाना था। तथा राजा मानसिंह की मृत्यु हो चुकी थी जो वीर शासक था। उसके बाद उसका पुत्र विक्रमाजीत उसका उत्तराधिकारी हुआ वह अपने पिता की योग्यता तथा राजनीतिक बुद्धिमता की तुलना में निम्न कोटि का व्यक्ति था। ग्वालियर को घेरने के लिए इब्राहीम ने आजम हुमायूँ शेरवानी को तीस हजार घुडसवार तथा तीन सौ हाथियों की सेना के साथ भेजा। इस कार्य में सहयोग करने के लिए आगरा से एक सेना भेजी गयी। आजम हुमायूँ उस किले को घेरने के लिए बहुत उत्साह के साथ जुट गया। जिसमें

किले के बाहरी दुर्ग पर दिल्ली की सेना का अधिकार हो गया तथा अन्त में किले के रक्षकों को हथियार डालने पड़े। विक्रमाजीत दिल्ली सुलतान का सामन्त हो गया। यह इब्राहीम की महानतम सफलता थी।

विभिन्न दलों के आपसी प्रतिद्वन्दिता के कारण इब्राहीम के शासन काल में अशान्ति छाई रही। इब्राहीम के राजगद्दी पर बैठते ही स्वार्थी अमीरो के दल ने राज्य को विभाजित करने की नीति का समर्थन किया। इसमें उन्हें इब्राहीम के भाई जलाल खॉ को जौनपुर के सिंहासन पर बिठाने में सफलता भी मिली। अमीरो के दबाव में आकर सुलतान को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। क्योंकि जलालखॉ जौनपुर में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाया था इब्राहीम पश्चाताप करने लगा। उसके अमीर खानेजहाँ लोहानी ने राज्य विभाजन की मूर्खता पूर्ण नीति की निन्दा की तथा जलाल खॉ को वापस बुलाने पर दबाव डाला। इब्राहीम ने यह कार्य हैवात खॉ को सौंप दिया। हैवात खॉ जलाल खॉ को दिल्ली बुलाने में असफल रहा। इसलिए उसने कुटनीति से काम लिया और जलाल खॉ के अनुयायियों को अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जलाल खॉ को जौनपुर छोड़कर कालपी जाने को मजबूर कर दिया वहाँ पहुँच कर उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके सुल्तान की उपाधि धारण की। उसने आजम हुमाँयू जो इब्राहिम की ओर से कालिंजर को घेरे हुए था। अपनी ओर मिला लिया अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके जलाल खॉ और आजम हुमाँयू शेरवानी ने अवध पर आक्रमण कर दिया। इसलिए इब्राहीम को स्वयं विद्रोहियों का दमन करने के लिए जाना पड़ा। लेकिन आजम हुमाँयू ने जलाल खॉ का साथ छोड़ दिया और इब्राहिम के साथ मिल गया इस प्रकार अकेला होने पर जलाल खॉ आगरा की ओर बढ़ा और वहाँ की रक्षा सेना पर आक्रमण कर दिया। जलाल खॉ को वहाँ से भागकर ग्वालियर के राजा के यहाँ

शरण लेनी पडी। फिर वहा से वह मालवा भाग गया और अन्त मे गढ़कण्टक के गौड राज्य की ओर भाग गया जहा उसे गौडो ने गिरफ्तार कर लिया और बदी बनाकर इब्राहीम की ओर भेज दिया। सुलतान ने उसे हासी मे कैद करके रखने की आज्ञा दी लेकिन मार्ग मे ही उसका वध कर दिया गया। अब इब्राहीम अपने राज्य का निर्विरोध शासक बन गया। अब उसका कोई भी प्रतिद्वन्दी नही था।

जलाल खाँ के विद्रोह का दमन करने तथा राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद इब्राहीम का दिमाग चढ़ गया वह स्वेच्छाचारी तथा निरकुश शासक की तरह व्यवहार करने लगा। उसने तुर्कों से प्रेरित होकर यह घोषणा की कि “राजा का कोई संबंधी नहीं होता सभी उसके अधीन सामन्त तथा प्रजा होते है।” अफगान अमीरो पर उसने कठोर नियम लागू किये। अमीर इस अपमान को न सह सके और उन्होने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इब्राहिम ने आजम हुमाँयू और उसके पुत्र फतेह खाँ को ग्वालियर से बुलाकर कारागार मे डाल दिया। उसके इस अन्यायपूर्ण व्यवहार से क्रोधित होकर आजम हुमाँयू के दूसरे पुत्र इस्लाम खाँ ने विद्रोह कर दिया। अपने पिता की फौज का सेना पतित्व लेकर उसने आगरा के सूबेदार अहमद खाँ पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद वह स्वयं पचास हजार सेना लेकर युद्ध क्षेत्र मे उतरा। विद्रोही अमीरो ने एक विशाल सेना इकट्ठा की जिसमे चालीस हजार घुडसवार, पैदलो की बड़ी संख्या और पांच सौ हाथी सम्मिलित थे। शेख राजू बुखारी नामक एक धार्मिक व्यक्ति ने हस्तक्षेप करके तथा शान्ति से बात चीत करके झगडे को निबटाने का प्रयत्न किया लेकिन वह असफल रहा। परिणाम स्वरूप भयकर युद्ध हुआ। अन्त मे इब्राहीम की विजय हुई। उसने विद्रोहियो को परास्त कर दिया। इस्लाम खाँ मारा गया और सैय्यद खाँ बन्दी बना लिया गया। जो लोग सुल्तान के प्रति वफादार थे उन्हे विद्रोहियो की जागीरे



छीनकर दे दी और पुरस्कृत भी किया।

इस सफलता ने इब्राहीम को पहले से अधिक घमण्डी बना दिया। जिससे वह और अमीरो को दण्ड देने के लिए प्रेरित हुआ। दुर्भाग्य वश आजम हुमाँयू शेरवानी एव कुछ अन्य अमीरो की कारागार मे ही मृत्यु हो गई। जिसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ विद्रोह की आग भडकने लगी। बिहार मे सूबेदार दरिया खाँ लोहानी, खाने जहाँ लोदी, मिया हुसैन करमाली तथा अन्य अमीरो ने विद्रोह कर दिया। इधर सुलतान ने मूर्खतावश चन्देरी मे शेख हसन करमाली की हत्या का आदेश दे दिया। इससे विद्रोहियो को विश्वास हो गया कि जब तक इब्राहीम गद्दी पर बैठा है तब तक उनका जीवन असुरक्षित है। वे सुलतान को गद्दी से हटाने के उपाय खोजने लगे कि इसी समय विद्रोहियों के नेता दरिया खाँ लोदी की मृत्यु हो गयी। लेकिन उसका पुत्र जो बिहार का जागीरदार था, ने मुहम्मदशाह के नाम से अपने को सुल्तान घोषित कर लिया। अनेक विद्रोही उसके नियंत्रण मे आ गये। और उसकी सेना की संख्या एक लाख घुडसवार हो गई। उसने बिहार से लेकर सम्भल तक के सभी प्रदेशो पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। गाजीपुर का सूबेदार 'नासिर खाँ लोहानी' भी उससे मिल गया।

पंजाब के सूबेदार दौलत खाँ लोदी ने भी विद्रोह कर दिया। उसका पुत्र गाजीखाँ दिल्ली के पास भागा और अपने पिता को सूचना दी कि यदि इब्राहीम बिहार के विद्रोह को दबाने मे सफल हो गया तो आपको भी लाहौर से वचित कर देगा। इसी डर से दौलत खाँ ने स्वय को स्वतंत्र घोषित किया तथा काबुल के शासक बाबर से बात चीत करके उसे भारत पर आक्रमण करने तथा इब्राहीम को सिहासन से हटाने के लिए निमंत्रण दिया। बाबर स्वय भारत पर अपना अधिकार

करना चाहता था। इसलिए उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसी समय आलम खॉ नामक एक अन्य अफगान अमीर जो इब्राहीम का चाचा था, मैदान में आया। वह भी दिल्ली के सिंहासन का अभिलाषी था इस उद्देश्य से उसने बाबर से बात चीत शुरू की। इस सबके परिणाम स्वरूप 21 अप्रैल 1526 ई० को पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहीम लोदी पराजित होकर मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गया।

### हिन्दू समाज :

देश की बहुसंख्यक जनता हिन्दू थी। उन दिनों उनकी संख्या 95 प्रतिशत से कम नहीं रही होगी। तुर्कों के आगमन से पहले वे शासक तथा सम्पूर्ण देश के स्वामी थे और सल्तनत युग में भी अधिकांश भूमि पर उन्हीं का अधिकार था। उनमें से अनेक धनी एवं समृद्ध शाली सामन्त थे शासन की निम्न शाखाएँ और विशेष कर राजस्व तथा वित्त विभाग उन्हीं के हाथों में थे। खुत, चौधरी तथा मुकद्दम सब हिन्दू थे। इसके अलावा प्रमुख व्यापारी, व्यवसायी तथा साधारण दुकानदार भी अधिकतर हिन्दू ही थे। साहूकारों तथा लेन देन के पैसों पर उनका लगभग एकाधिकार था। सेनाओं के साथ हिन्दू बंजारे भी चला करते थे। मध्यकाल में रसद का समुचित प्रबन्ध नहीं था, इसलिए यह वशानुगत बंजारे ही सैनिकों को रसद पहुँचाया करते थे। हिन्दुओं का एक बहुसंख्यक वर्ग कृषि से ही जीविकोपार्जन करता था। अनेक हिन्दू अध्यापन, चिकित्सा आदि पेशों से जुड़े थे। ब्राह्मण वर्ग सामान्यतया अध्ययन व धार्मिक कृत्यों पर अपना समय बिताते थे।

भारत में तुर्कों शासन लगभग साठे तीन सौ वर्षों तक चला इस बीच दमन

तथा विजय की प्रक्रिया चलती रही व लाखो हिन्दू मारे गये तथा स्त्रियाँ व बच्चे मुसलमान बनाकर दासो के रूप मे बेच दिये गये। उच्च तथा मध्यम श्रेणियो के हिन्दुओ को सैनिक तथा असैनिक सरकारी नौकरियो से वचित कर दिया गया था। इस युग मे हिन्दू जनता को राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से बहुत दुःख उठाने पडे। उन्हे अपने पदों से वचित ही नही होना पडा बल्कि उन्हें घृणापूर्ण व्यवहार का शिकार भी होना पडा ।

तुर्की सुलतान तथा उनके प्रमुख अनुयायी समृद्ध हिन्दू परिवारो से अपने लिए वैवाहिक सबध जोडने के इच्छुक थे। अतः इसके लिए वे हिन्दू सामन्तो को अपनी लडकियाँ देने पर विवश करते थे। मुस्लिम कानून के अनुसार हिन्दू लडकियो को पहले अपने धर्म से वंचित करके मुसलमान बना लिया जाता और तब उनके साथ विवाह किया जाता था। इस कारण हिन्दुओ को निरन्तर अपमानित होना पडता था।

हिन्दू समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था। तुर्की को सुन्दर हिन्दू लडकियो को अपनी पत्नियाँ बनाने का शौक था, इस कारण हिन्दुओ मे बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। उच्च तथा मध्य वर्गों मे पर्दा प्रथा भी प्रचलित हो गयी थी। मध्य युग मे नीची जातियो को छोडकर अन्य लोगो मे से विधवा विवाह का विचार ही जाता रहा था। समृद्ध परिवारो को छोडकर साधारण हिन्दुओ मे स्त्री शिक्षा का पूर्ण अभाव था, हिन्दुओ का अपने धर्म मे विशेष अनुराग था। उनमे से सुशिक्षित लोग एकेश्वरवाद मे विश्वास करते थे किन्तु बहुसंख्यक जनता मूर्ति पूजा करती थी। लोग गूढ विश्वासो मे फंसे हुए थे। फलित ज्योतिष, सामुदायिक तथा जादू टोनों मे उनकी आस्था थी।

सामान्य रूप से व्यक्तिगत ईमानदारी तथा आचरण की शुद्धता का स्तर बहुत ऊंचा था।

### समाज तथा संस्कृति :

हिन्दुओं के सांस्कृतिक कार्य हिन्दू राजाओं के दरबारों तथा हमारे मुख्य विद्या केन्द्रों और तीर्थ स्थानों तक ही सीमित थे। उथल पुथल तथा सकटों के उस युग में जबकि हिन्दुओं को राजाश्रय उपलब्ध नहीं था, यह स्वाभाविक ही था कि वे कालीदास, भवभूति बाण, तुलसी और सूर की रचनाओं से की जा सकती। संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में हिन्दुओं ने तुर्कों की श्रेष्ठता कभी स्वीकार नहीं की। तुर्कों की विजय से जो प्रभाव उनके दिमाग पर पड़ा उसकी ओर ध्यान न देकर वे साहित्य सेवा में लगे रहे। इसके परिणाम स्वरूप काफ़ी मात्रा में धार्मिक तथा साहित्यिक रचनाएं हुईं। लेकिन वह बहुत उच्च कोटि की नहीं थीं। रामानुज ने ब्रह्म सूत्रों पर टीकाएँ लिखीं, पार्थसारथी ने कर्म मीमांसा पर कई ग्रन्थ लिखे। जिसमें “शास्त्र दीपक” इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। 12वीं शताब्दी में जयदेव ने प्रसिद्ध गीतगोविन्द की रचना की। हरकोली नाटक ललित विग्रहराज नाटक, प्रसन्न राघव (जयदेव द्वारा रचित : 1200 ई० के लगभग), हम्मिर मद मर्दन (जयसिंह सूरी द्वारा रचित : 1219 - 1229 ई०), प्रद्युम्नाथ्युदय (रविवर्मन), प्रतापरुद्र कल्याण (विद्यनाथ), पार्वती परिणय (वामनभट्ट बाण), गगादास प्रताप विलास (गगाधर विदाध माधव तथा ललित माधव) (रूप गोस्वामी) आदि अनेक उच्च कोटि के नाटक इसी युग में लिखे गये। हिन्दुओं के प्रसिद्ध कानून ग्रन्थ मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने इसी युग में की। इसी विषय

का एक और महत्वपूर्ण ग्रन्थ दयाभाग भी जीभूत वाहन द्वारा लिखा गया । ज्योतिष के प्रकाण्ड पण्डित भाष्कराचार्य इसी युग में हुए । योग वैशेषिक तथा न्यायदर्शनो पर भी अनेक टीकाएँ लिखी गईं । हेतु विद्या का उदय हुआ और इस विषय पर जैन तथा बौद्ध लेखको ने कई ग्रन्थ लिखे, देवसूरी इस युग का महान जैन नैयायिक था । अनेक धर्म सुधारक भी इस युग में हुए, भक्ति आन्दोलन भी इसी काल की मुख्य उपज थी । विजयनगर के सम्राटो ने सस्कृत साहित्य को अधिक प्रोत्साहन दिया । उनके साम्राज्य में अनेक विद्वान निवास कर रहे थे । वेदो के टीकाकार सायण उनमें अधिक महत्वपूर्ण थे । सस्कृत साहित्य के प्रत्येक प्रकार का उदय हुआ लेकिन इस काल में ऐतिहासिक रचनाओ की ओर ध्यान नहीं दिया गया । कल्हण की राजतरंगिणी ही एकमात्र ऐसी रचना है जिसे इतिहास ग्रन्थ कहा जा सकता है । इसका रचना काल लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य का रहा होगा ।

इस युग में धीरे धीरे हिन्दी साहित्य का भी विकास होने लगा हिन्दी के प्रारम्भिक लेखको में पृथ्वीराज के दरबारी कवि चन्द्रवरदाई सार्वधिक चर्चित कवि थे । उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की । सारगधर दूसरे प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने रणथम्भौर के राणा हम्मीर देव के सबध में हम्मीर देव तथा हम्मीर रासो नामक दो प्रसिद्ध काव्य लिखे । जगनक ने आल्हा खण्ड नामक वृहत काव्य लिखा जिसमें महोबा के चन्देल नरेश परमर्दीदेव के आल्हा तथा ऊदल नामक दो महान योद्धाओ के वीरता पूर्ण कार्यों का वर्णन किया है । इस युग में मैथिली साहित्य का भी महान उदय हुआ । इस भाषा के एक महान लेखक विद्यापति ठाकुर 14वीं शताब्दी के अन्त में हुए । विद्यापति ने मौलिक हिन्दी तथा सस्कृत में अनेक ग्रन्थ लिखे । कई बंगाली लेखको ने भी साहित्य लिखा । स्मृति

पर रघुनन्दन मिश्र का ग्रन्थ सर्व विख्यात है, मीराबाई ने भी राजस्थानी भाषा में सुमधुर कविताएँ लिखी। इस युग में मराठी कवियों ने भी रचनाएँ लिखी जिनमें नामदेव अधिक प्रसिद्ध हुए। कवि गुरु नानक ने पंजाबी भाषा में कविताएँ लिखीं। हमारी आधुनिक भाषा के विकास का श्रेय भक्ति आन्दोलन के द्वारा ही हुआ।

प्राचीन हिन्दुओं का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति अर्थात् जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होने के तीन मार्ग हैं ज्ञान, कर्म तथा भक्ति। सलतनत काल में अनेक ऐसे विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया तथा धर्म सुधार का एक आन्दोलन शुरू किया जो कि भक्ति आन्दोलन के नाम से जाना गया। आन्दोलन की शुरूआत महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से होती है जिन्होंने बौद्ध धर्म से सफलता पूर्वक टक्कर ली और हिन्दू धर्म को एक व्यापक दार्शनिक आधार पर खड़ा किया। शंकराचार्य ने एक तर्क संगत अद्वैत की स्थापना की तथा मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्गों में से प्रथम अर्थात् ज्ञान पर अधिक बल दिया किन्तु साधारण लोगों ने उनके विचारों का ठीक से स्वागत नहीं किया। साधारण जनता के मस्तिक को हिन्दू धर्म की ओर आकृष्ट करने तथा उसे जनता के जीवन का एक सक्रिय तत्व बनाने के लिए मध्ययुगीन धार्मिक विचारकों ने तीसरे मार्ग अर्थात् भक्ति को अधिक महत्व दिया।

इस धार्मिक विचारधारा के सबसे पहले प्रवर्तक वैष्णव आचार्य रामानुज थे जो कि 12वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने सगुण भक्ति को अधिक लोकप्रिय बनाया उनका मानना था कि यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। दूसरे समाज सुधारक रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी रामानन्द हुए। जिनका जन्म इलाहाबाद के एक कान्य कुब्ज वंश में हुआ था। वे राम के उपासक थे। उन्होंने प्रत्येक जाति के लोगों

को भक्ति का उपदेश दिया। रामानन्द के बारह शिष्य थे जिनमें एक नाई (सैन), एक रैदास (चमार), तथा एक मुस्लिम जुलाहा (कबीर) था। इस सम्प्रदाय के तीसरे आचार्य वल्लभाचार्य हुए। वे कृष्ण के उपासक थे, उनका जन्म 1479 ई० में बनारस के निकट हुआ था। वल्लभाचार्य के माता पिता तेलुगु ब्राह्मण थे। वे तीर्थयात्रा के लिए भारत आये और यही बस गये थे। अपने जीवन के प्रारम्भ में ही वल्लभ ने अद्भुत साहित्य प्रतिभा का परिचय दिया। काशी में ही उन्होंने विद्याध्ययन किया उसके बाद वे विजय नगर के सम्राट कृष्ण देव राय के दरबार में चले गये। वहाँ उन्होंने कुछ शैव विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। उन्होंने शुद्धि द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। साधारण जनता के बीच वे सर्वाधिक लोकप्रिय हो गये। लेकिन आगे चलकर उनके समृद्ध अनुयायियों में अनेक दोष आ गये।

भक्ति आन्दोलन के महानतम सन्त चैतन्य थे। उनका जन्म बंगाल में स्थित नदिया के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चौबीस वर्ष की आयु में उन्होंने ससार से वियोग ले लिया और साधु हो गये और अपना शेष जीवन प्रेम तथा भक्ति का संदेश देकर बिताया। उन्होंने देश के उत्तर तथा दक्षिण के अधिकांश भागों का भ्रमण किया और काफी समय तक वृंदावन में रहे। उनका विश्वास था कि प्रेम तथा भक्ति, नृत्य सगीत से अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है तथा सगुण ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। चैतन्य पुरोहितों के प्रभुत्व तथा धर्म के बाह्य रूपों और कर्मकाण्ड के विरोधी थे। उन्होंने जाति तथा धर्म के भेदभाव को त्यागकर सभी लोगों को अपना उपदेश सुनाया। उनके अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। 1513 ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

भक्ति आन्दोलन के एक और महत्वपूर्ण सत नामदेव थे। वे महाराष्ट्री थे और उनके शिष्यो मे सभी वर्गों तथा जातियो के लोग सम्मिलित थे, कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होने अपना धर्म बदलकर हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया था। वे स्वय दर्जी जाति के थे, उनका जीवनकाल पन्द्रहवी शताब्दी का पूर्वाद्ध माना जाता है। इस युग के अन्य सुधारको की तरह उन्हे भी ईश्वर की एकता मे विश्वास था। वे मूर्ति पूजा तथा कर्म काण्ड के विरोधी थे। उनका मानना था कि ईश्वर भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र साधन है।

भक्ति मार्ग के प्रवर्तको मे कबीर तथा नानक भी दो सन्त हुए। कबीर का जन्म बनारस की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था लेकिन लोकलाज के भय से उसने बालक को एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहाँ से उसे एक मुसलमान जुलाहा दम्पति अपने साथ उठा ले गये। उनके जन्म तिथि के विषय मे विद्वानो मे मतभेद है परन्तु ऐसा माना जाता है कि वे 15वी शताब्दी के अन्त मे हुए। आरम्भ से ही वे चिन्तन शील तथा धार्मिक प्रवृत्ति के थे किन्तु रूढ़िवादी नही थे वे रामानन्द के शिष्य हो गये थे। कबीर नाममात्र के मुसलमान रहे होंगे, क्योकि उनकी कविताए हिन्दुओ के धार्मिक तथा दार्शनिक विचारो से ओत प्रोत थी। उनपर सूफी विचारो तथा क्रियाओ का भी प्रभाव पडा था। कबीर ने गृहस्थ जीवन बिताया और जीवन के अन्य दैनिक कृत्य किये, फिर भी उच्च कोटि के भक्त हुए। कबीर ने जाति तथा धर्म के भेदभाव को छोडकर सभी लोगो मे प्रेम का सदेश सुनाया। हिन्दू तथा मुसलमानो में एकता स्थापित करना उनका एक मात्र उद्देश्य था। भक्ति मार्ग के अन्य सतो की तरह कबीर भी जाति व्यवस्था, कर्मकाण्ड तथा धर्म के बाह्य आडम्बरो को नही मानते थे उनका मानना था कि प्रेम तथा भगवत भक्ति से



मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वे भजन गाया करते थे तथा बाह्य आडम्बरो के विरोधी थे।

कबीर की तरह ही गुरु नानक ने भी हिन्दू तथा इस्लाम के बीच एकता का सदेश दिया। उनका जन्म एक खत्री परिवार में 1497 ई० में तालबडी नामक गाँव में (आधुनिक नानकाना) में हुआ था। जो लाहौर के दक्षिण में 315 मील की दूरी पर आधुनिक पश्चिम पंजाब के शेखूपुरा जिले में स्थित है। नानक के पिता पेशे से पटवारी थे। नानक ने शिक्षा ग्रहण की तथा आगे जाकर उन्होंने अपने बहनोई के यहाँ नौकरी कर ली। उनके बहनोई जयसिंह सुलतानपुर में गल्ले के व्यापारी थे और दाउद खाँ लोदी के यहाँ कार्य करते थे। नानक का धार्मिक जीवन सुलतानपुर से ही आरम्भ हुआ था। उन्होंने भारत के बाहर मक्का तथा मदीना तक की यात्रा की जालन्धर दोआब में स्थित करतार पुर में 1538 ई० में नानक की मृत्यु हो गई। नानक ने विवाहित जीवन व्यतीत किया था, उनके दो पुत्र हुए तथा भली भाँति गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उनका विश्वास था कि विवाहित जीवन आत्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं होता। उन्होंने प्राणी मात्र के प्रति सहिष्णुता का उपदेश देकर हिन्दू धर्म के बाह्य आडम्बरो जाति व्यवस्था तथा धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति तथा एकता ही उनकी शिक्षाओं का सार था। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही उनके शिष्य थे। उन्होंने अगद नामक अपने एक शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।

भक्ति आन्दोलन काफी व्यापक था तथा सारे देश में उसका प्रचार हुआ। यह जनसाधारण का आन्दोलन था इसलिए उनमें गम्भीर जागृति उत्पन्न हुई। बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारत में इतना लोकप्रिय कोई आन्दोलन नहीं हुआ। इसके

दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, हिन्दू धर्म का सुधार करना जिससे वह तबलीग के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सके। दूसरा हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों सम्प्रदायों में मित्रता पूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर सके। पहले इसी उद्देश्य में इसे सफलता मिली। इससे परम्परागत जाति व्यवस्था कुछ उदार हुई। वे अपने गूढ विचारों को भूलकर सुधारकों के इस संदेश में विश्वास करने लगे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी लोग समान हैं तथा जन्म और मोक्ष के मार्ग में बाधक नहीं हो सकता। आन्दोलन का दूसरा उद्देश्य हिन्दू मुस्लिम एकता की स्थापना करना पूरा नहीं हो सका। उन्होंने यह विश्वास करने से इनकार किया कि राम रहीम, ईश्वर और अल्लाह एक ही ब्रह्म के नाम हैं। प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य के उत्कर्ष का मुख्य श्रेय भक्ति आन्दोलन को है सन्तों ने जनसाधारण की भाषाओं में अपने उपदेश दिये तथा धीरे धीरे हिन्दी, मराठी, बंगाली, मैथिली आदि आधुनिक भाषाओं को समुन्नत किया। प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य के विकास के इतिहास में भक्ति काल स्वर्ण युग सिद्ध हुआ।

## स्थापत्य

हिन्दुओं ने तुर्कों के आने से पहले स्थापत्य कला का चरम विकास कर लिया था। हिन्दु स्थापत्य की मुख्य विशेषताएँ थी - (1) पतले तथा चौकोर खम्भे (2) पुश्ते (3) नोकदार तथा कैण्टीलीवर सिद्धान्त पर बनी हुई (एक साथ सपाट नहीं बल्कि ऊपर नीचे) मेहराबें तथा (4) सजावट की डिजाइनें। हिन्दू इमारतें सामान्य तथा रहस्यमयी थी, चौड़ी तथा खुली हुई नहीं। हिन्दू शासकों को मंदिर तथा संस्कृत विद्यालय बनवाने का शौक था। मध्ययुगीन हिन्दू स्थापत्य के

नमूने राजस्थान विशेषतया मेवाड़ मे पाये जाते हैं। मेवाड़ के अधिकतर शासक कला तथा स्थापत्य के पोषक थे। राणा कुम्भा ने अनेक दुर्गों तथा इमारतों का निर्माण कराया। कुम्भलगढ़ का किला तथा कीर्ति स्तम्भ उनके सबसे सुन्दर हैं। इस स्तम्भ की गणना भारत की सबसे आश्चर्यजनक मीनारों में की जाती है। इसमें अनेक हिन्दू देवी देवताओं के चित्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं और चित्रों के नीचे लेख उत्कीर्ण हैं। चित्तौड़ में जैन स्तम्भ भी काफी प्रसिद्ध हैं। विजय नगर के सम्राट भी कला के आश्रयदाताओं के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सभागृहों महलों, सार्वजनिक कार्यालयों, मन्दिरों तथा नहरों का निर्माण कराया। वे सभी अत्यन्त सुन्दर माने जाते थे।

## पृष्ठभूमि : अध्ययन काल से पूर्व नारी की स्थिति

नारी सस्कृति के उदभव एव विकास मे न केवल केन्द्रीय भूमिका निभाती है बल्कि किसी भी देश की सस्कृति का मुख्य मापदण्ड भी नारी की स्थिति ही रही है ये उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है, क्योकि वही सास्कृतिक धरोहर की मूल वाहिका मानी जाती है। समाजशास्त्रियो के अनुसार समाजीकरण का पहला पाठ बच्चा अपनी माँ की गोद मे ही पढता है। प्राचीनकाल की स्त्रियाँ पराधीन होते हुए भी सम्मानजनक दृष्टि से देखी जाती थी। मनु के अनुसार नारी सम्मान के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न नही होता था और न ही स्त्री को दुखी रखकर कोई भी परिवार उन्नति ही कर सकता था। बल्कि वह घर जहाँ स्त्रियों की समुचित प्रतिष्ठा नही होती वह शाप का भागी होता है। सम्भवतः स्त्रियो की स्थिति में अवनति के लिए उत्तरदायी तत्व राजनीतिक अस्थिरता तथा सामाजिक सर्कीणता ही मुख्य थे।

वैदिक युग मे जहाँ तक नारी की स्थिति का प्रश्न है, उसका स्थान अपने घर मे सम्राज्ञी के रूप मे था। जहाँ वह घर के अन्य सदस्यो को निर्देशित करने का भी उसे अधिकार प्राप्त था। उसके बिना पुरुष अपूर्ण ही माना जाता था वह भी पुरुषो के समान ही शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। पुत्री को उपनयन, वेदाध्ययन तथा यज्ञ सम्पादन का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वे अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ-साथ ब्रह्मचर्य पालन भी करती थी। उन्हे दर्शन तथा तर्कशास्त्र मे निपुणता हासिल थी। उन्हे मे से कई विदुषी स्त्रियो ने ऋग्वेद की प्रसिद्ध ऋचाओ की रचना की। उत्तर वैदिक काल में उन्हे यज्ञ के अधिकार से वचित कर दिया। किन्तु लालन पालन व उनकी शिक्षा मे कोई कमी नही की गई। साधारणतया सोलह वर्ष तक वे अविवाहित रहते हुए शिक्षा प्राप्त करती थी। उन्हे स्वयं अपने लिए वर ढूँढने का

भी अधिकार था सामाजिक धार्मिक कार्यों में पत्नी पति के समकक्ष मानी जाती थी।  
धार्मिक अनुष्ठानों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी।

यह स्थिति ब्राह्मण रचनाकाल में भी देखने को मिलती है। धार्मिक क्रिया  
विधि अत्यन्त कठिन होने के कारण पुरुष पुरोहितों को ही प्राप्त था। इस प्रकार  
धीरे-धीरे स्त्रियों का कार्य क्षेत्र सीमित होने लगा।

प्राचीन काल से ही विवाह हिन्दू समाज में बहु विवाह की प्रथा रही है,  
किन्तु सम्पूर्ण वैदिक साहित्य से यह स्पष्ट है कि स्त्रियों को भी पुनर्विवाह का  
अधिकार था। परदा प्रथा का कोई भी उल्लेख हमें इस काल से नहीं प्राप्त होता है  
वे सभा-समितियों, उत्सवों में भाग लेने के लिये जाया करती थी यही नहीं  
कभी-कभी वे सम्पत्ति, विषयक, अधिकार के लिये भी जाया करती थी। वैदिक  
साहित्य में अविवाहित कन्या को पिता की सम्पत्ति के रूप में दर्शाया गया है।  
विवाह के समय पिता के घर से मिली सम्पत्ति व धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार  
होता था। जिसे “स्त्री धन” के नाम से सम्बोधित किया जाता था।

बौद्ध युग में भी शिक्षित और शिक्षित विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं।  
अध्यापन कार्य करने वाली स्त्रियाँ उपाध्याया कहलाती थीं। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार  
गुणवती पुत्री पुत्र से श्रेष्ठ समझी जाती थी। स्त्रियों को आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक  
दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उन्हें ललित कलाओं का भी प्रशिक्षण  
दिया जाता था। किन्तु कालांतर में धीरे-धीरे नारी की स्थिति अवनति की ओर  
अग्रसर होने लगी तथा परिवार में पुत्र को ही श्रेष्ठ समझा जाने लगा। भगवत  
गीताकाल में तो स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष समझा जाने लगा। पंचतंत्र में पुत्री के  
जन्म को चिन्ता का जन्म कहा गया है। उच्च वर्ग की कन्याओं को गुप्तकाल में

सगीत, नृत्य, चित्रकला, ललित कलाओं में प्रशिक्षित किये जाने का उल्लेख मिलता है।

मनु का काल स्त्रियों की स्थिति के सदर्थ में वास्तव में वास्तविक सक्रमण का काल था। इस काल के उत्तरार्ध में अल्प आयु में ही कन्या के विवाह पर जोर दिया जाने लगा। दूसरी सदी ई० पूर्व तक कन्याओं का उपनयन बढ़ कर दिया गया क्योंकि विवाह के अवसर पर उपनयन सस्कार भी कर दिया जाता था। मनु के अनुसार चूँकि पति ही आचार्य था अतः घर-गृहस्थी के कार्य ही स्त्री के लिये अनुष्ठान की तरह ही था।

इसी काल से विधवा के पुनर्विवाह का भी विरोध किया जाने लगा और लगभग चार सौ ईसवी से धीरे-धीरे सती प्रथा लोकप्रिय होने लगी। इसी काल में मदिरों में देवदासियों को रखने की प्रथा का प्रचलन प्रारम्भ हो चुका था।

पाँच सौ ईसवी से लगभग नवीं शती तक नारी की स्थिति निरन्तर बदतर होने लगी इस काल में पुत्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर परिवार के सुख का प्रतीक और पुत्री को उसके दुःख का मूल कहा गया। कम आयु में विवाह हो जाने से स्त्री शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ा बल्कि नारी के शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य उच्च वर्ग तक ही सीमित रह गया। सती प्रथा भी उत्तर भारत के राजकीय घरानों तक सीमित थी। इस काल में गणिका आदर और प्रशंसा की पात्र थी। इस युग में सम्पत्ति विषयक अधिकारों में और अधिक वृद्धि हुई।

पूर्व मध्यकाल के सामन्तीय परिवेश में पुत्री का जन्म परिवार के लिए कष्टदायक माना जाने लगा। पूर्व मध्यकालीन सामाजिक जीवन आडम्बर पूर्ण होता जा रहा था। विधवा विवाह का निषेध था, बाल विवाह एवं सती प्रथा जैसी प्रथाएँ

दृढ़ हो रही थी। समाज में नारी की सुरक्षा की आवश्यकता ने पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं को जन्म दिया, स्त्रियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाने लगे। साथ ही तत्पुगीन युयुद्ध के वातावरण में पुत्र का जन्म पुत्री जन्म से अधिक महत्वपूर्ण था, एक और बड़ा परिवर्तन जो दसवीं शताब्दी में हुआ वह है परदा प्रथा का प्रचलन। वैदिक काल के सह शिक्षा के वातावरण में तो इसका प्रचलन बिल्कुल ही सम्भव नहीं था। भारतीय कृषक एवं कामकाजी महिलाओं के सदर्थ में हमें परदे का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता रहे। स्त्रियों के आवरण वस्त्रों में दुपट्टे, चादर, ओढ़नी आदि के कारण ही उच्च वर्ग की स्त्रियों के आने जाने के लिए पालकी, डोली, हिडोला आदि का उपयोग किया जाने लगा।

विवाह के सदर्थ में हमें शास्त्रोचित आठों प्रकार के विवाह का उल्लेख प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हिन्दुओं में क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह का उल्लेख मिलता है। इस काल के साहित्य में स्वयंवर के आयोजनों का वर्णन है। जिसमें कन्या द्वारा स्वतंत्र रूप से वर खोजने की परम्परा थी, इस काल में कन्याओं का अपहरण करके उनसे विवाह किया जाता था, जो राक्षस तथा गांधर्व विवाह की श्रेणी में आते हैं। कम उम्र में विवाह सरक्षकों की इच्छा पर किये जाने लगे। जिसमें अनेक प्रकार की सीमाएँ निर्धारित थीं। जबकि इस काल के साहित्यों से हमें अन्तर्जातीय विवाह के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं किन्तु अपनी जाति में विवाह होने के कारण इस प्रकार के विवाह बहुत ही सीमित होने लगे। इसीलिए उनके उल्लेख हमें कम प्राप्त होते हैं। अलबेरूनी के अनुसार किसी भी व्यक्ति की पत्नियों की संख्या उसकी जाति पर निर्भर करती थी। देवल के अनुसार शूद्र एक, वैश्य दो, क्षत्रिय तीन, ब्राह्मण चार और राजा को इच्छानुसार विवाह करने की अनुमति प्राप्त है किन्तु बहुविवाह प्रथा समृद्ध लोगों में ही प्रचलित थी क्योंकि वे एक से

अधिक पत्नी रखने मे सक्षम थे। समाज मे बहुविवाह की प्रथा के चलते सामाजिक और पारिवारिक तनावों और जटिलताओं का वर्णन समकालीन साहित्य मे पर्याप्त रूप से मिलता है। आरम्भ मे विवाह के साथ-साथ दहेज दान स्वरूप दिया जाता था। किन्तु पूर्व मध्ययुगीन सामन्तीय परिवेश के कारण दहेज लेना व देना परिवारो के सामाजिक स्तर व उनकी प्रतिष्ठा का मानदण्ड बन गया। अत इस काल मे दहेज प्रथा प्रचलित हो गई। साहित्य के सदर्थो से इसके दो स्वरूपो का उल्लेख मिलता है, प्रथम श्रीफल “पान” अथवा “तिलक” के नाम से जाना जाता था। दहेज के अन्तर्गत बहुमूल्य रत्न, आभूषण, स्थाई सम्पत्ति, घोडे, हाथी, रथ, अनुचर, उपचारिकाएं विलास एव जीवन की आवश्यकताओ की सामग्रिया सम्मिलित होती थी।

भारतीय समाज मे ईसा के पूर्व विशेष परिस्थितियो मे विवाह विच्छेद की भी व्यवस्था थी। किन्तु पूर्व मध्ययुगीन समाज मे सामाजिक रूढिवादिता के चलते विवाह विच्छेद की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इतिहास कार अलबेरूनी के अनुसार पति पत्नी का संबंध विच्छेद केवल मृत्यु द्वारा ही होता था क्योकि उस समय विवाह विच्छेद की प्रथा नहीं थी।

प्रारम्भिक काल से ही माता का स्थान सर्वोच्च माना जाता था। पूर्व मध्य काल में भी परिवार में उनका सम्मान और मर्यादायुक्त तथा आदर्शात्मक था। पूर्व मध्ययुगीन समाज मे पिता की तुलना में संतान को जन्म देने के कारण माता को महिमा अधिक सुस्थापित थी। माता के विषय मे यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि यदि माता विष भी दे तो उसका साथ नही छोड़ना चाहिए। युद्ध और वीरता के माहौल में वीर प्रसविनी होने के कारण भी माता का स्थान परिवार मे पिता से श्रेष्ठ



ही होता है। विवेच्ययुगीन साहित्यकारों के अनुसार प्रसूति की वेदना तथा शिशु के लालन पालन में होने वाले कष्ट एवं बलिदानों का ऋण सन्तान कभी नहीं चुका सकती। अतः परिवार में एवं समाज में माता का स्थान सर्वोच्च है। नारी की स्थिति सास के रूप में भी समस्त अधिकारों वाली थी। माता के पश्चात् नारी की स्थिति को समझने के लिए पत्नी के रूप में उसकी भूमिका को समझना अत्यन्त आवश्यक है। इस में पत्नी को घर की मर्यादा, धर्म, अर्थ और काम की संचालिका माना जाता था। पत्नी को पुरुष की सगिनी कहा जाता है अतः पति की सेवा करना उसका धर्म था। समकालीन साहित्यों के अनुसार पत्नी की तुलना देवियों से की गई है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक उत्सवों, त्योहारों तथा दान में भी पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। पति के अत्याचारों से बचने के लिए वह राज्य से प्रार्थना भी कर सकती थी क्योंकि इसके लिए उसे राज्य से सुरक्षण प्राप्त था, दूसरी ओर पत्नी के भरण पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व पति पर था, इसके साथ ही परित्यक्ता पत्नी के रहने और भोजन का प्रबन्ध भी पति को ही करना पड़ता था, यदि किसी पतिव्रता पत्नी को बिना किसी ठोस कारण के छोड़ दे तो राज्य की ओर से उसे दण्ड दिया जाता था। यदि पत्नी बिना पुत्र को जन्म दिये ही विधवा हो जाए तो पति की सम्पूर्ण सम्पत्ति की स्वामिनी होती थी और यदि पत्नी भी जीवित न रहे तो पुत्री पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारिणी होती है।

इसी प्रकार इस काल की नारियों की सामान्य स्थिति का बोध हमें पूर्व मध्ययुगीन समाज में विधवा स्त्री की स्थिति के अध्ययन से हो जाता है। स्त्री के लिए पति की मृत्यु के बाद दो प्रमुख कर्तव्य निर्धारित थे। एक तो पति के साथ ही सहमरण तथा अनुमरण अर्थात् सती होना और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समस्त जीवन व्यतीत कर देना। अवलोकित काल के धर्म शास्त्रकारों के अनुसार

विधवा के रूप में स्त्री के लिए अनेक कठोर सामाजिक प्रतिबन्ध, कठोर नियम व व्रत निर्धारित थे। यही नहीं संयम और प्रतिबन्ध के जीवन का सफलतापूर्वक पालन न कर पाने पर राजा विधवा स्त्री को उसे घर से निकाल भी सकता था। शुभ अवसरो व उत्सवो पर उसे उपस्थित होने का अधिकार नहीं था। इस युग में विधवा स्त्री के पुर्नविवाह का भी विरोध होने लगा और उन्हें भी कठोर सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता था। इस काल में विधवाओं का सम्पत्ति विषयक अधिकार स्वीकार किया गया। विधवाओं के साम्पत्तिक अधिकार मात्र उक्त सम्पत्ति के भाग तक ही सीमित था क्योंकि अपनी इच्छा से पति की सम्पत्ति को बेचने या गिरवी रखने या दान देने का किसी प्रकार का अधिकार उसे प्राप्त नहीं था।

साहित्य एवं कला में किसी भी युग की नारी की वेशभूषा एवं आभूषण का जो वर्णन प्राप्त होता है। उससे प्रत्येक वर्ग की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। विभिन्न ऋतुओं के अनुसार ही भारत में वस्त्र धारण किये जाते थे। ग्रीष्म ऋतु में स्त्रियाँ दुकूल से निर्मित हल्की साड़ी तथा बसंत ऋतु में केसरिया साड़ी व लाल कच्ची वस्त्र धारण करती थी। कुलीनों और सपन्न स्त्रियों के वस्त्रों का स्तर सामान्यवर्ग की स्त्रियों से भिन्न होता था। अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार ही स्त्रियाँ तरह-तरह के वस्त्र धारण करती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियाँ विभिन्न आकार-प्रकार के रंग-बिरंगे, कढ़े हुए सुन्दर वस्त्र धारण किया करती थी। विभिन्न राज्यों में निर्मित कुछ विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख भी साहित्य में उपलब्ध है जैसे दुकूल जो कि बगाल से बनकर आता था। साड़ी, अगिया (कच्ची) और लहंगा नामक वस्त्र महिलाओं में अति लोकप्रिय थे। इस युग से साहित्य ग्रन्थों में हमें भारत के विभिन्न प्रदेशों में पहने जाने वाली साड़ी के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। फुँदिया, कसनिया, हटागी, चोली इत्यादि शरीर के ऊपरी भाग में

धारण किये जाने वाले भारतीय स्त्रियो के प्रचलित परिधान थे। इस युग मे लहँगा तथा घाघरा स्त्रियो मे अत्यन्त लोकप्रिय था। पर्दा करने के लिए महिलाएँ ओढनी का प्रयोग किया करती थी। जो आधुनिक प्रचलन मे भी है। उच्च वर्ग की स्त्रियाँ घर से बाहर जाते समय ओढनी, चुनरी या दुपट्टा अवश्य प्रयोग मे लाती थी। पर्दे का प्रचलन उत्तर भारत की अभिजात वर्ग की स्त्रियो मे एक सयतमार्गी, आशिक, परदे का प्रचलन था इसे घूँघट कहा जाता था। इसमे केवल चेहरे को छुपाया जाता था। पूर्व मध्यकालीन साहित्य मे पैरो में चमाऊ अर्थात् जूते धारण करने का उल्लेख मिलता है।

अपने सौन्दर्य में वृद्धि करने के लिए महिलाएँ आभूषण धारण किया करती थीं। नख से लेकर शिख तक शरीर के प्रत्येक अंग को आभूषणो से अलंकृत करना हिन्दू महिलाओ के सौभाग्य का प्रतीक था। बाल्यकाल से ही वे आभूषण धारण किया करती थी। बहुत कम उम्र की अवस्था मे ही उनके कान छेद दिये जाते थे। रत्नो मे मणि, मरकत, पद्मराग, लोहितक, मुक्ता, प्रवाल, पुष्पराग, वैदर्य, महानील, वज्र(हीरा) स्फटिक, सूर्यकांत तेषा का उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है। शरीर पर धारण किये जाने वाले जेवरातो मे मौलि, पट्ट, मुकुट और कौटीर आदि इस युग मे विशेष प्रचलित थे। 'शीशफूल' तथा 'शीश भूषण' नामक आभूषण माग मे धारण किया जाता था। इसके अतिरिक्त माथे पर गुम्बज के आकार का गहना 'बोर' भी पहना जाता था। माथे पर बिंदी तथा टिकुली लगायी जाती थी, तथा राजपूत स्त्रियाँ भौहो की सौन्दर्य वृद्धि हेतु एक विशेष प्रकार का आभूषण सोहाली भी धारण करती थी। कानो मे पहने जाने वाले आभूषणो में कर्णफूल सर्वाधिक लोकप्रिय था, इसके अतिरिक्त तलवट्टी, बाली, झुमका, ताटक, खूँट, कुण्डल इत्यादि का भी उल्लेख साहित्यों से प्राप्त होता है। अवलोकित काल मे स्त्रियाँ नाक

मे भी आभूषण पहनती थी। नकफूली, बेसर, बेसनी, बुलाक, नकमोती, नथ, तिलफूल चन्द्रगुन, गजमोती इत्यादि नाक मे पहने जाने वाले आभूषणो का उल्लेख तत्पुगीन साहित्य मे मिलता है। विभिन्न प्रकार के ग्रीवा भूषणो का उपयोग भी महिलाओ द्वारा किया जाता था। कण्ठ के आभूषणो मे एकावली, कोष्ठिकाहार, हारयष्टि इत्यादि थे। गले मे पहने जाने वाले आभूषणो मे सिकडी, हार, मोहनमाला, हँसली, कण्ठी, मुक्ताहार, आदि का भी उल्लेख प्रायः समकालीन साहित्य मे मिलता है। अवलोकित काल की स्त्रियाँ अपनी भुजाओ व हाथो को अलकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के हस्त-अलकारों का प्रयोग करती थी जिनमे भुजबन्ध कलाई मे चूडियाँ, वलय हस्तफूल और उगलियों मे विभिन्न प्रकार की अगूठियाँ पहनती थी। भुजबन्ध को इस युग मे केयूर की सजा प्रदान की गई है। सलोनी, नामक एक अन्य आभूषण का भी उल्लेख मिलता है। बाहुओ के अन्य आभूषणो मे बाहुती, बरया अथवा वलया, अगद तथा बाहुरखा अथवा बोरखा उल्लेखनीय है। कलाई को सुशोभित करने वाले विविध आभूषणो मे कंकण, हथपूर, चूडे, चूडी तथा वलय का उल्लेख मिलता है। पूर्वमध्ययुग मे दसो उगलियों में अंगूठी पहनना समृद्धि व सौन्दर्य का प्रतीक माना जाता था। स्त्रियो मे कमर में पहने जाने वाले आभूषणो का विशेष लगाव रहा है। काँची मेखली, आदि के साथ-साथ छुद्रघटी किनकिनी, एव घर्घर मल्लिका जैसे आभूषणो का भी उल्लेख अवलोकित काल के साहित्यों मे उपलब्ध है। पैरों मे पहने जाने वाले आभूषणो, का भी उल्लेख अवलोकित काल के साहित्यो मे उपलब्ध है। पैरो मे पहने जाने वाले आभूषणो मे पाजेब, पायल, नूपुर, झाझर, घुघरू इत्यादि स्त्रियो के अत्यन्त प्रचलित आभूषण थे। पूर्वमध्यकालीन साहित्य मे झकार करने वाली पायल को पादहँसिक भी कहा गया है। अनवट तथा बिछुआ विवाहित महिलाओ

विवाहित स्त्रियाँ माग मे सिन्दूर भरती थीं क्योंकि, यह अत्यन्त ही शुभ माना जाता है। अतः स्त्रियाँ अपनी माग मे सिन्दूर भरकर उन्हे मोतियो से अलंकृत करती थी। मस्तक पर तिलक रचना स्त्री श्रृगार का एक प्रमुख अंग है, जो कि शोभा एवं मंगल के साथ सौभाग्य एव सुहाग का भी प्रतीक है। माथे पर बिन्दी या तिलक कस्तूरी, चदन एव कुमकुम आदि से अंकित किया जाता था। समकालीन साहित्य मे चदन, गोरुचन, कस्तूरी और धनसार द्वारा कपोल चित्र अंकित किया जाता था। स्त्रियाँ अपनी आँखो की सुन्दरता बढ़ाने के लिए आँखो की देखभाल हेतु आँखो एव भौहो मे शलाका द्वारा सुरमा और अंजन अथवा काजल लगाया करती थीं।

सम्पन्न स्त्रियाँ अपने ओष्ठ एवं दाँतो को रगने के लिए पान का सेवन करती थी। साथ ही मोम और आलता का प्रयोग भी उल्लेख में मिलता है। ताबूल का डिब्बा रखने वाली दासियो को ताबुलक वाहिनी कहा जाता था। स्त्रियाँ अपने हाथो एव पैरो को रगने के लिए मेंहदी का प्रयोग करती थी। पैरों एव एडियो के श्रृगार हेतु जावक, महावर तथा आलता आदि द्रव्यो का प्रयोग करती थीं, दर्पण स्त्रियो के श्रृगार विधि का अनिवार्य अंग था। चित्रकला एव मूर्तिकला मे स्त्रियो का बाये हाथ मे दर्पण लेकर व दाहिने हाथ मे श्रृगार करने मे व्यस्त दिखाया गया है। पुष्प अपने कोमलता, सुगंध एव सुन्दरता के कारण सदैव से आकर्षित करते रहे हैं। पुष्प का प्रयोग स्त्रियाँ आभूषण की तरह ही किया करती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियो के आभूषण बहुमूल्य धातु स्वर्ण मुक्ता मडियो- आदि से बने हुए होते थे। सामान्य वर्ग की स्त्रियाँ पुष्पो के द्वारा बने हुए आभूषणो को पहन कर अपने सौन्दर्य को निखारती थी। गणिकाओ की श्रृगार विधियो का उल्लेख भी पूर्व मध्ययुगीन साहित्यिक रचनाओ से मिलता है। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तत्पुगीन स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषण, श्रृगार एव प्रसाधनो के द्वारा अपने प्राकृतिक

के अत्यन्त लोकप्रिय आभूषण थे।

इस प्रकार विवेच्य युगीन स्त्रियाँ सिर से लेकर पैर तक कलात्मक आभूषण पहनती थी। श्रृंगार और सौन्दर्य का प्रतीक होने के साथ ही विभिन्न आभूषण हिन्दू स्त्री के लिए सौभाग्य एव सुहाग के द्योतक भी माने जाते रहे हैं। इनका परित्याग वह विधवा होने के उपरान्त ही करती है।

शारीरिक लावण्य एव सौन्दर्य में वृद्धि करने के लिए स्त्रियाँ कई प्रकार के प्रसाधनो का प्रयोग सदैव से करती रही है। कालान्तर में प्रसाधनकला में दक्षस्त्री को सैरन्ध्री कहा जाता था। विवेच्ययुगीन स्त्रियाँ सोलह श्रृंगार से अच्छी तरह परिचित थी। सोलह श्रृंगार में मञ्जन, स्नान, वस्त्र, पत्रावली रचना, सिन्दूर, तिलक, कुण्डल, अञ्जन, ओष्ठ सिंगार, कुसुमगंध, कपोल पर लित लगाना, गले में हार पहनना, कचुकी पहनना, कमर में छुद्र घंटिका पहनना तथा पैरो में पायल पहनना की गणना होती थी। स्वयं को आकर्षक बनाने के लिए स्त्रियाँ गोरोचन, कुंमकु, सुगन्धित कस्तूरी विलेपनो तथा चदन लेप का प्रयोग करती थी। श्रृंगार सजा के पहले स्नान करने वाले जल में सुगन्धित पदार्थ जैसे मृगमद व कर्पूर आदि डाला जाता था। अभिजात वर्ग की स्त्रियाँ शरीर को धूप से सुवासित करके सुगन्धियो का प्रयोग करती थी। केशों के सुरूचिपूर्ण ढंग से सजाया जाता था। केश विन्यास की कला में तत्पुगीन स्त्रियाँ पर्याप्त निपुण थी। उच्च वर्ग की स्त्रियों के केश दासियाँ सजाया करती थीं। इन दासियो को 'केशकारिणी' कहा जाता था। केशों में विभिन्न प्रकार के सुगन्धित तेलो को लगाकर, कलात्मक ढंग से गूँथ कर स्त्रियाँ अपने केशो की बेणियाँ बनाती थी। अपने केशो में पुष्प लगाकर सुशोभित करती थी, साथ ही केशों को सोने- चाँदी से निर्मित चद्रिकाओ से भी सजाया जाता था। हिन्दू समाज में

सौन्दर्य को निखारती थी। किसी भी समाज के अध्ययन के लिए, उसके संस्कारों का अध्ययन भी अनिवार्य होता है, हिन्दू समाज में संस्कारों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है जिनके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को उन्नत व सुसंस्कृत बनाता है। संस्कार मनुष्य के जन्म से पहले ही प्रारम्भ होकर मनुष्य की मृत्यु तक निरन्तर बने रहते हैं। संस्कारों की संख्या के विषय में यद्यपि धर्मशास्त्राकार एक मत नहीं हैं। परन्तु अधिकांशतः संस्कारों की संख्या, सोलह मानते हैं इनमें - गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशासन, चूड़ा कर्म, कर्णवेध, विद्यारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ केशान्त, समावर्तन, विवाह एवं अन्तेष्टि माने जाते हैं, परन्तु समाज में जितने संस्कारों का पालन किया गया वे ही अधिक प्रचलित हुए, संस्कारों की संख्या उनकी मान्यता पर ही निर्भर थी। गर्भाधान हिन्दू संस्कृति में सम्पन्न होने वाला प्रथम संस्कार है। विवाह के उपरान्त स्त्री का गर्भवती होना ही गर्भाधान है। बारहवीं शती तक साहित्य में इस संस्कार को सपन्न होने का उल्लेख प्राप्त होता है। अल्बेरूनी ने इस संस्कार का विस्तृत वर्णन किया है। कालान्तर में इस संस्कार का प्रचलन कम हो गया और अन्त में समाप्त हो गया। पुद्गल की उत्पत्ति के लिए ही पुसवन संस्कार होता था- इसके उल्लेख हमें पूर्वमध्ययुगीन साहित्य में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार की सीमन्तोन्नयन नामक संस्कार का मूल उद्देश्य यह था कि स्त्री स्वस्थ एवं प्रसन्न रहकर वीर पुत्र को जन्म दे। पुत्र जन्म के समय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्कार जातकर्म होता था जिससे कि अनिष्टकारी शक्तियों का नवजात शिशु पर कोई प्रभाव न पड़े। अल्बेरूनी ने जातकर्म को तीसरा यज्ञ माना है। सन्तान को नाम प्रदान करने के लिए नामकरण संस्कार होता था। वैदिक युगीन बालिकाओं की शिक्षा का प्रारम्भ जिस उपनयन संस्कार द्वारा होता था आगे चलकर स्मृतिकारों ने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया कन्या के

विवाह को ही उसका उपनयन संस्कार घोषित कर दिया गया। हिन्दू समाज का एक महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार है, यह सामाजिक तथा धार्मिक संस्कार भी है। विवाह संस्कार की सम्पन्नता से ही गृह-यज्ञ प्रारम्भ होता है। अतः विवाह संस्कार को सभी संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गौरवशाली माना जाता है। इसके अन्तर्गत वर वधू की विभिन्न योग्यताएँ और गुण गौत्र और वर्ण आदि का विचार किया जाता था। धर्म के अनुसार यज्ञिक कार्य, सन्तानोत्पत्ति, वशोत्थान, गहिस्थ्य, तथा पितरों के लिए पिण्डदान आदि के लिए विवाह अति आवश्यक था मनुष्य के जीवन का अन्तिम संस्कार अंत्येष्टि -संस्कार था जिसे हिन्दू धर्म में बहुत अधिक महत्व प्राप्त था। अवलोकित काल के साहित्य से ये स्पष्ट होता है कि सतीनारी और शौर्यपूर्ण पुरुष के मृत्यु के पश्चात् चिता पर जलकर भस्म हो जाना, यह प्रथा ऐतिहासिक युग में प्रारम्भ हुई तथा पूर्वमध्यकाल के आगमन तक इस प्रथा ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। यथाथ में सतीप्रथा इस युग में वैधव्य के दुःख से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन बन चुका था। समाज में विधवा स्त्री के लिए सती प्रथा एक क्रूर प्रथा थी। कुछ स्मृतिकारों ने इस धारणा का प्रचार करना भी बंद कर दिया जो विधवा स्त्री अपने पति की चिता के साथ ही सती हो जाया करती थी वह सुख का जीवन व्यतीत करती थी। यह भी विश्वास दिलाया गया कि सती होने के बाद उसका पति से पुनर्मिलन होता है। तथा जो स्त्री पति के साथ सती नहीं होती थी उसे समाज तथा परिवार में तिरस्कृत माना जाता था।

पूर्व मध्ययुगीन स्त्रियाँ आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु विभिन्न जीविका अपनाती थीं गृहस्थ कार्यों के अतिरिक्त कृषि कार्य में सहायता प्रदान करना सिलाई करना, टोकरी बुनना, कढ़ाई करना इत्यादि ऐसे कार्य थे, जिनके माध्यम से महिलाएँ अपने, परिवार की आर्थिक सहायता करती थी। इसके



अतिरिक्त धन अर्जित करने वाली महिलाओ में गणिकाये, देवदासियाँ, वाराँगनाये, सेवावृत्ति मे सलग्न दासियाँ, ग्वालिन, नाउन, वारवनिताओ का भी उल्लेख किया जा सकता है । समीक्षाधीन अवधि मे समाज मे गणिकाओ की सख्या बहुत अधिक थी। इन्हे मनोरजन एव नृत्य गान हेतु विशिष्ट अवसरो पर आमन्त्रित किया जाता था। उस काल मे गणिकाओ के व्यवसाय को हेय दृष्टि से नही देखा जाता है। ये गणिकाये सौन्दर्य के साथ-साथ चौसठ कलाओ मे निपुण होती थी। राजदरबारो मे इनकी कला का सम्मान किया जाता है। अलबेरूनी के अनुसार अभिजात वर्ग व शासको का विशेष समर्थन व प्रोत्साहन प्राप्त था, क्योकि इस व्यवसाय से राज्य को कर के रूप मे आय होती थी। मदिरो मे ईश्वर की आराधना पूजा व ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए तथा देव मंदिर को गुजायमान रखने के लिए मदिर मे नर्तकियों का होना अनिवार्य था। इस पूर्वमध्ययुगीन विचारधारा के परिणाम स्वरूप देवदासी वर्ग की उत्पत्ति हुई। प्रायः सभी मंदिरो मे देवदासियो का निवास था। यद्यपि हिन्दू समाज मे सभी वर्गों ने देवदासी प्रथा को मान्यता नहीं दी थी, ब्राह्मण तथा सन्यासी वर्ग इसके सख्त विरोधी थी। परन्तु विरोध के बाद भी शासक वर्ग के सरक्षण मे यह प्रथा काफी विकसित तथा प्रचलित हुई।

पूर्व मध्ययुगीन समाज मे महिलाओ का एक ऐसा वर्ग था जिनका कार्य उच्च वर्ग की सेवा करना था वह उनके स्नान, वस्त्र, प्रसाधन, शय्या, आसन आदि कार्यों की जानकारी का ध्यान रखती थी, तथा केशविन्यास, माला गूथना, चन्दन विलेपन, अगराज बनाना इत्यादि कार्यों में अत्यन्त निपुण होती थी। सम्पत्ति के रूप मे भी दासियो का आदान-प्रदान होता था। धनिक वर्ग कन्या के विवाह के समय दहेज के साथ दासियो को भी भेजते थे। दासियों को धात्री, परिचारिका, प्रेष्या, भूजिष्या, दूती आदि नामो से सम्बोधित किया जाता था। हिन्दू धर्म शास्त्रकारो ने

स्त्री के सम्पत्ति विषयक अधिकार का वर्णन किया तथा कन्या को भी पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारिणी माना। परन्तु अधिकांश धर्मशास्त्रकारों ने पुत्र के अभाव में ही पुत्री को परिवार की सम्पत्ति का स्वामी माना है। पति एवं पत्नी दोनों को ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत परिवार की सम्पत्ति का सयुक्त स्वामी माना जाता था। पूर्वमध्ययुगीन व्यवस्थाकारों के अनुसार पत्नी के भरण पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व पति पर था यहाँ तक कि परित्यक्ता पत्नी के प्रति भी उसके भरण पोषण का उत्तरदायित्व पति पर ही था। समीक्षाधीन अवधि में स्त्रीधन की परिभाषा अत्यन्त व्यापक हो गयी थी। उत्तराधिकार में प्राप्त धन, खरीदी हुई सम्पत्ति, बँटवारे में प्राप्त सम्पत्ति, स्नेहियों से प्राप्त धन, इत्यादि पर स्त्री का पूर्ण स्वामित्व स्वीकार कर लिया गया। यद्यपि इस युग में विधवा स्त्री को पति की सम्पत्ति को बेचने, गिरवी रखने या किसी को देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। भारतीय दण्ड व्यवस्था के अन्तर्गत विविध अपराधों से सम्बन्धित मुकदमों के फैसलों के लिए न्यायालयों की समुचित व्यवस्था थी।

अवलोकित काल के साहित्य से यह पता चलता है कि इस युग में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। किन्तु फिर भी स्त्रियों के आमोद-प्रमोद की तथा मनोरंजन की उचित व्यवस्था थी। विभिन्न धार्मिक त्योहारों, उत्सवों, उद्यान, क्रीड़ा, झूला, नृत्य, सगीत तथा सामाजिक एवं धार्मिक परिचर्या में स्त्रियाँ भाग लेती थीं। हिन्दुओं के धार्मिक त्योहार प्रायः सभी महत्वपूर्ण ऋतुओं में सम्पन्न होते थे तथा स्त्रियों एवं बच्चों द्वारा अत्यन्त ही उल्लास के साथ मनाये जाते थे। हिन्दू समाज में इन महत्वपूर्ण त्योहारों के रूप में बसन्त पंचमी, होली, दिपावली, शिवरात्रि, एकादशी इत्यादि के त्योहारों का विस्तृत वर्णन इस युग के साहित्यों से प्राप्त होता है। विवाह स्वयंवर एवं अन्य अवसरों पर उत्सवों का

आयोजन किया जाता था। स्त्रियाँ वस्त्र-आभूषणो को पहनकर गीत एव नृत्य मे भाग लिया करती थी।

साहित्य मे वर्णित कन्दुक-क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, दोलाकेलि-गुडियो का खेल, कथा कहानी एव पशु-पक्षी, विनोद इत्यादि महिलाओं के मनोरजन के विविध लोकप्रिय माध्यम थे। स्त्रियाँ ललित कलाओ मे भी अत्यन्त निपुण होती थी। जैसे चित्रकला नृत्य एव संगीत इत्यादि। ये स्त्री शिक्षा के अनिवार्य अंग बन चुके थे। सगीत तथा नृत्य कला को यथोचित सम्मान राजदरबार मे मिलता था। इसलिए पूर्व मध्यकाल मे नृत्यांगनाओ की उपस्थिति अनिवार्य थी। वैदिक युग मे स्त्री शिक्षा अत्यन्त संतोषजनक थी। किन्तु पूर्व मध्ययुग तक नारी शिक्षा का महत्व कम हो गया था। परदा प्रथा, बाल विवाह तथा अन्य सामाजिक प्रथाओ एव रीति रिवाजो के बन्धनो के कारण स्त्री शिक्षा अवरूद्ध हो गई, लेकिन अभिजात वर्ग की महिलाए घर पर ही निजी शिक्षको द्वारा शिक्षा प्राप्त करती थी। इसमें स्त्रियो को व्यवहारिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक, धर्मशास्त्र एवं गृहविज्ञान सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। पूर्व मध्ययुग राजनीतिक क्षेत्र मे केवल राजपरिवारो की स्त्रियाँ ही भाग लेती थी। सामान्य वर्ग की महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। शासन संचालन मे भी स्त्रियो ने बुद्धिमता का परिचय दिया तथा युद्ध क्षेत्र मे भी वीरता का प्रदर्शन किया एवं मातृभूमि की रक्षा हेतु युद्ध किया तथा कुशलता पूर्वक संचालन भी किया। स्त्रियाँ सदैव से ही पुरुषों की अपेक्षा धर्म के प्रति अधिक आकृष्ट थी। धार्मिक क्रिया कलापो तथा ईश्वर मे उन्हें अपार श्रद्धा थी।

साहित्य के माध्यम से किसी समाज के विचार, परम्परा, विश्वास, कार्य और लक्ष्य की सीधी अभिव्यक्ति होती है। ईसा की दसवी शती से लेकर तेरहवी शती तक

बौद्ध एव जैन धर्म प्रधान साहित्य के साथ ऐतिहासिक ग्रन्थ तथा इतिहास एव साहित्य दोनो की विधाओ से सयुक्त अनेकानेक ग्रन्थो की रचना की गई जिनसे भारतीय समाज और सस्कृति पर विपुल प्रकाश पडता है।

\*\*\*\*\*

## अध्याय- द्वितीय

# चौदहवी, पंद्रहवी शताब्दी की महिलाओ का सामाजिक स्तर

### कन्या जन्म और उसको लेकर प्रचलित मान्यताएं-

भारतीय परम्परा के सैदान्तिक पहलू के अनुसार पारिवारिक सन्तुलन हेतु पुत्र व पुत्री मे कोई भेद प्रतीत नही होता और यह अवधारणा शास्त्रोचित भी है।<sup>1</sup> किन्तु हमारे अध्ययन काल के विवेचन से यह धारणा अनेकानेक कारणो से परिवर्तित हुई तथा निश्चित रूप से समाज मे पुत्र और पुत्री की स्थिति का अन्तर द्रष्टिगोचर होने लगता है। बदलते हुए सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिवेश के कारण कालान्तर मे पुत्री का जन्म परिवार में बहुत सुखदायक प्रतीत नही होता।<sup>2</sup> इस्लाम के आगमन तथा तुर्की सल्तनत की स्थापना के कारण बढ़ती विलासिता की पूर्ति इस्लामी प्रभाव मे पर्दा प्रथा के चलते स्त्रियो के क्षेत्र संकीर्ण एव अधिकार कम होने लगे।<sup>3</sup> हालाकि राजपरिवारो में विशेष रूप से हिन्दु राजघरानो मे जैसा कि राजा रत्नसेन के घर पद्मवती के जन्म से स्पष्ट होता है।<sup>4</sup> समकालीन कतिपय ग्रथो मे पुत्री जन्म को एक विशेष शुभ अवसर के रूप

---

1 वृहदारण्यक उपनिषद्, 4 4 18

2 ए0 एस0 अलतेकर, पोजीशन आफ वुमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, दिल्ली 1962 पृ0 3

3 अमीर खुसरो कृत लैलामजनु उद्धत शिबली शैर उल आजम, भाग-2 पृ0 123 विद्यापति पदावली पृ0 256

4 जायसी कृत पद्मभावत सम्पादित वासुदेव शरण अग्रवाल, झांसी, पृ0-60, पद सख्या-

मे भी वर्णित किया गया है एव इस अवसर पर खुशिया मनाई जाती रही है<sup>5</sup> अतः यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में पुत्र का जन्म निःसंदेह महत्वपूर्ण कार्य था, एक तो वश चलाने के लिये और दूसरा युद्ध के वातावरण में योद्धाओं की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, तथापि पुत्री का जन्म भी परिवार में स्वीकार्य था एव उसे भी महत्वपूर्ण माना जाता था।

इसी साक्ष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दु राजकुलो में स्त्री शिक्षा का भी पर्याप्त महत्व था।<sup>6</sup> लड़कियों का शिक्षित व प्रशिक्षित होना, उनकी सुन्दरता के साथ-साथ एक सकारात्मक गुण माना जाता था।<sup>7</sup> शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में चौदहवीं, पन्द्रहवीं शताब्दियों में प्रायः काल की आवश्यकतानुसार धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन पर विशेष जोर होता था।<sup>8</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि सुन्दरता व शिक्षा के गुणों से युक्त विदुषी कन्याएं परिवार में सम्मान की भागी होती थीं।<sup>9</sup>

---

51, तथा पृष्ठ-61, पद सख्या-52

5 चादायन, डा० माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशन, आगरा प्रथम संस्करण 1967, पद-32, पृ०-30-31, “महर की कन्या चादा के जन्म के अवसर पर बधावे बजे तथा उत्सव में छत्तीस जातियों एव सम्पूर्ण नगर को आमन्त्रित किया गया।”

6 जायसीकृत पदमावत सम्पादित वासुदेव शरण अग्रवाल, झांसी, पृष्ठ-62 पद सख्या-53

7 वही

8 वही

9 वही तथा अलतेकर पूर्वोक्त पृष्ठ 9 तथा, गौरी शंकर हीरा चन्द्र ओझा, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति इलाहाबाद 1957 पृ० 119 .

## बाल विवाह :

समय समय पर परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण जिस प्रकार सस्थाओं का प्रारूप बदलता रहा, उसी प्रकार नई नई विचारधाराओं का समागम होने के कारण विवाह की आयु में भी सदैव परिवर्तन होते रहे। परिवर्तित राजनीतिक व सामाजिक परिवेश के कारण मध्य युगीन भारत में अल्प आयु में विवाह का प्रचलन अधिक हो गया था स्त्रियों की सुरक्षा व इस्लाम के प्रभाव के कारण भी विवाह की आयु घटती चली गयी तथा बाल विवाह प्रचलित हो गया।<sup>10</sup> अलबेरूनी के अनुसार हिन्दू बहुत छोटी अवस्था में विवाह करते हैं अतः उनके माता पिता अपने पुत्रों का विवाह निश्चित करते हैं। बारह वर्ष से अधिक उम्र की स्त्री से विवाह करने का विधान नहीं है।<sup>11</sup> हमें अपने अध्ययन काल में इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं<sup>12</sup> बारह वर्षीय कन्या को विवाह योग्य सयानी मान लिया जाता था —

बारह बरिस माँह भइ रानी । राजै सुना सजोग सयानी ।<sup>13</sup>

ढोला मारू रा दुहा नामक एक राजस्थानी कृति में हमें मारवानी के विवाह का उल्लेख मिलता है। मारवानी की आयु विवाह के समय मात्र डेढ़ वर्ष एव उसके वर की आयु मात्र तीन वर्ष की थी।<sup>14</sup> विवेच्य युगीन साहित्य में राजपूतों में बाल

---

10 अमीर खुसरो, देवलरानी, खिन्न खों पृष्ठ 93

11 अलबेरूनीज इंडिया भाग - 2, सचाऊ, पृष्ठ 261 तथा अलतेकर पूर्वोक्त पृष्ठ 58

12 मुल्ला दाउद कृत चादायन पृष्ठ 290 पद 296

13 पदमावत, जायसी, माता प्रसाद गुप्त, पृष्ठ 63, पद - 54

14 ढोला मारू रा दुहा नागरी प्रचारिणी सभा द्वितीय संस्करण दोहा - 91, पृष्ठ 21 दौध बरसरी मारूनी, त्रिहुन वरसानरूकन्त बलपनाय परायण पछाई, अतर-पदयोन अनत

विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं ।<sup>15</sup> विवाह के सबध में कोई आयु सीमा सम्बन्धी स्थापित मानदण्ड नहीं थे । ऐसा समकालीन साक्ष्यो के विवेचन से प्राप्त होता है । अभिभावको की इच्छा ही विवाह का एकमात्र निर्णायक आधार हुआ करती थी । स्त्री को विवाह आयु में परिवर्तन या विदाई अवधि का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी कभी कभी एक बालक का विवाह भी एक युवती से हो जाता था जो बालक से बहुत अधिक आयु की हुआ करती थी, इस प्रकार के बाल विवाह का उल्लेख विद्यापति की पदावली में मिलता है ।<sup>16</sup>

### विवाह :

हिन्दू सस्कृति में विवाह का महत्वपूर्ण स्थान है जिसे एक सामाजिक, धार्मिक सस्कार के रूप में ग्रहण किया गया । पुरुष और स्त्री के व्यक्तित्व का विकास, वश का उत्थान तथा परिवार का सयोजन विवाह से ही सम्भाव्य है । विवाह स्त्री पुरुष की पूर्णता तथा उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक अभिव्यजना का आधार है । वश, कुल और परिवार की निरन्तरता विवाह सस्था से ही बनी रही है ।

विवाह के संबंध में यह मान्यता रही है कि विवाह के साथ साथ दुःख सम्प्रक्त है क्योंकि विवाहोपरान्त पुत्री को माता पिता से अलग होना पडता है तथा अपरिचितो के बीच नया जीवन व्यतीत करने को वह विवश होती है—

---

15 दाउद कृत चादायन डा10 माता प्रसाद गुप्त पृ0 32 पद - 34 -35

16 विद्यापति की पदावली, सम्पादक श्री बसन्त कुमार माथुर, भारती भाषा भवन, दिल्ली 1952 पद - 258 (बाल विवाह) पृ0 460



“कबीर हसि हसि कत न पाइए, जिनि पाया जिनि रोइ

जे हासै ही हरि मिलै, तौ नहीं दुहागणि कोई ।”<sup>17</sup>

उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में ऐसी मानसिकता की स्थापना हो चुकी थी जिसके अनुसार विवाह हो जाना अथवा पति प्राप्त कर लेना ही स्त्री की एक बड़ी उपलब्धि होती थी।<sup>18</sup> इसी लिए पुरुष पर आश्रित स्त्री को मर्यादानुसार एक विवाह करने पर ही बल दिया गया तथा कबीर स्त्रियों के बहुविवाह पर विशेष रूप से कटाक्ष करते हैं।<sup>19</sup> वैसे भी सुहागिन स्त्री को मध्य कालीन मान्यता के अनुसार सुखी स्त्री माना गया साथ ही बहु विवाह को व्यभिचार कहकर क्लकित करके स्त्रियों से उच्च नैतिक स्तर की प्रत्याशा की गयी,

“एक सुहागनि जगत पियारी ।

सकल जीव जत की नारी ॥

खसम मरै वा नारि न रोवै । उस रखवाला औरै होवै ॥

रखवाले का होइ बिनास । उतहि नरक इत भोग विलास ॥

सुहागनि गालि सो है हार । सतनि विष बिलसै ससार ॥”<sup>20</sup>

---

17 कबीर ग्रन्थावली, सम्पादित, माता प्रसाद गुप्त पृ० 17 साखी 29,

18 वही

19 डा० राम कुमार वर्मा, संत कबीर इलाहाबाद 1966 पृ० 5, पद 3

20 कबीर ग्रन्थावली, पूर्वोक्त पृ० 365-66 पद 9 तथा मृगावती सम्पादित डा० माता प्रसाद गुप्त, आगरा 1968 पृ० 76 पद -97

अतः उस काल में सखियाँ व बुजुर्ग सभी नवविवाहिताओं को सदा सुहागिन रहने का शुभ संदेश व आशीर्वाद देते थे जिसका प्रचलन आज भी है।

जरम सुहागिनी होइहु रानी। जब लागि गाग जउन मह पानी।<sup>21</sup>

इसी प्रकार मृगावती के सपत्नी कलह खण्ड से मध्य कालीन भारत में प्रचलित बहुपत्नीत्व प्रथा पर प्रकाश पड़ता है वही यह भी स्पष्ट होता है कि सुहागिन की यह अवधारणा जोर पकड़ती जा रही थी कि मात्र विवाहिता होने पर सुहागिन मानना पर्याप्त होगा अपितु सुहागिन उस स्त्री को मानना चाहिए जिसे मायके व ससुराल दोनों ही स्थानों पर समान भाव से स्नेह व आदर प्राप्त हो इसी प्रकार सुहागिन स्त्रियाँ प्रायः प्रशंसा की पात्र होती थी—

जहँसोवै सुख सेज्या, सोहागिनी, तीनीभुअन अजिआरि।

लै पालक तह डोसा समकै देखा रूप उन्हारि।<sup>22</sup>

समकालीन साक्ष्यों से ऐसा विदित होता है कि बहुविवाह तथा विशेष कर बहुपत्नीत्व की प्रथा राजघरानों एवं समृद्ध परिवारों तक ही सीमित थी जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक कलेश, प्रतिद्वन्द्विता एवं गृह कलह व राजनैतिक दावपेच पर्याप्त देखने को मिलते हैं।<sup>23</sup>

---

21. मृगावती पूर्वोक्त पृ० 305, पद 353

22. मृगावती पूर्वोक्त, पृ० 342 पद 396

23. मृगावती पूर्वोक्त पृ० 340 पद - 394 तथा दाउद दलमई कृत चादायन बम्बई 1964 छन्द 13 पृ० 95-96

उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि सजातीय पत्नियाँ अन्य पत्नियों की तुलना में अपने को श्रेष्ठ मानती थी १२४

अपनी रचना चदायन में मौलाना दाउद दलमई ने दास मेहर की चौरासी पत्नियों का उल्लेख किया है १२५

यही नहीं बहुविवाह प्रथा के कारण सपत्नियों में द्वेष होना स्वाभाविक था जिसके परिणाम स्वरूप गृह कलह का भी उल्लेख तत्पुगीन अनेक रचनाओं में मिला है।

२६ इस प्रकार सौतिया डाह हो जाना स्वाभाविक था जिसके अनुसार नारी सब कुछ सहन कर सकती है, किन्तु पति प्रेम का बँटवारा नहीं सहन कर सकती १२७

सौतो के मध्य की कलह का विस्तृत वर्णन मृगावती में प्राप्त होता है -  
लागिसी करइ सौति कर दाई।

“खरभरि सुनी सासु बहुअन कै आई तेहिवां धाई।

बहुअन्ह जूझि बिसरि गई सासु जो पहुँची आई ॥२८

उपरोक्त पद से यह स्पष्ट हो जाता है कि भले ही स्त्री दूसरी पत्नी के रूप में किसी घर में प्रवेश करे फिर भी उससे आशा की जाती थी कि वह पति के समक्ष पूर्ण समर्पण करेंगी, उपरोक्त पद से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों और विशेषतः पत्नियों से उपेक्षा की जाती थी वे पतियों की इच्छाओं को क्षीरोद्धार

---

२४ वही

२५ मौलाना दाउद दलमई कृत चन्दायन, प्रकाशक हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर, बम्बई १९६४ छन्द १३ पृ० ९५-९६

२६ चन्दायन पृ० २४३-२४४, छन्द २५

२७ दाउद कृत चदायन, पृ० १५६ छन्द १७

२८ मृगावती पृ० ३४३-३४४ पद - ३९८-३९९

मानेगी इससे यह भी सुस्पष्ट है कि किसी भी मूल्य पर विवाहित स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता है १२९

### दहेज प्रथा :

वैदिक युग से ही कन्या विवाह के साथ कन्या को धन आदि से समृद्ध करके विदा करने का प्रचलन रहा है, विशेष रूप से वस्त्र आभूषण आदि प्रदान किये जाते थे १३० यह प्रथा शनैः शनैः दान से पृथक होकर विशुद्ध रूप से दहेज का रूप धारण करने लगी। अतः पूर्व मध्ययुग में इसके सस्कार सामाजिक धार्मिक न होकर सामाजिक आर्थिक हो गये क्योंकि उस युग के सामन्तीय परिवेश में दहेज लेना व देना सामाजिक स्तर का द्योतक हो गया ३१ प्रारम्भ में तो यह प्रथा राजपरिवारों कुलीनों व सम्पत्तियों में ही अधिक प्रचलित थी। अलबरूनी ने हिन्दुओं की विवाह विधि का वर्णन करते हुए लिखा है कि दहेज का सामान्य प्रचलन नहीं था, अपितु पति अपनी पत्नी को उपहार देता है जिस पर पति का कोई अधिकार नहीं होता किन्तु स्वेच्छा से पत्नी इसे वापस कर सकती थी १३२ यह प्रथा हिन्दुओं के साथ साथ मुस्लिमों में भी प्रचलित हो गई जहाँ इसे जहेज के नाम से सम्बोधित किया गया १३३ पूर्व मध्य काल में शनैः शनैः दोनों

---

२९ मृगावती, पूर्वोक्त, पृ० ३१८- पद ३६९

३० अथर्ववेद १४ १ १३ मनु ७ १ ९४ साथ ही देखिए धम्मपद टीका १ ७ ३

३१ ए०ए० अलतेकर, पोजीशन आफ विमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृ० ७१

३२ अलबरूनीज इण्डिया सचरू भाग २ पृ० १५४

३३ के०पी० जायसवाल रिसर्च इस्टीम्यूट पटना, खण्ड १, अफसाना ए-बादशाही या तारीख ए अफगानी के फेरो प्रिण्ट के पृ० ४३९ पर दहेज का उल्लेख

समुदायो द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण इस काल मे दहेज प्रचलित हो गया १३४ अतः साहित्यिक साक्ष्यो से यह सुस्पष्ट है कि विवाह के दौरान लडकी के पिता से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह दहेज मे अनेक प्रकार की वस्तुए अपनी पुत्री व दामाद को देगा १३५ चादायन के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज परिवार सामन्त एव धनी वर्ग दहेज के रूप मे अचल के साथ साथ चल सम्पत्ति भी प्रदान करते थे—

“गाउ तीस मल दइजे पाए १३६

जहाँ तक दहेज का प्रश्न है जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि धनी सामन्त वर्गों मे यह प्रथा प्रचलित थी और वे अधिक से अधिक दहेज देना अपनी प्रतिष्ठा एव समृद्धि का द्योतक मानते थे १३७ सामन्त वर्गों व राज घरानो मे दहेज के अन्दर सुन्दर कीमती वस्त्र स्वर्ण रत्न आभूषणो के साथ साथ घोडो तथा हाथियो तक के दिये जाने का उल्लेख मिलता है १३८ ये उपहार वर तथा वधू पक्ष की सामाजिक स्थिति के अनुसार ही दिये जाते थे, तथा इन उपहारों मे विशेष कर बहुमूल्य जवाहरात, तथा धातुए, आभूषण, स्थावर सम्पत्ति घोड़े, हाथी, रथ, अनुचर और उपचारिकाए तथा जीवन की आवश्यकताओं और विलास की अन्य सामग्रिया

---

34 ऋतु जायसवाल, “वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्राम द 10 टू द 13 सेन्चुरी एस द डिपिक्टेड इन द कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर” इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी०फिल० उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध पृ० 56 से 58

35 सूरसागर पृ० 543 पद 4808 तथा पृ० 543 - 544 पद 4810

36 चादायन पूर्व पृ० 40 पद 42

37 जायसी कृत पदमावत पृ० 478 पद 386

38 वही, पृ० 477, पद 385 मृगावती पृ० 121, पद 150 तथा मधुमालती पृ० 147 पद 456

सम्मिलित होती थी।<sup>39</sup> दहेज प्रथा को सामान्यतः धनिको एव सम्पन्न वर्ग के लोगो मे ही आश्रय मिलता था, सामान्य जनता इस प्रथा से कम आकर्षित थी। उपहार के इस स्वरूप को बिहार उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रो एव राजस्थान मे दहेज अथवा दाइज<sup>40</sup> के नाम से जाना जाता था ।

### परदा प्रथा :

जिस प्रकार से वर्तमान ग्रामीण भारतीय परिवेश मे हम आज भी बहुतायत से स्त्रियो के चेहरे को आवरण युक्त देखते है उसी प्रकार पूर्व मध्य कालीन भारत मे भी चेहरे को आवरण युक्त रखने की प्रथा थी अवश्य ही ऐसा सित्रयो की कुलीनता का परिचायक था, कुल मिलाकर इस पर्दे को “घूंघट” कहा गया है। जैसा कि समकालीन साहित्यिक कृतियो से सुस्पष्ट है।<sup>41</sup> मात्र कुलीन व समृद्धपरिवारो की स्त्रियो द्वारा ही इसका प्रयोग होता हो ऐसा भी नही है, तत्कालीन समाज मे वेश्या द्वारा भी चेहरे को आवरण युक्त रखने का विवरण मिलता है।<sup>42</sup> दुपट्टे के महत्व की ओर सकेत करते हुए अमीर खुसरो ने उसकी तुलना सुलतान के ताज से की है।<sup>43</sup> प्राचीन काल मे पर्दा उतना लोकप्रिय नही

---

39 दाउद कृत चादायन पृ0 40 पद 42

40 ढोला मारू रा दुहा, दोहा 595 पृ0 143 मे प्रसंग है कि ढोला और मारवानी के विवाह अवसर पर राजा पिगल दहेज के रूप मे रत्न जटित आभूषण हाथी और अनेक दासियो देते है -

“सोवान जटित सिगार, बहु मारवणी मुकलई  
गाय हेवार दासी बहुत , दिहिन पिगल शाय”

41 पृथ्वी राज रासो भाग 4 दोहा 286 पृ0 684 दोहा 299 पृ0 658 के एम0 अशरफ लाइफ एण्ड कन्डीशन आफ दी पीपुल्स आफ हिन्दुस्तान पृ0 139

42 पृथ्वी राज रासो, भाग 4, पृ0 658, दोहा 289

43 अमीर खुसरो कृत मतलाउल अनवार, पृ0 226

था परन्तु सामान्यतः घूँघट करना उस काल के नारीत्व का सामान्य लक्षण था इसीलिए पर्दा प्रथा लोकप्रिय हुआ 144 रामायण और महाभारत से सीता और द्रौपदी का उदाहरण देते हुए एस0 एम0 जाफर महोदय ने मुख़ावरण को हिन्दू नारी का धार्मिक कर्तव्य माना है 145 पूर्व मध्य काल में सामाजिक समारोहों में स्त्रियों के उठने बैठने की अलग व्यवस्था होती थी, जो कि पूर्णतः आवरण युक्त होती थी 146 मुख़ावरण की प्रथा हिन्दू समाज में मुसलमानों के आगमन के बाद आई, इस तथ्य को विद्वान इतिहासकार अस्वीकृत करते हैं 147 हिन्दू समाज में महिलाओं का एकांत निवास और घूँघट से चेहरे को ढक कर रखना सम्मान का प्रतीक माना जाता था तथा पर्दा प्रथा समाज में केवल कुलीनता का प्रतीक था 148 मध्य काल में प्राचीन काल से चली आ रही पर्दा प्रथा मुस्लिम रीति रिवाजों से बल पाकर और सशक्त हो गयी। पहले जो शर्म या पर्दा आखों में थी वह अब वस्त्र के आवरण की स्थूल हो चुकी थी 149 घूँघट का प्रचलन शनैः शनैः बढ़ता ही गया और स्त्रियों से विशेष रूप से बड़ों के समक्ष व ससुराल में इसके पालन की आशा की जाती थी 150 कबीर जैसे समाज सुधारक घूँघट को मात्र मर्यादा का आडम्बर मानते थे इनके मतानुसार घूँघट का महत्व तो बस नई नवेली वधू के

---

44 विन्सेन्ट ए स्मिथ दी आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया पृ0 261

45 एस0 एम0 जाफर, समकलचरल ऐस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, दिल्ली 1972 पृ0 198-199

46 हरिवंश पुराण, अध्याय 19, उद्धृत सम कलचरल आस्पेक्ट्स आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया

47 एस0 एम0 जाफर पृ0 201, एन0 सी0 मेहता का लेख - पर्दा, लीडर, इलाहाबाद मई 1928, एन0 एन0 ला एन्शियन्ट हिन्दू पालिटी पृ0 144

48 के0 एम0 अशरफ, लाइफ एण्ड कन्डीशन्स ऑफ दी पीपुल आफ हिन्दुस्तान पृ0 172

49 सूर सागर पूर्व भाग दो पृ0 16 पद 2439

50 सूर सागर भाग 2 पूर्व पृ0 120, पद 2968, पृ0 123, पद 2980, पृ0 198, पद 3358

साथ सम्बद्ध था, क्योंकि बाद में घूँघट नहीं अपितु उसका प्रचलन ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी से वधू का उचित मूल्यांकन सम्भव होता था कि वह स्त्रियोचित व्यवहार करती है अथवा नहीं। घूँघट काढने का गौरव तो दस पाँच दिन ही है कि यह बहू अच्छी आई है सच्चा घूँघट कबीर उसे मानते हैं जो पवित्र हृदय एवं आचरण का परिचायक हो।<sup>51</sup> घूँघट का प्रचलन इतना अधिक हो गया था कि हर अवसर पर स्त्री से घूँघट की अपेक्षा की जाती थी जैसे शादी ब्याह तीज त्योहार मनोरंजन तथा दैनिकी कार्यों के दौरान भी घूँघट उसके वस्त्राभूषण का अविभाज्य अंग बन गया था।<sup>52</sup> स्त्री से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह ससुराल में घूँघट अवश्य काढेगी विशेष रूप से ससुराल के बुजुर्गों के प्रति आदर स्वरूप।<sup>53</sup>

## विवाह विच्छेद :

समकालीन साहित्यिक श्रोतों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्यतः कुलीन वर्गों में विवाह विच्छेद का विशेष प्रचलन नहीं था।<sup>54</sup> हालांकि उपरोक्त साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि इस वर्ग में बहु विवाह की प्रथा सामान्यतः प्रचलित थी। समृद्ध पुरुष बहु विवाह करने के पश्चात् भी सभी पत्नियों को एक साथ रखते थे स्त्रियों के परित्याग अथवा उनसे

---

51 रामकुमार वर्मा, सत कबीर पृ० 124, पद 34 सा० 40 प्र० लि० इलाहाबाद 1966

52 सूर सागर भाग 2 पूर्व पृष्ठ 85 पद 2784

53 मृगावती, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० 344 पद 399

54 कुतुबन कृत मृगावती, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० 318 पद 369



सबध विच्छेद 55 करने की प्रथा को सम्भवतः अप्रतिष्ठ माना जाता था। इसी कारण वश हमे अपने अध्ययन काल मे ऐसा एक भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। कुँअर के माध्यम से जहाँ एक तरफ यह स्पष्ट होता है कि उच्च कुल मे विवाहित स्त्री को स्वामी द्वारा परित्याग का प्रचलन नहीं था, हालाकि उस काल मे बहुविवाह की प्रथा सामान्य थी फिर भी यह सामान्य प्रचलन था कि अभिजात्य पुरुष प्रायः बहुविवाह करते थे। किन्तु दोनो अथवा सभी पत्नियो को साथ ही रखते थे। ऐसा ही उस काल के दिल्ली सुलतानो व मुगल बादशाहो के हरम के अध्ययन से भी स्पष्ट व स्थापित हो जाता है।<sup>56</sup> प्रथम पत्नी के गर्भवती न होने की दशा मे भी तथा वश को आगे बढाने के लिए भी दूसरा विवाह अत्यन्त आवश्यक हो जाता था ऐसा समकालीन साक्ष्यो के प्रमाण से ज्ञात होता है।<sup>57</sup> हालाकि बहुविवाह के पश्चात पारिवारिक शान्ति एवं सतुलन बिगडने का उल्लेख हमे कम से कम कबीर साहित्य में तो प्राप्त होता है कबीर इस भावना को मुखरित करते है <sup>58</sup> कि प्रायः अन्य स्त्री के आगमन से गृह क्लेश स्वाभाविक हो जाता है अतः घर की शान्ति के लिए कबीर इस प्रथा के विरुद्ध बोलते पाये जाते है। सम्भवतः पूर्व मध्य काल से विवाह विच्छेद की अनुमति लगभग समाप्त प्रायः हो गयी, इसका मुख्य कारण हिन्दू धर्म संस्कार मे ढूँढा जा सकता है जहाँ धर्म शास्त्र कार विवाह को एक पवित्र संस्कार समझते थे अतः विवाह

---

55 वही

56 कुतुबन कृत मृगावती, डा0 माता प्रसाद गुप्त, पृ0 318, पद 369

57 राम कुमार वर्मा, सत कबीर पृ0 122 पद 32, सा0 म0 प्रा0 लि0 इलाहाबाद 1966

58 कबीर ग्रन्थावली, डा0 माता प्रसाद गुप्त, पृ0 194 पद 81

विच्छेद अकल्पनीय था।<sup>59</sup> अपितु ऐसा चलन पूर्व मध्यकाल से ही प्रारम्भ हो गया था जैसा कि अलबेरूनी के कथन से स्पष्ट हो जाता है।<sup>60</sup>

### गृहणी तथा पत्नी के रूप में :

हिन्दू परिवार में पत्नी को गरिमायुक्त पद प्राप्त रहा, प्राचीन काल से ही इसका स्थान महत्वपूर्ण रहा उसे तथा उसके कर्तव्यों को परिवार के संचालन की धुरी के रूप में मान्यता प्राप्त रही पतिव्रत धर्म एवं पति की सेवा उसका कर्तव्य माना गया। ऐसी स्त्री जो इस धर्म का पालन नहीं करती है उसे आदर योग्य नहीं माना जाता।<sup>61</sup> इसी में स्त्री एवं परिवार का सुख निहित माना जाता था।<sup>62</sup> पति सेवा के बिना स्त्री का कल्याण सम्भव ही नहीं माना जाता था, पति चाहे मूर्ख हो रोगी हो, पत्नी को पूर्ण समर्पण भाव से उसकी सेवा करनी चाहिए —

“इहि विधि वेद मार्ग सुनौ

कपट तजि पति करौ पूजा, कहा तुम जिय गुनौ

कत मानहु भव तारौगी और नाहि उपाइ

ताहि तजि क्यों विपिन आइ, कहा पायौ आइ

---

59 ऋतु जायसवाल, वूमैन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्राम दी 10 टू दी 13 सेन्चुरी एस डिपिक्टेड इन द कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी०फिल० उपाधि प्राप्त अप्रकाशित शोध प्रबन्ध

60 अलबेरूनीय इण्डिया सच्चाऊ भाग 2, पृ० 154

61 कबीर ग्रन्थावली माता प्रसाद गुप्त पृ० 130 पद 2 साथ ही देखिणे सूरसागर पृ० 97, पद 352

62 सूरसागर नददुलारे बाजपेयी पृ० 430- पद 1418

विरध अरू बिन भाग हूँ कौ, पतित सौ पति होइ

जउ मूरख होइ रोगी, तजै नाही जोइ

यह मै पुनि कहत तुम सौ, जगत मै यह सार

सुरपति, सेवा बिना क्यों, तारौगी संसार।''<sup>63</sup>

अतः पत्नी को दासी के रूप में व पति को स्वामी के रूप में प्रतिबिम्बित करने का प्रयास मध्य कालीन साहित्य में किया जाता था। पति की उदासीनता बहुत बड़ा दण्ड माना जाता था। उससे यह प्रत्याशा की जाती थी कि पति चाहे तो उसका अंग भी चीर दे किन्तु पत्नी उफ तक न करे।<sup>64</sup> जहाँ कहीं भी स्त्री का उल्लेख हुआ है वहाँ उसे पतिव्रता पत्नी के रूप में गरिमा प्रदान की गई है स्त्री के मूल्यांकन का उस काल में उसकी स्वामी निष्ठा का आधार थी।<sup>65</sup> जहाँ कहीं भी पति का उल्लेख है वहाँ पत्नी को ऐसे दर्शाया गया है जैसे प्रियतम की सेवा ही उसका एक मात्र कर्तव्य है।<sup>66</sup> जो भी स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती थी उसकी उस काल के साहित्यकारों ने घोर निंदा की है क्योंकि वह कुल लाज व कुल धर्म को वरीयता देते हुए उसके महत्त्व को स्पष्टतः रेखांकित करते थे।<sup>67</sup> ऐसी स्त्रियों को कुलटा आदि विशेषणों से सम्बोधित करने में मध्ययुगीन साहित्यकारों

---

63 सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० 485, पद 1634

64 रामकुमार वर्मा सत कबीर पृ० 125 पद 35 तथा पृ० 120 पद 30

65 वही, पृ० 68 पद 1

66 वही, पृ० 53 पद 50

67 सूर सागर भाग दो, पृ० 130 पद 3019

को कोई हिचक नहीं है।<sup>68</sup> प्रायः स्त्रियो की प्रशंसा करते हुए इसी गुण को मुख्य आधार माना जाता था।

“ए कुलवति सुरूप सुलखिनि” अवट की पुजई कोइ

‘बरी’ बियाही उतिम सुबसी अरू घी कि सरबारि होइ’<sup>69</sup>

## विधवा स्त्री

चूँकि समाज में सुहागिनों का महत्व था अतः विधवाओं के लिए जीवन बहुत दुश्कर होता था, सामान्यतया आलोच्यकालीन समाज में विधवा की स्थिति अत्यन्त दयनीय नियन्त्रित और दुःखद थी।<sup>70</sup> अलबेरूनी ने समकालीन समाज में उसकी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि विधवा के रूप में जीवित रहने पर उसके साथ सम्पूर्ण जीवन दुर्व्यवहार किया जाता है।<sup>71</sup> कुतुब अपनी मृगावती में लगभग यह दशा चित्रित करता है।<sup>72</sup>

माँ बनने के लिए स्त्री को अत्यन्त कष्टकारी परिस्थितियों के दौर से गुजरना पड़ता है फिर भी मध्य युग में चूँकि माँ का स्थान बहुत ऊँचा था अतः

---

68 सूरसागर भाग एक, पृ० 564-65 पद 1294, तथा चादायन, पृ० 49 पद 21

69 कुतुबनकृत मृगावती, पृष्ठ 333 पद 386

70 दी रेहला आफ इब्नबतूता अनुवाद डा० महदी हुसैन, बडोदा 1953, शकुलता राव शास्त्री बुमैन इन सेकेन्ड लाज पृ० 123, लाइफ एण्ड कडीशन आफ पीपुल आफ हिन्दुस्तान पृ० 189, ए राशिद सासोइटी एण्ड कल्चर इन मेडीवल इण्डिया, कलकत्ता 1969, पृ० 144

71 अलबेरूनी का इण्डिया, भाग 3 अनुच्छेद 69, पृ० 155

72 कुतुबन कृत मृगावती पृ० 239 पद 280

शायद उस स्त्री से भी यह उम्मीद की जाती थी कि वह एक उपलब्धि के रूप में इस प्रक्रिया के कष्ट को सहजता से सहन करे।<sup>73</sup> माता के रूप में स्त्री की स्थिति सदैव दयालु सहृदय रूप में की गई है। उससे माता के रूप में यह प्रत्याशा रहती थी कि वह अपने बच्चों के अवगुणों, कुकृत्यों एवं अपराधों को नित्य क्षमा करती रहेगी चाहे वह पुत्र अपनी माता को उत्पीड़ित क्यों न करे।<sup>74</sup> हालांकि कबीर जैसे साहित्यकार ऐसे पुत्रों की निंदा करते हुए उन्हें माया के वशीभूत मानते हैं।<sup>75</sup> स्त्रियों की दशा के रूप में अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों की विवेचना आवश्यक हो जाती है। प्रायः सास को प्रताड़ित करने वाला चित्रित किया जाता है<sup>76</sup> साथ ही जेठ से भय का आभास होने के संकेत मिलते हैं किन्तु सास और नन्द की मुख्यतः विरोधी भूमिका रहती है जो सहजता से नवागन्तुक, नवविवाहिता को स्वीकार नहीं कर पाती।

“ननदी तौन दिये बिनु गारी रहति

सासु सपने हु नहि ढरकौ

माई निगोडी काननि मै लियै रहै, मेरे पायानि कौ खरकौ ।’<sup>77</sup>

यहाँ तक कि सास और नन्द को गाली देते हुए भी चित्रित किया गया है,

---

73 कबीर ग्रन्थावली पृ० 317 पद 24

74 कबीर ग्रन्थावली पृ० 209 पद 110 तथा रामकुमार वर्मा, सत कबीर पृ० 102 पद 12

75 सत कबीर रामकुमार वर्मा पृ० 113 पद 23

76 रामकुमार वर्मा, संत कबीर पृ० 115 पद 25 तथा कबीर ग्रन्थावली पृ० 282 पद 27-28

77 सूर सागर भाग 2 पृ० 36 पद 2534 साथ ही देखें पृ० 37 पद 2539 पृ० 37 पद 2538 तथा मृगावती पृ० 340 पद 394 पृ० 343-44 पद 398, पृ० 342 पद 396

“सासु ननद हारी दैगारी, सुनति नही कोड कहति कहारी ।”<sup>78</sup>

शायद उपरोक्त का कारण घर के भीतर का वर्चस्व रहा हो। सास एव ननद जो बहू के काफी पूर्व से घर में सुस्थापित थी किन्तु बहू के आगमन से एक असुरक्षा का भाव जागृत होता था अज्ञात का भय। बहू अज्ञात थी कैसी होगी, कैसा आचरण होगा, कैसे व्यवहार करेगी अतः आक्रामक व्यवहार को ही सुरक्षा कवच मानकर बहुओं के साथ सासों एव ननदों के ऐसे व्यवहार के ढेरों उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं ।

---

78 सूर सागर भाग 2 पृ० 94 पद 2834 तथा विद्यापति पदावली पृ० 99 पद 73 पृ० 112 -13 पद 82

## संस्कारों में स्त्रियों की भूमिका

हिन्दु समाज में संस्कारों का संयोजित विधान-प्राचीन काल से ही रहा है। मनुष्य का वैयक्तिक और समाजिक विकास करने के लिए ही जीवन में संस्कारों की संयोजना की गई। संस्कारों के माध्यम से ही मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण रूपेण विकास करके अपना तथा समाज दोनों का कल्याण करता था। संस्कार का मूल आधार धर्म है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को उन्नत, परिष्कृत एवं सुसंस्कृत बनाता है। संस्कारों के विभिन्न क्रमिक रूप मनुष्य के जन्म के पहले से ही प्रारम्भ होकर उसकी मृत्यु के बाद भी निरन्तर बने रहे।<sup>1</sup>

संस्कारों का प्रचलन वैदिक युग से ही रहा है। मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन विभिन्न प्रकार के संस्कारों से आवृत रहा है जो समय-समय पर सम्पादित किये जाते रहे हैं। संस्कारों के विषय में सूत्रों तथा स्मृतियों में विस्तार से लिखा गया है। मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार होने चाहिए इस विषय में धर्म शास्त्रकारों में मतभेद है। किन्तु प्रायः अधिकांश धर्म शास्त्रकार संस्कारों की संख्या सोलह ही मानते हैं- गर्भाधान, पुंसवन, सीमान्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूणाकर्म, विद्यारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ, केसान्त, समावर्तन, विवाह और अन्त्येष्टि।<sup>2</sup>

- 1 डा० हेरम्ब चतुर्वेदी अप्रकाशित शोध प्रबन्ध " द सोसाइटी आफ नार्थ इण्डिया इन द सिक्सटीन्थ सेन्चुरी ऐज डिपिक्टेड थू कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर" इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय।
- 2 ऋतु जायसवाल, "वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फॉम द 10 टू द 13 सेन्चुरी ऐज द डिपिक्टेड इन कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर" इलाहाबाद

वस्तुतः सस्कारों की संख्या इतिहासकारों अथवा धर्मशास्त्रकारों की मान्यता पर ही निर्भर करती थी। समाज में जितने सस्कार स्वीकार किये गये तथा समय-समय पर जिन सस्कारों का ज्यादा प्रयोग किया गया वे ही अधिक प्रचलित हुए।

गर्भाधान हिन्दू समाज में किया जाने वाला प्रथम सस्कार है, वस्तुतः विवाह के उपरान्त ही स्त्री का गर्भवती होना ही गर्भाधान है। वैदिक काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक इस संस्कार का प्रचलन रहा। अलबेरूनी के अनुसार विवाह के बाद सन्तान प्राप्ति के लिए व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह गर्भाधान नामक यज्ञ करे।<sup>3</sup> किन्तु लज्जावश इस संस्कार का प्रचलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने गर्भाधान सस्कार को निषेक, चतुर्थीकर्म अथवा चतुर्थी होम नाम से ही अभिहित किया है।<sup>4</sup>

स्त्री के गर्भधारण के समस्त काल का बहुत महत्व था प्रत्येक मास में किस तरह से शैने-शैने- विकास द्वारा अन्ततोगत्वा शिशु का क्रमिक विकास होता है, उसका पूर्ण विवरण हमें समकालीन साहित्य में प्राप्त होता है।

“हरितै विमुख होइनर जोइ । मरि कै नरक परत है सोई ॥

तहाँ जातना बहु विधि पावे । बहुरौ चौरासी में आवै ॥

चौरासी भ्रमि नर तन पावै । पुरुष वीर्य सोंतिय उपजावै ॥

---

विश्वविद्यालय की डी० फिल० की उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध पृ०-147-148

3 अलबेरूनी इंडिया, सचाउकृत, भाग-2, पृ०-156

4 ऋतु जायसवाल, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, बीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फॉर द टेन्थ टू द थर्टीन्थ सेन्चुरी एस द डिपिक्टेड इन द कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर पृ० 149 एव वाद टिप्पणी 9, पृ० 149



मिलि रज वीर्य बेर सम होई । द्वितीय मास सिर धरै सोई ॥  
 तीजे मास हस्त पग होहि । चौथे मास कर अँगुरी सोहि ॥  
 प्रान वायु पुनि आइ समावे । तरकौ इत उत पवन चलावै ॥  
 पचम मास हाड बल पावै । छठै मास इद्री प्रग टावै ॥  
 सप्तम चेतनता लहै सोइ । अष्टममास सपूरन होइ ॥  
 नीचे सिर अरू ऊँचै पाई । जठर अग्रि कौ ब्यापै ताई ॥  
 कष्ट बहुत सो पावै उहाँ । पूर्व जन्म सुधि आवै तहाँ ॥  
 नवम मास पुनि विनती करै । महाराज मम दुख यह हरै ।  
 तै जो मै बाहर परौ । अहनिसि भक्ति तुम्हारी करौ ॥  
 अब मोपै प्रभु कृपा करीजै । भक्ति अनन्य आपुनी दीजै ॥  
 अरू यह ज्ञान चित्त तै टरै । बार-बार यह विनती करै ॥  
 दसम मास पुनि बाहर आवै । तब यह ज्ञान सकल बिसरावै ॥<sup>5</sup>

गर्भ के तीसरे माह में पुसवन नाम संस्कार का आरोपण किया जाता है ।  
 पुत्र की उत्पत्ति के निमित्त यह संस्कार सम्पन्न होता था ।<sup>6</sup> वस्तुतः पुत्र की उत्पत्ति  
 हिन्दू परिवार में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण थी- पुत्र से ही वंश और कुल की निरन्तरता  
 बनी रहती थी-, श्राद्ध व पिण्डदान आदि का अधिकार केवल पुत्र को ही दिया

5 हरदेव बाहरी व डा० राजेन्द्र कुमार सम्पादित, सूरसागर सटीक भाग-1, लोक भारती  
 प्रकाशन, तृतीय स्कन्द- पृ०-181

6 आपस्तम्ब गृह्यसूत्र-14 9, ऋतु जायसवाल के शोध प्रबन्ध के उद्धृत

गया था। अतः इस सस्कार के द्वारा पुत्र उत्पन्न होने में बाधा पैदा करने वाली स्थितियों का देव-पूजन के माध्यम से निवारण किया जाता था। सम्भवतः पुसवन सस्कार का धार्मिक महत्व होने के साथ-साथ कुछ आयुर्वेदिक महत्व भी था।<sup>7</sup> सीमान्तोन्नयन सस्कार गर्भ के चौथे महीने में आयोजित होता था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि स्त्री स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहकर वीर पुत्र को जन्म दे।<sup>8</sup> अल्बेरूनी ने तत्पुगीन भारतीय समाज में प्रचलित इस सस्कार का उल्लेख किया है। स्त्री के सुख तथा विध्न बाधाओं से उसकी रक्षा हो सके इस लिए इस सस्कार का सम्पादन किया जाता था।<sup>9</sup>

हिन्दू विधिवेत्ताओं के द्वारा निर्धारित सोलह प्रमुख सस्कारों में से कुछ का ही पालन प्रायः अधिकांश हिन्दुओं में पाया जाता है जिनमें, जातकर्म, नामकरण, चूणाकरण, उपनयन, विवाह तथा मरणोपरान्त के कर्म- अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सस्कार जातकर्म (जन्म अनुष्ठान) पुत्र जन्म के समय सम्पन्न होता था। यह सस्कार इसलिए सम्पादित किया जाता था कि नवजात शिशु पर किसी भी प्रकार की अनिष्टकारी शक्ति का कोई प्रभाव न पड़ने पाये। बालक स्वस्थ प्रखर बुद्धि वाला बनाना ही इस सस्कार का प्रमुख उद्देश्य होता था।<sup>10</sup>

विशेषरूप से इस अवसर पर ब्राम्हणों की सहायता से जातकर्म सस्कार करवाया जाता था:

---

7 ऋतु जायसवाल, "वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्रॉम द टेन्थ टू द थर्टीन्थ सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड इन द कन्टम्पेरी हिन्दी लिटरेचर" इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पृ०-149

8 पूर्वोक्त पृ०-150

9 अल्बेरूनीज इण्डिया, सचाऊ भाग-2 पृ०-156

10 देखिए डा० हेरम्ब चतुर्वेदी अप्रकाशित शोध ग्रन्थ

“जातकर्म कर पूजि पितर सुर पूजन विप्र करायौ

दोई लख धेनु दई तेहि अवसर बहुतहि दान दिवायौ।<sup>11</sup>

इस पूजन के उपरान्त दो लाख गाये तथा बहुत सा दान देने का उल्लेख भी प्राप्त होता है।

विवेच्ययुगीन में हमें शिशु जन्म के समय नाल काटने से सबधित कर्मकाण्ड का उल्लेख प्राप्त होता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह भी एक महत्वपूर्ण सस्कार रहा होगा जिसको सपन्न कराने हेतु दाई इत्यादि महगे एव अधिक नेग की आशा करती थी। विशेष रूप से यह नेग पुत्र जन्म के अवसर पर स्वतः ही बढ़ जाता था—:

“जसंदा नार न छेदन दैहौ,

मनिमय जटित हार ग्रीवा की, वहै आजु हौ लै हो।

औरनि के है गोपखटिक बहु, मोहि ग्रहएक तुम्हारौ।

मिटि जू गयो सताप जनम कौ, देख्यो नद दुलारौ।

बहुत दिननि की आसा लागी, झगरनि झगरौ कीनौ।

मन मे बिहॉसि तबै नदरानी हार हिय कौ दीनौ।’<sup>12</sup>

---

11 सूरसारावली पृ० 65 पद 392

12 सूरसागर, दशम् स्कन्ध, पृ०-338-पद-15

पुत्र जन्म के अवसर पर मगलगीत गाने को प्रथा बडी आम थी।<sup>13</sup> मगल गीत गाने के साथ-साथ उक्त अवसर पर चौक पूरने या लगाने तथा नृत्यगायन का कार्यक्रम भी आयोजित होता था:

“जौ पाउँ तौ मगल गाउँ, मोतियनि चौक पुराउँ

रस करि नाचौ गाउँ बजाउँ, चदन भवन लिपाउँ<sup>14</sup>”

अतः यह एक हर्ष एव उल्लास का अवसर माना जाता था।

समकालीन साहित्य से हमे इस बात के सकेत प्राप्त होते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर अनेक आयोजन सम्पन्न किये जाते थे।<sup>15</sup> पुत्र जन्म के उपलक्ष्य मे बधाई देने की भी प्रथा थी.

“रधुकुल प्रगटे है रधुवीर देस-देस तै टीकौ आयौ रतन कनन मनि हरि

घर-घर मगल होत बधाइ अति पुर बासिनि मीर,

आनंद मगन भये सब डोलत कछु न सोध सरीर,

मागधबदी सूत लुटाये गो गयद हय चीर,

देत असीस सूर चिरजीवौ रामचंद्र रनधीर।”<sup>16</sup>

---

13 डा० रामकुमार वर्मा, सतकबीर, इलाहाबाद, पृ०-1 पद-1 तथा सूरसागर नददुलारे बाजपेयी द्वितीय खण्ड पृ०-71 पद-2724

14 उपरोक्त एव मृगावती पृ० 219-220 पद-258

15 मृगावती पृ० 9-11 दोहा 13-15

16 सूरसागर सटीक नवम स्कन्ध पृ०-248- पद18

शिशु जन्मोपरान्त छठवे दिन छठी पूजन नामक विशेष संस्कार संपन्न किया जाता था।<sup>17</sup> छठी के दिन शिशु को विधि विधान से स्नान कराया जाता था तथा सभी लोगो को इस संस्कार मे सम्मिलित होने तथा भोजनोत्सव मे सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जात था।

“पॉंचउ दिवसु छठी भइ राती, नेउता गोबर छठी अउजाती

घर-घर कहँ कर टेका' आवा, अह तेहि पाठे (पाछे) बाजबधावा

महरी सहस 'सात' इकआइ, आग मूड सेहुर अन्हवाई

बाभन सभा आइ जो बईठी, काढि पुरानु रासि गनि दीठी”<sup>18</sup>

छठी पूजन बालक तथा बालिकाओ दोनो ही के जन्मोपरान्त एक महत्वपूर्ण संस्कार था जैसा कि समकालीन साहित्य से विदित है:

“भई छठि राति छठी सुख मानी, रहस कोड सो रैनी बिहानी,

भा विहान पडित सब आए, काढि पुरान जनम अरथाए,

उत्तिम धरी जनम या तासू, चॉद उवा भुईँ दिया अकासू

कन्या रासि उदौ जग किया, पदुमावती नाउँ जिंसु दिया।”<sup>19</sup>

छठी के गाने बजाने तथा आयोजन के साथ बारहवे दिन आयोजित बरही नामक संस्कार का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है।

---

17 पदमावत- पृ0-61- पद 52 पृ0 62- पद - 53

18 चादायन, माता प्रसाद गुप्त पृ0 31-पद-33

19 जायसी कृत पदमावत, पृ0 562 पद-52

“बरहै दिन बरहै भौ मारी, नग्र लोग जो नेवता झारी,  
दुःखी लोग बैसाइ जैवावा, अमनैकन्ह घर घोर पठावा  
मारन्ह घोरा दै बहुराये, भाटिनि सबै पटोर पेन्हाये  
जो जाचक जहाँ लगु आवा, जो जस तेहि तस तै बहुरावा  
नग्र छत्तीसो जौनि-सवाई, सबके राजे दीन्ह बधाई<sup>20</sup>

इसमे ‘छठी’ की भाति खाने पीने आदि के साथ धार्मिक सस्कार भी सबद्ध था।<sup>21</sup> ‘छठी’ अथवा ‘बरही’ के आयोजन मे खास तौर से गौरी-गणेश के पूजन का आयोजन होता था।<sup>22</sup> तथा अनेक प्रकार के ईश्वर की वदना गाई जाती थी। साथ ही ईश्वर की आरती के साथ-साथ नवजात शिशु की भी आरती उतारी जाती थी, नाइन इस अवसर पर सबके महावर लगाती थी, तथा उसका नेग पाती थी, इसी अवसर पर प्रायः शिशु के लिए झूला अथवा पालने आदि का निर्माण करवाया जाता था।<sup>23</sup> इसी प्रकार इस अवसर पर शिशु को काजल तथा रोली लगाने तथा विधि विधान से स्नान कराने का आयोजन होता था जो मगल गीतों के मध्य सम्पन्न होता था:

“पालनौ अति सुन्दर गढ़ि लयाउ रे बढैया

- 
- 20 मञ्जन कृत मधुमालती सपादक डा० शिवगोपाल मिश्र पृ०-18 जन्मौति खण्ड  
21 उपरोक्त  
22 सूरसागर सटीक, पृ०-352-354 पद-40  
23 उपरोक्त

सीतल चदन कटाउ धरि खराद रग लाउ विविध चौकरी बनाउ धाउरै बनैया, पचरग रेसम लगाउ हीरा मोतीनि गढाउ, बहु विधि जरि-करि जरार लयाउ रे जरैया।'24

इस कार्यक्रम का पूर्ण आयोजन प्रायः रनिवास तक ही सीमित हुआ करता था। इस अवसर पर महिलाओ मगल गीत का गायन होता था। तथा नवजात शिशु की न्योछावर उतारी जाती थी तथा इसी दिन ब्राम्हणो द्वारा नवजात शिशु की जन्म पत्रिका अथवा कुण्डली भी बनवाई जाती थी।<sup>25</sup> जन्म मूर्हत विचारने का प्रचलन तथा जन्म समय देखकर भविष्यकाल के सबध मे जानकारी प्राप्त करने की पद्धति विशेष रूप से प्रचलित थी.

“ भोर मौ पडित जन आये, रासि बारागन जो गरह गनाये

पडित गुनि-गुनि कहा विचारी, होई नरेस छत्रपति मारी”<sup>26</sup>

### नामकरण-

हिन्दू समाज मे सतान को नाम प्रदान करना भी एक सस्कार माना जाता था। जिसे नामकरण सस्कार कहा जाता है। हिन्दू दर्शन मे नाम का अत्यधिक महत्व रहा है। जो शुभ कर्मों और भाग्य का आधार माना जाता है।<sup>27</sup>

---

24 उपरोक्त पृ0- 354- पद-41

25 मृगावती पृ0-11 दोहा-15

26 मझनकृत मधुमालती, पृ0-17 जन्मौति खण्ड, तथा चांदायन, सम्पादक माता प्रसाद गुप्त पृ0-29-30 छन्द-32 एव पृ0 31, छन्द 33

27 जयशकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक जीवन- पृ0-271

समकालीन साहित्यो मे नामकरण सस्कार का सविस्तार वर्णन किया गया है

“गनि गुनि ‘पत्रा’ देखहु कौन गरह दहु सुद्ध

नाउ धरहु ‘निरमल’ के लखन देखि ‘औ’ बुद्धि’<sup>28</sup>

नामकरण के लिए काल और नामार्थक शब्दो वग भी विचार आवश्यक था।<sup>29</sup> हिन्दू धर्मशास्त्रकारो ने नामकरण के चार आधार निर्धारित किये। देवता नाम, मासनाम, नक्षत्र नाम, और व्यवहारिक नाम सतान को प्रदान किये जाते थे। नामकरण सस्कार सम्पन्न कराते समय विभिन्न देवी देवतओ और अपने कुल देवता का पूजन अर्चन होता था।<sup>30</sup>

### अन्नप्राशन-

इसी प्रकार शिशु जन्मोपरान्त अन्नप्राशन का आयोजन भी आवश्यक सस्कार के रूप मे सम्पन्न किया जाता था। अन्नप्राशन मे भी विशेष उबटन स्नान, पूजापाठ सम्पन्न कराने के पश्चात खीर जिसमे शहद एव घी अलग से डाला जाता था, वह बच्चे को चटाई जाती थी।<sup>31</sup>

---

28 कुतुबन कृत मुगावती पृ0-11 पद-15 पृ0 12-पद-16

29 जायसी कृत पदमावत पृ0-61 पद-52

30 ऋतु जायसवाल अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्रॉम द टेन्थ टू द थर्टीन्थ सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड इन द कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर पृ0 - 153- 154

31 सूरसागर सटीक पृ0-374 पद-89 तथा पृ0-1 पद-17



## कर्ण छेदन

बालक तथा बालिकाओ दोनो के ही प्रारम्भिक जीवन काल मे कर्ण छेदन एक आवश्यक सस्कार माना जाता था, जिसमे स्नान ध्यान पूजा पाठ के साथ-साथ लोकगायन तथा खाने-पीने का विशेष आयोजन होता था:

“विधि विहँसत- हर हसँत हेरि हरि जसुमति के धुक धुकी सुउर की  
रोचन मरि लै देत सीक सौ सावन निकट अति ही चातुर की  
कचन कै दै दुर मगाइ किए कहौ कहौ छेदनि आतुर की  
लोचन भरि-भरि दोउमाता कन छेदन देखत जियमुर की।”<sup>32</sup>

## वर्षगांठ

इसी प्रकार विभिन्न संस्कारो के सम्पन्न होते -होते एक वर्ष बीत जाता था, और वर्षगांठ के आयोजन को विशेष सस्कार के रूप मे उत्साहपूर्वक मनाया जाता था.

“अरी मेरे लालन की आजु बरषगाँठि  
सबै सखिनि कौ बुलाइ, मगल गान करावो  
चदन आँगन लिपाई मुत्तियनि चौक पुराइ  
उमगि-अँगनि आनद सौ तूर बजावौ”<sup>33</sup>

---

32 सूरसागर सटीक-भाग-1 पृ0-414 पद-180

33 सूरसागर- पृ0 376 पद-94

आज भी परम्परागत भारतीय सस्कृति एव पाश्चात्य सस्कृति दोनो मे ही वर्षगाठ का विशेष महत्व है तथा इसका आयोजन सभी घरो मे एक आम बात है ।

## विद्याध्यन

पाच वर्ष की आयु पर बालक तथा बालिका को विद्याध्यन अर्जित करने हेतु विधिवत विद्यार्थी के रूप मे प्रविष्ट किया जाता था। सामान्यतः हिन्दु समाज मे विद्यारम्भ के लिए कोई निश्चित अवस्था न थी। वे लिखना, पढना, बोलना व्यवहारगत विधि विधान से परिचित होने के साथ-साथ भाषा साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष धर्म एव गणित का विशेष रूप से अध्ययन करते थे:

“पुनि पडित कुँअर मनलावा, एक वचन बहुअर्थ पढावा

जो अस बोल कुअर औरावा, चित्र उरेहे अर्थ बुझावा

थोरे दिन भा कुअर सयाना, वेद-वेद बहु या भाति बखाना

अमर औ अमरू सतभावा पिगल कोक कठ औराबा

व्याकरण जे जेतिरू गीता, गीत गोविन्द अर्थ कोकीता

औ जो ग्रथ ग्यान जोग, पढा अनेग कुमार

निपुन भौ गुन विद्या, बादि न को उपार”<sup>34</sup>

इसी प्रकार कन्याओं की भी पाच वर्ष की आयु से शिक्षा प्रारम्भ होने का उल्लेख पदमावत में प्राप्त होता है तथा इन्हें भी वही परम्परागत विषयों का ज्ञान दिया जाता था:

“अही जन्मपत्री सो लिखी, दै असीस बहुरे जोतिषी

पाच बरिस मँहँ मई सोबारी, दीन्ह पुरान पढै बैसारी

मै पदुमावति पडित गुनी’<sup>35</sup>

योग्य राज कन्याओं के वेद, कामशास्त्र<sup>36</sup> छन्दशास्त्र, ज्योतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, पुराण धर्मशास्त्र, उपनिषद, तत्रविद्या, गणित, कल्पशास्त्र, संगीतशास्त्र तथा चित्रकला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी।<sup>37</sup> मलिक मुहम्मद जायसी रचित समकालीन साहित्य ‘चित्ररेखा’ से भी नारी शिक्षा की प्रत्यक्ष झलक मिलती है, नयिका चित्ररेखा का विद्यारम्भ पाच वर्ष की अवस्था से होता है। वह गुरु गणेश के निरीक्षण में अध्ययन करती है। उसका अध्ययन क्रम तब तक निरन्तर चलता रहा है जब तक वह पूर्ण विदुषी नहीं हो जाती है:

“पाच बरिस मँहँ भई सो बारी, रसना अंब्रित बैन संवारी

लाग पढावई गुरु गनेसू, भई पंडित सम सुनी बरेसू’<sup>38</sup>

इसके अतिरिक्त समकालीन साहित्यकार मञ्जनकृत ‘मधुमालती’ से भी विक्रम राजकुमारी मधुमालती के विद्यारम्भ का उल्लेख मिलता है। वह पूर्ण शिक्षित

---

35 पदमावत पृ0562-पद-53

36 मञ्जन कृत मधुमालती डा0 माता प्रसाद गुप्त दोहा- 550 पृ0 395

37 जायसी कृत ‘पदमावत’, दोहा-168, पृ0-161

38 मलिक मुहम्मद जायसी कृत ‘चित्ररेखा’ पृ0-81

थी। उसने कामशास्त्र का अध्ययन किया था।<sup>39</sup> मधुमालती अपनी माता के आग्रह पर अपनी प्रिय सहेली प्रेमा को पत्र लिखती है।:

“समाचार जेत इहां के रहे, तै सम लिखि कागर पर कहे।”<sup>40</sup>

वह राजकुमार मनोहर के पास भी प्रेम-पत्र प्रेषित करती है। विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपनी अभिन्न सहेली प्रेमा को पत्र लिखकर निमंत्रित करती है।<sup>41</sup>

मधुमालती की सखी चित्रसेन की राजकुमारी प्रेमा भी शिक्षित थी। एक अवसर उसने राजकुमार मनोहर को अपनी सहेली मधुमालती का पत्र पढ़कर सुनाया था। साथ ही उसने अपनी सखी के पत्र का उत्तर कागज पर स्याही से सुन्दर रीति से लिखकर दिया था।<sup>42</sup> कुतुबन प्रणीत पुस्तक की नायिका मृगावती भी शिक्षित थी।<sup>43</sup> उसे कामशास्त्र का ज्ञान था। राजकुमार पंदमावती की शिक्षा पाच वर्ष की आयु से सुन्दर वातावरण में आरम्भ होती है। उसे विविध प्रकार की शिक्षा दी जाती है। वह पुराणों का अध्ययन करती है। अध्ययन के बल पर वह पूर्ण विदुषी बन जाती है। रूप लावण्य के साथ-साथ उसकी विद्वता की प्रसिद्धि चतुर्दिक फैल जाती है।<sup>44</sup> वह चित्रकला तथा वीणा वादन में भी निपुण थी।<sup>45</sup> समकालीन साहित्यों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हिन्दू राजाओं ने अपने

---

39 मझन कृत मधुमालती दोहा- 450 पृ0-395

40 वही, दोहा- 400 पृ0-349

41 वही, दोहा0-433, पृ0-379

42 वही, दोहा0 423, पृ0- 370

43 कुतुबन कृत 'मृगावती' पृ0-143

44 जायसी कृत पदमावत दोहा-53 पृ0 62

45 वही- दोहा- 168 पृ0-161

आत्मजो की सर्वांगीण एव सम्पूर्ण शिक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध किया था। साधारण तथा राजपुत्रो को वेद, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष<sup>46</sup> कामशास्त्र<sup>47</sup> स्मृति, काव्य धर्मशास्त्र, दर्शन आदि की शिक्षा दी जाती थी। मानसिक तथा शारीरिक शिक्षा सहगामी थी।<sup>48</sup> राजपुत्रो की शिक्षा भी प्रायः पाच वर्ष की आयु से आरम्भ होती थी।<sup>49</sup>

## विवाह संस्कार-

हिन्दू संस्कृति मे प्रारम्भ से ही विवाह का अपना महत्वपूर्ण स्थान है जो समाजिक, धार्मिक संस्कार के रूप में स्थापित है। विवाहोपरान्त व्यक्ति की नवीन सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति प्रारम्भ होती है। निःसदेह विवाह एक स्त्री के जीवन की एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण अवस्था है। समाज मे विवाह का उल्लेख करते हुए अलबेरूनी लिखता है “कोई भी राष्ट्र एक सुव्यवस्थित वैवाहिक जीवन के बिना अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता क्योंकि यह उन्नत मन के वीभत्स आवेशो के कोलाहल को रोकता है और यह उन सभी कारणो को नष्ट करता है जो कि मनुष्य के अन्तर्मन मे छिपी हुई पशुता को उद्देलित करते है जिसका कारण सदैव विनाश कारी होता है।<sup>50</sup> विवाह शब्द के अनेक पर्याय प्राप्त है जैसे- उद्वाह, परिणय, उपयम, पाणिग्रहण आदि। संस्कार के नियम के आधार पर पाणिग्रहीता शब्द परिणता स्त्री के लिए प्रयुक्त होता था। विवाह का सामान्य

---

46 मझन कृत 'मधुमालती- छंद-57, पृ0-47

47 कुतुबन कृत मृगावती- पृ0 - 143

48 मझन कृत मधुमालती- छंद-58, पृ0-48

49 वही, छन्द-56, पृ0-46-47

50 अलबेरूनीज इण्डिया भाग-2 (सचाउ) पृ0 -154

अर्थ था 'विशिष्ट रूप से वहन करना' अर्थात् विवाह में वधू को विशेष रूप से पिता के घर से पति के घर में ले जाना है।<sup>51</sup> विवाह का अभिप्राय है समाज द्वारा सन्तानोत्पत्ति के लिए स्थापित दामपत्य सबंध की स्वीकृत पद्धति। मध्यकालीन 'कवि मञ्जन' भारतीय नारी वर्ग की इस मर्यादा के पोषक थे, उन्होंने वैधानिक विवाह को ही मान्यता प्रदान की है। वे मधुमालती और राजकुमार तथा प्रेमा और ताराचंद का विवाह विधिपूर्वक सपन्न कराते हैं। साथ ही कन्यादान दहेज, गौना, विदा, इन समस्त रीतियों का यथाविधि उल्लेख करते हैं। आज भी यदि किसी की कन्या बड़ी हो जाती है और कन्यादान नहीं हो पाता है तो लोग उसे हेय दृष्टि से देखते हैं-

“ सबन्ध कहा धी वैस जो होई, पिता ग्रिह मल बोल न कोई

आठ बरित लहि दुहिता बारी, नवांए रहै पिता कहँ गारी”

कन्यादान के पश्चात् ही किसी प्रकार का संभाग विहित माना जाता है-

“ जौ लागि - पिता न सकल्पै, करै न कन्यादान

तो लागि होई न सुरत रस और सबै रस मान”<sup>52</sup>

प्राचीनतमकाल से विवाह सस्कार पद्धति में समय-समय पर अनेक विधान जुड़ते चले गये। जो आज भी समाज में प्रचलित हैं। हिन्दू दर्शन के अनुसार मनुष्य जब तक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके सन्तानोत्पत्ति नहीं करता तो वो पितृऋण से उऋण नहीं हो सकता अतः प्रजनन हेतु गृहस्थाश्रम में विधिवत प्रवेश

---

51 ऋतु जायसवाल, “वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी-फ्रॉम द टेन्थ टू थर्टिन्थ सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड इन कन्टम्पेरी हिन्दी लिटरेचर” इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी0 फिल0 की उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध पृ0- 155

52 मञ्जन कृत मधुमालती पृ0-40

भी अनिवार्य है।<sup>53</sup> इसी प्रकार गृहस्थाश्रम का प्रारम्भ भी विवाह सस्कार से होता है अतः विवाह का मानव जीवन में प्रारम्भ से ही महत्व रहा है। जिसके अभाव में मनुष्य अनेक प्रकार के मागलिक कार्य से अनुष्ठान जुड़ते चले गये। अतः इस प्रकार से प्राचीन काल से लेकर आज तक मूलतः विधिविधान अनेक परिवर्तनों के बावजूद वर्तमान समय में भी प्रचलित है। वैवाहिक अनुष्ठानों के अन्तर्गत सर्वप्रथम कन्या विवाह में उपयुक्त वर खोजने का उल्लेख प्राप्त होता है। उक्त पुरोहित यथा सामर्थ्य धनधान्य, फल-फूल मिठाई वगैरह वर पक्ष को प्रदान कर कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखता है।<sup>54</sup> इसी प्रकार वधु पक्ष द्वारा विवाह के पूर्व की रस्मों के अनुसार टीका करने की प्रथा का भी उल्लेख प्राप्त होता है इसे लगन भेजना भी कहते थे। इसके अन्तर्गत पुरोहित से ही नारियल व सूत्राभूषण मुद्राएँ व मिष्ठान फल आदि वर पक्ष को पहुँचाने की प्रथा थी।<sup>55</sup> वरच्छा तथा तिलक भी विवाह से पूर्व होने वाली रस्म है इसके बाद ही विवाह की तैयारी की जाती है:

“मिला सुबस अस उजियारा, भा बरोक औ तिलक सँवारा”<sup>56</sup>

सर्वप्रथम वर पक्ष के स्वागत हेतु जनवासे की व्यवस्था की जाती थी, जहाँ पर शादी हेतु वर पक्ष की बारात के ठहरने की व्यवस्था की जाती थी। जनवासे में

- 
- 53 ऋतु जायसवाल, “वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्रॉम टेन्थ टू थर्टिन्थ सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर” इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० की उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध- पृ०-157
- 54 पदमावत समय, छंद 19-20, तथा पृ०-372 छंद-9 चादायन पृ०-33 छंद-35
- 55 ऋतु जायसवाल, “वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्रॉम द टेन्थ टू द थर्टिन्थ सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड इन कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर” इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० की उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध- पृ०-157
56. जायसी कृत पदमावत- पृ०-311, पद- 274

खाने-पीने इत्यादि का उत्तम प्रबन्ध किया जाता था।<sup>57</sup> इसी प्रकार कन्या के घर पर बदनवार<sup>58</sup> सजाने का उल्लेख मिलता है जिसे शुभ माना जाता था इसी प्रकार मडप की सरचना का भी उल्लेख मिलता है, जिसे समकालीन इतिहासकार माडव कहकर सम्बोधित करते हैं:

“आये नाथ द्वारका नीके रच्यों मांडवो छाय

ब्याह केलि-विधि रची-सकल सुख सौज गनी नहि जाए”<sup>59</sup>

उक्त मडप को भाति-भाति से अलकृत करने का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है।

“माडव ऊँचा त्रिव किया खरे, तेहि तर पाट पटोरा परे”<sup>60</sup>

पाच व्यक्तियो के सहयोग से ही मडप की स्थापना की जाती थी

“पच जना मिली मडप छायौ, तीनि जना मिलि लगन लिखाई

सखी सहेली मगल गावै, सुख-दुख माथै हल्द चढाई

नाना रगै भावरि फेरी, गाठ जोरि-बावै पति ताई”<sup>61</sup>

मडप के साथ-साथ मंगल कलश की स्थापना भी आवश्यक मानी जाती थी।<sup>62</sup> जिसे शगुन का प्रतीक होने के नाते शगुन कलश भी पुकारा जाता था।<sup>63</sup>

---

57 मुधमालती-मङ्गलकृत पृ०-132, पृ०-143, पद-446 ब्याहखण्ड

58 वही

59 सूरसारावली पृ०5108 पद-639 तथा कबीर ग्रथावली पृ० 280 पद-24

60 मधुमालती- पृ० -132, कबीर ग्रथावली- पृ०-280 -पद- 24

61 कबीर ग्रथावली पृ०-280 पद-24

62 सूरसागर भाग-1 पृ०-219 पद-645



इसी के साथ लगभग मंगलगान का कार्यक्रम शुरू हो जाता था।<sup>64</sup> कन्या पक्ष द्वारा सुहाग नामक गीत मुख्य होता था जो विवाह के समय गाया जाता था:

“चौद सुरूज मनि माथे मागू, और गावाहे सब नखत सोहागू”<sup>65</sup>

सर्वप्रथम हमें विवाह विधि के अन्तर्गत वर पक्ष के वधु के घर आगमन का उल्लेख मिलता है। वर पक्ष को ‘बारात’ सम्बोधन से पुकारा जाता था और इनके आगमन में स्वागतार्थ वधु पक्ष द्वारा मंगलगीत गाने की प्रथा थी।

“दुलहनी गावहू मंगल चार

हम घरि आये हो राजाराम भरतार

तनरत लाई, मै ‘मनरत’ करिहु पचतत बाराती

रामदेव मोरै पाहुँनै- आए है, मै जोबन मैमाती

सरीर सरोवर बेदी करिहूँ, ब्रम्हा वेद उचार

रामदेव सगी भॉवरि लैहूँ, धनि धनि भाग हमार

सुर तैतीसू कौतिग आए, मुनियर सहस अढ़यासी

कहै कबीर हम ब्याहि चले है, पुरूष एक अविनासी”<sup>66</sup>

---

63 मधुमालती- पृ०- 132

64 सूरसागर भाग-1 पृ० -219 पद-645, कबीर ग्रंथावली, पृ०-280 पद-24

65 जायसी कृत पदमावत पृ०-312 पद-275, चादायन माता प्रसाद गुप्त पृ०- 52 पद-54

66 कबीर ग्रंथावली पृ०-140, पद-1, तथा डा० राम कुमार वर्मा सत कबीर पृ०-114- पद - 24, जायसी कृत पदमावत पृ०-320 पद-282

तत्पश्चात् विधि के अन्तर्गत वेदी के निर्माण के एव हवन का उल्लेख प्राप्त होता है। हवन की वेदी के लिए चारों ओर प्रदक्षिणा करने पर वर-वधू पति-पत्नी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भाँवर से सम्बोधित किया गया।<sup>67</sup> भावर के दौरान वर-वधू को सम्बद्ध व एकीकृत करने के लिए दोनों के वस्त्रों को एक गाँठ से जोड़ने की प्रक्रिया भी सम्पन्न की जाती थी:

“गाँठ जोरि कै भाँवरि दिही

रीति चार कुल मही से किही’<sup>68</sup>

भावर के पश्चात् ही कन्यादान की मागलिक रीति भी सम्पन्न होती थी, जिसमें अन्ततः वधू के माता पिता मंत्रोच्चारण के मध्य अपनी पुत्री को वर के हाथों में सौंप देते थे:

“पुनि दै भावरि कुवर पानि वर, वरदायिनी कर राखि

कन्यादान कीन्ह त्रिपविक्रम, देख पितर दै साखि’<sup>69</sup>

इसी के साथ मंगलगान, वर वधू की आरती व न्योछावर जैसे अनुष्ठान भी किये जाते थे। जिनके परिणाम स्वरूप हिन्दू विवाह का संस्कार सम्पन्न होता था। कन्यादान का सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व तो था ही इस पूरी प्रक्रिया का एक धार्मिक महत्व भी होता था इसे मुक्ति के मार्ग में किये गये सत्कर्म के रूप में उल्लिखित किया गया है:

---

67 पूर्वोक्त

68 मृगावती, पृ०-121 पद-150

69 मधुमालती पृ०-144 पद-447

“सबन्ह कहा धी वैस जो होई, पिताग्रिह मल बोल न कोई

आठ बरिस लाहे दुहिता बारी, नवए रहै पिता कह गारी”

“जौ लागि पिता न सकल्पै करै न कन्यादान

तौ लागि होइ न सुरत रस और सबै रसमान”<sup>70</sup>

इसी प्रकार कुछ अन्य छोटे-छोटे संस्कारों का उल्लेख हमे विवाह के अन्तर्गत समकालीन साहित्य मे प्राप्त होता है। जैसे वर का वधू के हाथ को स्पर्श करना तथा कगन की गाठ खोलना अन्य मंगल चिन्हों की पूजा इत्यादि करना और इन सब के साथ स्त्री परिजनो का उत्साहपूर्वक गालिया गाना पूरी वैवाहिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग था:

“कर कवै ककन नहि छूटे, राम सिया क परस मगन भये कौतुक

निराखे सखि सुख कूटे, गावत नारि गारि सब दै-दै तात

म्रात की कौन चलावै, तब कर डोरि छुटे रघुपति जू

जब कौसिल्या माता आवै, पुगी फल जुत जल निरमल धरि-

आनि भारि- कुडी जो कनक की, खेलत जूप सल जुबतिनी मै

हारै रघुपति जिति जनक धी, धरै निसार अजिर ग्रहमंगल

विप्र वेद अभिषेक करायै, सूर अमित आनन्द जनक पूर

सोई सुकदेव पुरानिनि गायो।”<sup>71</sup>

---

70 मुधमालती- पृ०- 59-60

71 सूरसागर सटीक पृ०-250 पद-25

विवाहोपरान्त कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को अपने सामर्थ्यानुसार दहेज दिये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है मध्यकाल मे दहेज का प्रचलन अधिक था और बडी मात्रा मे दहेज दिये जाने का विवरण हमे प्राप्त होता है.

“उत्सव भयो परम आनद को बहुत दायजो दीन्हों

भये विदा दसरथ नृप नृपसो, गयन अवधपुर कीन्हो’72

दहेज में प्रायः दिये जाने वाली वस्तुओं का सविस्तार उल्लेख हमे समकालीन सहित्य सूरसागर मे प्राप्त होता है:

“ताराचन्द महथ औराजा, भोर होत तौ दायज साजा

पीठि वाहि, पाखर सोनवानी, आये है सै सहस पलानी

और गज मैमन्त सिंह समाना, दायज दीन्ह जगत सम जाना

अमरत समै-जरावन जरा, झापि सहस झापि के धरा

सोनरूप बहुलादि चलावा, मानिक मुक्ता गन तन आवा

कपरा नाउँ जहा लगि, जो मोहि कहै न जाइ

बहस सहस दस आदि कै आगे दिया चलाइ

चेरी सहस तौ सग चलाई, जेहि देखि परै चाद मुरझाई

औ संग यौ ते साठि सहेली, लरिकाई संग साथ जो खेली

बरियाती जत गोहने लाये, बागा सौ सौ तिन्ह समपाये

भाजन सोने रूप को दिये, पाट पाटबर-गनत न आये

पालकी आठौ टूक जरावा, सुरग पटोरे बीनि उचावा

अग्र कपूर जो प्रमल, कुकम सादि-जवादि

बदाम, छुहारा और चिरौजी बसह, सहसदिय लादि<sup>173</sup>

अर्थात् उस काल में समृद्ध लोगो या अभिजात्य वर्ग द्वारा सभी जडाउ वस्त्र दिये जाने, स्वर्ण, चादी, माणिक्य, मुक्ता इत्यादि दिये जाने का उल्लेख प्राप्त है प्रायः दहेज का सामान इतना अधिक होता था कि गिना नहीं जाता था, साथ में नौकरानिया तक दिये जाने का उल्लेख है, अगर, कपूर, कुकुम, बादाम, छुआरा और चिरौजी वगैरह तक दिये जाने का उल्लेख प्राप्त है।

प्रायः हमें समकालीन साहित्य में विवाहोपरान्त गौन के उल्लेख प्राप्त होते हैं। सम्भवतः विवाह कम उम्र में होने के कारण कुछ वर्ष पश्चात् ही गौने का प्रावधान था। गौना ही मूलतः उसकी विदाई होती थी जब कन्या अपना गृह त्यागकर पति के घर के लिए प्रस्थान करती थी।

“हरख मयारे आयेस पावौ, साधि सुदिन प्रस्थान करावौ

आग्या होइ तौ गौन कराई, अपने जन्म भूमि तह जाई

गौन करै कर साज कराई, अपने जन्मभूमि कह जाई

जौन करै कर साज नराई मधुमालती के संग चलाई

उन्ह की सेवा करि उन्ह बेरा, चाद सताइस जी उन्ह केरा<sup>174</sup>

---

73 सूरसागर-2 पृ0- 134, तथा पदमावत पृ0-477, पद - 385

74 मधुमालती- पृ0 -149

ऊपर से स्पष्ट होता है, कि गौने हेतु भी दिन आदि पडित से विचार करवा कर निर्धारित होता था, जब अन्ततः लडकी जन्मभूमि या पितागृह परित्याग के लिये तैयार होती थी:

“सुनि कुअन्हि कर गौन अवादा भौ त्रिप दुनौ घर बिसमादा

सुनतहि बात रूप मंजरी, भई अचेत मूरछि भुइ परी

विक्रमराय समुझावै, धी के रहे जस नैहर पावै

ससुरै धी कर होई, निरवाहा मैके काज न धी कर आहा

छाड़ा बाप भाई धरमारा, आजु गौन परदेश हमारा’75

किन्तु पितृगृह का परित्याग एव ससुराल के विषय मे अनभिज्ञता के कारण दुख एवं सशंका का वातावरण निर्मित होता था और कम उम्र की वधुये प्रायः घबड़ाकर मूर्च्छित तक हो जाती थी, अन्ततः माँ बाप आदि बडे बुजुर्ग लडकियों को समझा बुझा कर विदा हेतु तैयार करते थे। गौने के समय प्रायः माताए एव परिवार की अन्य बडी बूढी महिलाए कन्या को नये जीवन के दायित्वो कर्तव्यो आदि की शिक्षा प्रदान करती थीं, ताकि नव-वधु का वैवाहिक जीवन सफल एव सुखमय हो सके। जिसका विस्तृत विवरण मझनकृत मधुमालती मे प्राप्त होता है।

“फुल अपने कर करबै काजा, सेइब स्वामी छाडि सब काजा

सासुहि उतर न दीजै काऊ, सैदुइ जुनि परवारब पाऊ

---

75 मधुमालती- पृ0 163 पद-502 गौन खण्ड, पृ0-169, पद 522, तथा जायसी कृत पद्मावत् पृ0 465-66 पद-378

हसि कै पैलब सासु के गारी उलटि उतर न दीजै बारी

सासु कबोल प्रछि सिर लीजै, ऊँच बोल सुन उतर न दीजै

सौतिन्ह सौ जो करब मितार्ई रहब एक जनु जननी की नाई

ऊँच बोल जनि बोलहू, रिस राखेहू मन भारि

सतति लाज धरब जिउ कुल नहि आवै गारि'76

मझन सम्पूर्ण काव्य के माध्यम से भारतीय समाज को जो शिक्षा देना चाहते हैं वह है माता की पुत्री को शिक्षा, आज भी अपनी लडकियों को विदा करते समय माताएँ सजल नयन हो पति सेवा का प्रथम पाठ पढाती हैं वह उसे कहा तक कार्य रूप में परिणत करती हैं कहा नहीं जा सकता, किन्तु शिक्षा का अक्षर-अक्षर व्यवहारिक रहता है और यदि वे उसे सुनकर सच्चा अर्थ समझ लेती हैं, वर्तमान युग में शिक्षा और विलम्ब से विवाह होने के कारण सम्भवतः ऐसे उपदेशों की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, किन्तु अनुभव गम्य होने के कारण सदैव ही मान्य रहेगी और उनकी शिक्षाएँ विपत्ति के समय आलोक स्तम्भः

“साई सेवा करब चित लाये, जनि डोले चित दांये बाये

महादुष्ट जो पुरूष को जाती चित परखत रहबै दिन राता

कहेहु सेवादि न जानेहु जैसे सगरी रैन गोड चापब जैसे

जौ धै बाह उकारै सगा, बेलसि सेज सुख मानेहु रंगा'77

---

76 मधुमालती कथा-152

77 मझन कृत मधुमालती पृ0-46

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समकालीन साहित्य में कन्यादान गौना, विदा की समस्त रीतियों के द्वारा विवाह सम्पन्न होने का उल्लेख प्राप्त होता है।

## सती-

मध्यकालीन हिन्दू समाज में विधवा स्त्री के लिए सती होकर अपना जीवन समाप्त कर देना अथवा जीवित रहकर कठोर सामाजिक नियमों का पालन जीवन पर्यन्त करते रहना यही दो प्रारब्ध थे।<sup>78</sup> हिन्दू समाज में पति के साथ स्वयं को प्रज्वलित अग्नि में भस्मकर लेने की प्रथा अत्यन्त प्रचलित हो चुकी थी।<sup>79</sup> धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि पति की मृत्यु के साथ सती हो जाने वाली स्त्रियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा।<sup>80</sup> सती होने के समय स्त्री अपने पूर्ण श्रृंगार में होती थी। जिस प्रकार वह विवाह के समय होती थी:

“पदुमावती नइ पहिरी पटोरी, चली साथ होइ पिय की जोरी

सुरूज छपा रैनी होइ गई, पूनिवं ससि सो अमावस भई

छोरे केस मोति कर छूटे, जानहूं रैनि नखत सब टूटे

सेदूर परा जो सीस उधारी, आगि लाग जनु जग अधियारी

---

78 देखिए डा० हेरम्ब चतुर्वेदी अप्रकाशित शोध ग्रंथ पूर्वोक्त

79 पदमावत पृ०- 874 - पद-650

80 जायसी कृत पदमावत् पृ०-872 पद- 648



सारस पखि न जियै निनारे है, तुम्ह बिनु का जियौ पियारे

नेवछावरि कै तन छेरि आवौ, छार होइ सगि बहुरिन आवौ

दीपक प्रीति पतगा जेउँ जनम निबाह करेउँ

नेवछावरि चहुँ पास होइ कठ लागि जिउदेउँ'<sup>81</sup>

जब स्त्री सती होने के लिए जाती थी तो हाथ में सिघौरा (सिदूर पात्र) लिए होती थी,<sup>82</sup> क्योंकि सिघौरा ही वास्तव में सुहाग का प्रतीक माना जाता था:

“सती होइ कह सीस उधारी, धन मह बिज्जू धाय जस मारी

सदुर जरै आगि जनु लाई, सिर की आगि सभारि न जाई'<sup>83</sup>

अर्थात् सिर उघाडना वैधत्य का चिन्ह समझा जाता था।

अलबेरूनी के अनुसार विधवा के रूप में जब तक स्त्री जीवित है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जात है।<sup>84</sup>

निस्सदेह हिन्दू स्त्री के जीवन में सबसे दुःखद घटना उसके पति की मृत्यु होती थी। हिन्दुओं में, निम्न वर्गों के लोगों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों में विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी। विधवा को या तो अपने मृत पति की चिता पर या पति की मृत्यु के तुरन्त बाद एक अलग चिता पर जलकर मर जाना पड़ता था। यदि ये दोनों बातें नहीं होती थीं अर्थात् वह पति की मृत्यु के बाद जीवित रह जाती थी तो

---

81 पूर्वोक्त

82 कबीर ग्रंथावली पृ0-219, पद 128

83 पदमावत, पृ0- 496, पद - 402

84 अलबेरूनी का भारत भाग-3, अनुच्छेद 69, पृ0- 199

उसे एक सादा और पवित्र जीवन बिताना पडता था। जिसमे किसी तरह का आकर्षण नही रहता था।<sup>85</sup> हिन्दू विधवाओ की दयनीय स्थिति और सती प्रथा की चर्चा करते हुए अलबेरूनी लिखता है कि “यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वह किसी अन्य पुरुष से विवाह नही कर सकती उसे सामने केवल दो ही रास्ते बच जाते है” या तो वह आजीवन विधवा रहे अथवा जल मरे और दूसरी बात अर्थात उसके जल मरने को उत्तम समझा जाता है क्योंकि विधवा के रूप मे जीवित रहने पर उसके साथ सम्पूर्ण जीवन, दुर्व्यवहार किया जाता है। जहा तक राजाओ की पत्नियो का सबध है उन्हे, चाहे वे चाहे या न चाहे जल कर मर ही जाना पडता है और इस प्रकार यह प्रबंध किया जाता है कि वे कुछ ऐसा न कर बैठे जो उनके स्वर्गीय महान पति की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो इस सबध मे उन्ही विधवाओ को छोडा जाता है जिनकी उम्र बहुत अधिक हो गई होती है और उन्हे जिनको की बच्चे होते है, क्योकि पुत्र अपनी माँ का उत्तरदायी सरक्षक समझा जाता है।<sup>86</sup> सती प्रथा से सबधित धार्मिक कृत्य या तो पति के शव के साथ या उसके बिना ही किये जाते थे। पहली स्थिति में यानी पति के शव के साथ इस प्रकार के धार्मिक कृत्य को ‘सहमरण’ या ‘सहगमन’ अर्थात पति के साथ मर जाना या उसके साथ इस ससार से चला जाना कहा जाता था और दूसरे प्रकार के धार्मिक कृत्यो को अनुमरण या अनुगमन अर्थात पति के बाद मरना या उसके पीछे पीछे इस लोक से चला जाना था फिर भी सहमरण की प्रथा लोकप्रिय थी<sup>87</sup>

---

85 किसोरी प्रसाद साहू कृत मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष पृ0- 226

86 अलबेरूनी इण्डिया-2 सचाउ पृ0- 155

87 कुतुबन की मृगावती पृ0 - 336 पद-423, कबीर साखी सार साखी-34-36, पृ0-172-173, तथा जायसी की पदमावत (पदमावती - नागमती सती खण्ड) दोहा-

जो महिलाएँ सती नहीं होना चाहती थीं उनसे आधा की जाती थी कि अपने माता-पिता के साथ भक्ति और सादगी का जीवन व्यतीत करेगी। सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो महिलाएँ अपने मृत पति के साथ जल मरती थीं वे पूर्व पापों से उद्धार पाकर सीधे स्वर्ग चली जाती थीं।<sup>88</sup> साथ ही ऐसा विश्वास भी किया जाता था कि यदि पति अपनी मृत्यु के बाद नर्क गया है और उसकी पत्नी सती हो गई तो वह पति को नर्क से वापस ला सकती है। इसके अतिरिक्त जो स्त्री अपने मृत पति के साथ जल मरती थीं उसके बारे में विश्वास किया जाता था कि फिर से जन्म न लेगी और यदि जन्म लेगी भी तो स्त्री के रूप में नहीं बल्कि पुरुष के रूप में। जो स्त्री अपने पति की मृत्यु के उपरान्त सती न होती थीं तो विधवा का जीवन बिताती थीं। उसके बारे में यह आशा की जाती थी कि वे पुनः स्त्री के रूप में जन्म लेने से मुक्ति पा सकेंगी। अतः सभी विधवाएँ जो पति की मृत्यु के समय गर्भवती न रहती थीं, अपने पति के शव के साथ पवित्र अग्नि की शरण में जाना ही श्रेयस्कर समझती थीं। ब्राम्हणी विधवा से अपने पति की चिता में ही जल जाने की आशा की जाती थी। जबकि अन्य जातियों की विधवाओं के लिए अलग चिता सजाई जाती थी। जो विधवा अपने मृत पति के साथ जल जाना चाहती थीं उसे इस काम से रोका नहीं जाता था।<sup>89</sup>

---

648/1, 649/2, 650/3, 651/4 पृ०- 872-875

88 मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष किसोरी प्रसाद साहू  
पृ०-228

89 वही

## जौहर-

जौहर प्रथा राजपूत नारीत्व की प्रतिष्ठा का प्रतीक था, इसमें सदेह नहीं है।  
इसके कई प्रमाण हमें समकालीन साहित्य में मिलते हैं:

“चदन अगर मलैगिरि काढा, धर-घर कीन्ह सरा रचि ठाढा

जौहर कहँ साजा रनिवाँसू, जेहिस्त हिँ कहा तेहि आँसू

“पुरूखन्ह खरग समारे चदन होवरे देह

मेहरिन्ह सेदुर मेला चहाहि भई जरि खेह।”<sup>90</sup>

इसको स्त्रियों के शौर्य का प्रदर्शन माना जा सकता है। राजपूत युग के सामन्ती परिवेश की कुप्रथाओं में एक जौहर प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसके अनुसार जीवित महिलाएँ समूह में अत्मदाह कर लेती थीं अथवा सहर्ष मृत्यु का वरण कर लेती थीं।

---

90 जायसी कृत पदमावत पृष्ठ-697 पद-531, तथा पृष्ठ-875 पद-651, पृष्ठ-698 पद-

## स्त्रियों की वेशभूषा, आभूषण तथा प्रसाधन

स्त्रियों की श्रृंगारिक अभिरूचि वेशभूषा तथा आभूषणों की विविधता का जो चित्रण किसी भी युग के साहित्य और कला में उपलब्ध होता है, उसमें प्रत्येक वर्ग की स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक स्थिति की रूपरेखा निश्चित हो जाती है। प्राचीन काल से ही भारत में ऋतु के अनुसार वस्त्र धारण करने की प्रथा रही है।<sup>1</sup> भारतीय साहित्य के अध्ययन से महिलाओं में धारण किये जाने वाले वस्त्रों में चार प्रकार के वस्त्र परिलक्षित होते हैं। साड़ी<sup>2</sup> चुनरी<sup>3</sup> लहंगा<sup>4</sup> चोली, कचुकी अथवा अगिया।<sup>5</sup> हमारे अध्ययन काल में सारी या साड़ी महिलाओं का प्रचलित परिधान था समकालीन साहित्य में “सुरग पटोरी” का उल्लेख मिलता है:

“पटोरी” रेशमी वस्त्र से निर्मित एक प्रकार की साड़ी का सम्बोधन है, सामान्यता इसे पटोर वस्त्र से निर्मित किया जाता था। इसी प्रकार साहित्यिक कृति में हमें विरोदक साड़ी का भी उल्लेख मिलता है:

- 
- 1 गौरी शंकर, हीरा चन्द्र ओझा, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति प्र०स० 1945, पृ० 42, डा० मोती चन्द्र कृत प्राचीन वेशभूषा भारती भण्डार प्रयाग पृ० 15, ए०बी० गुप्त कास्ट्यूम टेक्सटाइल्स कास्मेटिक एण्ड काफयर इन एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इंडिया पृ० 147
  - 2 चादायन, माता प्रसाद गुप्त पृ० 81 पद 83 पृ० 149 पद 153 पृ० 287 पद 393 तथा सूरसागर खण्ड 2 पृ० 351 पद 3934 पृ० 491 पद 1661
  - 3 सूरसागर प्रथमखण्ड पृ० 13 पद 44
  - 4 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 13 पद 44 पृ० 481-83 पद 1916, पृ० 491 पद 1661
  - 5 सूर सागर खण्ड एक, पृ० 13 पद 44, पृ० 482-82, पद 1916, पृ० 608 पद 2093

मलमल या रेशम की उत्तम प्रकार की साड़ियाँ सम्पन्न वर्ग की महिलाओं में अत्याधिक लोकप्रिय थी।<sup>6</sup> स्वाभाविक ही उच्च मूल्य एवं किस्म के कारण, वे ही इसे पहनने में सक्षम थी, क्योंकि जन साधारण के लिए इतने मूल्य की साड़ी हेतु धन उपलब्ध नहीं था। साधारण वर्ग की महिलाएँ साधारण किस्म के वस्त्र धारण करती थी, तथा वे बहुमूल्य वस्त्रों की अपेक्षा इसी में कुछ रंगीन व अलंकृत परिधान पहन कर अपने शौक पूरे करती थी जैसे कि, चादायन के एक उल्लेख से सुस्पष्ट हो जाता है कि एक ग्वालिन फुदिया से मिलती हुई सिदूरी रंग की साड़ी 'मेधवाना', और 'कुसियारा' धारण किये हुए है तथा, जोगिया चौकडिया वाला चीर पहने है।<sup>7</sup> सिर पर वह 'मूँगिया ओढनी' तथा चुँदरी पहने है।<sup>8</sup> एव सावन जैसे महीने में एक 'खण्ड छाप' की गुजराती साड़ी तथा 'कुसुंभी साड़ी' पहनती है।<sup>9</sup> "खीरोदक" नामक साड़ी भी हमारे अध्ययन काल में प्रचलित थी:

“पहिरि चाद खीरोदक सारी।”<sup>10</sup>

अनेक अवसरों पर महिलाएँ अपनी साड़ी के साथ साथ 'कोछा' अथवा 'कछनी' भी पहनती थी, जिसका उल्लेख हमें समकालीन कृति 'मृगावती' में विशेष रूप से प्राप्त हुआ है।<sup>11</sup>

6 पाताल चीर (पतली साड़ी) विद्यापति की पदावली - पद 164 पृ० 270 साथ ही देखे जायसी का पद्मावत साहित्य सदन चिरगाँव, 1961 सर्ग 27 दोहा 329/39, पृ० 395

7 चादायन सपादक माता प्रसाद गुप्त, पद 83 पृ० 81-82

8 वही

9 वही

10 वही, पृ० 149 पद 153

11 कोछा अथवा कछनी के उल्लेख समकालीन साहित्य में प्राप्य है- मृगावती सम्पादक डा० शिव गोपाल मिश्र, पृ० 149 कछनी हेतु, मीराबाई की पदावली सम्पा० परशुराम चतुर्वेदी प्रयाग 1884 पद 8 पृ० 103

वक्ष ढाकने हेतु धारण करने वाले विभिन्न परिधानो मे “अगिया” अथवा “क्चुक” का विवरण हमे समकालीन हिन्दी कृतियो मे मिलता है। अगिया को “क्चुकी” या चोली भी कहा जाता था, जैसा कि साहित्यिक उल्लेख से सुस्पष्ट है:

“कचुकी” पहिरि सनाह के भेसा”

अथवा

“चोली” कसनि जो खोलइ ताही।<sup>12</sup>

फुदिया, कसनिया, हटागी, चोली इत्यादि अत्यन्त प्राचीन काल से ही स्त्रियो द्वारा धारण किये जाने वाले प्रचलित परिधान है, जिनका उल्लेख समकालीन साहित्य में यत्र तत्र मिलता है। फुदिया, कसनिया, चोली (पतागी)<sup>13</sup> के ऐसे रूप प्रतीत होते हैं जो आगे और पीछे से खुले हुए होते थे तथा उन्हे किसी डोरी की सहायता से बाधा जाता था। फुदिया की डोर में कभी कभी फुदना लगा होता था तथा इससे परिधान मे गाठ लगाई जाती थी, समकालीन साहित्य मे फुदिया के वर्णन से ऐसा ही प्रतीत होता है। सम्भवतः कसनिया पीछे की ओर से बाधा जाने वाला ऐसा ही परिधान था।

अगिया का प्रयोग प्रायः स्त्रियाँ आन्तरिक वस्त्र के रूप मे करती थी, अगिया को हटागी के नाम से भी जाना जाता था। उच्च वर्गीय स्त्रियाँ जडाऊ दार अगिया पहना करती थी:

---

12 मङ्गनकृत मधुमालती मिश्र प्रकाशन इलाहाबाद 1961, दोहा 206 तथा 451, पृ0 174, 396, कुतुबनकृत मृगावती डा0 माता प्रसाद गुप्त, पृ0 203 पद 239, कुसुम्मी चोली पदमावत दोहा 337/7 पृ0 407, मृगावती पृ0 261 छन्द 302

13 चादायन, सम्पादक माता प्रसाद गुप्त, पद 267 पृ0 254

“बहु नग जरे जराऊ अंगिया”<sup>14</sup>

लहगा महिलाओ मे पहना जाने वाला अधोवस्त्र है। इस युग मे “लहगा” तथा “घाघरा” स्त्रियो मे अत्यन्त प्रचलित पोशाक था।

“कटि “लहगा” नोलौ बन्यो, कोजो”<sup>15</sup>

व

“घाघर बाधि आइ पगु दीन्दे”<sup>16</sup>

विवेच्ययुगीन साहित्य में “पटोर” लहगे का भी विवरण हमे प्राप्त होता है, साहित्य मे पटोर वस्त्र से निर्मित लहगे को पहन कर चलती हुई स्त्री की तुलना, लहराते हुए समुद्र से भी की गई है।<sup>17</sup>

लहगे की तरह घाघरा भी अत्यन्त लोकप्रिय परिधान था। घाघरा वैसे तो मुस्लिम महिलाओ मे प्रचलित था।<sup>18</sup> अलतेकर, दि पोजीशन आफ वुमैन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ0 296) परन्तु कुछ खास पेशेवर वर्ग की महिलाएं भी इसे पहनती थीं।<sup>19</sup> सम्भवतः उनको इसे पहनकर काम करने मे सुविधा होती होगी।

---

14 चादायन दाउदकृत 94/1

15 सूर सागर प्रथम खण्ड, पृ0 13 पद 44

16 मृगावती कुतुबनकृत पृ0 213-14, पद 251

17 चादायन, डा0 माता प्रसाद गुप्त 25/2 तथा, पदमावत, पृ0 132 पद 117

18 अलतेकर, दि पोजीशन आफ वुमैन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ0 296

19 मृगावती कुतुबन कृत पृ0 213-14 पद 25



शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए महिलाएँ चुदरी का प्रयोग करती थी, जिसे “मडिला” या “छुदरी” के रूप में जाना जाता था।<sup>20</sup>

उच्च वर्ग की हिन्दू महिलाएँ जब भी घर के बाहर जाती थीं तो चुनरी का प्रयोग करती थीं:

“पहिरै राती “चूनरी” सेत उपरना सो है”<sup>21</sup>

“चुदरी” (कपड़े का बड़ा टुकड़ा जिससे सिर और शरीर का ऊपरी भाग ढका जाता था) का भी उल्लेख हमें साहित्य में मिलता है।<sup>22</sup>

समकालीन साहित्य “चीर” (सूती कपड़ा) का भी पर्याप्त विवरण हमें मिलता है:

“नव सत साजि चीर चोली बनी”<sup>23</sup>

महिलाएँ साड़ी के साथ कभी कभी एक डोरी का भी प्रयोग करती थीं जिसे निबिन्ध<sup>24</sup> कहा जाता था। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में विभिन्न प्रकार तथा रंग के चमाऊ (चमड़े के) जूते (पाई पादत्री) पहनने का भी उल्लेख हमें मिलता है।<sup>25</sup>

---

20 चादायन माता प्रसाद गुप्त पृ० 81- पद 83 सूर सागर प्रथम खण्ड पृ० 13 पद 44

21 सूर सागर प्रथम खण्ड पृ० 13 पद 44

22 चादायन “चूदरी” पद 83 पृ० 91

23 चांदायन, दाउद कृत 42/3, 47/3, 50/5, 51/1, 97/6, 90/3, 94/2, 26, 173/2, 224/2 इत्यादि, सूरसागर खण्ड 2 पृ० 57 पद 2646

24 विद्यपति की पदावली पद 76 दोहा 8 पृ० 124 पद 84 दोहा 2 पृ० 134

25 मुल्ला दाउद कृत चादायन सम्पादक, माता प्रसाद गुप्त पद 95 पृ० 83

## आभूषण :

महिलाओ की आभूषणो के प्रति सौन्दर्य प्रियता प्राग्वैदिक काल से विद्यमान रही है। आभूषण वैभव व सम्पन्नता के साथ अलकरण का प्रतीक है। हिन्दू स्त्री के लिए सुहाग या विवाहित जीवन का तात्पर्य समग्र देह पर अंलकारो का प्रयोग था। केवल वैधव्य की अवस्था मे वह अपने अलकारो और जवाहरातो को उतार देती थी और सिर से सिदूर को मिटा देती थी।<sup>26</sup> मध्य कालीन इतिहासकारो व साहित्यकारो ने अपनी कृतियों मे स्त्रियो के विभिन्न आभूषणो का विस्तृत वर्णन किया है। शीश के आभूषणो मे हमे एकाध उल्लेख मुकुट के भी प्राप्त होते है:

“घुँघट मुकुट विराजज सीस, मनि कुंडल ताटक विलोल”<sup>27</sup>

इसी प्रकार “जडाऊ टीका” तथा शीशफूल का भी विवरण प्राप्त होता है.

“टीका गूथि माग मोतिनि की शीश फूल सिर धारति

टीका धरयो जराऊ”<sup>28</sup>

जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है शीशफूल लोकप्रिय शीश आभूषण था।<sup>29</sup> सम्भवत. महिलाए इसे मांग की वृद्धि हेतु धारण करती थी। इसे शीश भूषण भी

---

26 विद्यापति ठाकुर कृत पदावली बगीच पृ0 117

27 सूर सागर प्रथम खण्ड पृ0 531 पद 1798

28 सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ0 614-15, पद 1216 तथा पृ0 89 पद 2808

29 सूरसागर खण्ड 2 पृ0 171 पद 3229 तथा पृ0 89 पद 2808 तथा सूरसागर खण्ड एक, पृ0 614 पद 1216

कहा गया है। समृद्ध महिलाएँ स्वर्ण व मोतियों से निर्मित शीशभूषण पहनती थीं।<sup>30</sup> साथ ही हमें शीश के आभूषणों से संबंधित बेदी का भी उल्लेख समकालीन हिन्दी साहित्य में प्राप्त होता है:

“कुडल तट तरिवन लै साजत नासा बेसरि धारत है

“बेदी” भाल माग सिर पारत, बेनी गूथि सवारत है”<sup>31</sup>

केश सजा हेतु बालों की बेनी अथवा वेणी बनाने व उसे माग के साथ मोतियों से सुसज्जित करने का उल्लेख हमें समकालीन साहित्य में प्राप्त होता है.

“बेनी गूथी माग मोतिनी की सीस फूल सिर धरति”<sup>32</sup>

मस्तक पर श्रृंगार के लिए स्त्रियाँ सिंदूर की ही बिन्दी लगाती थीं।<sup>33</sup>

महिलाएँ अपनी सौन्दर्य वृद्धि हेतु अपने कानों में विभिन्न प्रकार के कर्ण आभूषण अत्यन्त ही चाव से पहनती थीं। “कर्ण फूल” कान में धारण किया जाने वाला अत्यन्त ही लोकप्रिय आभूषण था।<sup>34</sup>

“मानौ कर्नफल चारा कौ

बेसरि बनी सुभग नासा पर, मुक्ता परम सुठार”<sup>35</sup>

---

30 चादायन 75/5

31 सूर सागर खण्ड 2 पृ0 79 पद 2755

32 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ0 614 पद 1216 तथा सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृ0 89 पद 2808

33 सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृ0 172 पद 3231

34 कर्णफूल के लिए देखिए विद्यापति की पदावली पृ0 263 पद 261

35 सूरसागर खण्ड 2 पृ0 170-71 पद 3228

अन्य लोकप्रिय कर्णाभूषणो मे “खूँट” एक गोलाकार कर्णाभूषण था जिसका आकार दीप के समान होता था। जिसे “खूँट” कहकर सम्बोधित करते थे।<sup>36</sup>

तेहि पर “खूँट” दीप दुइ बारे। दुइ ध्रुव दुऔ “खूँट” बैसारे।<sup>37</sup>

समकालीन साहित्य मे हमे कुछ ऐसे उल्लेख प्राप्त हुए हैं जिनसे ये पता चलता है कि कर्ण आभूषण के प्रति महिलाओ मे विशेष रूचि रही है। तथा आधुनिक काल मे भी महिलाए कानो मे अलकरण के लिए विभिन्न प्रकार के कर्ण आभूषणो को अत्यन्त चाव से पहनती हैं। कुछ ऐसे भी कर्ण आभूषण है, जो प्राचीन काल मे भी प्रचलित थे तथा आज भी कुछ परिवर्तित रूप मे प्रचलित है। कुडल एक ऐसा ही चिर परिचित कर्ण आभूषण है जो कान मे धारण किया जाता था:

कुडल तर तरिवन लै साजत, नासा बेसरि धारत है।<sup>38</sup>

राजकीय वर्ग की महिलाए कान मे स्वर्ण कुडल धारण करती थी:

“कुंडल कनक रचे उँजिआरे”<sup>39</sup>

समकालीन साहित्यो मे हमे हीरे जवाहरात आदि से जडे हुए कुडल का उल्लेख प्राप्त होता है :

---

36 चादायन छन्द 226 दोहा 2 पृ0 124 तथा छन्द 9 दोहा 2 पृ0 131

37 जायसी कृत पदमावत पृ0 124-125 पद 110

38 सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृ0 79 पद 2755 तथा चांदायन पृ0 82 पद 84

39 जायसी कृत पदमावत पृ0 124-25 पद 110

“कुडल सुवन जरै लइ हीरा”<sup>40</sup>

तथा

“मनि कुडल चमकहि अति लोने, जनु कौधा लौकहिं दुहँ कोने”<sup>41</sup>

कान मे पहनने वाले आभूषणो मे ‘खुम्भी’ नामक एक आभूषण प्रचलित था। जो कुरुरमुत्ते की टोपी के आकार का होता था कान के छेद मे पहना जाता था।

“पहिरे खुभी सिघल दीपी, जानहुँ भरी कचपची सीपी।”<sup>42</sup>

उल्लिखित काल मे महिलाए नाक को सुशोभित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कलात्मक आभूषणो का प्रयोग करती थी। नकफूली (छोटी कली के आकार का एक नाक का आभूषण ) जिसका डठल नाक से सटा होता है।

“उवइ अगस्ति नाक काई फूली”<sup>43</sup>

“बेसर” या “बेसरि” भी नाक मे पहना जाने वाला एक अर्ध चद्राकार आभूषण था जिसका निर्माण इस प्रकार से होता था, कि वह नाक से लटकता रहता था,

“बेसरि बनी सुमग नासा पर मुक्ता परम सुदार”<sup>44</sup>

---

40 चाँदायन माता प्रसाद गुप्त, पृ0 82 पद 84

41 जाएसी कृत पदमावत पृ0 124-25 पद 110

42 जायसी कृत पदमावत पृ0 124-25, पद 110 पृ0 44-45 पद 38

43 चादायन माता प्रसाद गुप्त पृ0 82 पद 84 तथा छन्द 93 दोहा 3 पृ0 131, (यहाँ इसे नाककाई फूली कहा गया है)

44 सूरसागर खण्ड 2 पृ0 170-71 पद 3228, विद्यापति की पदावली पृ0 608 पद

नथ या नथिया भी नाक में महिलाएं बडे चाव से पहनती थी, इनमे से कुछ इतनी लम्बी होती थी कि होठो तक लटकती थीं:

“नासा नथ मुक्ता के मारहि, रहयो अधर तट जाइ”<sup>45</sup>

उल्लिखित काल मे गलो मे पहने जाने वाले विभिन्न आभूषणों मे हार सर्वप्रमुख था:

“लम्बित सोभए हार विलोल”<sup>46</sup>

हार विभिन्न मोतियो तथा स्वर्ण धागो से प्रायः निर्मित होता था और वक्ष स्थल तक लटकता रहता था। हार को मोहन माला का पर्याय मान कर सोने के मनको से बना कण्ठ आभूषण कहा गया।<sup>47</sup> स्वर्ण, रजत व अन्य धातुओ द्वारा विभिन्न प्रकार के कलात्मक व विविधतापूर्ण नमूनो मे कण्ठा आभूषणो को निर्मित करवाया जाता था।<sup>48</sup> अन्य उल्लिखित ग्रीवाभूषणो मे सिकड़ी<sup>49</sup> गले मे पहनने वाली जजीर या श्रृंखला का एक पूर्व मध्य कालीन रूप प्रतीत होती है। गले के पास छाती के ऊपर दोनो धन्वाकार हड्डियो को “हसली” कहते है, इन्ही पर मडित होने के कारण एक अन्य ग्रीवाभूषण का नाम हसली<sup>50</sup> पडा जो प्रायः गले

---

2093 सूरसागर खण्ड 2 पृ0 79 पद 2755 पृ0 88 पद 2801

45 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ0 614 पद 1216

46 विद्यापति की पदावली पृ0 125-26 पद 944 तथा सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ0 234 पद 3480

47 चादायन पद 34 पृ0 82-83

48 स्वर्ण मातियो, हीरो तथा सुगन्धित पुष्पो के अनेक हारो का उल्लेख समकालीन साहित्य मे मिलता है मातिम हार, विद्यापति की पदावली पद 24 दोहा 4 पृ0 45

49 चादायन दाउद कृत छन्द 95 दोहा 4 पृ0 13

50 चादायन दाउद कृत छन्द 359 दोहा 2 पृ0 285 तथा पद 329 पृ0 326-327

मे पहनने पर इन हड्डियों पर टिका सा रहता है यह आभूषण वस्तु अत्यन्त प्राचीन है। कण्ठ मे धारण करने वाले आभूषण को एक नाम कठसिरी भी दिया गया है

“कठसिरी उर पटिक विराजत, गुजयोतिन केहार”<sup>51</sup>

समकालीन साहित्य मे दो लर के कठ आभूषण को ‘दुलरी’ तथा तीन लर वाली को इसी प्रकार ‘तिलरी’ कहकर सम्बोधित किया गया है .

“कठसिरी से, दुलरी , तिलरी उर मानिक मोती हार रंगकौ”<sup>52</sup>

महिलाए गले की शोभा बढ़ाने के लिए हार इत्यादि धारण करती थी, जो प्रायः समृद्ध वर्गों मे रत्नजडित तथा स्वर्ण के होते थे.

“कचनहार दिये नहि मानति”<sup>53</sup>

सुहागिन स्त्रियाँ गले मे मंगलसूत्र धारण करती थीं

“एक सुहागनि जगन पियारी, सगले जीअ जंत की नारी सुहागनि गलि सो है हारू”<sup>54</sup>

---

51 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ0 608 पद 2093 (1475) तथा पृ0 623 पद 2158 (1540)  
सूरसागर खण्ड 2 पृ0 170-71 पद 3228

52 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ0 608 पद 2093 (1475) तथा पृ0 614-115 पद 1216  
(1498) तथा पृ0 623 पद 2153 (1540)

53 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ0 491 पद 1661 चादायन माता प्रसाद गुप्त पृ0 162, पद 166, सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ0 215 पद 634 तथा कबीर गन्थावली पृ0 370 पद 2

54 संत कबीर राम कुमार वर्मा, पृ0 170 पद 7

कुछ हार मोतियो के बने होते थे तथा उन्हे स्वाभाविक रूप से मोतियो का हार अथवा मोतिन हार कहते थे।<sup>55</sup>

भुजाओ की शोभा बढाने के लिए हाथ के ऊपरी भाग मे, अर्थात् बाहु पर महिलाएँ बाजूबद<sup>56</sup> भी धारण करती थीं ।

बहुँटा, कर ककन, बाजूबंद एते पर है तौकी<sup>57</sup>

हाथो को सुसज्जित करने वाले आभूषणो मे अगद और केयूर अधिक प्रचलित थे।<sup>58</sup> ये भी बाजूबद के ही रूप थे 'बाजू बद' की तरह भुजाओ मे टाडया "टड्डे" भी महिलाएँ धारण करती थी जो बाह मे कसे हुए होते थे।<sup>59</sup>

कलाई को सुशोभित करने के लिए स्त्रियाँ ककण और वलय नामक अलकृत आभूषणो को धारण करती थी<sup>60</sup>

मध्य युगीन साहित्य मे उल्लिखित हस्त अकलारो मे सलोनी नामक आभूषण का भी उल्लेख मिलता है।<sup>61</sup> वह भी सभवतः बाजूबंद की ही भाँति भुजा मे धारण किया जाता रह होगा । मध्य कालीन इतिहास कारो ने स्त्रियो द्वारा

---

55 सूर सागर प्रथम खण्ड पृ० 491 पद 1661 पृ० 623 पद 2158 (1540) मृगावती पृ० 40 छन्द 50

56 सूरसागर खण्ड 2 पद 3228 पृ० 170-71

57 सूरसागर खण्ड 1 पृ० 623 पद 2158 (1540)

58 ढोला मारू रा दुहा दोहा 481 पृ० 114

59 जायसी कृत पदमावत पृ० 126-27 पद 112

60 विद्यापति की पदावली पद 38 दोहा 8 पृ० 67, सूर सागर खण्ड 2 पृ० 88 पद 2801

61 दाउद कृत चादायन 266/3, चादायन (माता प्रसाद गुप्त) पद 260 पृ० 253



बाजुओ की सौन्दर्य वृद्धि हेतु धारण किये जाने वाले आभूषणों में 'बरया' अथवा 'बलया' का वर्णन किया है

अइस न देखेउ काहु कलाई। बरया जनु चरचहि ही, सुहाई १६२

व

“बरया” फूटि का गही जो नाहा पहुँचिउ टूटि उबरि गई बाहाँ १६३

इसी प्रकार बाहु रखा अथवा बोरखा<sup>६४</sup> (जो कि राजपूत स्त्रियो मे विशेष प्रचलित था) का उल्लेख भी समकालीन साहित्य में प्राप्त होता है। जो बाजुओ की सौन्दर्य वृद्धि के लिए धारण किया जाता था।

अवलोकित काल मे स्त्रियाँ कलाई को सुशोभित करने वाले विविध अलकारो को धारण करती थी जिनका विवरण समकालीन साहित्य मे प्राप्य है। इन आभूषणो मे ककण, हथपूर, चूडे, चूड़ी, तथा वलय का उल्लेख हमे मिलता है। ककण अथवा कगन <sup>६५</sup> (जिसे ककन भी कहा जाता था) कलाई पर धारण किया जाने वाला एक प्रमुख आभूषण था। यह प्रायः दोनों सिरों पर घुडी वाला ठोस अलकार था।

“कर कगन भर पहिर कलाई”<sup>६६</sup>

---

६२ मृगावती कुतुबनकृत डा० माता प्रसाद गुप्त पृ० ५० छन्द ६४ तथा बरया कुतुबन कृत मृगावती दोहा २०३ एव २६० पृ० १३६ तथा १५९ पृ० २०९ पद २३९

६३ मृगावती कुतुबनकृत पृ० २०४ छन्द २४०

६४ ढोला मारू रा दुहा दोहा ४८१ पृ० ११४

६५ विद्यापति की पदावली पद १७१ दोहा ६ पृ० २७७

६६ चादायन सम्पादक माता प्रसाद गुप्त पृ० ८२ पद ८४, सूरसागर खण्ड २ पृ० ८८ पद २८०१ तथा विद्यापति पदावली पृ० ८४-८५ पद ६२ मृगावती कुतुबनकृत पृ० २३९ पद

विभिन्न धातुओं से निर्मित रग बिरंगी चूड़ियो 67 (जिन्हे बालाया, बलया अथवा तार भी कहा जाता था) के उल्लेख समकालीन साहित्य मे हमे मिलते है। स्वर्ण एव काच के अतिरिक्त हाथी दात, शख, पत्थर एव पुष्पो की अलकृत चूडिया बनती थी, हतपूर या हतपूर से अभिप्राय कदाचित हाथ फूल से है, हाथ फूल पांच जजीरो वाले उस बलय को कहते हैं जो करमूल अथवा कलाई पर पहना जाता है, इसकी प्रत्येक जजीर हाथ की पाचों उगलियो मे पहनी गई अगूठियो के साथ बधी होती थी।<sup>68</sup> विवेच्य युगीन साहित्य मे दोनो हाथो की दसो अगुलियो मे महिलाओ द्वारा अगूठी पहने जाने का भी विवरण हमे मिलता है।<sup>69</sup> दसो उगलियो मे अगूठी धारण करना वैभव, समृद्धि, सपन्नता एव अभिरूचि का प्रतीक माना जाता था:

“दस अगुरिन्ह अगूठी पगवाइ”<sup>70</sup>

सम्पन्न वर्ग की महिलाएं प्रायः हीरे जवाहरातो व अन्य बहुमूल्य नगो से निर्मित जड़ी हुई अगूठियाँ पहनती थी:

“ओ पहिरे नग जरी अगूठी, जगबिनु जीव जीव नही भूठी”<sup>71</sup>

203, सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 170 पद 508 तथा पृ० 491 पद 1661 (1043) पदमावत पृ० 346 पृ० 296

67 विद्यापति की पदावली पद 38 दोहा 8 पृ० 67 बालाय, चूडी, ढोला मारू रा दुहा दोहा 349, पृ० 81 सूर सागर प्रथम पृ० 491 पद 1661 (1043)· पृ० 530-31 पद 1798,

68 चादायन का सास्कृतिक परिवेश डा० ज्ञान चन्द शर्मा पृ० 167

69 चादायन माता प्रसाद गुप्त पृ० 92-93 पद 329

70 चादायन माता प्रसाद गुप्त, पृ० 82 पद 84

71 जायसी कृत पदमावत, पृ० 126-27 पद 112

प्रायः अगूठी के लिए मुद्रिका अथवा मुदरी का भी सम्बोधन समकालीन हिन्दी साहित्य मे हमे प्राप्त होता है।

“हाथ मुद्रिका प्रभु दई, सदेश सुनायौ’72

अगूठे मे पहनी जाने वाली दर्पण युक्त एक विशेष प्रकार की अगूठी को “आरसी” कहा जाता था जिसके उल्लेख हमें समकालीन साहित्य में प्राप्त होते है<sup>73</sup>

स्त्रियो द्वारा धारण किये जाने वाले विविध आभूषणो मे कमर अथवा कटि प्रदेश को अलंकृत करने वाले आभूषणो का विशेष आकर्षण रहा है। कटि प्रदेश मे धारण किये जाने वाले प्रमुख अलंकारो मे विशेषकर छुद्र घटियो 74 का उल्लेख किया जा सकता है। इस आभूषण को सोने के तारो मे छोटी छोटी घटिकाओ को पिरो कर बनाया जाता था तथा घुंघरूओ की भाँति यह भी स्त्रियो के चलने पर मधुर संगीत लहरी उत्पन्न करती थी<sup>75</sup> इसी प्रकार कमर के लिए ‘किनकिनी’ भी एक विशेष आभूषण था:

“मनि किकिनी कर मधुर बिराव’76

---

72 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ0 170- पद 508 तथा पृ0 530-31 पद 1798

73 दाउद कृत चादायन 94/4 तथा 95/6

74 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ0 608 पद 2093 (1475) पदमावत पृ0 346 पद 296

75 सूर सागर प्रथम खण्ड पृ0 623 पद 2153 (1540)

76 किकिनी के लिए देखिए विद्यापति की पदावली, पृ0 18-19 पद 13 तथा पद 13 दोहा 2 पृ0 26 एव पद 171 दोहा 2 पृ0 277

पदाभूषणों में पायल अथवा पाजेब 77 अवलोकित काल की स्त्रियों का अत्यन्त प्रचलित आभूषण था। वस्तुतः पायल, जजीर और झूलनो से युक्त चादी अथवा स्वर्ण निर्मित एक पदाभरण था। स्त्रियों के अन्य चरणाभूषणों में 'नूपुर' भी था, 78 जिसे यदा कदा बहुमूल्य एवं जड़ाऊ बनाने के लिए जवाहरातो तथा विभिन्न प्रकार के मोतियों का प्रयोग किया जाता था:

“चरन महावर नूपुर मनिमय, बाजत भौति भली” 79

अथवा

“रतन जटित पग सुमग पावरी, नूपुर परम रसाल” 80

नर्तकियों द्वारा धारण किये जाने वाले चरणभूषणों में घुघरू 81 तथा झाझर 82 का उल्लेख किया जा सकता है, जो अत्यन्त लोकप्रिय थे। ये आभूषण पैरों को अलंकृत करने के साथ ही सगीतमय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि ये पदाभूषण आज भी महिलाओं में लोकप्रिय हैं और स्त्रियाँ इन्हें बड़े चाव से पहनती हैं। चूड़ा 83 पिण्डलियों पर धारण किये जाने वाले खोखले अथवा

---

77 दाउद कृत चांदायन 122/7 पैजनिया चांदायन माता प्रसाद गुप्त पद 94 पृ० 92-93 पद 179 पृ० 82 पद 84 पदमावत पृ० 346 पद 296

78 सूर सागर द्वितीय खण्ड पृ० 79 पद 2755

79 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ० 1744 पद 3237

80 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ० 9 पद 2409

81 घुघरू (जिसे घुघरी अथवा घुघरा भी कहा जाता था) का उल्लेख समकालीन साहित्य में मिलता है ढोला मारू रा दुहा दोहा 539 पृ० 129, मृगावती पृ० 87 दोहा 3 पृ० 21 दोहा 27

82 ढोला मारू रा दुहा, दोहा पृ० 114 दोहा 481

83 दाउद कृत चांदायन 359/3,4, कबीर ग्रन्थावली पृ० 225 पद 138

ठोस कडे का नाम है। यह पहनने वाले के सामर्थ्य पद एव मर्यादा के अनुरूप स्वर्ण, रजत अथवा रंगा आदि धातुओ से निर्मित होता था। इसे पादचूड़ की भी सजा दी जाती थी। अनवट तथा बिछुआ या बिछिया<sup>84</sup> मध्य युगीन विवाहित महिलाओ मे अति लोकप्रिय आभूषण था, जिसे पैर की उगलियो मे धारण किया जाता था। आज भी इन आभूषणो को सौभाग्य चिन्ह मानकर धारण करने का पर्याप्त प्रचलन है। अनवट नामक पादभूषण को पैर के अंगूठे मे पहना जाता था <sup>85</sup> तथा बिछुआ पाँव की अन्य अगुलियो में विशेषतः अगूठे के साथ वाली उगली मे पहना जाने वाला आभरण था <sup>86</sup> कभी कभी पाव मे एक से अधिक बिछुए भी स्त्रियाँ धारण करती थी वस्तुतः 'बिछुआ' और 'अनवट' अत्यन्त प्राचीन काल से ही महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता था <sup>87</sup> स्त्रिया जब उन पादभूषणो को पहन कर चलती थीं तब उनसे कर्ण प्रिय सुमधुर ध्वनि निकलती थी:

“ पग जेहरि बिछियनि की झमकाने, चलत परस्पर बाजति”<sup>88</sup>

इस प्रकार अवलोकित काल की महिलाए शरीर के अन्य अंगो की भाँति अपने पैरो को भी विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य पदाभूषणो से अलंकृत किया करती थी, जो इनकी सौन्दर्य प्रियता एवं आभूषण प्रियता का परिचायक है। पैरो मे

---

84 दाउद कृत चादायन (माता प्रसाद गुप्त) पृ0 326 - 27 पद 329

85 माता प्रसाद गुप्ता पृ0 326 पद 228 जायसीकृत पदमावत पृ0 133-34, पद 118

86 कबीर ग्रंथावली पृ0 225 पद 138, पदमावत पृ0 349 पद 299

87 जायसीकृत पदमावत पृ0 133-34 पद 118

88 सूर सागर खण्ड द्वितीय पृ0 83 पद 2774 चाँदायन, माता प्रसाद गुप्त पृ0 326 पद 328  
सूरसागर प्रथम खण्डपृ0 623 पद 2158 (1540)

विभिन्न प्रकार के आभूषणों को पहने जाने के कारण सम्भवतः स्त्रियों को जूते धारण करने में किंचित असुविधा का अनुभव होता था।<sup>89</sup>

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अवलोकित काल की स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के आभूषणों के प्रयोग में विशेष रूचि रखती थीं। स्त्रियों द्वारा धारण किये जाने की एक लम्बी परम्परा है, जो युगों के अनुरूप किंचित परिवर्तनों एवं संशोधनों के साथ आज भी मान्य है। भारतीय स्त्रियाँ प्रायः सिर से पाँव तक शरीर के प्रत्येक अंग को विभिन्न प्रकार के कलात्मक आभूषणों से अलंकृत करती थीं। अलंकार एवं श्रृंगार के साथ ही आभूषण हिन्दू स्त्रियों के लिए सुहाग एवं सौभाग्य का प्रतीक चिह्न माने जाते रहे हैं, अतः स्त्रियों के जीवन में इनका विशेष महत्त्व रहा है, केवल वैधत्य की अवस्था में हिन्दू स्त्री अपने अलंकारों का त्याग करती है।

## प्रसाधन

प्रसाधन से अभिप्राय है सुवेश और साज सज्जा। मानव मन निसर्गत-श्रृंगाराभिमुख रहा है सौन्दर्य तथा शारीरिक लावण्य के प्रति आकर्षण के कारण स्त्रियाँ विभिन्न प्रसाधनों का प्रयोग चिरकाल से करती रही हैं और उनकी इस चिरन्तन प्रवृत्ति की सत्यानुभूति पूर्व मध्य कालीन साहित्य (एवं कला कृतियों) से भी सिद्ध होती है। अवलोकित काल में भारतीय स्त्रियाँ सोलह श्रृंगार

---

<sup>89</sup> दाउद कृत चादायन 163/1

(षोडस श्रृंगार) से भली भाँति परिचित थी, मध्य युगीन साहित्य में नारियो के सोलह श्रृंगारो का उल्लेख अनेक स्थलो पर हुआ है १०

नारियो के सोलह श्रृंगारो में, उबटन, सुगन्धित स्नान, वेणी, माग, काजल, बिदी, तिल, चित मेंहदी, महावर, पुष्प माला तथा पान-रचना, सुन्दर वस्त्र एवं विविध आभूषण परिगणित किये जाते हैं ११

दर्पण<sup>१२</sup> अदर्शिका या आइना श्रृंगार विधि का अभिन्न अंग व उपकरण था। स्त्रियाँ दर्पण में अंग प्रत्यग की छवि निहार कर तदनुरूप श्रृंगार करती थी।

“कै सिंगार दरपन कर लीन्हा, दरसन दे खिगरव जिय कीन्हा”<sup>१३</sup>

जैसा कि उपरोक्त विवरण से सुस्पष्ट है महिलाएँ किसी न किसी रूप में आइने का प्रयोग करती थी, आइना अथवा शीशा श्रृंगार प्रसाधन हेतु भी महिलाओं के उपयोग की एक आवश्यक सामग्री थी १४

उबटन लगाने का प्रचलन तत्कालीन स्त्रियो की श्रृंगारिक पद्धति में सम्मिलित था, इसे वे अपने मुख एवं शरीर के अन्य अंगों को आभायुक्त एवं सुन्दर बनाने के लिए प्रयोग में लाती थी।

---

१० दाउद कृत चादायन 163/1

११ दाउद कृत चादायन 287/25, विद्यापति की पदावली पद 73 दोहा 4 पृ० 111

१२ जायसी कृत पदमावत पृ० 93 पद 83

१३ जायसीकृत पदमावत, पृ० 93 पद 83

१४ वही

“कुमकुम उबटि कनकतन गोरी, अग सुगन्ध चढाई कि सोरी<sup>95</sup> ”  
समकालीन साहित्यकार जाएसी ने मञ्जन और स्नान मे भेद माना है, उबटन द्वारा  
मैल आदि की सफाई मञ्जन और उसके पीछे सुगन्धित जल से स्नान होता  
था।<sup>96</sup> शारीरिक कान्ति की वृद्धि के लिए चदन का लेप<sup>97</sup> भी प्रयुक्त होता था,  
कांति की वृद्धि के साथ ही चदन लेप शरीर को सुगन्धित भी करता था कतिपय  
विशिष्ट अवसरो पर कुमकुम<sup>98</sup> तथा सुगन्धित कस्तूरी<sup>99</sup> विलेपनो (अगरागो) का  
प्रयोग मध्ययुगीन स्त्रिया स्वय को आकर्षक बनाने के निमित्ति करती थी  
महिलाए अपने शारीरिक आकर्षण की वृद्धि हेतु अनेको युक्तिया अपनाती थी।  
स्त्रिया प्रायः सुगन्धित तेलो के प्रयोग के पश्चात ही स्नान करती थी:

कारिख तेल धलिमुख मॉजा 100

स्नान भारतीय जीवन का एक अनिवार्य नित्यकर्म है, इसके अतिरिक्त  
हिन्दुओ मे धार्मिक दृष्टिकोण से भी स्नान को एक पावन कर्तव्य माना जाता है।  
हिन्दू समाज मे प्रत्येक धार्मिक और मागलिक अवसर पर स्नान का विधान रहा  
है।<sup>101</sup> स्त्रिया अपनी श्रृंगार सज्जा प्रारम्भ करने से पूर्व विभिन्न प्रकार की

---

95 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ0 250 पद 3519

96 पदमावन पृ0 347 पद 297

97 जायसी कृत पदमावत पृ0 258-59 पद 226, पृ0 333 पद 290 तथा कबीर  
ग्रन्थावली पृ0 308 पद 9 तथा लोर कहा माता प्रसाद गुप्त पृ0 14 पद 7

98 जायसी कृत पदमावत पृ0 333 पद 290 पृ0 326 पद 285 चादायन पृ0 47 पद 50

99 वही

100 विद्यापति की कीर्ति लता , तृतीय पल्लव, छन्द 24 दोहा 101 पृ0 184 आखिरी  
कलाम पृ0 343 पद 11

101 मुल्ला दाउद कृत चांदायन 41/1 तथा कबीर ग्रंथावली पृ0 370 पद 2



सुगन्धित वस्तुओ तथा मृगमद<sup>102</sup> तथा कर्पूर<sup>103</sup> आदि से जल को सुवासित कर उससे स्नान करती थी<sup>104</sup> स्नान के पश्चात विलेपन का विधान था, मध्य कालीन स्त्रियां शरीर को सुवासित रखने तथा त्वचा की शोभा एव काति मे अभिवृद्धि हेतु अगर <sup>105</sup> चदन<sup>106</sup> कस्तूरी<sup>107</sup> केसर <sup>108</sup> जैसे द्रव्यो के उलोपन का प्रयोग करती थी। समकालीन साहित्य मे स्नान क्रिया तथा तत्पश्चात विलोपन द्वारा शरीर को सुवासित करने की क्रिया को सोलह श्रृंगारो मे स्थान प्रदान किया गया क्योंकि इन विलोपनो के प्रयोग द्वारा शरीर का अंग प्रत्यग निखर उठता था:

“अगर चदन बेना कस्तूरी, मलयागिरि कचोरन्ह भरी

कुकुहं मेलि अरगजा किया, ढावहि ढाव राखे ते लिया

चोवा भेद सिला रसफुलएल मिवसैनी बहु तबुल्ल

सबै बासु रस बैर सहि परिमल फूल तबुलल”<sup>109</sup>

---

102 विद्यापति की पदावली पद 135 एव 145 तथा पद 180 पृ० 190 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ० 74 पद 2736

103 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 71 पद 2724

104 दाउद कृत चादायन 52/12, 448/1 तथा 249/3

105. डा० ज्ञान चद शर्मा, चादायन, सास्कृतिक परिवेश पृ० 156, मृगावति पृ० 193 पद 228 कबीर ग्रन्थावली पृ० 308, पद 9 जायसी कृत पदमावत पृ० 400 पद 332, सूरसागर खण्ड पृ० 71 पद 2724

106 जायसी कृत पदमावत पृ० 400 -332 पृ० 333 पद 290

107 विद्यापति पदावली पद 135 एव 145 पृ० 180 एव 190

108 जायसी कृत पदमावत पृ० 333 पद 290 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 233 पद 3477

109 मृगावति, पृ० 193 पद 228

विवेचन से स्पष्ट होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही स्त्रियाँ अपने शारीरिक लावण्य तथा सौन्दर्य के प्रति जाग्रत थी। विभिन्न प्रसाधनो के सुरूचिपूर्ण प्रयोग द्वारा अपने शारीरिक सौन्दर्य मे वृद्धि करना स्त्रियो को सदैव ही प्रिय रहा है।

### केश विन्यास :

समकालीन साहित्य मे उल्लिखित स्त्रियाँ अपने केश विन्यास का एव प्रसाधन के विषय मे पूर्णतया सजग थी। केश विन्यास के प्रति स्त्रियों की विशेष रूचि रही है, केशो को सुरूचि पूर्ण विन्यास के द्वारा अपने सौन्दर्य मे अभिवृद्धि करना स्त्रियों को चिरकाल से ही प्रिय रहा है सुन्दर केश विन्यास वस्तुत एक कला भी होती है।

अभिजात और धनिक वर्ग की स्त्रियों के केश प्रायः दासियाँ प्रसाधित करती थी, जो सेविकाओ के रूप मे नियुक्त की जाती थीं। ऐसी सेविकाओ को केश कारिणी<sup>110</sup> की सज्ञा से तत्कालीन साहित्य में संबोधित किया गया है।

स्नान के पश्चात केशो को विन्यस्त कर माग निकाल कर<sup>111</sup> माग को मोतियो से अलकृत कर<sup>112</sup> अगरू चंदन तथा बेला चंपा<sup>113</sup> इत्यादि से

---

110 अलतेकर बुमैन पोजीशन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृ0 300

111 दाउद कृत चादायन 52/2, 75/2

112 जायसी कृत पदमावत पृ0 821,22 पद 615

113 दाउद कृत चादायन 252/3, विद्यापति की पदावली पद 42 दोहा 6 लोरकहा पृ0 14 पद 7

सुगन्धित कर उन्हें विभिन्न कलात्मक ढंग से गूथकर स्त्रिया अपनी केश राशि की बेणियाँ बनाती थी।<sup>114</sup>

### प्रसाधनों में पुष्प प्रयोग :

पुष्प सदैव अपनी सुगन्ध कोमलता एवं सुदरता के कारण लोकप्रिय रहे हैं। देव अर्चना से लेकर वैयक्तिक श्रृंगार तक पुष्पों के विविध प्रकार के प्रयोग के उदाहरण हमें समकालीन साहित्य में मिलते हैं। प्राचीन काल से पुष्पों को विविध आभूषण निर्मित कर स्त्रियाँ उनसे अपने अंग प्रत्यग को सुसज्जित करती थी।<sup>115</sup> श्रृंगार विधियों के अनेक वस्तुओं में पुष्प का विशेष महत्व था, स्त्रियाँ अपने केशों को पुष्पों से सुशोभित करती थी तथा पुष्पों को आभूषणों की भाँति पहनती थी।<sup>116</sup> मध्य युगीन साहित्य में पुष्पहारों की गणना आभूषणों के अन्तर्गत की गई है।<sup>117</sup> प्रायः वे महिलाएँ जो स्वर्णाभूषणों व अन्य प्रसाधनों का प्रयोग आर्थिक सामर्थ्य के चलते नहीं करती थी वे उनके स्थान पर पुष्प सज्जा करती थी। स्त्रियों द्वारा अपनी केशराशि से बनाई गई बेणियों के लिए अन्य भी अनेक शब्दों का प्रयोग मध्यकालीन साहित्य में उपलब्ध है, यथा जूडा<sup>118</sup>

---

114 दाउद कृत चांदायन 76/2-3 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 57 पद 2027 पृ० 61 पद 2670 पृ० 79 पद 2137 पदमावत पृ० 594 पद 471

115 विद्यापति की पदावली पद 42 दोहा 6

116 विद्यापति की पदावली पद 42 दोहा 6 लोर कहा पृ० 14 पद 7 जायसीकृत पदमावत पृ० 594 पद 471

117 चांदायन माता प्रसाद गुप्त पृ० 205 पद 210

118 जायसी कृत पदमावत पृ० 872 पद 648, पृ० 821 22 पद 615

वेणी<sup>119</sup> खोपा 120 आदि। वेणी केशो को पीछे कर गूथकर बनाई जाती थी बेणी की तुलना समकालीन साहित्य कारों ने काले नाग से की है:

बेनी कारी पुहुप कै निकसा जमुना आइ<sup>121</sup>

खोपा एक प्रकार के बालो के जुडे को कहा जाता है जो प्रायः दक्षिण भारत का केश विन्यास है।<sup>122</sup> मध्य कालीन साहित्य में उल्लिखित सम्पन्न वर्ग की स्त्रियाँ अपने केशो के अलकरण हेतु भी कतिपय आभूषणो का प्रयोग करती थी।<sup>123</sup> स्त्रियो द्वारा जूड को स्वर्ण अथवा चादी से निर्मित चाद्रिकाओ से अलकृत किये जाने के उल्लेख हमें समकालीन साहित्य में प्राप्त होते हैं। बालो को सुसज्जित करने के लिए महिलाएँ रत्नजडित हार का प्रयोग करती थी।<sup>124</sup>

माग में सिंदूर भरना विवाहित हिन्दू स्त्रियो में शुभ एवं सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है अतः मध्य युगीन स्त्रियाँ भी अपनी माग सिन्दूर एवं मोतियो से अलकृत करती थी।

रचि पत्रावली माग सेदूरा, भरि मोतिन्ह औमानिक पूरा <sup>125</sup>

---

119 मृगावती पृ० 141, चादायन 252/3 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ० 57 पद 2027 पृ० 61 पद 2670 पृ० 79 पद 2137

120 दाउद कृत चादायन छन्द 207 दोहा 45 पृ० 114 जायसी पृ० 70 पद 61

121 जायसी कृत पदमावत पृ० 594, पद 471

122 जयसीकृत पदमावत पृ० 70-71 पद 61

123 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 170 -171 पद 3228, कीर्तिलता तृतीय पल्लव छन्द 24 दोहा 101

124 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 170-171 पद 2610

125 जायसी कृत पदमावत पृ० 347 पद 297 तथा दाउद कृत चादायन छन्द 52 दोहा 2 पृ० 109 पद 64 पृ० 62

समकालीन साहित्य में कुमकुम तथा केसर जैसे सुगन्धियों से भरी देदीप्यमान मांग के भी उल्लेख प्राप्त हैं।

“मोतिनि माग सवारि प्रथम हि, केसरि आड सवारि”<sup>126</sup>

विवाहित स्त्रिया सिदूर रखने के लिए एक सुदर डिबिया (सिदूर का पात्र) रखती थी जिसे “सिघोरा”<sup>127</sup> कहा जाता था। यह एक विशेष महत्व की वस्तु थी जिसे सुहाग व सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था।

### तिलक रचना :

मस्तक पर तिलक रचना का हिन्दू सस्कृति मे विशेष महत्व है तिलक की रचना शोभा एव मगल हेतु की जाती है, एव इसे विवाहित स्त्रियो के सौभाग्य एव सुहाग का प्रतीक माना जाता है। समकालीन साहित्य मे तिलक का वर्णन नारी श्रृगार के एक प्रमुख अंग के रूप में किया गया है।<sup>128</sup> स्त्रियो द्वारा माथे पर लगाया जाने वाला तिलक कस्तूरी, चंदन एव कुमकुम आदि से निर्मित किया जाता था।<sup>129</sup> कस्तूरी, चंदन और कुमकुम का प्रयोग केवल मस्तक को ही सुसज्जित करने के लिए ही नहीं किया जाता था वरन यह शीतलता एव सुगन्ध

---

126 सूरसागर खण्ड 2 पृ0 57 पद 2027 पृ0 73 पद 2732 पृ0 234 पद 3480

127 दाउद कृत चादायन छद 88 दोहा 2 पृ0 124 तथा छन्द 253 दोहा 1 पृ0 68 पद 59 पृ0 239 पद 247-48 तथा जायसीकृत पदमावत पृ0 333 पद 290

128 जायसी कृत पदमावत पृ0 347 पद 297 पृ0 872 पद 648 तथा कबीर ग्रन्थावली पृ0 370 पद 2

129 विद्या पति कृत कीर्तिलता द्वितीय पल्लव छन्द 24 दोहा 136 पृ0 84

प्रदान करता था।<sup>130</sup> तिलक एक वैवाहिक महिला के श्रृंगार का प्रतीक था, निस्सदेह दुर्भाग्यवश यदि वह विधवा हो जाती थी तो अपने मस्तक से तिलक अथवा बिंदी पोछ देती थी ।

आलोच्यकाल में नारिया अपनी ढोडी पर तिल बनाकर अपने मुख की शोभा में वृद्धि करती थी<sup>131</sup> समकालीन साहित्य में तिल बनाकर श्रृंगार को नारी के सोलह श्रृंगारों में से एक माना गया है:

तेहि कपोल बाए तिल परा । जेई तिल देख सो तिल तिलजरा

जनु धुँधची वह तिल करमुहों । विरह बान सोधा सामुहा

अगिनि बान तिल जान हूँ सूझा । एक कटाक्ष लाटक दुइ जूझा

सोतिल काल मेटि नहि गएऊ । अब वह गाल काल जग भएऊ

देखत तैन परी परिछाही । तेहिते रात स्याम उपराही

सोतिल देखि कपोल पर गंगन रहा धुव गाडि

खिननि उठै खिन बूढ़े डोलै नहि तिल छाडि ।<sup>132</sup>

---

130 जायसी कृत पदमावत पृ० 326 पद 285

131 मृगावती पृष्ठ 44 पद 56

132 जायसी कृत पदमावत पृ० 123-24 पद 109

## अंजन या काजल :

अंजन या काजल का प्रयोग भारत वर्ष में चिरकाल से ही किया जाता रहा है। अंजन का ही एक प्रकारान्तर काजल है स्त्रियाँ अपने सौन्दर्य वृद्धि हेतु नेत्रों में शलाका द्वारा सुरमा और काजल का प्रयोग करती थीं :

“प्यारी नैननि कौ अंजन लै अपने नैननि अंजत है”<sup>133</sup>

तथा

“नैन रेख कज्जल की, देखी सोभा कस देही”<sup>134</sup>

समकालीन साहित्य कृतियों में काजल को नारी श्रृंगार का एक अंग माना गया है।<sup>135</sup> मध्ययुगीन स्त्रियाँ सुरमा और काजल की स्याही से अपनी भौंहों का भी श्रृंगार करती थीं .

“बरूनी(?) सघन बनावरि स[जी]

भारथ जीति करन तर भजी

करन अरजुन्न भई जिस क[या] (फुनि वह करन वहरोवहि यथा

सहज बरूनि जनु काजर दिया। यहइ सिगार बीर रस किया ”<sup>136</sup>

---

133 दाउद कृत चादायन 287/3, सूरसागर खण्ड 2 पृ0 79 पद 2137 पृ0 202 पद 3382 पृ0 140 पद 3063

134 मझन कृत मधुमालती पृ0 153 पद 482

135 ढोला मारू रा दुहा , पृ0 82 दोहा 353

136 कुतुबनकृत मृगावती पृ0 43 पद 54

## अधर रंजन :

अधरो का सौन्दर्य उनकी लालिमा में निहित माना जाता है। अधरो की प्राकृतिक लालिमा को कृत्रिम साधनों से रजित कर अधिक गहरा करने का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है। समकालीन साहित्य में अधरो के श्रृंगार हेतु मोम अलतक (आलता) के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है<sup>137</sup> अवलोकित काल में ताम्बूल के सेवन द्वारा दातो तथा ओष्ठों को रगने का विशेष प्रचलन था।<sup>138</sup> पान के सेवन के पश्चात् ही नारी का श्रृंगार सम्पूर्ण माना जाता है।<sup>139</sup>

भारतीय स्त्रियाँ चिरकाल से ही अपने हाथ तथा पाव को रजित करने हेतु मेहदी का प्रयोग करती रही हैं। हाथों का श्रृंगार हथेली पर मेहदी रचा कर ही पूर्ण माना जाता था।<sup>140</sup> समकालीन साहित्य में नख रंजन के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं:

“तरुवन्ह जानु रकत गा आई, कै महदी रे सुहागिनि लाई”<sup>141</sup>

---

137 ढोला मारू रा दुहा 353 पृ० 82 विद्यापति पदावली पृ० 243 पद 178

138 चादायन विश्वनाथ प्रसाद पृ० 67-88 पद 58 चांदायन माता प्रसाद गुप्त पृ० 348 पद 350

139 चादायन 248/2, ढोला मारू रा दुहा 353 पृ० 82, मृगावती माता प्रसाद गुप्त पृ० 73 पद 56 पृ० 221 पद 260 तथा सूरसागर खण्ड 2 पृ० 61 पद 2670 पृ० 57 पद 2644

140 लोरकहा डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० 14 पद 7

141 कुतुबन कृत मृगावती पृ० 50 पद 64



इसी प्रकार पैरो को आलता से रजित करना भी विवाहित स्त्रियो का सौभाग्य चिन्ह माना जाता है।<sup>142</sup> अवलोकित काल मे एडियो के श्रृंगार हेतु जावक, महावर तथा आलता आदि द्रव्यो का प्रयोग किया जाता था।

“लटपटि पाग महावर के रग”<sup>143</sup>

पूर्व मध्ययुगीन साहित्यिक रचनाओ मे गणिकाओ की श्रृंगारिक विधियो का विस्तृत उल्लेख मिलता है वे अपने मुख का भली भाँति मण्डन करती, सिन्दूर लगाती, वेणी गूथती, टीका लगाती, दिव्य वस्त्र धारण करती, केश जाल को उभार कर सज्जित करती तथा विभिन्न प्रकार के सुगन्धित पुष्पो द्वारा श्रृंगार करती थीं।<sup>144</sup> इसी प्रकार समीक्षा धीन साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि मध्य युगीन स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के सौन्दर्य प्रसाधनो से भली भाँति परिचित थी। सिर से नख तक श्रृंगार वस्त्र और आभूषणों के प्रयोग के द्वारा वे अपने प्राकृतिक सौन्दर्य मे और अधिक वृद्धि का प्रयास करती थी।

---

142 विद्यापति पदावली प्रथम सस्करण 1952 पद 91 दोहा 12 प0 145 तथा पद 129 दोहा 10 प0 204

143 सूर सागर खण्ड दो, प0 151 पद 3121 प0 174 पद 3237 विद्यापति पदावली रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी द्वारा सम्पादित पद 62 प0 89

144 कीर्तिलता (डा0 वीरेन्द्र श्रीवास्तव) पद 134 - 40 प0 79 तथा कीर्तिलता (चिरगांव, झासी) साहित्य सदन, प्रथम सस्करण द्वितीय पल्लव छन्द 24 दोहा 136 प0 84, तथा पदमावत प0 44-45 पद 38

## मध्यकालीन स्त्रियों का आर्थिक योगदान

विद्या एव ज्ञान प्राप्त करने के क्षेत्र में भारतीय नर नारियों को वैदिक काल से एक ही स्तर पर आका जाता था।<sup>1</sup> परदा प्रथा के प्रभाव के कारण मुसलमान तथा हिन्दू दोनों की स्त्रियों की शिक्षा की ओर उचित अभिरूचि लेने से वंचित रही।<sup>2</sup> तथा मध्यकालीन भारतीय स्त्रियाँ अपने विशेषकर कुलीन एवं समृद्ध वर्ग की स्त्रियाँ अपने अभिभावकों द्वारा नियुक्त निजी शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करती थी।<sup>3</sup> कुलीन वर्ग व मुसलमान शासकों के लोगों में पुत्रियों की शिक्षा की स्वतंत्र व्यवस्था थी। कुछ ऐसी भी शिक्षण सस्थाओं की व्यवस्था थी जहाँ हिन्दू बालक तथा बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर तक सह शिक्षा का प्रबन्ध था।<sup>4</sup> मुस्लिम बालिकाएँ भी प्राथमिक विद्यालय तक सह शिक्षा प्राप्त करती थी। इसके बाद की इनकी शिक्षा वैयक्तिक गृहों या किसी सस्था विशेष में होती थी।<sup>5</sup> इन मध्यकालीन शिक्षण सस्थाओं व वैयक्तिक आश्रमों के शैक्षणिक केन्द्रों के अतिरिक्त मनोरजनात्मक तथा पौराणिक कथाएँ शिक्षा का एक उत्तम साधन थीं। हिन्दू स्त्रियाँ इस कथा पद्धति से विशेषरूप से प्रभावित थीं।

- 
- 1 नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग-10 वि० सं० 1986 पृ० 533,38 में प्रकाशित श्रीमति अन्नपूर्ण देवी द्वारा लिखित स्त्री शिक्षा शीर्षक लेख।
  - 2 एफ० इ० की० इण्डियन एजुकेशन इन ऐन्सियेन्ट एण्ड लैटर टाइम्स ओ० यू० पी०, लंदन द्वितीय संस्करण, 1938, पृ० 77
  - 3 वही
  - 4 ए एल श्रीवास्तव, मेडियवल इण्डियन कलचर, आगरा, प्रथम संस्करण, 1964, पृ० 113
  - 5 रेखा मिश्रा, वीमेन इन मुगल इण्डिया (1526-1748) दिल्ली, नवम्बर 1967, पृ० 12

निरूपित काल में पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा में कोई विभेद दृष्टिगोचर नहीं होता।

विद्यालय की शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त तत्कालीन बालिकाओं के गृहविज्ञान की भी विशेष शिक्षा-प्रदान की जाती थी। प्राथमिक शिक्षोपरान्त बालिकाएँ, प्रौढ़ स्त्रियों की, देखरेख में गृह-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करती थी। उच्च शिक्षा, प्राप्त करने का अवसर सौभाग्यशालिनी स्त्रियों को ही प्राप्त होता था।<sup>6</sup> समकालीन ग्रन्थों से कुलीन परिवार की महिलाओं की उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या का ज्ञान होता है। योग्य राजकन्याओं को वेद, कामशास्त्र<sup>7</sup>, छन्दशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, तन्त्र-विद्या, गणित, उपनिषद्, संगीतशास्त्र<sup>8</sup>, कल्पशास्त्र, चित्रकला<sup>9</sup>, गृह-विज्ञान<sup>10</sup> आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। हिन्दू बालिकाओं को पारिवारिक सुख-शान्ति के लिए विश्वश्रेष्ठ विनयपाठ की विशेष शिक्षा दी जाती थी।<sup>11</sup>

चन्दबरदाई रचित प्रसिद्ध रचना 'पृथ्वीराज रासो' में राजकुमारी सयोगिता की शिक्षा का उल्लेख उपलब्ध है। राजकुमारी सयोगिता मदना ब्राह्मणी द्वारा

---

6. एस० एम० जाफर, कलचरल आस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रूल इन इन्डिया, पेशावर प्रथम संस्करण 1929 पृ० 85।

7. मङ्गलकृत 'मधुमालती', डॉ० माता प्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित तथा मित्र प्रकाशन (प्रा०) लि०, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित, 1961, दोहा, 550, पृ० 395।

8. जायसी कृत 'पदमावत' साहित्य सदन चिरगाँव (झासी) प्रथमावृत्ति, 2012 वि० सं० दोहा 168 पृ०-161।

9. वही।

10. चन्दबरदायी कृत 'पृथ्वीराज रासो' साहित्य सस्थान, राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर, (राजस्थान) प्रथम संस्करण, वि०स० 2011 तृतीय भाग, दोहा, 17-पृ० 221।

11. वही दोहा-28 कवित उ० प्र० - 226-27।

संचालित विद्यालय मे अध्ययन करती थी। जहाँ अन्यान्य कुमारियो के सग कन्नौज नरेश जयचन्द की सुपुत्री भी विद्या अध्ययन करती थी।<sup>12</sup> राजकुमारी सयोगिता के साथ रजोगुण-युक्त एक सौ दस छात्राएँ भी अध्ययन करती थी, जिनमे एक सौ पाँच विविध देश के नरेशो की राजकन्याएँ सम्मिलित थी।<sup>13</sup> रूपवती सयोगिता की शिक्षा के लिए राजा जयचन्द ने उत्तम चरित्र युक्त वृद्ध शिक्षिका को नियुक्त किया था।<sup>14</sup> उसे आरम्भ मे गृहविज्ञान एव धर्म शास्त्र की शिक्षा दी गयी।<sup>15</sup> सयोगिता यौवनावस्था के प्रारम्भ मे जब बारहवर्ष नौ मास और पाँच दिन की हो गयी तो-शिक्षिका मदना उसके हृदय मे पटुता और सुघडता की शिक्षा उतारने लगी।<sup>16</sup> तदुपरान्त शिक्षिका के सयोग से संयोगिता नियम और विनयपाठ पढ़ने लगी।<sup>17</sup> नारी शिक्षा की प्रत्यक्ष झलक मलिक मुहम्मद जायसी रचित 'चित्ररेखा' से भी मितली है। नायिका चित्ररेखा का विद्यारम्भ पाँच वर्ष की अवस्था से होता है। वह गुरु गणेश के निरिक्षण मे अध्ययन करती है जब तक वह पूर्ण विदुषी नही हो जाती तब तक उसका अध्ययन क्रम निरन्तर चलता रहता है—

“पाँच बरिस में भई सोबारी, रसना ओब्रित बैन सँवारी।

लाग पढावई गुरु गनेसू, भई पडित सम सुनी बरेसू।<sup>18</sup>

---

12 वही, तृतीय भाग दोहा-1, पृ०-224।

13 वही दोहा-16, पृ० -221।

14 वही, दोहा:13, पृ०-219 तथा पृ० -245।

15 वही, दोहा-17, पृ०-221।

16 वही, दोहा-4, पृ०-216।

17 वही, विनय मगल, 19, पृ० 222।

18 मलिक मुहम्मद जायसी कृत 'चित्ररेखा' हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, प्रथम संस्करण, अप्रैल 1959, पृ०-81।

इसके अतिरिक्त मङ्गनकृत मधु मालती से भी विक्रम राजकुमारी मधुमालती के विद्याध्ययन का उल्लेख मिलता है। वह पूर्ण शिक्षित थी। उसने 'कामशास्त्र' का अध्ययन किया था।<sup>19</sup> मधुमालती अपनी माता के आग्रह पर अपनी प्रिय सहेली प्रेमा को पत्र लिखती है। कवि मङ्गन मधुमालती के पत्र लिखने का वर्णन इस प्रकार करता है—

“समाचार जेत इहा के रहे, तै सम लिखि कागर पर कहे”<sup>20</sup>

वह राजकुमार मनोहर के पास भी प्रेमपत्र प्रेषित करती है। विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपनी अभिन्न सहेली प्रेमा को पत्र लिखकर आमंत्रित करती है।<sup>21</sup> मधुमालती की सखी चित्रसेन की राजकुमारी प्रेमा भी शिक्षित थी। एक अवसर पर उसने राजकुमार मनोहर को अपनी सहेली मधु मालती का पत्र पढ़कर सुनाया था। साथ ही उसने अपनी सखी के पत्र का उत्तर कागज पर स्याही से सुन्दररिति से लिखकर दिया था।<sup>22</sup> कुतुबन कृत 'मृगावती' की नायिका मृगावती भी शिक्षित थी। उसे काम शास्त्र का ज्ञान था।<sup>23</sup> राजकुमारी पद्मावती की शिक्षा पाँच वर्ष की आयु से ही आरम्भ होती है। उसे विविध प्रकार की शिक्षा दी जाती है साथ ही पुराणों का अध्ययन भी करती है। अध्ययन के बल पर ही वह पूर्ण विदुषी बन जाती है। रूप लावण्य के साथ-साथ उसके विद्वता की प्रसिद्धि

---

19 मङ्गनकृत 'मधुमालती' मित्र प्रकाशन प्रा० लि०, इलाहाबाद, 1961 दोहा 450 पृ०- 395।

20 वही दोहा- 400 पृष्ठ -349 कवि।

21 वही दोहा-433 पृष्ठ -379।

22 वही दोहा-423 पृष्ठ -370।

23 कुतुबन कृत मृगावती सम्पादक डा० शिव गोपाल मिश्र प्रथम सस्करण, हि सा स द्वारा प्रकाशित प्रयाग शक सम्वत् 1885, पृष्ठ 143।

चारों दिशाओ मे फैल जाती है। जायसी ने पद्मावत मे इसका उल्लेख इस प्रकार किया है—

पाँच बरसि मँह भई सो वारि। दीन्ह पुराण पढ़ै बैसारी।

मै पद्मावती पडित गुनि, चहुँखण्ड के राजन्ह सुनी ॥

सिहाल दीपराज हार बारि, महा सुख दैव औतारी।

एक पदुमिनी औ पडित पढी, कहूँ केहि जोग दैय असि गढी ॥

जा कहँ लिखि लच्छि घर होनी, असि सो पाव पढी औलानी।

सप्तदीप के बर औ ओनाही, उत्तर पावही फिरि-फिरि जाहीं ॥२४

वह चित्रकला तथा वीणावादन मे भी निपुण दिखाई पडती है २५ निरूपित काल की साक्षर हिन्दू महिलाओं मे लखीमा देवी, विश्वास देवी<sup>२६</sup> तथा कवि विद्यापति की पुत्रवधू चन्द्रकला<sup>२७</sup> की भी गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त विविध स्थानो मे तत्कालीन शिक्षित नारियो मे सूर्यमती<sup>२८</sup> लीलावती, राणकदेवी, लल्लेश्वरी (लल्लेयोगेश्वरी) को सस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन था। वह कश्मीर के प्रारम्भिक समाज तथा शिक्षा सुधारकों मे से एक थी। उसने सस्कृत के स्थान पर सुलभ कश्मीरी भाषा को अपने सिद्धान्तो के प्रचार का माध्यम बनाया २९

---

24 जायसी कृत पद्मावत सा० स० चिरगाँव झासी प्रथमावृत्ति वि० स० 2012 दोहा 53 पृष्ठ - 53।

25 वही दोहा-168 पृष्ठ-161।

26 विद्यापति कृत कीर्तिलता सा०स०चि०ज्ञा० प्र०स० 1962 पृष्ठ-10।

27 आर०-आर० दिवाकर बिहार थ्रू द एजेज, औरियन्ट लॉगमैन, 1959 पृष्ठ-414।

28 ए०बी० कीथ ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, लण्डन प्र० स० 1920 पृष्ठ-281।

29 आर० के० परमकृत ए हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन काश्मीर (1320-1819)

तारा<sup>30</sup> और आनन्दी<sup>31</sup>के नाम आते हैं। तुर्क अफगान कालीन कुछ ज्ञान प्राप्त एव निपुण शासक नारी-शिक्षा की ओर अग्रसर थे। उन्होंने अपने राज्य में बालिकाओं के लिए विद्या अध्ययन हेतु अनेक विद्यालयों का निर्माण कराया।<sup>32</sup> माबार का सुल्तान स्त्री शिक्षा के लिए बहुत उत्सुक था। इब्नबतुता ने उसके राज्य का भ्रमण किया और माबार (हनौर) की नारियों के बारे में वह लिखता है—

“हनौर का शासक सुल्तान जलालउद्दीन बहुत शक्ति शाली तथा मृदु स्वभाव का था। वहाँ की समस्त स्त्रियों को कुरआन कठाग्र था। हनौर नगर में बालिकाओं के तेरह तथा बालकों के लिए तेईस विद्यालय थे।<sup>33</sup> नारी शिक्षा की यह स्थिति देखकर इब्नबतुता को आश्चर्य हुआ। सल्तनत काल के मालवा के सम्राट गियासुद्दीन खिलजी (1463-1500 ई०) भी नारी शिक्षा के प्रति विशेष रूचि रखते थे उनके दरबार में पंद्रह हजार स्त्रियाँ थी। सम्राट की आज्ञा से उन स्त्रियों को अनेक प्रकार की कलाओं व्यवसायों और संगीत की शिक्षा प्रदान की गई। नारियों को विभिन्न समूहों में बाँट कर किसी न किसी कला के साथ जोड़ा गया था। उदाहरण के लिए एक समूह को राजमहल की पहरेदारी अस्त्रों, शस्त्रों की सुरक्षा और चाऊस (सेना तथा दरबार की पक्तियों को ठीक करने वाली) के लिए नियुक्त किया गया था। कजा (न्यायाधीश), एहतिसाब (धार्मिक नियमों की जाँच) अजान (नमाज के समय से सूचनार्थ) खुतबा (एक प्रकार का धार्मिक प्रवचन), इमामत (नमाज पढ़ाने के नेतृत्व), बाज (धार्मिक प्रवचन), नियामत

---

पिपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लि० ने दिल्ली अगस्त 1969, पृष्ठ-109।

30 मनुशर्मा राणा सागा हि० प्र० पु० बनारस प्र० सं० पृष्ठ-42।

31 वही।

32 एस० एम० जाफर एजूकेशन इन मुस्लिम इण्डिया पेशावर, प्र० सं०, 1936 पृष्ठ-198।

33 दि रेहुँला ऑफ इब्नबतुता, ओरियन्टल इन्स्टिट्यूट, बडौदा, 1953 पृ० 179, पुनः देखिये वायजेज डि इब्नबतुता (अरबी मूल ग्रन्थ), भाग 4, पृ० 67।

(परामर्श दाता), इफ्ता ( धार्मिक परामर्श दाता), किरअत ( उचित स्वर मे कुरआन पाठ), और विद्या अध्यन का कार्य भार स्त्रियो को सौपा गया था। स्त्रियो की बस्ती मे अलग से मदरसा बनाया गया था। स्त्रियोँ सम्राट को कुरआन और हदीस सुनाती थी। यहाँ मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के अन्तःपुर की लडकियो की शिक्षा का उल्लेख है। इन लडकियो में से प्रत्येक को उनकी कला के अनुसार किसी न किसी कला की शिक्षा दी जाती थी। कुछ को नृत्य और सगीत की कला अन्य को पढना सस्वर पाठ करना, वीणावादन, ढाल चलाना तथा कुछ को मल्लक्रीडा सिखाया जाता था।<sup>34</sup> राजपरिवारो की पढी लिखी और विदुषी नारियो का उल्लेख उपलब्ध है। उदाहरण के लिए इल्तुतमिश की पटरानी शाह तुरकान को शासन व्यवस्था की अच्छी तरह से ज्ञान था अपने बेटे रुकुनुद्दीन को (जो कि उसका अतिप्रिय पुत्र था) विलास मे डूबा हुआ देखकर शाह तुरकान ने शासन का कार्य-भार अपने हाथ में ले लिया और स्वय निर्णय देना शासन के कार्यों का सम्पादन रजाज्ञा आदि प्रेषित करना शुरू किया।<sup>35</sup>

इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरणो मे रजिया सुल्तान का नाम है। रजिया सुल्ताना एक योग्य पिता की पुत्री थी। युद्ध कला मे अच्छी तरह से प्रवीण थी। इतना ही नही युद्ध कला के अतिरिक्त एक योग्य राजा के लिए जिन प्रशासनीय गुणो की आवश्यकता होती है वे सभी गुण उसमे थे। वह अपने पिता इल्तुतमिश के शासन काल मे शासन व्यवस्था मे भाग लिया करती थी। रजिया सुल्ताना अपने

---

34 जे ब्रिग्स, तारीख-ए-फरिश्ता, भाग 4, पृ०-236, तथा मुल्लाअब्दुल बकी, नहाबन्दी, मासीर ए रहीमी भाग-1 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बगाल, 1924, पृ० 145, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबर भाग-3 बिब, इण्ड, कलकत्ता 1939, पृष्ठ 544-545।

35 मेनहाज उज शिराज तबकात-ए-नासिरी, अनुवादक मेजर एच० जी० रेवर्टी लन्दन, 1881, पृष्ठ-6321।



काल की पूरी तरह से योग्य शासिका एव विदुषी नारी थी।<sup>36</sup> रजिया सुल्ताना को अश्वारोहण और सैन्य संचालन के बारे में भी अच्छा ज्ञान था।<sup>37</sup> उसे नारी कर्तव्यों के ज्ञान के साथ ही राजनीति और राज्य से सम्बन्धित समस्तपक्षों का ज्ञान था।<sup>38</sup> वह कुरआन का पाठ का शुद्ध उच्चारण के साथ करती थी।<sup>39</sup> गुलाम वश के सुल्तान नासि उद्दीन के समय के इतिहासकार मिहिनाज-उस-सिराज ने अलाउद्दीन जहाँ रोजा की पौत्री राज कुमारी माहमलिका के जिसे जलाल-उ-दुनिया भी कहते हैं-विद्वता की बड़ी प्रशंसा की है। उसके द्वारा लिखे गये लेख को “राजकीय मोती” की सजा दी है।<sup>40</sup> इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों में सुल्तान जलालउद्दीन की पत्नी का नाम है। बरनी लिखता है कि जलालउद्दीन के मरने के बाद अपने सबसे छोटे बेटे को दिल्ली का सिंहासन प्रदान किया और ‘मलिका जहाँ’ स्वयं सरक्षिका बनी। सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था और शासन प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। उसके शासन काल में राज्य से सम्बन्धित समस्त प्रार्थनापत्र उसके ही सामने रखे जाते थे। और वह उस पर स्वयं निर्णय देती एव आज्ञा प्रदान करती थी।<sup>41</sup> इसी प्रकार सुशिक्षित स्त्रियों में सुल्तान अलाउद्दीन की बेटा फिरोजा का नाम है। फिरोजा एक विदुषी स्त्री थी। उसे सकुन निकालने की विद्या का अच्छी तरह से

---

36 वही, पृ० (637-638)

37 ए० एल० श्री० मेडियेवल इण्डियन कल्चर, शिवलाल अग्र० एण्ड कम्पनी, आगरा प्र० स० पृ०-168।

38 जान एच पूल, फेमस विमेन ऑफ इण्डिया, सुशील गुप्त (इण्डिया), लि, कलकत्ता 12, द्वारा प्रकाशित, दि० स०, 1952, पृ० (83-84)।

39 जे ब्रिग्स, तारीख-ए-फरीश्ता भाग 1, पृ० 2/7।

40 मिनहाज-उस-सिराज, तबकातए-नासरी अग्रेजी अनुवाद, लन्दन, 1881 पृ० 392, तथा एस० एफ० जाफर एजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया, पेशावर, प्र० स० 1936, पृ० 192।

41 जियाउद्दीन बरनी, तारीख ए फिरोजशाही सैय्यद अहमद खा द्वारा सम्पादित विभ इण्ड कलकत्ता, 1862 पृ० 238।

ज्ञान था अच्छी ज्योतिष विद्या के ज्ञान के साथ ही उसे अपने पूर्व जन्म के बारे में भली-भांति ज्ञान था।<sup>42</sup> गियासुद्दीन तुगलक की बेटी खुदाबन्द ज्यादा पूर्णतः साक्षर महिला थी वह वाद-विवाद करने में निपुण थी। फिरोज तुगलक के साथ काफी समय तर्क-वितर्क में बिताया करती थी।<sup>43</sup> सुल्तान बहलोल लोदी के राजमहल की सभी स्त्रियाँ पूरी तरह से साक्षर थी। उसके समय में दरबार में सत्तर गुलाम स्त्रियो को कुरआन अच्छी तरह से कठाग्र था। जब वह अपना वस्त्र बदलता था तो स्त्रियाँ कुरआन की पक्तियों पढ़ती थी।<sup>44</sup> इसी प्रकार सिकन्दर लोदी के समय में साधारण परिवार के स्त्रियाँ भी फातिहा (कुरआन का प्रथम अध्याय जो किसी मृत व्यक्ति की आत्मा की शान्ति के लिए पढ़ा जाता है) पढ़ लेती थी।<sup>45</sup> वाक्यात-ए-मुश्ताकी में उल्लिखित है कि सिकन्दर लोदी के शासन काल में दरबार में दिलदार गाचा नाम की एक अत्यन्त विदुषी महिला थी।

इस प्रकार इस काल में स्त्री शिक्षा केवल राजघरानों और समृद्ध व्यक्ति तक ही सीमित थी। उनकी स्वतंत्रता का हास पर्दा प्रथा से हुआ जिसके कारण शिक्षा की धीरे-धीरे अवनति होती चली गयी। समाज के निम्न वर्ग और गरीब परिवार की स्त्रियो को शिक्षा का उचित अवसर और अवकाश मिलना कठिन था। इसलिए ग्रामीण स्थानों का नारी-समूह यदि अशिक्षित रह गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विद्यार्जन के क्षेत्र में कुछ हिन्दू शासक भी तुर्क-अफगान सुल्तानों

---

42 जयन्त कृष्ण दवे, गुजराती साहित्य का इतिहास, हिन्दी-समिती, सूचना विभाग उ० प्र० (लखनऊ) प्र० स० 1963, पृ० 83।

43 महदी हुसैन द तुगलक डाईनेस्टी, थाक्कर, स्पिक एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि० कलकत्ता, 1963, पृ० 80।

44 निजामुद्दीन अहमद, तबकात-ए-अकबरी, भाग-3 बिब इण्डि०, कलकत्ता 1939, पृ० 54 7।

45 सैय्यद अतहर अब्बास रिजवी, उत्तर तैमुर कालीन भारत भाग-1, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, अलीगढ मुस्लिम युनीवर्सिटी, अलीगढ, प्र० स० 1958 पृ० 123।

से कम नहीं थे। हिन्दू शासको ने अपने आत्मजो की सर्वांगीर्ण और सम्पूर्ण शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध करते थे। राजाओ के पुत्रो को वेद वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष<sup>46</sup>, कामशास्त्र<sup>47</sup>, सगीत<sup>48</sup> स्मृति, काव्य धर्मशास्त्र, दर्शन, शास्त्र आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उन्हे मानसिक शिक्षा के साथ-साथ पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। मानसिक और शारीरिक शिक्षा सहगामी थी।<sup>49</sup> राजकुमारो की शिक्षा प्रायः पाच साल की उम्र से शुरू होती थी।<sup>50</sup> महाकवि चन्दवरदाई द्वारा रचित ग्रन्थ पृथ्वी राज रासो मे प्रसिद्ध राजपूत शासक पृथ्वी राज चौहान की शिक्षा का उल्लेख है। इस-ग्रन्थ से पता चलता है कि राजकुमार पृथ्वीराज ने अपने कुल के पुरोहित गुरु राम से विद्याप्राप्त किया था उनके गुरु ने उन्हे चौदह तरह की विधाओ में निपुण कराया और पाटी पर सुन्दर लिपि मे लिखने की कला भी सिखाई इसके बाद पृथ्वीराज ने बहत्तर कलाओ मे दक्षता प्राप्त करके निबंधों की जानकारी प्राप्त की साथ ही साथ प्रत्येक काम के कारणो की पूरी जानकारी प्राप्त करके वह चौरासी प्रकार के विज्ञानो के ज्ञाता बन गये। यहाँ कवि चन्दवरदाई ने चौहान राजा पृथ्वी राज की शिक्षा का उल्लेख इस प्रकार किया है—

---

46 मझन कृत “मधुमालती”, मित्र प्रकाशन (प्रा०) लि० इलाहाबाद, 1961 छन्द 57, पृ० 47।

47 कुतबन कृत “मृगावती” हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग शक सम्वत् 1885,- पृ० 143।

48 चन्दवरदाई रचित “पृथ्वीराज रासो” प्रथमभाग, साहित्य सस्थान, राजस्थान विश्वविद्यापीठ उदयपुर द्वारा प्रकाशित, प्र० स० वि० स० 2011 दोहा-63 पृ० 29।

49 मझन कृत “मधुमालती” मित्र प्रकाशन (प्रा०) लि०, इलाहाबाद 1961, छन्द 58, पृ० 48।

50 वही छन्द 56, पृ० (46-47)।

“कोइक दिन गुरू राम पै, पढी सु विधा अथ ।

चवदे विद्या चतुर वर, लाई सीखपर लिप्प ।

कला बहुत्तरी करी कुसल, अति निबद्ध जिय जानी ।

हेत आदि जानत निपुन, चतुरा सीति विज्ञान ।<sup>51</sup>

इसके साथ ही पृथ्वीराज ने सुन्दर कला एव छत्तीस तरह के शास्त्रों के सचालन की शिक्षा प्राप्त की और सत्ताइस तरह से शास्त्रों के पढने एव शब्दों के शुद्ध उच्चारण में निपुण हो गये - कवि लिखता है

“सबद आदि दै निपुन अति सास्त्रह सत्ताबीस ।<sup>52</sup>

महाकवि चन्दबरदाई ने लिखा है कि राजकुमार पृथ्वीराज उस समय की प्रचलित सस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, पिशाचिका, मागधी, एवं सुरसेनी—इन छः भाषाओं का ज्ञान रखते थे। “पृथ्वी राज-रासो में पृथ्वी राज की शिक्षा का उल्लेख इस प्रकार है—

“सस्कृत प्राकृत चैव, अपभ्रंश पिशाचिका

मागधी, सुरसेनी च षट् भाषश्चैव ज्ञायते ।”<sup>53</sup>

---

51 चन्दबरदायी रचित, पृथ्वीराज रासो, भाग-1 साहित्य सं० राजस्थान, विश्वविद्यापीठ उदयपुर, प्र० सं० 2011, दोहा-6061 पृ० 28 ।

52 वही, खण्ड-एक ( आदि -कथा ) दो०-64 पृ०-29 ।

53 वही, श्लोक-65 पृ० 29 ।

वह छत्तीस लक्षणो से युक्त-चित्रकला एव सगीत का भी ज्ञाता था।<sup>54</sup> महाभारत कालीन वीर अर्जुन (पार्थ) के समान ही पृथ्वी राज धनुर्विद्या मे भी पारंगत था। कवि ने उसका वर्णन इस प्रकार किया—

“पृथ्वीराज चौहान, बन पारथ बली, बडह।”<sup>55</sup>

मध्यकालीन हिन्दी ग्रथ मृगावती मे हमे राजपरिवारो मे शिक्षा के सदर्थ प्राप्त होते है यह स्पष्ट होता है कि उक्तकाल मे मानसिक एव शारीरिक दोनो प्रकार की शिक्षाए प्रदान किये जाने पर जोर था।<sup>56</sup> शिक्षा के अन्तर्गत पुराणो की व्याख्या नाट्य शास्त्र, छन्द शास्त्र, अमर कोष, अश्व विद्या, काम शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा सगीत आदि मे निपुण किया जाता था।<sup>57</sup> मझन कृत मधुमालती जो मध्यकाल की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है उसमे इनके अतिरिक्त व्याकरण, ज्योतिष, योगशास्त्र का भी उल्लेख हमे मिलता है।<sup>58</sup> इस प्रकार हम कह सकते है कि विवेच्य काल मे निश्चित पाठ्यखम के अन्तर्गत सुनियोजित शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। यह शिक्षा विशेष रूप से अभिजात्य को सुलभ थी। उपरोक्त काल मे हमें शिक्षाओ के केन्द्रो के रूप मे मदरसों मकतबो के साथ-साथ सूफी सतो के खानकहो के विशेष उल्लेख मिलते है। हालाकि खानकहो मे मूलतः धार्मिक व आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता था।<sup>59</sup>

---

54 वही, दोहा-64 पृ० 29।

55 वही, समय-6 ( आखेट वीर वरदान ) कवित 63, पृ० 128।

56 कुतुबन कृत 'मृगावती' पृ० 101-102 उद्धत-साहू-पूर्वोक्त पृ० 170।

57 वही।

58 मझन कृत "मधुमालती" प०-47-48-छन्द, उद्धत साहू पूर्वोक्त पृ० 171।

59 साहू पूर्वोक्त पृ० 172 से 175।

अलबेरूनी ने अपनी पुस्तक में प्रचलित हिन्दू समाज के विभिन्न सामाजिक वर्गों का विस्तृत वर्णन किया है। जाति प्रथा की चर्चा करते हुए वह अपनी व्याख्या इस प्रकार आरम्भ करता है। “हिन्दू अपनी जाति को वर्ण अर्थात् रंग कहते हैं। तथा वशावली के दृष्टिकोण से उन्हें जातक अर्थात् जन्म कहते हैं। प्रारम्भ से ही ये चार जातियाँ थीं १६० ब्राह्मणों का उल्लेख करते हुए अलबेरूनी लिखता है — ब्राह्मण सर्वोच्च जाति के हैं जिनके विषय में हिन्दू ग्रंथों में कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई है। चूँकि ब्राह्मण ही परमात्मा की शक्ति का दूसरा नाम हैं। तथा सिर ही शरीर का सर्वोच्च भाग है। अतः ब्राह्मण ही समस्त जातियों के सिरमौर हैं। इसीलिए हिन्दू उन्हें मानव जातियों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं १६१ हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थों से उद्धृत करते हुए अलबेरूनी लिखता है क्षत्रियों को हृदय आतंकित करने वाला वीर और उच्च विचार वाला, भाषण के लिए तैयार व उदार होना चाहिए, उसे आपत्तियों से निश्चित होकर केवल उन महान कार्यों की पूर्ति की अभिलाषा करनी चाहिए जिनसे चिर आनन्द की प्राप्ति हो १६२ अलबेरूनी वैश्यों का उल्लेख इस प्रकार करता है। “वैश्य का यह धर्म है कि वह कृषि करे तथा ब्राह्मणों को उनकी आवश्यकताओं से निवृत्त करे १६३ चौथा वर्ण शूद्र था जो अपने से ऊपर तीनों वर्णों की सेवा किया करता था। अलबेरूनी आगे लिखता है “ शूद्र के बाद उन लोगों का स्थान है जिन्हें अन्तयज कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करते हैं। जिनकी गणना किसी भी जाति में नहीं होती। किसी विशेष शिल्पकार या पेशा करने वालों के रूप में उनकी गणना होती

---

60 अलबेरूनी इण्डिया, 1 (सचाऊ) पृ०-100।

61 अलबेरूनी इण्डिया-1 (सचाऊ) पृ० 100-101।

62 वही, पृ० 103।

63 वही, पृ० 136।

है। उनके आठ वर्ग होते हैं। जो कि धोबी, चमार और बुनकर को छोड़कर परस्पर वैवाहिक सबंध जोड़ते हैं। क्योंकि उनके साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने की किसी ने कृपा नहीं की। ये आठ श्रेणियाँ हैं- धोबी, चमार, मदारी, डोम तथा ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याधा और बुनकर ये गावो या नगरो के निकट चार जातियो से पृथक निवास करते हैं।<sup>64</sup> हादी, डोम, डोम्ब चाण्डाल तथा ब्राधातऊ की गणना निम्नतम वर्ग में होती थी। और उन्हें किसी भी जाति या कबीले में स्वीकृत नहीं माना जाता था अलबेरूनी लिखता है “ वे दूषित कार्य करते हैं जैसे गाव की सफाई करना तथा अन्य सेवा में उन्हें एक मात्र वर्ग का समझा जाता है। तथा अपने पेशे से वे पहचाने जाते हैं। वास्तव में उन्हें अवैध बच्चों की तरह माना जाता है क्योंकि सामान्यमतानुसार वे शूद्र पिता व ब्राहमणी माता के व्याभिचारों से उत्पन्न सन्तान हैं। अतः वे जाति भ्रष्ट पतित हैं।<sup>65</sup> विभिन्न जातियों और वर्गों के विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख करते हुए अलबेरूनी लिखता है। चारों जातियों के प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यवसाय और जीवन प्रणाली के अनुसार हिन्दू उसे विशिष्ट नाम से पुकारते हैं। उदाहरणार्थ जब तक ब्राहमण अपने घर में रहते हुए अपना कार्य करता है तब तक उसे उसके नाम से पुकारा जाता है। जब वह एक डोम का कार्य करता है तो उसे ‘इशितन्’ कहते हैं। यदि वह तीन अग्रि कार्य करता है तो वह ‘अग्रि होत्रिन’ कहलाता है। और जब वह अग्रि को नैवेध चढाता है तो ‘दीक्षित’ कहते हैं। यह प्रचलन ब्राहमणों की तरह अन्य जातियों में भी है। निम्न श्रेणी की जातियों में हादी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। क्योंकि वह स्वयं को गदगी से दूर रखते हैं। तदुपरान्त डोम है, जो सारंगी बजाते हैं और गीत गाते हैं। और भी निम्न श्रेणी के लोग मारने की और अदालत द्वारा आरोपित

---

64 वही- पृ0-101

65 वही- पृ0 101-102

दण्डो को कार्यान्वित करने का पेशा करते हैं। सबसे निकृष्ट बधातऊ है जो कि केवल मृत पशुओ का ही मास नही, बल्कि कुत्ते तथा अन्य जानवरो का मास भी खाते हैं।<sup>66</sup> मौलाना दाउद दलमई द्वारा रचित एक समकालीन हिन्दी कृति चादायन मे हिन्दुओ की विभिन्न जातियो का अल्लेख हमे मिलता है, जैसे वाम्मन अर्थात ब्राहमण, खतरी क्षत्रिय गौर, ग्वाला, गहरवार अर्थात गहडवाल, राजपूत अग्रवाल, अग्रवाल वैश्य तिवारी ब्राहमणो की एक उपजाति, हजमनान, हज्जाम या नापित गन्धई जो अन्न और सुगन्धित तेल बेचता है, सोनी सोनार और ठाकुर क्षत्रियो की एक उपाधि।<sup>67</sup>

हमने इनका उल्लेख मात्र इसलिए किया है कि हम अब उनकी स्त्रियो की जानकारी भी प्राप्त कर ले। इन वर्गों की स्त्रियो के योगदान का भी मूल्यांकन हम अपने अध्ययन के आधार पर कर सकते हैं क्योंकि इन वर्गों की महिलाए कन्धे से कन्धा मिलाकर अपने पुरुषो के साथ कार्य करके अपने परिवार व अपने पेशे को भी सम्मान व समृद्धि दिला रही थी।<sup>68</sup>

जैसा कि विदित ही है कि प्राचीन काल से ही नारी का प्रमुख कार्यक्षेत्र परिवार ही था, और परिवार के अभ्युदय के लिए वे स्वार्थों का उत्सर्ग करने मे अपना जीवन सार्थक मानती थी। मध्ययुगीन साहित्य में नारी के प्रमुख कर्तव्यो की विवेचना करते हुए लिखा गया है कि उनके मुख्य कर्तव्य थे परिवार के जनो की सेवा करना, भोजन बनाना एव बच्चो का पालन पोषण करना। आत्म सयम और

---

66 वही- पृ0- 102

67 चाँदायन, डा0 परमेश्वरी लाल गुप्ता, द्वारा सम्पादित एव हिन्दी ग्रथ रत्नाकर (प्रा0) लि0 बम्बई द्वारा प्रकाशित, प्रथम सस्करण, छन्द-26 पृ0-90

68 देखे, डा0 हेरम्ब चतुर्वेदी का लेख 'कॉन्ट्रीव्यूशन ऑफ द वुमैन ऑफ द प्रोफेशनल क्लासेज टूवर्डस द मेकिंग ऑफ इण्डियन हिस्ट्री', अध्ययन खण्ड वर्ष पृ0-1



कुशलतापूर्वक धर के सभी कार्यों का प्रबन्ध करना इत्यादि 69 इन गृहस्थ कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे भी कार्य थे जिनके द्वारा महिलाएँ धनार्जन करती थीं और अपने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने में सहायक होती थीं। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मध्य काल में स्त्रियाँ विभिन्न जीविका अपनाती थीं। और समाज द्वारा उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। जीविका के द्वारा धनार्जन करने वाली स्त्रियों का मध्ययुगीन समाज में एक पृथक वर्ग था। इनके अन्तर्गत गणिकायें, देवदासियाँ, वारागनायें, सेवावृत्ति में रहने वाली दासियाँ, ग्वालिन, नाउन तथा बारबनिताओं का उल्लेख किया जा सकता है 70 साधारणतया सौन्दर्य यौवन व कार्यकुशलता द्वारा धनार्जन करने वाली स्त्रियाँ गणिकायें कहलाती थीं 71 समय-समय पर जैसे कि सार्वजनिक भोजों, व्योहारों, शादी-विवाह आदि में मनोरंजन के लिये वेश्याओं व नर्तकियों को आमंत्रित किया जाता था, इनके निवास हेतु नगरों से अलग मुहल्ले बने हुए थे सामान्यतः इन्हें रगी, गणिका, पातुर 72 नर्तकी तथा वेश्या 73 आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था। विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा का समाज से विलोप हो जाने के कारण वेश्यावृत्ति में वृद्धि हुई तथा लोगों का समाज में वेश्यावृत्ति में झुकाव अधिक होने के कारण मध्यकाल में इनकी संस्थाओं में और भी वृद्धि हो गयी, जब विधवायें, त्यागमय एवं कठोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करने में असमर्थ होती तो उन पर दुराचारी होने का

---

69 अमीर खूसरो कृत हश्त -बहिश्त पृ० 28, पी एन ओझा, नार्थ इण्डियन शोसल लाइफ, दिल्ली, 1975, पृ० 119 अलबेरूनी इण्डिया सचाऊ भाग-1 पृ-181

70 माता प्रसाद गुप्त कृत चादायन, पृ० 42 पद-44, पृ०-69, पद 71 पृ०-186 पद-191, सूरसारावली पृ०-142 पद-885

71 माता प्रसाद गुप्त कृत चादायन पृ०-187 पद-192

72 कुतुबन कृत मृगावती पृ०-209 पद-246 पृ- 212-213 छन्द-250

73 माता प्रसाद गुप्त कृत चादायन पृ-244 पद-252

आरोप लगाकर घर से निकाल दिया जाता था। परिवार के इस निष्ठुर व्यवहार से पीडित विधवा स्त्री जीवन यापन हेतु कभी-कभी वेश्यावृत्ति को अपनाने को बाध्य हो जाती थीं। गणिका का जीवन सगीत और ललित कला का सम्मिश्रित स्वरूप था। यही उनका प्रधान व्यवसाय भी था। आज की तुलना में मध्यकालीन समाज में गणिका आदर व सम्मान की पात्र थी। जनजीवन के सांस्कृतिक कार्य कलाप और विलासमय जीवन की वह महत्वपूर्ण अंग बन चुकी थी।<sup>74</sup> उदार चरित्र और सदाचार गणिकाओं की महारानियो तथा अन्य कुलीन स्त्रियो से भी यदा कदा तुलना की गयी है। गणिकाओं में श्रेष्ठ गुण की अपेक्षा की जाती थी। विशेष गुणों तथा व्यवहार से परिपूर्ण वे समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने की अधिकारिणी होती थी। ये गणिकाएँ प्रायः सुन्दर होती थी, अपने कपोल व शरीर के अन्य अंगों में विशेष रेखाकृति बनाती थी, जो चदन गोरोचन और कस्तूरी की होती थी।<sup>75</sup> उनके केश अत्यन्त लम्बे होते थे। आँखें बड़ी-बड़ी होती थी तथा उनकी सुमधुर आवाज उनके सौन्दर्य में और अधिक वृद्धि करती थी।

देवदासी प्रथा को वस्तुतः शासक एवं अभिजात वर्ग ने प्रश्रय प्रदान किया था। सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर में पांच सौ देवदासियाँ थीं जो अपने नृत्य द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सदैव तत्पर रहती थीं।

ग्रामीण समाज में बसने के कारण अहिरोँ के लिए प्रायः गवार अथवा गवारिन शब्द का प्रयोग किया गया है।<sup>76</sup> अपने श्रम से धर्नाजन करने के कारण वे

---

74 अलबेरूनी इण्डिया-भाग-2 सचाउ पृ०- 157 तथा विद्यापति की कीर्तिलता द्वितीय पल्लव, छन्द-24, दोहा-136, पृ०-84, छन्द-25 दोहा, 132-133

75 ऋतु जायसवाल "वीमेन्स योजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी- फ्राम द 10वी टू 13वी सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड इन कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी फिल उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध पृ० 187-189

76 सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ० 316 पद-3759

कीमती वस्त्रो जैसे लहगा इत्यादि धारण करती थी 177 वे पूरे साजो श्रृंगार के साथ रहती थी उनके लिए प्रायः ग्वालिन शब्द का प्रयोग भी हुआ है 178 मध्यकाल में ये पेशेवर जातियो के रूप मे ऊभर कर आ चुके थे। इनकी स्त्रिया इनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य के द्वारा आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती थी 179 उन्होने इस काल मे यादव जाति नाम का प्रयोग भी प्रारम्भ कर दिया था और वे आज तक उत्तर भारत मे इसी नाम से पहचाने जाते है 180 इस जाति विशेष की स्त्रिया न केवल अन्य कार्य मे हाथ बटाती थी बल्कि वे अपने परिवार के पुरुषो के लिए खाना आदि बनाकर गाव के बाहर चारागाह तक पहुँचाती थी 181 गाय भैसो द्वारा प्राप्त दूध से व दही जमाती थी और इसी से मक्खन निकालती थी दही और मक्खन का कारोबार वे मुख्यतः करती थी और इससे घर की आमदनी भी बढ़ाती थी 182 जायसी के पदमावत से हमे कायस्थ जाति एव उनकी स्त्रियो का उल्लेख मिलता है। जब वो लिखते है---

कैथिनि चली न समाइ न आगा 183

कायस्थ मूलतः लेखक एव प्रशासनिक पदो पर नियुक्त थे अतः धन एव पद के दृष्टिकोण से मध्यकालीन भारत मे वे एक महत्वपूर्ण समूहो के रूप मे स्थापित हो

---

77 सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ0-250, पद-3519

78 देखे सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ0 56 पद-172 पदभावत पृ0-130-31 पद-135

79 हेरम्ब चतुर्वेदी, "द रोल ऑफ प्रोफेशनल कास्ट वूमन" अध्ययन खण्ड

80 हेरम्ब चतुर्वेदी, द सोसाइटी ऑफ नार्थ इण्डिया इन द 16 सेन्चुरी---1 अप्रकाशित शोध प्रबन्ध इलाहाबाद वि0 वि0 पुस्तकालय पृ0- 103

81 वही

82 वही

83 पदमावत- पृ0 177 पद- 185

गये थे १४ मध्यकाल मे हमे पालकी ढोने वाले कहारो के निरन्तर उल्लेख मिलते हे । उनकी स्त्रिया उनके कार्यों मे किसी न किसी रूप मे मदद करती थी<sup>85</sup> उस काल मे धोबी भी समाज के आवश्यक अंग थे जिनके बिना लोग साफ सुथरे कपडे भी नही पहन सकते थे उनकी स्त्रिया अर्थात धोबिने न केवल धुलाई आदि मे उनकी मदद करती एव घर का काम-काज देखती अपितु लोगो के यहा पकडा पहुँचाने के कार्य मे सदैव उन्हीं के उल्लेख हमे प्राप्त होते हैं १६ इसी प्रकार हमें नाउ की पत्नी नाइन के उल्लेख भी हमे प्राप्त होते है । तीज त्योहार मे ये महिलाओ के साथ श्रृंगार से लेकर अपने जजमान के यहा ये अनेक प्रकार के कार्य करती थी जिसके लिए इनको अलग से इनाम दिया जाता था १७ नाइन के साथ अपरिहार्य रूप से कनछेदन, विवाह आदि उत्सवो पर हमें सदैव बारिन का उल्लेख भी मिलता है, जो इन अवसरो पर हमे सदैव बारिन का उल्लेख भी मिलता है, जो इन अवसरो पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी । इसीलिए इनको इस कार्य के लिये अलग से न्योछावर दिये जाने का उल्लेख मिलता है । इस काल मे सुनारो का बहुत महत्व था । उनकी पत्नी या सुनारिन को भी पर्याप्त प्रतिष्ठा प्रदान की जाती थी । मध्यकाल के समृद्धि के द्योतक थे तथा लोगों के आवश्यकता के अनुसार आभूषण आदि का निर्माण करते थे । पदमावत मे जायसी राजकुमारी की सखियो के रूप मे एक सुनारिन का भी उल्लेख करते है---

चली सोनारी सुहाग सुहाती---88

---

84 हेरम्ब चतुर्वेदी शोध प्रबन्ध पूर्वोक्त पृ0-81

85 वही - पृ0 85-86

86 वही पृ0 86-87 तथा 168

87 वही- पृ0 87-88

88 पदमावत, उद्धत हेरम्ब चतुर्वेदी, शोध प्रबन्ध, पूर्वोक्त-99

इसी प्रकार हमे कोरी या रस्सी बनाने वालों की महिलाओं के सदर्थ मिलते हैं चूँकि महिलाएँ और पुरुष दोनों मेहनत से कार्य करते थे अतः सामाजिक स्तर में काफी नीचा स्थान होने के बावजूद वे सुख से जीवन यापन करते थे १८९ इसी प्रकार हमे तेलीयों की स्त्रियों के उल्लेख भी मध्यकाल में प्राप्त होते हैं जो अपने पतियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर तेल निकालने का कार्य करती थी १९० चर्म शिल्प में प्रवीण चमार जाति का महत्व मध्यकाल में काफी था उनकी स्त्रियाँ चमारी अथवा चमारिन अपने जाति के पुरुषों के साथ चप्पल व जूतों के निर्माण एवं चर्म शिल्प के अन्य उत्पादों की रगई के कार्य में बराबरी की हिस्सेदारी करती थी १९१ इसी प्रकार मध्यकाल में पान का प्रचलन बहुत अधिक था, जैसा कि अलबेरूनी के विवरण से स्पष्ट होता है इस जाति विशेष की स्त्रियाँ तम्बोलिनी अथवा तम्बोलिन पान लगाने से लेकर बेचने तक अपने यहाँ के पुरुषों का साथ निभाती थी १९२ हमें इस काल में महिला लकड़ी काटने वालों के सदर्थ भी प्राप्त होते हैं जिन्हें लकड़हारिन या कठिहारी कहा गया १९३ इसी प्रकार घास काटने वाले या उस घास को बेचने वालियों के रूप में घासिन प्रसिद्ध थी १९४ तथा जो सब्जी उगाने और बेचने का कार्य करती थी उन्हें कुजड़ी कहकर सम्बोधित किया गया

---

८९ वही, पृ०- १६९

९० वही पृ०- १७०

९१ वही पृ०- १७०

९२ वही पृ०- १७२

९३ वही

९४ वही

है 195 अवलोकित काल मे कपडा उद्योग मे वस्त्रादि की रगाई के लिए रगरेजो के साथ-साथ इसी वर्ग की महिलाओ अथवा रंगरेजिनो का उल्लेख भी हमे प्राप्त होता है—

“जावक सौ कह पाग-रंगाई, रगरेजिनी-मिली को उबाल”96

किन्तु सबसे दिलचस्प सदर्थ कलवार जाति की स्त्रियों को कलवारी अथवा कलवारिन कहा गया है—

“चलकति-निकरी रूप सुनारी, निकरी मालिनी अऊ कलवारी”97 इनका सबसे दिलचस्प उल्लेख यही है कि ये अपने पुरुष वर्ग के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी। जिसके परिणाम स्वरूप इनके सामाजिक स्तर मे भी अभूतपूर्व सुधार हुआ जैसा कि उपरोक्त पद से स्पष्ट होता है वे राजघराने की स्त्रियो के साथ बैठने लगी थी 198 इसी प्रकार एक दिलचस्प उल्लेख हमे मध्यकालीन सामाजिक परिवेश मे भटियारिन अथवा सराय स्वामिनी का मिलता है। इसकी सरायों मे मात्र भूख-प्यास थकावट मिटाते तथा वे रात्रिविश्राम भी करते है। सराय की पूरी व्यवस्था भटियारिन ही करती थी 199 इसी प्रकार हमें एक अन्य वर्ग का उल्लेख प्राप्त होता है जिसके स्त्री समूह का योगदान

---

95 वही

96 सूरसागर-खण्ड 2 पृ० 147 पद-3103।

97 चादायन पृ०-238 पद-245।

98 हेरम्ब चतुर्वेदी का शोध प्रबन्ध, पूर्वोक्त पृ०-173।

99 वही।

कम नहीं था। इक साल मे चूकि बाग-बगीचो का बहुत महत्व था अतः माली से अपरिहार्य होते थे। अधिक कार्य होने की वजह से मालियो के साथ-साथ हमे इस वर्ग की महिला अथवा मालिन के भी उल्लेख हमे मिलते हैं—

“लै लौ बैठ फूल फुलहारी, पान अपूरब घरै सवारी”<sup>100</sup>

इसके अतिरिक्त मालिने विवाहोत्सव पर दूल्हे द्वारा सिर पर बाँधा जाने वाला तोरण भी बनवाती थीं। इसीलिए विवाह तथा अन्य मागलिक अवसरो पर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।<sup>101</sup> इसी प्रकार हमे मध्यकाल मे नट जाति की स्त्रियो के प्रदर्शन का उल्लेख प्राप्त होता है।<sup>102</sup> इनको जायसी बेडिनी कहता है<sup>103</sup> ये बाँस पर चढकर या रस्सी पर चलकर लोगो का मनोरजन करती थी—

“बेडिनि बांस चढति जनु आहा”<sup>104</sup>

ये मुखौटे लगाकर नाच गाकर भी लोगो का मनोरजन करती थी।<sup>105</sup> मध्यकाल मे हमें महिलाओ द्वारा पुरुषो के समान ही श्रम करने के भी उल्लेख मिले है। उनमे से एक उल्लेख महिला पानी भरने वालों अथवा पनिहारिनो का भी है—

---

100 पदमावत - पृ०-45-46 पद-39।

101 हेरम्ब चतुर्वेदी, शोध प्रबन्ध, पूर्वोक्त, पृ०-174-175।

102 सूरसागर खण्ड 1 पृ०-16 पद-45।

103 हेरम्ब चतुर्वेदी शोध प्रबन्ध पू० - पृ० 175।

104 चांदायन, माता प्रसादगुप्त पृ० - 186, पद - 191।

105 हेरम्ब चतुर्वेदी, शोध प्रबन्ध पू० पृ०-175।

“कूउटा एकु पच पनिहारी, टूटी लाज भरै मतिहारी कहू कबीर इक बुधि  
भीचारी, न ओहू कूअरा न पनिहारी”<sup>106</sup>

कुए पर पानी भरने का वर्णन लगभग कई मध्यकालीन कवियो ने किया है

पनिहारी कह देखि भुलाना

जेहिरे गाव ऐसी पनिहारी”<sup>107</sup>

समाज मे एक वर्ग ‘दूती<sup>108</sup> का भी था जो आर्थिक रूप से आत्म निर्भर  
था। दूती को ‘कुट्टिनी’ के नाम से भी जाना जाता था<sup>109</sup> ये मत्रो की शक्ति से  
सामने वाले को वश मे कर लेती थी। इसका विवरण हमे जायसी कृत पदमावत मे  
मिलता है-

“कुमुदिनी कहा देखु मै सो हौ, मानुस काह देवता भो हौ।

जस काँवरू चमारी लोना, को न छरा पाढित औटोना।

बिसहर नाँ चहि पाढित मारे, औ धरि यूँ दहि धालि पेटारें।

बिरिख चलै पाढित की बोला, नदी उलटि बह परबत डोला।

पाढित हरै पंडित मति गहरे औरू को अध गुग औबहिरै

पाढित औसी देवतन्द लागा, मानुस का पाढित हुति भागा।

---

106 सत कबीर पृ०-14 पद - 12 तथा पू० सख्या -53 पद-50।

107 मृगावती पृ०-206, पद-172 तथा पदमावत पृ० 37 पद -32

108 पदमावत पृ० 780 पद-548

109 वही पृ० 780 पाद टिप्पणी-4



पादित कै सुठि काढत बानी, कहा जाइ पदुभावति रानी ।

दूति बहुत पैज कै बोली पादित बोल ।

जाकर सन्त सुमेरू है लागै जगत न डोल ।<sup>110</sup>

अर्थात् ये अपनी मत्र शक्ति से सभी को वश में कर लेती है । तथा वाकपटु होती थी । ये वर्ग समाज में अत्यन्त सक्रिय वर्ग था जिन्हें राजा महाराजा का सरक्षण प्राप्त था । तथा आवश्यकतानुसार इनका उपयोग किया जाता था ।<sup>111</sup>

### दासी वर्ग -

मध्ययुगीन समाज में स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग था जो आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन करता था, इनका प्रमुख कार्य उच्च वर्ग की सेवा करना था । ये वर्ग दासी वर्ग था । राज परिवारों और धनिकों के वैभव वर्णन में सहस्रों दासियों का वर्णन समकालीन साहित्य में उपलब्ध होता है ।<sup>112</sup> दासी को अनेक नामों से सम्बोधित किया जाता था जैसे-दूती अथवा चेरी ।<sup>113</sup> प्रायः ये कार्यानुसार नाम भेद थे किन्तु यह विभाजन स्पष्ट नहीं है । राज कन्याएँ एवं रानियाँ सदैव ही अनेक दासियों से घिरी रहती थी । कन्या के विवाह में दहेज में उनके साथ दासियों को भी प्रदान किया जाता था यह प्रथा मध्ययुगीन अभिजात्य वर्ग में विद्यमान थी-

---

110 पदमावत- पृ० 781 पद- 585

111 विद्यावती की पदावली प्रथम , पृ०-82 पद-60 तथा सूरसागर खण्ड-2 पृ० 207 पद- 3411

112 पदमावत- पृ० 746 - 747 पद- 564

113 पदमावत - पृ० 477 पद- 385

“डाडी सहस चली सग चेरी”<sup>114</sup>

दासियो को सम्पत्ति के रूप मे भी लेना देना चलता था।<sup>115</sup> क्रय की हुई दासी को अपने स्वामी के परिवार मे सभी प्रकार के कार्य करने पडते थे।

यर्थात् मे दासी परिवार का एक अभिन्न अंग मानी जाती थी। तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य से उसके प्रति सद्व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी।<sup>116</sup> कन्याओ की सखी के रूप मे जो दासियाँ होती थी उनके साथ कन्याओ का व्यवहार सौहार्दपूर्ण होता था। तथा हास परिहास चलता रहता था उन्हे परिवार की अन्य स्त्रियो के साथ आमोद प्रमोद के भी पर्याप्त अवसर मिलते थे।<sup>117</sup>

## गणिका अथवा वेश्या

सौन्दर्य, यौवन व कला कौशल द्वारा धर्नाजन करने वाली स्त्रिया प्रायः गणिका कहलाती थी। समीक्षाधीन अवधि मे इनकी संख्या बहुत अधिक थी। सार्वजनिक भोजो, शादी-विवाह, त्योहारो आदि मे मनोरजन हेतु समय-समय पर नर्तकी व वेश्याओ को आमंत्रित किया जाता था। इनको सामान्यतः नर्तकी<sup>118</sup>

---

114 पदमावत पृ0-477 पद-385

115 वही

116 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ0 - 133 पद- 416

117 पदमावत, पृ0 746-447 पद-564

118 चैतन्य भागवत, पत्रिका हाउस बाग बाजार कलकत्ता पृ0-60

वेश्या अथवा बेसा<sup>119</sup> छिनार<sup>120</sup> पातुर या पतुरिनी<sup>121</sup> आदि नामो से पुकारा जाता था। इनके निवास हेतु नगरो मे अलग से मुहल्ले बने हुए थे-

“पुनि सिगार हाट घनि देसा, कह सिगार तह बैठी बेसा  
मुख तबोर तन चटि कुसुमी, कानन्ह कनक जराऊ खूँभी  
हाथ बीन सुनि मिरिग भुलाही, नर मोहहिं सुनि पैगुन जाही  
भौह धनुक तह नैन अहेरी, मारही बान सान सौ फेरी  
अलक जोल डोल हसि देही, लाइ कटाख मारि जिउ लेही  
कुच कचुक जान हूँ जुग सारी, अचल देहि सुभा वहि ढारी  
लेत खेलार हारि तेन्ह पासा, हाथ झारि होइ चलहि निरासा।”<sup>122</sup>

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वे अलग से बाजार मे निवास करती थी। तथा हाव भाव से लोगो को अपनी ओर आकृष्ट करती थी। और उनका मन बहलाती थी तथा पान का सेवन करती थी। विभिन्न प्रकार के सुन्दर वस्त्र व जडाऊ गहने पहनती थी। जब तक उनके पास धन होता था तब तक उनकी जान पहचान रहती थी। धन समाप्त हो जाने पर वे उन्हें पहचानती तक न थी-

---

119 चादायन माता प्रसाद गुप्त- पृ०-244 पद- 252

120 वही पृ०-243 पद-251, तथा पृ०-260 पद-267

121 मृगावती , कुतुबन कृत पृ०-209- पद-246 तथा पृ०-212-213

122 पद्मावत- पृ०- 44-45 पद-38

“चेरक लाइ हरहि मन जौ लहि गथ है फेट

साठि नाठि उठि भए- बटाऊ न पहिचान न भेंट।”<sup>123</sup>

अलबेरूनी वेश्याओ की चर्चा करते हुए लिखता है कि “ लोग वेश्याओं को अपमान की दृष्टि से नहीं देखते और उसके लिए उन्हें सामाजिक अनुमति मिली हुई है। वेश्याओ को दण्ड देने के मामले में हिन्दु क्रूर नहीं है। इस सम्बन्ध में दोष राजाओ का है न कि समस्त राष्ट्र का। यदि ऐसा न होता तो ब्राम्हण या पुरोहित नाच-गान और क्रीडा करने वाली स्त्रियो को अपने मूर्ति मदिरो में घुसने नहीं देते। यही नहीं राजाओ ने उन्हें आर्थिक कारणो से नगर में आकर्षण के रूप में रखा था। ताकि प्रजाजन आनन्द ले सकें। इससे करो और दण्ड के रूप में जो आय होती थी उससे सेना पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती थी।”<sup>124</sup> ऐसा आर्थिक कारण से किया जाता था।

मध्यकालीन कवि विद्यापति ने भी “कीर्तिलता” में जौनपुर की रूपवती स्त्रियो की, जो वार-वनिताओ के रूप में कार्य करती थी, उनकी विस्तृत चर्चा की है। जौनपुर की वेश्याएँ अवैध तरीको से अपनी जीविका चलाती थी और लोग अपनी काम-पिपासा के लिए उनका इस्तेमान करते थे।<sup>125</sup> ये लुभावनी औरते एक बाजार में एकत्र होती थी और अन्य युवतियों को अपने पेशे में लाने के लिए

---

123 पद्मावत- पृ०- 44-45 पद- 38

124 अलबेरूनी इण्डिया भाग-2 (सचाउ)-पृ०-157

125 विद्यावती रचित कीर्तिलता, सम्पादक बी एस अग्रवाल, प्र०- साहित्य सदन चिरगाव (झासी) प्रथम सस्करण 1962, द्वितीय पल्लव, छन्द, 16, दोहा-113-118, पृ० 78-79

प्रलोभन देती थी।<sup>126</sup> उनकी लज्जा अस्वाभाविक थी और रूप रग कृत्रिम। वे दूसरो को लुभाने के लिए विनम्रता का प्रदर्शन करती थी। जबकि उन्हें केवल धन से प्रेम था, साथ ही वे अपना धन बढ़ाने के लिए अत्यधिक लुब्ध थी। अपने पति से वचित होते हुए भी वे अपनी माग में सिन्दूर भरती थीं जो वास्तव में उनकी बदनामी का प्रतीक था। इसका उल्लेख विद्यावती ने इस प्रकार किया है-

“लज्जा कित्तिम कपट तारूण

धन निमित्ते धाए प्रेम

लोर बिना सौभाग्ये कामन

बिनु स्वामी सिदूर परा परिचय अपमान।”<sup>127</sup>

जौनपुर की वेश्याए सुलतान इब्राहिम शाह के संरक्षण में आनंद और समृद्धि का जीवन बिताती थी।<sup>128</sup>

जायसी ने अपने साहित्य पदमावत में भी सिधल की वार-वनिताओं की चर्चा की है, जो अपने मकानों के छज्जों पर बैठकर विविध हाव-भाव से लोगों को आकर्षित करती थी।<sup>129</sup> मध्यकालीन साहित्य में गणिकाओं की श्रृंगार विधियों

126 वही, छन्द-24, दोहा-138 पृ0-85

127 वही, द्वितीय पल्लव, छन्द-25, दोहा-132-133 पृ0- 82-83 तथा द्वितीय पल्लव छन्द-16 दोहा-113-118 पृ0-78-79

128 कीर्तिलता प्रकाशक साहित्य सदन चिरगाव (झासी), प्रथम संस्करण, 1962 द्वितीय पल्लव, छन्द-25, दोहा- 153 पृ0-911

129 जायसी का पदमावत, प्रकाशक साहित्य सदन चिरगाव (झासी) द्वितीय संस्करण वि0 स0, 2018 सर्ग-2 छन्द -38 पृ0-44-45

का भी उल्लेख मिलता है। जैसे वे पत्रावली एव तिलक का विधान पूरा करती थी।<sup>130</sup> तथापि कतिपय विवरणों से यह भी प्राप्त होता है कि समाज में उनके प्रति हेय दृष्टिकोण था।<sup>131</sup>

इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि गणिका का सर्वप्रथम धर्म धर्नाशन करना था। समाज का एक ऐसा वर्ग था जो इनके सानिध्य में जाकर इनके व्यवसाय को प्रोत्साहित करता था। इसका प्रधान कारण संगीत व नृत्य के प्रति आकर्षण व लोगों की सौन्दर्य व काम पिपासा थी।

---

130 विद्यावती की 'कीर्तिलता' द्वितीय पल्लव, छद-24, दोहा-136 पृ0-84

131 वही, छद-25, दोहा- 132-133

## मध्यकालीन स्त्रियों के आमोद-प्रमोद के साधन

मध्य कालीन समाज में परदा प्रथा द्रढ होने के कारण स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबन्ध लग चुके थे। किन्तु साहित्यिक उद्घरणों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि इस युग में स्त्रियों की सर्वांगीण उन्नति का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। तथा साथ ही उनके आमोद प्रमोद की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। परम्पराओं के अनुसार बसंत के अवसर पर कन्याएं, युवतियाँ और स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार की उद्यान क्रीडा, सलिल क्रीडा और कंदुक क्रीडा इत्यादि में भाग लेती थी।<sup>1</sup>

“काहूँ गही आँब के डारा । काहूँ बिरह जाँबु अति झारा ॥

कोइ नारग कोइ झार चिरौंजी । कोइ कटहर बडहर कोइ न्योजी ॥

कोइ दारिउँ कोइ दाख सोखीरी । कोइ सदाफर तुरंज जभीरी

कोइ जैफर औ लौग सुपारी । कोइ कमरख कोइ गुवा छुहारी

कोइ बिजौर कोइ नरियर जोरी । कोइ अँबरा कोइ बेर करौदा

काहूँ गही केरा की धौरी । काहूँ हाथ परी निबकौरी

काहूँ पाई निअरै काहूँ कहँ गए दूरि

काहूँ खेल भएउ बिरव काहूँ अब्रित भूरि ।<sup>2</sup>

---

1 पदमावत पृ० 212, पृ० 187

2 वही

इसी प्रकार बसन्त का विविध चित्रण सूरदास जी ने किया है :

बार बार सो हीरा है सुनावति । ऋतु बसत आयो समुझावति ॥

विविध सुमन बन फूले डार । उन्मत मधुकर भ्रमत अपार ॥

नव पल्लव बन सोया एक । यबिहरत हरि सग सखी अनेक ॥

कुहू कुहू कोकिला सुनाई । सुनि सुनि नारि परम हरषाई ॥

फाग चरित रस साध हमारै । खेलहि सब मिली सग तुम्हारै ॥

सुनि सुनि सूर स्याम मुसुकाने । ऋतु बसत आयौ हरषाने ॥<sup>3</sup>

बसन्त ऋतु मे ही बसत पंचमी का त्योहार होता है बसन्त के मौसम मे फूल पत्ती के लहराने से चारो तरफ प्रकृति के श्रृंगार का आभास होता है और इसी लिए बसन्तोंत्सव के लिए बसन्त पंचमी उपयुक्त दिवस प्रतीत होता है, जिसमे स्त्रियाँ नृत्य गान खेल कूद का आनन्द उन्मुक्त भाव से उठाती है-

“दैय दैय कै सिसिर गँवर, सिरि पचमी पूजी आई

भएउ हुलास नवल रितु भौहाँ, खिनुन सोहाई धूप औ छाहाँ

पदुमावति सब सखी हकॉरी, जाँवत सिहाँल दीप की बारी

आजु बसत नवल रितुराजा, पचमि होई जगत सब साजा

नवल सिगार बनाफति कीन्हा, सीस परासन्ह सेदुर दीन्हा

बिगासि फूल फूले बहु बाँसा, भँवर आई लुबुधे चहुँ पासाँ

---

3 सूरसागर खण्ड 2 पृ0 229 पद 3461



पियर पात दुःख झरे निवाते, सुख पालौ अपने होई राते

अवधि आई सो पूजी जो इहाँ मत कीन्ह

चलहु देव मढ जोहने चहाँ सो पूजा दीन्ह” 4

पचमी के दिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सारा जगत ही सज गया हो और प्रकृति और जगत की सज्जा के साथ स्त्रियाँ भी अपनी सज्जा श्रृंगार कर के पचमी की पूजा करने निकलती है ऐसा माना जाता था कि इसके पूजन से इच्छाओ की पूर्ति होती है ।<sup>5</sup>

जायसी कृत पद्मावत में भी जायसी ने बसन्त त्योहार के उत्सव का अत्यन्त रोचक वर्णन किया है। जिसमें स्त्रियाँ इस त्योहार को वाद्य यत्र के साथ नाच गाकर मनाया करती थीं-

“फर फूलन सब डारि औनाई। झुँड बाँधि कै पचमि गाई।

बाजे ढोल दुंद औ भेरी । मंदर तूर झाझ चहुँ फेरी।

सँख सींग डफ सगम बाजे। बसकारि महुवर सुर साजे।

औरन कहा जेत बाजन भले। भाँति भाँति सब बाजत चले।

रथन्ह चढी सब रूप सोहाई। लै बसत मढ मँडप सिधाई।

नवल बसत नवल वै बारीं। सेंदुर बुक्का होइ धमारी ।

खिनहि चलहि खिन चाँचरि होई । नाच कोड भूला सब कोई ।

---

4 पद्मावत पृ0 207-208 पद 183

5 पद्मावत - वही

सेदुर खेह उठा नस गँगन भएउ सब रात

राति सकल महि धरती रात बिरिख बन पात ।'6

बसन्त पचमी के त्योहार मे झुण्ड बाध करके एक सखी को बीच मे करके और सब सखियाँ मण्डल बनाकर हाथो से ताल देती हुई घूमती और गाती है। इसे तालक रास भी कहा जाता था।<sup>7</sup> साथ ही चाँचरि नामक नृत्य भी होता था। जिसमे हाथो मे छोटे छोटे डडे लेकर लड़के लडकियो की टोली का 'मडली नृत्य' होता था जिसे लकुट रास भी कहते है।<sup>8</sup> बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला यह त्योहार होता था।

बसन्त के ही मौसम मे होली का प्रसिद्ध त्योहार पडता है प्रकृति की भौति स्त्री पुरूष सब रग खेलते हुए विभिन्न रगो मे रग जाते है -

“फाग चरित रस साध हमारै खेलहि सब मिली सग तुम्हारै

सुनि सुनि सूर स्याम मुसुकाने रितु बसन्त आयो हरसाने'9

चूँकि होली का त्योहार कृष्ण की गोपियों के साथ छेड़ छाड और होली खेलने का त्यौहार माना जाता है। अतः बृज की होली और उसमे कृष्ण की भूमिका की चर्चा के माध्यम से मध्यकालीन कवियो ने होली के माहौल का सफल चित्रण अपने काव्य मे किया है —

---

6 पदमावत - पृ0 215 पद 189

7 पदमावत - पृ0 216 पाद टिप्पणी 1

8 पदमावत् - पृ0 216 पाद टिप्पणी 7

9 सूर सागर खण्ड 2 पृ0 229 पद 3461

“होली खेलत बृज खोरिनि मै, बृज बाला बनि बनि बनवारी  
 डफ की धुनि सुनि बिकल भई सब, कोऊ न रहति घर घूघट नारी  
 जाहि अबीर देत आँखिनि मै, ताही कौ छिरकत पिचकारी  
 सौही तेल अबीर अगरचा, तैसी जरद केसरि चटकारी  
 उडा गुलाल लाल भए बादर, रॉगे गए सिगरे अटा अटारी  
 सूरदास बारी छवि ऊपर, कल न परति छिनु बिनु गिरिधारी”<sup>10</sup>

अबीर कुमकुम , गुलाल, चोवा एव चदन के साथ साथ पिचकारी से रग खेलने का व्यापक चित्रण मिलता है। होली गाने के साथ साथ मृदग, बीन, बासुरी, डफ आदि के बजने के उल्लेख भी हमें प्राप्त होते हैं तरूणि बालाए एव सभी सब कुछ भूलकर होली के रग में रग जाते हैं ।

“इत श्री राधा उत श्री गिरिधर , इत गोपी उत ग्वाल  
 खेलत फाग रासिक ब्रज बनिता, सुदर स्याम तमाल  
 चोबा चदन, अबिर कुमकुमा, छिरकत भरि पिचकारी  
 उडत गुलाल, अबीर, जोतिरवि दिसि दीपक उंजियारी  
 ताल मृदग बीन, बाँसुरि डफ, गावत गीत सुहाए  
 रासिक गुपाल, नवल ब्रज बनिता, निकसि चौहरै आए  
 झूमि झूमि झूमक सब गॉवति, बोलति मधुरी बानी

देति परस्पर गारि मुदित मन, तरूनि बाल सयानी

सुरपुर नरपुर नागलोक जल थल क्रीडा सुख पावै

प्रथम बसत पचमी लीला सूरदास जस गावै<sup>11</sup>

गायन में भी विशेष रूप से होली के विशेष राग धमार के गायन का भी उल्लेख मिलता है-

“चैत बसन्त होई धमारी मोही लेखे ससार पुजारी

पचम विरह पच सरमोरे रक्त रोई सगरो बन ठारै ”<sup>12</sup>

इसी अवसर पर एक अन्य प्रकार का मनोरा झूमक नामक गीत गाया जाता है ये एक विशेष प्रकार का राग भी होता है -

कवल सहाय चली फुलवारी । फर फूलन्ह कै इहा बारी

आयु आयु मह करहि जोहारू यह बसन्त सब कर त वहारू

चही ‘मनोरा झूमक’ होई । फर और फूल लेई सब कोई

फागु खेलि पुनि दाहब होली । सै तब खेह उड़ाउब झोली

आजु साज पुनि देबस न दूजा । खेलि बसत लेहु दै पूजा

भा आयसु पदुमावति केरा । बहुरिन आई करब हम फेरा

तस हम कँह होइहि रखवारी । पुनि हम कहॉ कहॉ महबारी

---

11 सूरसागर खण्ड 2 पृ0 232 पद 3472

12 पदमावत पृ0 427 पद 353

“पुनि रे चलब घर आपुन पूजि बिसेसर देउ

जोहिका होई हो खेलना आलु खेलि हॉसि लेउ ”<sup>13</sup>

इसी प्रकार हमे अन्य रगो के साथ साथ टेसू से बने रगो से निर्मित रगो से होली खेलने के सन्दर्भ प्राप्त होते हैं -

बूडि उठे सब तरिवर पाता । भीज मजीठ टेसू बन राता

मौरै आँब फरै अब लागै । अबहुँ सँवरि घर आउ सभागे

सहस भाव फूली बनफती । मधुकर फिरे सँवरि मालती

प्रथम बसन्त नवल रितु आई । सुरितु चैत बैसाख सोहई

चदन चीर पहिरि धनि अगा । सेदुर दीन्ह बिहॉसि भरि मगा

कुसुम हार और परिमल बासु । मलयागिरि छिरिका कबिलासू

सौर सुपेति फूलन्ह डासी । धनि और कंत भिले सुखवासी

पिउ संजोग धनि जोबन बारी । भँवर पुहुप संग करहि धमारी

होइ फागु भलि चॉचरि जौरी । बिरह जराइ दीन्ह जसि होरी

धनि ससि सियरि तपै पिउ सुरू । नखत सिगाँर होहि सब चुरू

“जेहि घर कता रितु भली आउ बसता तित्तु

सुख बहरावहि देवहरै दुख न जानहि किन्तु ,<sup>14</sup>

---

13 पद्मावत, पृ0 211 पद 186

14 पद्मावत पृ0 403 पद 335

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि चॉचरि नृत्य इस मौसम का विशेष नृत्य था जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हाथों में रंगीन छोटे छोटे डंडे लेकर गाते हुए मडल बनाकर नाचते हैं अब भी मध्यप्रान्त में इसे चॉचर कहा जाता है । इसे डॉडिया रास के नाम से भी जाना जाता है फागुन में अथवा विवाहोत्सव में चॉचर होती है चॉचर नृत्य में ताल की गति पर जिनके डंडे नहीं मिलते वे रास से बाहर होते जाते हैं 15 चॉचरि नृत्य को लकुट रास भी कहते हैं ।<sup>16</sup>

इसी तरह बसन्त ऋतु की भाँति सावन भादो तक एक उन्मुक्त माहौल सा रहता है सावन में पानी बरसने से लेकर झूला झूलने तक दादर मोर की आवाजे बिज्जू के चमकने से लेकर हिडोलों या झूला झूलने तक का एक माहौल बना रहता है ।

“रितु पावस बिरसै पिउ पावा । सावन भादो अधिक सोहावा  
कोकिल बनै पँति बग हूरी । धनि बिसरी जेउँ बीर बहूटी  
चमकै बिज्जू बरसि जगसोना । दादर मोर सबद सुढिलोना  
रग राती पिय सग निसि जागें । गरजै चमकि चौक कठलागै  
सीतल बुदँ ऊच चौबारा । हरियर सब देखिय ससारा  
मलै समीर बास सुख बासी । बेइलि फूल सेज सुखडासी  
हरियर भूमि कुसुमी गोला । और पिय सगम रचा हिडोला ”

---

15 पदमावत पृ0 405 पाद टिप्पणी 6 पद 335

16 पदमावत- पृ0 सख्या 215 पाद टिप्पणी 7 पद 189

पौन झरक्के हिय हरख लागै सियरि बतास

धनि जानै यह पौनु है पौनु सो अपनी आस '17

इसी तरह सावन मे स्त्रियो का एक विशेष त्योहार तीज होता था तीज मे भी व्रत पूजन नाचने गाने का एक वातावरण सा बनता था स्त्रियाँ पूरे श्रृगार के साथ अपने सुहाग की कामना करती थीं सावन मे होने के कारण तीज त्योहार मे भी झूला हिडोला या हिडोर झूलने का उल्लेख हमे मिलता है —

“गोपी गोविद कै हिडोरे झूलन आइ

रगमहल मै जहँ नद रानी । खेलै तीज सुहाइ ।

श्रीखंड खम्भ मयारि सहित । सुसमर मख बनाइ

तापर कितिक जु भ्रमत भँवरा । डॉडी जटित जराइ

सुढि हेम पटुसि मध्य हीरा । पूलि रोचन लाइ

सखी बिबिध बिचित्र राग । मलार मगल गाइ

नद लाल पावसकल, दसिनी नागरि नव संग

बोलत जु 'दादुर पपीहा' करत कोकिल रग

तहँ बहि निर्बत बचन मुखरित, अलि चकोरविहग

बलभद् सहित गुपाल झूलत । रधिका अरधंग

जल भरित सरवर सघन तरूवर, इन्द्र धनुष सुदेस

धन स्याम मध्य सुपेद बग जुरि । हरिन महि चँहुदेस

तहँ गगन गर्जत बीजु तरपत मधुर मेह असेस

झूलत विह्वल स्याम स्यामा, सीस मुकुतित केस

तारक तिलक सुदेश झुलकत खचित चूनी लाल

नव अकृत विकृत बढन प्रहासित कमल नैन बिसाल

करज मुद्रिका किकिनी कटि, चाल गज गति बाल

सूर मुररिपु रंग रंगे, सखी सहित गुपाल "18

हमे अपने अध्ययन काल मे जैनियो तथा हिन्दुओ मे एक माह का व्रत करने वालो का अलग से उल्लेख मिलता है यह व्रत अश्विन शुक्ल ग्यारह से कार्तिक शुक्ल ग्यारह तक रखा जाता है और कार्तिक शुक्ल बारह को किया जाता है ।

यदि कोई व्रत करते हुए बीच मे मूर्छित हो जाए तो उसके लिए दुग्धाहार का विकल्प है । अर्थात यह व्रत अत्यन्त कठोर था और प्रायः लोग इसे पूरी शुद्धता के साथ नहीं कर पाते थे अतः फलाहार का विकल्प दिया जाता था ।

“पैग पैगपर कुआँ बावरी । साजी बैठक औ पॉवरी,

औरू कुड बहु ठावहि ठाऊँ । सब तीरथ औ तिन्हके नाऊँ

मढ़ मंडप चहुँ पास सँवारे । जपा तपा सब आसन मारे



कोई रिखेस्वर कोई सन्यासी । कोई रामजन कोई मसवासी

कोई ब्रह्म चर्ज पँथ लागे । कोई दिगम्बर आछहि नाँगे

कोई सरसुती सिद्ध कोई जोगी । कोई निरास पथ बैठ बियोगी

कोई महेसुर जँगम जती । कोई एक परखे देवी सती

सेवरा खेवरा बान परस्ती सिध साधक अवधूत

आसन मारि बैठ सब जारि आतमा भूत''19

इसी तरह हमे दिवाली का उल्लेख मिलता है जो हिन्दुओ मे अत्यन्त ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है । दिपावली मे दीप मालाओ के प्रकाश से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे धरती और आकाश सब तरफ दीप ही दीप जल रहे हैं । दीवाली मे स्त्रियो के सज संवर के नाचने गाने का भी उल्लेख हमे मिलता है । दिपावली कार्तिक की पूर्ण मासी को मनाया जाने वाले त्योहार है और इसी दिन मध्य काल में सौभाग्यवती स्त्रियो द्वारा मुनिवरा पूजा का भी उल्लेख हमे मिलता है यह पूजा सप्तऋषियो को अर्पित की जाती थी —

कार्तिक सरद चद उजियारी । जग सीतल हैं बिरहें जारी

चौदह करा कीन्ह परगासू । जानहुँ जरै सब धरति अकासू

तन मन सेज करै अगिऽहू । सब कहँ चाँद मोहि होइराहू

चँदु खंड लागै अंधियारा । जौ धर नाहिन कत पियारा

अबहुँ नितुर आव एहिबारा । परब देबारी होइ ससारा

सखि झूमक गावहि अग मोरी । हौ झूरौ बिहुरी जेहि जोरी ।

जेहि घर पियु सो 'मुनिवरा पूजा' । मो कहँ बिरह सवति दुख दूजा ।

सखि मानहि तेवहार सब गाइ देवारी खोलि

हौ का खेलौ कत बिनु तेहि रही छार सिर मोति''20

इसी प्रकार हमें 'गोवर्धन पूजा' के उल्लेख मिलते हैं इस दिन गोबर से निर्मित पहाड को पूजा जाता है। कृष्ण कथा से जुडी इस लोक प्रथा वस्तुतः कृष्ण द्वारा इन्द्र के प्रकोप से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत को तर्जनी पर उठा लेने की स्मृति मे ऐसा आयोजन किया जाता है । इस दिन नाना प्रकार के पकवान बनाकर इन्द्र के प्रलयकारी प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन के प्रति ऋण चुकाया जाता है।

“तात गोवर्धन पूजहुँ जाइ मधुमेवा पकवान मिठाई

व्यजन बहुत बनाइ ।''21

गोवर्धन की पूजा में अनाज के ढेर सारे पकवान बनाये जाते थे, इसीलिए इस त्योहार को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता था—

“अन्न कूट' विधि करत लोग सब नेम सहित करि करि पकवान''22

---

20 पदमावत पृ0 421 पद 348

21 सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ0 स0 436 पद 1442 तथा पृ0 437 पद स0 1448

22 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ0 434 पद 1434

इस पूजा का मध्य काल में इतना अधिक प्रचलन हो गया था कि लोगो के बीच इतनी मान्यता हो गयी थी कोई भी मनोकामना पूर्ण करनी हो तो गोवर्धन की पूजा का व्रत ले लेना चाहिए —

“मेरी कहि सत्य करि मानहुँ गोवर्धन की पूजा ठानहुँ ।”<sup>23</sup>

मध्य काल मे स्त्रियो के मध्य निर्जला एकादशी नामक व्रत बहुत प्रचलित था। एकादशी के दिन स्त्रिया जल की एक बूँद भी नहीं ग्रहण करती थी। यह व्रत भी मनोकामना की पूर्ति हेतु था—

“तौ हम बात सीखि कै नाही हौं बुधि कहौं जाइ जौ गही

मिरगावति रानी है भावा । करइ एकादसि निरजल आवा ।”<sup>24</sup>

इस काल मे स्त्रियो के आमोद-प्रमोद के बहुत सीमित साधन थे अतः वे हर तीज त्योहार पर सज सवर कर नाच गाकर अपना मनोरजन कर लेती थी । मध्य कालीन साहित्य कार जायसी ने अपने साहित्य पदमावत मे जल क्रीडा की चर्चा की है जिसमें पदमावती अपनी सखियो के साथ जल मे क्रीडा करने जाती है—

“लागी केलि करै मझ नीरा, हँस कजाइ बैठ होइ तीरा ।

पदुमावति कौतुकि करिराखी तुम्ह ससि होहु तराइन साखी ।

बादि मेलि कै खेल पसारा । हारू देइ जौ खेलत हारा

---

23 सूरसागर, प्रथम खण्ड पृ0 454 पद 1517

24 मृगावती पृ0 57 पद 75

सवरहि सॉवरि गोरिहि गोरी । आपनि आपनि लीन्ह सो जोरी ।

बूझि खेल खेलहु एक साथी । हारून होइ पराएँ हाथा ।

आजुहि खेल बहुरिकित होई । खेल गएँ कत खेलै कोई ।

धनि सो खेल खेलाहि रस पेमा । रौताई औ कूसल खेमा ।

मुहमद बारि परेम की जेऊँ भावै तेऊँ खेल

तीलहि फूलहि सग जेऊँ होइ फुलाएल तेल ।'25

## खेल कूद एवं मनोरंजन

मध्यकालीन स्त्रियो के बीच लुका छिपी का खेल भी प्रचलित था<sup>26</sup> जिसे चचरि भी कहा जाता था ।

चौपड भारत मे खेला जाने वाला एक बहुत पुराना खेल है जिसे कभी कभी चौसर या पचीसी भी कहा गया है । यह खेल हिन्दुओ मे और भी विशेष रूप से राजपूतो में बहुत लोकप्रिय था । इसका विविध वर्णन जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना पदमावत में किया है—

अैसे राजकुँवर नाहि मानौ । खेलु साहिर पॉसा तौ जानौ ।

कच्चे बारह बार फिरासी । पक्के तौ फिरि घिरन रहासी

---

25 पदमावत पृ0 73 पद 63

26 जायसी ग्रथावली मे सग्रहित जायसी का अखरावट सम्पादक रामचन्द्र शुक्ल नागरी प्रचारिणी सभा प्रथम सस्करण वि0 स0 2008 पृ0 319

रहै न आठ अठारह भाखा । सोरह सतरह रहै सो राखा

बसतएँ ढरै सो खेलनिहारा । ठारू इग्यारह जासि न मारा

तू लीन्हे मन आछासिदुवा । औ जुग सारि चहासि पुनिछुवा ।

हौ नव नेह रचौ तोहि पाहौ । दसौ दाउ तोरे हिय याहौ ।

पुनि चौपर खेलौ कै हिया । जौ तिरहेल रहै सो तिया ।

जेहि मिली बिछुरन औतपनि अत तत तेहि नित

तेहि मिली बिछुरन को सहै बरूबिनु मिलै निचित ।''27

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने पदमावत का टीका लिखते हुए मध्यकालीन परिवेश में इस खेल के वास्तविक स्वरूप को उभारा है।

चौपड के खेल में तीन पासे और चार रग की सोलह गोटे होती हैं। प्रत्येक पासा हाथी दांत का बना चार या पांच अंगुल लम्बा चौपहल टुकड़ा होता है। उसमें एक पहल में एक बिदी (इक्का) और दूसरे में दो (दुआ) तीसरे में पाच (पजा) और चौथे में छः (छक्का) बिदिया होती है। ऐसे ही तीनों पासों पर बिदियों के एक से निशान होते हैं। तीनों पासों को हाथ में लेकर ढरकाते हैं जो बिदियों तीनों पासों के ऊपर के पहल में दिखाई पड़ती है उन्हीं का जोड़ दौंव कहलाता है। चौपड के कपडे में चार फडे होती हैं प्रत्येक फड पर तीन पक्तियों में घर बने रहते हैं। प्रत्येक पक्ति में आठ घर होते हैं। इस प्रकार एक फड में 24 और कुल चौपड में 16 घर होते हैं। घर को संस्कृत में पद कहते हैं चारों फडों के

बीच में एक बड़ा सा घर होता है। जिसे कोठा कहते हैं। इस कोठे में चारों फड़ों की गोठे बैठती या पुगती हैं तब इन्हें पक्की गोठे कहते हैं।

चार रंग की सोलह गोठों में प्रत्येक रंग की चार चार गोठों होती हैं। काली, पीली गोठों का जोड़ा और लाल हरी गोठों का जोड़ा प्रायः माना जाता है। जब चार व्यक्ति खेलते हैं तो काली पीली वाले आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे के गुड़ियाँ होते हैं। इसी प्रकार लाल हरी गोठों के भी। गुड़ियाँ एक दूसरे की गोठे नहीं मारते बल्कि एक की चार गोठे पहले पहले पुग जाने पर गुड़ियाँ अपना दाँव साथी को दे देता है तब से दुपासिया अर्थात् दोनों पासों का सांझा करके खेलने वाले कहे जाते हैं।

चौपड़ का खेल दो प्रकार का है। सादा जिसमें चार व्यक्ति खेलते हैं और रंगबाजी जिसमें दो व्यक्ति प्रायः स्त्री और पुरुष खेलते हैं। रंगबाजी का खेल कठिन है और उसमें प्रतिबन्ध अधिक है। जायसी ने यहाँ रंगबाजी के खेल का ही वर्णन किया है<sup>28</sup> चौपड़ को चौसर या पच्चीसी भी कहा गया है<sup>29</sup> शतरंज का खेल भारतीयों के बीच प्राचीनतम काल से ही प्रसिद्ध रहा है। बाद में यह खेल रईसों के बीच अधिक लोकप्रिय हो गया क्योंकि इस खेल को खेलने में बहुत समय लगता था। जो आम आदमी नहीं दे सकता था। अलबरूनी इस खेल में हिन्दुओं की अभिरूचि का भी उल्लेख करता है<sup>30</sup> अमीर खुसरो ने भी समृद्ध वर्गों के मध्य इसके प्रचलन का उल्लेख किया है। उसके अनुसार “किसी परिवार या एक दूसरे से सम्बन्धित व्यक्तियों के मनोविनोद के साधनों में इसका महत्वपूर्ण

---

28 पदमावत पृ० 366

29 किसोरी प्रसाद साहू मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष पृ० 244

30 अलबरूनीज इण्डिया (सचारा) पृ० 183-185

स्थान है 31 इसका उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत मे किया है 32 ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चूँकि यह घर के अन्दर खेला जाने वाला खेल था तथा इसमे समय लगता था। अतः उस काल मे स्त्रियो के बीच यह मनोविनोद के लिए प्रचलित रहा होगा। बाह्य मनोविनोद मे चौगान का उल्लेख हमें मिलता है—

“होई मैदान परी अब गोई । खेल हाल दहुँ काकर होई ॥ 1 ।

जोवन तुरै चढी सो रानी । चली जीति अति खेल सयानी ॥ 2 ।

लट चोगान गोई कुर्च साजी, हिम मैदान चली ले बाजी ॥ 3 ।

हाल सो करे गोई लै बाढा । कूरी दुहँ बीच कै काढा ॥ 4 ।

भये पहार दुर्वो वै कूरी । दिस्ति नियर पहुँचत सुठि दूरी ॥ 5 ।

ठाढ बान अस जानहुँ दोउरु । सालहि हिय कि काढै कोरु ॥ 6 ।

सालहि तेहि न जासु हिय ठाढे । ‘सालहि’ तासु चहै ओन्ह काढे ॥ 7 ।

मुहमद खेल पिरेम का धरी कठिन चौगान

सीस न दीजै गोई जौ हाल न होई मैदान ॥”33

जिस प्रकार से हम आज पिकनिक मनाने के लिए किसी बाह्यस्थल पर जाकर खेलकूद नाच गाना खाना पीना करते हैं। उसी प्रकार मध्यकाल मे भी इस

---

31 अमीर खुसरो उद्धृत साहू पृ0 243

32 पद्मावत पृ0 751-755 पद 567

33 पद्मावत पृ0 831 पद 628

प्रकार के अवसरो का लाभ उठाकर मनोविनोद किये जाने का हमे उल्लेख मिलता है। नदी तट पर इस प्रकार के आयोजनो की प्रथा बहुत थी —

“गई ब्रजनारि गगा तीर

सग राजति कुँवरि राधा भई शोभाभीर

देखि कहरि तरग हरषि रहत नहि मन धीर

स्नान कौ वे भई आतुर सुभग जल गभीर

कोऊ गई जल पैठि तरूनि और खडी तीर

तिनहि कई बुलाऊ राधा करति सुख बनु कीर

एक एकाहि भुज भरि एक हिरकति नीर

सूर राधा हसति दाढी भीजि छवि तनु धीर ।’34

इसी प्रकार मध्यकाल में कठपुतली का नाच भी मनोविनोद का एक प्रचलित साधन था जिसमे काठ की पुतलियो को पतले से धागे से संचालित करके उन्हे खेलता कूदता नाचता गाता अनेकानेक भाव भगिमाओ मे दिखाया जाता था। कहानी नाटक कहने व खेलने का यह एक प्रचलित माध्यम था—

“कतहूँ कथा कहै कहु कोई। कतहूँ नाच कोउ भलि होई

कबहूँ छरहटा पेखन लावा । कतहूँ पाखड काठ नचावा ।

कतहूँ नाद सबद होई भला । कतहूँ नाटक चेटक कला । 35

---

34 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ0 1 पद 2368

35 पदमावत पृ0 45, 46 पद य39



मध्यकाल में स्त्रियो के लिए नाच गाने और उसी के दौरान वाद्य यन्त्रो मे प्रशिक्षित प्रवीण होकर उनको बजाकर मनोरजन करने के उल्लेख मिलते है । इसमे नृत्य का सर्वाधिक महत्व होता था और हमे इसके विषय मे विस्तृत जानकारी पदमावत के वर्णनों से होती है ।

दूऔ नवल भर जोबन गाजी

अहरि जानु अखारे बाजी 36

वाद्य यन्त्रो मे हमें सिगी का उल्लेख मिलता है—

“निकसा राजा सिगी पूरी झाड़ि नगर मेला होई दूरी

राये राने सब भये वियोगी । सोरह सहस कुँवर भये जोगी 37

इसी प्रकार हमे पदमावत मे अनेक पदो मे नाना प्रकार के वाद्य यन्त्रों के उल्लेख प्राप्त होते है —

“तबहूँ राजा हिय न हारा, राज पँवरि पर रचा अखारा ।

सौहें साहि जहँ उतरा आछा, ऊपर नाच अखारा काछा ।

जत्र पखाउज आउझ बाजा, सुरमंडल रबाब भल साजा

बीन पिनाक कुमाइच कही, बाजि अँविरती अति गहगही

चग उपग नागसुर तूरा, महुवरि बाज बसि भल पूरा

---

36 पदमावत पृ0 555 पद 444

37 पदमावत पृ0 151 पद 134

हुरूक बाज डफ बाज गभीरा औ तेहि गोहन झॉझ मजीरा

तत वितंत सिखर धन तारा, पाचों सबद होइ झनकारा

जस सिंगार मन मोहन पातर नॉचहि पॉच

पातसाहि गढ छेंका राजा भूला नॉच 38

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि जंत्र भी एक प्रकार का यंत्र होता था, लकड़ी की गज भर लंबी खोखली नली के दोनो सिरों पर तूबे के अधकटे भाग लगाए जाते हैं और गर्दन पर सोलह खूटियाँ होती हैं जिनमे पाच लोहे के तार बाधे जाते हैं। खूटियो के द्वारा ही स्वरो का उतार चढ़ाव किया जाता है।<sup>39</sup> ज्ञात होता है पंद्रहवी शती के लगभग पखावज अपनी भाषा में आया। पोपली के अनुसार पखावज का चलन उत्तरी भारत मे होता है और भृदग का दक्षिण मे होता है।<sup>40</sup>

---

38 पदमावत पृ० 687-688 पद 527

39 पदमावत पृ० 689 पाद टिप्पणी 3

40 पदमावत पृ० 689 पाद टिप्पणी 3

## उपसंहार

स्त्री सस्कृति के उद्भव एव विकास मे न केवल केन्द्रिय भूमिका निभाती है बल्कि किसी भी देश की सस्कृति का मुख्य मापदण्ड भी स्त्री वर्ग की दशा ही रही है। ये उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है, क्योंकि स्त्री ही सास्कृतिक धरोहर की मुख्य मूल वाहिका मानी जाती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजीकरण का पहला पाठ बालक अपनी माँ की गोद मे ही पढता हैं।

चौदहवी पन्द्रहवी शताब्दी की महिलाओ का सामाजिक स्तर तथा कन्या जन्म को लेकर विभिन्न प्रकार की मान्यताए प्रचलित थी। भारतीय परम्पराओ के अनुसार पारिवारिक सतुलन के लिए पुत्र अथवा पुत्री मे कोई भेद नही था, किन्तु बदलत हुए सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिवेश के कारण कालान्तर मे पुत्री का जन्म बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। घीरे-घीरे इस्लामी प्रभाव के कारण स्त्रियों के क्षेत्र सीमित एव उनके अधिकार कम होने लगे, विशेष रूप से हिन्दू राजघरानो में जायसी कृत 'पद्मावत' के इस उद्धरण से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है जब, रत्नसेन के घर पद्मावती का जन्म होता है।

तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों मे पुत्र ही महत्वपूर्ण था, एक तो वंश चलाने के लिए दूसरा युद्ध के समय योद्धा के रूप मे।

समकालीन साहित्यिक ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट है कि, हिन्दू राजकुलो मे स्त्री शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया था। कन्याओ का शिक्षित व प्रशिक्षित होना उनकी सुन्दरता के साथ-साथ एक सकारात्क गुण माना जाता था। चौदहवी व पन्द्रहवी शताब्दियो मे धार्मिक ग्रन्थो के पठन-पाठन पर विशेष जोर दिया जाता था। विदुषी कन्याओं का परिवार व समाज में सम्मान होता था। समकालीन

परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण विवाह की आयु में भी परिवर्तन होने लगे। परिवर्तित राजनीतिक व सामाजिक परिवेश के कारण मध्ययुगीन भारत में अल्प आयु में विवाह का प्रचलन अधिक हो गया था तथा स्त्रियों की युद्धपरक परिस्थितियों में असुरक्षा के कारण ही बाल-विवाह का प्रचार हो गया था। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार हिन्दू बहुत कम आयु में अपनी कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराने लगे थे। बारह वर्ष तक की कन्या विवाह के लिए उपयुक्त समझी जाती थी।

हिन्दू संस्कृति में विवाह का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे एक सामाजिक, धार्मिक संस्कार के रूप में ग्रहण किया गया। विवाह स्त्री व पुरुष की पूर्णता है। वंश, कुल और परिवार की निरन्तरता विवाह संस्था से ही बनी रहती है विवाह के उपरान्त पुत्री को माता-पिता से अलग होना पड़ता है। मध्यकालीन मान्यता के अनुसार वर प्राप्ति तथा विवाह हो जाना स्त्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। स्त्रियों में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। हालाँकि साहित्यकारों ने इसे अशुभ या अनैतिक माना है। इस काल में स्त्रियों के लिए सुहागिन होना सम्मानजनक माना जाता था तथा वे प्रशंसा की पात्र होती थी।

बहुविवाह तथा विशेषकर बहु पत्नीत्व की प्रथा राजघरानों एवं समृद्ध परिवारों तक सीमित थी। जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक क्लेश, गृह कलह, प्रतिद्वन्द्विता व राजनैतिक दांव-पेंच देखने को मिलते हैं। यही नहीं बहुविवाह प्रथा के कारण सपत्नियों में द्वेष होना स्वाभाविक था। जिसके परिणामस्वरूप गृह-कलह उत्पन्न होता था। भले ही स्त्री दूसरी पत्नी के रूप में किसी भी घर में प्रवेश करे फिर भी उससे आशा की जाती थी कि वह पति के समक्ष पूर्ण समर्पण करेगी।

वैदिक युग से ही कन्या विवाह के साथ कन्या को धन आदि से समृद्ध करके विदा करने का प्रचलन रहा है। विशेष रूप से वस्त्र-आभूषण इत्यादि प्रदान

किये जाते रहे हैं। इस प्रथा ने धीरे-धीरे दहेज प्रथा का रूप ले लिया था, अतः पूर्व मध्ययुग में इसके सस्कार सामाजिक, धार्मिक न होकर सामाजिक-आर्थिक हो गये, क्योंकि उस युग के सामन्तीय परिवेश में दहेज लेना व देना सामाजिक स्तर का द्योतक था। धनिक वर्ग तथा राज परिवार दहेज के रूप में चल व अचल सम्पत्ति भी प्रदान करते थे। जिसमें वस्त्र, स्वर्ण, रत्नाभूषणों के साथ-साथ हाथी तथा घोड़े भी दिये जाते थे। इसके अनेकों उल्लेख हमें समकालीन साहित्यों में मिलते हैं। दहेज के साथ-साथ दास-दासियाँ, नौकर-चाकर इत्यादि भी भेजे जाते थे।

जिस प्रकार वर्तमान में ग्रामीण भारतीय परिवेश में स्त्रियाँ अपने चेहरे को ढककर रखती थीं इसके लिए वे पर्दे का प्रयोग करती थीं। इस पर्दे को घूँघट के नाम से जाना जाता था। पर्दे का ज्यादातर प्रयोग अभिजात्य वर्ग तथा समृद्ध परिवारों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सभी वर्गों की स्त्रियाँ पर्दे व घूँघट का प्रयोग करती थीं। सामाजिक समारोहों तथा घर से बाहर जाते समय घूँघट करना अनिवार्य सा हो गया था। पर्दा एक प्रकार से सम्मान का प्रतीक था। मध्यकाल में प्राचीनकाल से चली आ रही पर्दा प्रथा, मुस्लिम रीति रिवाजों से बल पाकर और भी सशक्त हो गयी थी। विवाह विच्छेद से सम्बन्धित एक भी साक्ष्य हमें मध्यकाल में नहीं मिलता है।

सिद्धान्त रूप में तो हिन्दू परिवार में स्त्री को गरिमायुक्त पद प्राप्त था तथा कोई भी अनुष्ठान उसके बिना पूर्ण नहीं होता था, किन्तु व्यवहार में पतिव्रत धर्म एवं पति-सेवा ही स्त्री का कर्तव्य माना गया। पति को स्वामी व पत्नी को दासी के रूप में प्रतिबिम्बित करने का प्रयास मध्यकालीन साहित्य में किया जाता था।

विधवा स्त्री की अपेक्षा समाज में सुहागिन स्त्री का ज्यादा महत्व था। विधवाओं का जीवन अत्यन्त कठिन तथा दुःखद था। सन्तान उत्पत्ति के समय स्त्री

को अत्यन्त कष्टदायी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था। मातृत्व अपने आप में गौरव की बात समझी जाती थी। माँ के रूप में एक स्त्री में दयालुता, सहनशीलता, एवं सहृदयता जैसे गुण होने की आशा की जाती थी, एवं यह आशा की जाती थी कि वह अपने सन्तान को गुणवान एवं सुकर्मी बनायेगी।

जहाँ तक नारी की दशा के रूप में ससुराल के सम्बन्धों की बात आती है, ससुराल पक्ष में बहुओं को सासों द्वारा प्रताडित किया जाता था। समकालीन साहित्यिक स्रोतों से यह सुस्पष्ट हो जाता है, कि अपने जेठ से भी प्रायः बहुओं को एक भय सा बना रहता था। ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिसमें लगता है कि सास व ननद बहुओं की विरोधी रहा करती थीं साथ ही बहुओं को गाली देने तथा उसकी निन्दा करने में पीछे नहीं रहती थी।

जहाँ तक हिन्दुओं के सामाजिक जीवन के बारे में प्रश्न उठता है, सस्कारों का विशेष महत्त्व आदि काल से ही रहा है। सस्कारों से ही मनुष्य का व्यक्तिक तथा सामाजिक विकास किया जाता था। ताकि आगे चलकर मानव अपना तथा अपने समाज का समुचित विकास कर सकने में सफल हो सके। धर्म के बिना मानव का कल्याण हो सकना सम्भव नहीं माना जाता है, अतः धर्म ही संस्कार का मूल आधार माना गया है। संस्कार मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक साथ रहता है।

यदि सस्कारों के महत्त्व के बारे में प्रकाश डालें तो हम पायेंगे कि, वैदिक युगीन जीवन से ही सस्कारों का प्रचलन रहा है। सूत्रों तथा स्मृतियों में सस्कारों पर विस्तार से लिखा गया है अधिकतर धर्म शास्त्रों ने मानव जीवन में मुख्य रूप से सोलह सस्कारों को माना है। फिर भी समाज में जिन सस्कारों का प्रचलन ज्यादा रहा है, उन सस्कारों को ही प्रचलन में लिया गया।

हिन्दू संस्कारो मे प्रथम गर्भाधान संस्कार माना गया है। बच्चे का गर्भ मे आना ही गर्भाधान संस्कार माना जाता है। वैदिक काल से पूर्व मध्यकाल तक इस संस्कार का महत्व रहा। धीरे-धीरे इस संस्कार का प्रचलन कम हो गया।

पुत्र की प्राप्ति के लिए गर्भ के तीसरे माह मे पुसवन संस्कार सम्पन्न किया जाता था। हिन्दू परिवारो मे उत्तराधिकार एव वशावली की प्रत्याशा मे पुत्र जन्म का अधिक महत्व था। पुत्र ही वश वृद्धि का द्योतक तथा श्राद्ध एव पिण्डदान मे सहायक था। अतः पुत्र पैदा होने में आने वाली विध्व-बाधाओं का नाश करने के लिए इस संस्कार को किया जाता था। धार्मिक महत्व के साथ इस संस्कार का आयुर्वेदिक महत्व भी था। गर्भ के चौथे माह में सीमान्तोन्नयन संस्कार होता था। इस संस्कार का उद्देश्य ये था, कि स्त्री स्वस्थ रहे तथा वीर पुत्र को जन्म दे सके।

हिन्दू समाज मे प्रचलित सोलह संस्कारो मे से कुछ का ही पालन हिन्दू समाज मे रहा जैसे- जातकर्म, नामकरण, चूडाकरण, उपनयन, विवाह तथा मरणोपरान्त के कर्म अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण संस्कारो मे जातकर्म संस्कार था बालक के ऊपर अनिष्टकारी शक्ति का प्रभाव न रहे इसलिए इस संस्कार को सम्पन्न किया जाता था। ये संस्कार बाह्यणो द्वारा सम्पन्न करवाया जाता था। पूजनोपरान्त दान देने का उल्लेख भी प्राप्त होता है, जिसमे धन व वस्तुओं के साथ गाय-दान महत्वपूर्ण होता था।

संस्कारो मे नाल काटने का संस्कार भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसको सम्पन्न करने के लिए दाईं अधिक 'नेग' मागा करती थी विशेषकर पुत्र जन्म के समय यह नेग अपने आप में ही ज्यादा देना पड़ता था।

हिन्दू समाज में पुत्र जन्म के अवसर पर खुशी-खुशी मंगल गीत गाने का प्रचलन था। इस अवसर पर चौक पूरा जाता था तथा इस खुशी के मौके पर गाने

के साथ ही नाचने का भी प्रचलन था। पुत्र जन्म के अवसर पर हर्ष एव उल्लास के साथ नाच-गाकर खुशिया मनायी जाती थी तथा भोजनोत्सव का भी आयोजन होता था। पुत्र जन्म के शुभ अवसर पर अनेक प्रकार के आयोजन किये जाते थे। इसी अवसर पर बधाई दी जाती थी।

छठी पूजन एक विशेष सस्कार था जो कि सन्तानोत्पत्ति के छठवे दिन सम्पन्न किया जाता था। इसी दिन बच्चो को नहला-धुला कर साफ सुथरा किया जाता था तथा लोगो को इस शुभ अवसर पर आमन्त्रित करके भोजन कराया जाता था। पुत्रो के जन्म पर अधिक उल्लास का वातावरण रहता था। वैसे तो 'छठी पूजन' का महत्व जितना पुत्र जन्म के अवसर पर रहा करता था, उतना ही पुत्री के जन्म पर महत्वपूर्ण माना जाता था।

'छठी पूजन' के साथ ही हिन्दु समाज मे 'बरही' नामक सस्कार का भी विशेष महत्व था। 'बरही' के शुभ अवसर पर विभिन्न धार्मिक सस्कार सम्पन्न होते थे, साथ ही खाने-पीने का आयोजन भी सम्पन्न होता था। 'छठी पूजन' के दौरान 'गौरी-गणेश' के पूजन का विशेष महत्व था। इस शुभ अवसर पर विभिन्न धार्मिक गीत गाये जाते थे, साथ ही ईश्वर की आरती करने के बाद बालक की भी आरती उतारी जाती थी। इस अवसर पर नाउन को नेग मिलता था। नाउन सभी के महावर लगाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस शुभ अवसर पर बच्चे को उपहार में झूला दिया जाता था, या शिशु के लिए पालना बनवाया जाता था। इसके अनेक उल्लेख हमे मिलते है। शिशु को काजल और रोली लगायी जाती थी।

'बरही' के इस अवसर पर विधि-विधान से बच्चे को स्नान कराया जाता था तथा साथ ही साथ मगल गीत गाये जाने का भी प्रचलन था। इस कार्यक्रम का आयोजन रनिवास तक ही सीमित था। मगल गीत गाने के साथ बच्चे का न्योछावर भी किया जाता था। प्रचलित प्रथा के अनुसार बालक की जन्मपत्रिका अथवा



कुण्डली भी इसी दिन ब्राह्मणों से बनवायी जाती थी। जन्म समय देखकर भविष्य बताने का काफी प्रचलन था।

हिन्दू संस्कारों में नामकरण संस्कार का भी विशेष महत्व था। इस संस्कार में सन्तान को नाम प्रदान किया जाता था। नाम का हिन्दू धार्मिक दर्शन में भी विशेष महत्व था। नाम ही शुभ कर्मों तथा भाग्य का आधार था।

संस्कारों में वर्षगांठ का विशेष महत्व था, जो आज भी प्रचलित है। बालक के जन्म के एक वर्ष पूरा होने पर इस संस्कार को धूमधाम से मनाया जाता था। आज भी भारतीय संस्कृति तथा पाश्चात्य संस्कृति दोनों में ही वर्षगांठ धूमधाम से मनायी जाती है।

संस्कारों में विद्याध्ययन संस्कार का भी विशेष महत्व था। मान्यता के अनुसार पांच वर्ष की आयु के बाद बालक तथा बालिका को विद्याध्ययन के लिए विधिवत् विद्यार्थी के रूप में विद्यालय भेजा जाता था। विद्यारम्भ के लिए सामान्यतया कोई अवस्था निश्चित नहीं थी। बच्चे विशेष रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना व्यवहारगत विधि-विधान से परिचित होने के साथ-साथ भाषा, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, धर्म एवं गणित का अध्ययन करते थे। जहाँ तक बालिका शिक्षा का प्रश्न है राजाओं के यहाँ की जो योग्य कन्याएँ हुआ करती थीं। उन्हें कामशास्त्र, छन्दशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, पुराण धर्मशास्त्र, उपनिषद्, तन्त्रविद्या, गणित, कल्पशास्त्र, संगीतशास्त्र तथा चित्रकला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

उस समय के साहित्यों से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि हिन्दू राजाओं ने अपनी पुत्रियों के सम्पूर्ण विकास के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। उन्हें वेद, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, कामशास्त्र, स्मृति, काव्य, धर्मशास्त्र,

दर्शन आदि की शिक्षा दी जाती थी। मानसिक तथा शारिरिक अथवा सैन्य शिक्षा सहगामी थी। प्रायः पाच वर्ष की आयु से ही राजाओ की पुत्रियो की शिक्षा व प्रशिक्षण प्रारम्भ होता था।

सस्कारो में विवाह सस्कार का भी प्रत्येक समाज मे विशेष महत्व था। व्यक्ति की नवीन सामाजिक, धार्मिक एव सास्कृतिक स्थिति विवाह के बाद ही प्रारम्भ होती है। एक नारी के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था ही विवाह सस्कार होता है।

विवाह शब्द के अनेक पर्याय हैं जैसे- उद्वाह, परिणय, उपनयन, पाणिग्रहण आदि। विवाह का सामान्य अर्थ या, विशिष्ट रूप से वहन करना अर्थात् विवाह मे वधू को विशेष रूप से पिता के घर से पति के घर मे ले जाना। विवाह का अभिप्राय है समाज द्वारा सन्तानोत्पत्ति के लिए स्थापित दाम्पत्य सम्बन्ध की स्वीकृत पद्धति /कन्यादान का समाज मे विशेष महत्व था।

विवाह सस्कार पद्धति मे समय-समय पर अनेक विधान प्राचीनतम काल से ही जुड़ते चले गये। जो आज भी समाज मे प्रचलन मे है।

मानव जीवन मे हिन्दू धर्म-दर्शन के अनुसार गृहस्थ आश्रम का विशेष महत्व था। हिन्दू दर्शन के अनुसार मनुष्य जब तक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके सन्तानोत्पत्ति नही करता, वो पितृ ऋण से उऋण नही हो सकता था। इसलिए सन्तानोत्पत्ति के लिए गृहस्थाश्रम मे विधिवत् प्रवेश करना अनिवार्य है।

मानव जीवन मे विवाह का अत्यन्त महत्व था। ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि वैवाहिक अनुष्ठानो के अन्तर्गत सर्वप्रथम कन्या विवाह मे उपयुक्त वर खोजने का विधान था। यथा सामर्थ्य धन-धान्य, फल-फूल मिठाई वगैरह 'वर' को प्रदान

कर कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखा जाता था। बरीक्षा तथा तिलक भी विवाह के पूर्व होने वाली रस्म है। इसके बाद ही विवाह की तैयारी की जाती थी।

विवाह में सबसे पहले वधू पक्ष के घर बारात लेकर आने के पहले वर-पक्ष के लिए जनवासे की व्यवस्था की जाती थी। जहाँ पर बारात ठहराने की व्यवस्था रहती थी। जनवासे में खाने पीने की व्यवस्था रहती थी। कन्या के घर में शुभ प्रतीक के रूप में बदनवार लगाया जाता था। पाँच व्यक्तियों के सहयोग से मण्डप की स्थापना की जाती थी, जिसके नीचे विवाह सम्पन्न होता था। साथ ही विवाहायोजन में मंगल-कलश की स्थापना भी शुभ मानी जाती थी। इस कलश को 'शुभ कलश' भी कहते थे। इसी के साथ मंगल गान भी गाना शुरू हो जाता था। कन्या पक्ष द्वारा 'सुहाग' नामक गीत मुख्य होता था जो विवाह के समय गाया जाता था।

सर्वप्रथम विवाह में वर-पक्ष का आगमन होता था, जिसे 'बारात' कहते थे। इनके स्वागत में वधू पक्ष मंगल गान करते थे। वेदी के निर्माण एवं हवन का भी महत्व था। वेदी के चारों ओर वर-पक्ष प्रदक्षिणा लेते थे, जिसे 'भावर' कहते थे। भावर के लिए पति-पत्नी के वस्त्रों को एक गाँठ से जोड़ देते थे। भावर के बाद कन्यादान की रस्म में वधू के माता-पिता मंत्रोच्चारण के मध्य कन्या को वर को सौंप देते थे। इस तरह हिन्दू विवाह सम्पन्न होता था। 'कन्यादान' का सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व के साथ ही धार्मिक महत्व भी था। कन्यादान मुक्ति के मार्ग में किये गये सत्कर्म के रूप में उल्लेखित किया गया है।

विवाह में दहेज देने का भी प्रचलन था। दहेज में जडाऊ वस्त्र, स्वर्ण, चादी, माणिक्य, मुक्ता तथा साथ में नौकर, नौकरानी भी कन्या के साथ भेजे जाते थे। जिसकी जितनी सम्पन्नता एवं समृद्धि थी उसके द्वारा उतना ही दहेज लिया दिया जाता था।

हिन्दू सस्कारो मे 'गौना' एक महत्वपूर्ण रस्म थी जो विवाह के बाद सम्पन्न होती थी। कम उम्र मे विवाह होने पर कुछ वर्षो बाद ही 'गौना' होता था। 'गौना' ही वस्तुतः कन्या की विदाई होती थी। कन्या के गौने के लिए मुहूर्त आदि निकालने का उसी प्रकार का प्रावधान था, जैसे विवाह मे होता था। गौने के समय घर की बडी बूढी महिलाए कन्या को नये अथवा वैवाहिक जीवन के लिए शिक्षाए देती थी।

निष्कर्षतः हम कह सकते है कि कन्यादान, गौना, विदा की समस्त रीतियो के द्वारा ही विवाह सम्पन्न होता था।

मध्यकाल मे सती प्रथा अपने आप में सामाजिक कुरीति थी। विधवा स्त्री या तो सती हो जाती थी या जीवित रहकर कठोर सामाजिक नियमो का पालन करती थी। हिन्दू समाज मे स्वय को पति के शव के साथ प्रज्वलित कर लेने की प्रथा अत्यन्त प्रचलित थी। ऐसा माना जाता था कि विवाहित स्त्री का जीवन पति की सेवा मात्र था उसके बिना स्त्री का जीवन अधूरा था, अतः सती प्रथा मध्ययुगीन पुरुष प्रधान समाज की कुप्रथा थी।

मध्यकालीन साहित्यिक उल्लेखों से स्पष्ट है कि, जब स्त्री सती होने जाती थी उस समय वह हाथ में सिंघौरा (सिंदूर-पात्र) लिए होती थी, क्योकि वही सुहाग का प्रतीक होता था।

पति की मृत्यु हिन्दू स्त्री के जीवन की सबसे दुखद घटना मानी जाती थी। जो महिलाए सती नहीं होती थी, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे माता-पिता के घर सादगी से जीवन व्यतीत करें। जो स्त्री स्वेच्छा से सती होना चाहती थी उन्हे रोका नहीं जाता था।

‘जौहर प्रथा’ नारी की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। समकालीन साहित्यिक रचनाओं से हमें जौहर प्रथा के प्रचलन का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसको स्त्रियों के शौर्य का प्रदर्शन माना जा सकता है। उनसे यह आशा थी कि मध्यकालीन युद्धपरक परिस्थितियों में शत्रुओं के हाथ में पड़कर अपनी अस्मिता की रक्षार्थ यही वीरता एवं निडरता का उपाय अथवा विकल्प है। राजपूत युग के सामन्ती परिवेश की कुप्रथाओं में एक ‘जौहर प्रथा’ भी थी, जिसके अनुसार जीवित महिलाएँ समूह में अग्नि में आत्मदाह कर लेती थीं, अथवा सहर्ष मृत्यु का वरण कर लेती थीं। पुरुष पूर्ण वीरता से युद्ध में लड़ता था और उस युद्ध का मूल्य, स्त्री समूह “जौहर” द्वारा अदा करती थी।

साहित्य एवं कला में किसी भी युग की नारी की वेश-भूषा एवं आभूषण का जो वर्णन प्राप्त होता है उससे प्रत्येक वर्ग की नारी की सामाजिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। भारत में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार ही वस्त्र धारण किये जाते थे। साड़ी, चुनरी, लहंगा, चोली, कंचुकी या अगिया नामक वस्त्र इस युग की स्त्रियों में विशेष लोकप्रिय वस्त्र थे। भारत के विभिन्न प्रदेशों में पहनी जाने वाली साड़ी के विभिन्न रूपों का वर्णन भी इस युग के साहित्यिक ग्रन्थों में मिलता है।

‘सुरग पटोरी’ का उल्लेख भी समकालीन साहित्य में प्राप्त होता है ‘पटोरी’ रेशमी कपड़े से बनी एक साड़ी को कहा जाता था। सम्भवतः यह पटोर नामक वस्त्र से बनाया जाता था। इसी प्रकार ‘विरोदक साड़ी’ का उल्लेख भी हमें समकालीन साहित्य में प्राप्त होता है।

सम्पन्न वर्ग की स्त्रियाँ मलमल या रेशम की साड़ियाँ पहनती थीं। ये साड़ियाँ महंगी होती थीं। अतः साधारण वर्ग इसे पहनने में सक्षम नहीं था। साधारण वर्ग की स्त्रियाँ अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार साधारण कपड़ें पहना

करती थी। महगे वस्त्रो के स्थान पर कुछ रगीन तथा कढ़े हुए कपडे पहन कर शौक पूरा किया जाता था।

खिरोदक नाम साड़ी का भी इस काल मे प्रचलन था। साड़ी के साथ-साथ कोछा या कछनी भी महिला पहनती थी। वक्ष-स्थल को ढकने के लिए स्त्रिया 'अगिया' या कचुकी धारण करती थी जिसे 'चोली' भी कहा जाता था।

फुंदिया, कसनिया, हटागी, चोली, इत्यादि शरीर के ऊपरी भाग मे धारण किये जाने वाले भारतीय स्त्रियों के प्रचलित परिधान थे। आन्तरिक वस्त्र के रूप मे स्त्रिया आगिया का प्रयोग करती थी इस युग मे लहगा तथा 'घाघरा' स्त्रियो मे अत्यन्त लोकप्रिय था। 'पटोर' लहगे का विवरण भी हमे विवेच्युगीन साहित्य से प्राप्त होता है। घाघरा विशेषतः मुस्लिम स्त्रियों मे अधिक प्रचलित था। महिलाए चुनरी का प्रयोग शरीर के उपरी भाग को ढकने के लिए करती थी। चीर (सूती कपडा) का भी पर्याप्त विवरण हमे समकालीन साहित्य से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार तथा रंग के चमाऊ (चमडे के) जूते (पाई, पादत्री) पहनने का भी उल्लेख प्राप्त होता है।

अपने सौन्दर्य मे वृद्धि हेतु स्त्रियाा अनेक प्रकार के आभूषण धारण करती थी। सिर से पाव तक शरीर के प्रत्येक अंग को आभूषणो से सुसज्जित करना स्त्रियो की सामान्य दुर्बलता थी। स्त्रियो की सौन्दर्य प्रियता प्राग्वैदिक काल से ही रही है। केवल वैधव्य की अवस्था में वह अपने आभूषणों को उतारती थी और सिर से सिन्दूर को मिटा देती थी।

स्त्रियो के विभिन्न आभूषणों का विस्तृत विवरण हमे मध्यकालीन इतिहासकारो व साहित्यकारो की कृतियो से प्राप्त होता है। शीश के आभूषणो मे मुकुट, जडाऊ, टीका, एव शीश फूल का भी विवरण मिलता है। शीशफूल

लोकप्रिय शीश आभूषण था। साथ ही बेदी का उल्लेख भी समकालीन हिन्दी साहित्य में प्राप्त होता है। केश सज्जा हेतु महिलाएँ बालों को वेणी से सजाती थीं। सिन्दूर की बिन्दी लगाने का प्रचलन था।

‘कर्णफूल’ कानों में धारण किया जाता था। इसके अतिरिक्त ‘खूट’ का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कर्ण आभूषण के प्रति स्त्रियों में विशेष रुचि थी। कुण्डल भी कानों में पहनने का आभूषण था। राजकीय एवं सम्पन्न वर्ग की महिलाएँ कानों में स्वर्ण कुण्डल पहना करती थीं। हीरे-जवाहारात से जड़े हुए कुण्डल के अनेक उल्लेख भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ‘खुम्भी’ नामक आभूषण कान में पहना जाता था।

इस काल की स्त्रियाँ नाक को भी विविध प्रकार की कलात्मक आभूषणों से अलंकृत करती थीं। नकफूली, बेसर, बेसनी, नथ या नथियाँ इत्यादि नाक में धारण करने वाले अलंकारों का उल्लेख समकालीन साहित्य में मिलता है।

हार गले में पहने जाने वाले आभूषणों में प्रमुख था। मोतियों तथा स्वर्ण निर्मित हार वक्षस्थल तक लटकता रहता था। अन्य ग्रीवा आभूषणों में सिकड़ी हँसली, कंठसिरी, दुलरी, तिलरी, आदि का उल्लेख हमें समकालीन साहित्यों में प्राप्त होता है अतः इनका प्रयोग विवेच्यकाल में होता था। सुहागिन स्त्रियाँ गले में मंगल सूत्र पहनती थीं।

इस काल की स्त्रियाँ अपनी भुजाओं व हाथों को अलंकृत करने हेतु विभिन्न प्रकार के हस्त अलंकारों का प्रयोग करती थीं, जिनमें बाजूबंद, अगद, केयूर, टाड या टड्डे आदि का विवरण समकालीन साहित्य में उपलब्ध होता है। कलाई को सुशोभित करने वाले विविध अलंकारों में सलोनी नामक आभूषण का मध्ययुगीन साहित्य में उल्लेख प्राप्त होता है। बाहुओं के अन्य आभूषणों में

बरया अथवा वलया तथा बाहूरखा अथवा बेरखा उल्लेखनीय है कलाई को सुशोभित करने वाले विविध अलंकारो मे ककण हथपूर, चूडे, चूडी, तथा वलय का उल्लेख मिलता है। ककण अथवा कगन कलाई पर धारण किया जाता था।

हथपूर से तात्पर्य पाँच जजीरो वाले उस वलय से है जो करमूल पर पहना जाता था। इसकी प्रत्येक जंजीर अगूठियो के साथ बधी होती है।

विवेच्य युग मे दसो उगलियो मे अगूठी धारण करना वैभव व सौन्दर्य का प्रतीक माना जाता था। उंगली के अन्य अलंकारो मे आरसी का उल्लेख प्राप्त होता है।

स्त्रियो मे कटि प्रदेश को अलकृत करने वाले आभूषणो के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। कटि प्रदेश मे धारण किये जाने वाले अलकारो मे घुद्रघण्टी किनकिनी जैसे अलंकारो का वर्णन भी इस काल के साहित्य मे उपलब्ध है।

पदाभूषणो मे पाजेब पायल नूपुर झाझर, घुघरू आदि स्त्रियो के अत्यन्त प्रचालित चरणाभूषण थे। चूडा पिण्डलयो पर धारण किया जाता था, इसे पादचूडा भी कहा जाता था। अनवट तथा बिछुआ विवाहित महिलाओ के अत्यन्त लोकप्रिय आभूषण थे।

इस प्रकार अवलोकित काल की महिलाए शरीर के अन्य अंगो की भाँति अपने पैरो को भी विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य पदाभूषणो से अलकृत किया करती थी। जो इसकी सौन्दर्य प्रियता एव आभूषण प्रियता का परिचायक है।

इस प्रकार इस युग की स्त्रियाँ प्रायः सिर से पाँव तक कलात्मक आभूषण पहनती थी। शृगार एव सौन्दर्य प्रतीक होने के साथ ही विभिन्न आभूषण स्त्री के लिए सौभाग्य एवं सुहाग के द्योतक भी माने जाते रहे हैं निस्सदेह



दुर्भाग्य वश यदि वह विधवा हो जाती थी तभी वह अपने अलकारो का परित्याग करती थी।

सौन्दर्य तथा शारीरिक लावण्य मे वृद्धि हेतु स्त्रियाँ विभिन्न प्रसाधनो का प्रयोग सदैव से करती रही हैं। इस युग की स्त्रियाँ सोलह श्रृंगार से भली भाँति परिचित थी।

षोडस श्रृंगार मे उबटन, सुगन्धित स्नान वेणी माग भरना कालज, बिन्दी तिल, मेहदी महावर, पुष्प माला तथा पान रचना सुन्दर वस्त्र विविध आभूषण व दर्पण की गणना भी होती थी। स्वय को आकर्षक बनाने के लिए स्त्रियाँ कुमकुम सुगन्धित कस्तूरी विलेपनो तथा चंदन लेप का प्रयोग करती थी। श्रृंगार सज्जा से पूर्व सुगन्धित पदार्थ जैसे भृगमद व कर्पूर आदि से जल को सुवासित कर स्नान किया जाता था।

उपर्युक्त विवेचनाओ द्वारा स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ अपने शारीरिक लावण्य तथा सौन्दर्य के प्रति जागृत थी।

केशों के सुरुचिपूर्ण विन्यास द्वारा सौन्दर्य मे वृद्धि करना स्त्रियो को सदैव से प्रिय रहा है। केश विन्यास की कला मे इस युग की स्त्रिया पर्याप्त निपुण थीं। धनिक वर्ग की स्त्रियो के केश दासियाँ प्रसाधित करती थीं। इन दासियो को समकालीन हिन्दी साहित्य मे केश कारिणी कहा गया है। केशो को विभिन्न प्रकार के सुगन्धित पदार्थो (अगरू चंदन तथा बेला चपा) से सुगन्धित कर कलात्मक ढग से गूँथकर सित्रया अपनी केश राशि की वेणियाँ बनाती थी।

केशों को पुष्पो से सुसज्जित किया जाता था तथा पुष्पो को आभूषणो की भाँति पहना जाता था हिन्दू विवाहित स्त्रियो मे माग मे सिन्दूर भरना अत्यन्त शुभ माना जाता रहा है अतः स्त्रियाँ अपनी माग सिदूर एव मोतियो से अलकृत

करती थीं बिन्दी अथवा तिलक कस्तूरी चदन एव कुमकुम आदि से अंकित किया जाता था।

आलोच्यकाल में नारियाँ अपनी ठोड़ी पर तिल बना कर अपने मुख की शोभा में वृद्धि करती थीं। स्त्रियाँ अपनी सौन्दर्य वृद्धि हेतु नेत्रों एव भौहों में शलाका द्वारा सुरमा और अजन अथवा काजल लगाया करती थीं।

अपने ओष्ठों को रगने के लिए स्त्रियाँ पान का प्रयोग करती थीं साथ ही मोम और अलतक के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है। स्त्रियाँ हाथ पाँव को रजित करने के लिए मेहदी का प्रयोग करती थीं पैरों एव ऐडियों के शृंगार हेतु जावक, महावर तथा आलता आदि द्रव्यों का प्रयोग करने का प्रचलन था।

पूर्व मध्य युगीन साहित्यिक रचनाओं में गणिकाओं की शृंगार विधियों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है।

इस प्रकार विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण शृंगार एव प्रसाधनों के प्रयोग द्वारा अपने प्राकृतिक सौन्दर्य को द्विगुणित करने का प्रयास करती थीं।

जहाँ तक विद्याध्ययन की बात आती है वैदिक युग से ही हम बालक बालिकाओं की शिक्षा में समानता पाते हैं। स्त्री शिक्षा में पर्दा प्रथा हिन्दू मुसलमान दोनों में बाधक रहा। मध्ययुगीन समृद्ध स्त्रियाँ निजी शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करती थीं। कुलीन वर्ग में मुसलमान शासकों के यहाँ स्त्री शिक्षा की स्वतंत्रता थी। कुछ विद्यालयों में प्राथमिक स्तर तक सह शिक्षा भी थी। इस काल में बालक बालिकाओं की शिक्षा में अन्तर नहीं प्रतीत होता है।

विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त बालिकाओं को गृह विज्ञान की विशेष शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। कुलीन स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। योग्य

राजकन्याएँ वेद, कालशास्त्र, छन्दशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्क शास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, तन्त्र विद्या, गणित, उपनिषद, सगीत, शास्त्र, कल्प शास्त्र, चित्रकला, तन्त्र कला, गृह विज्ञान आदि की शिक्षा प्राप्त करती थीं। विश्व श्रेष्ठ विनय पाठ की विशेष शिक्षा हिन्दू बालिकाओं को दी जाती थी।

निरूपित काल की साक्षर हिन्दू नारियो में लखीमा देवी, विश्वास देवी, चन्द्रकला आदि थीं। तत्कालीन शिक्षित स्त्रियो में सूर्यमती लीला वती, राणकदेवी, लक्ष्मी (लल्ले योगेश्वरी) आदि थीं। स्त्री शिक्षा की ओर अग्रसर कुछ तुर्क आफगान कालीन शासक स्त्री शिक्षा के लिए जागरूक थे, इसलिए अनेको विद्यालयों का निर्माण करवाया सल्तनत काल में गियासुद्दीन खिलजी (1463-1500 ई) नारी शिक्षा के लिए जागरूक थे। स्त्रियो को कला व्यवसाय सगीत की शिक्षा दी जाती थी, स्त्रियो के लिए अलग से मदरसा बनाया गया था।

इल्तुतमिश की पटरानी शाह तुरकान को शासन व्यवस्था का अच्छी तरह से ज्ञान था। इसी प्रकार रजिया सुल्ताना एक योग्य पिता की पुत्री थी। वह युद्धकला में प्रवीण योग्य शासिका विदुषी नारी, अश्वारोहण में कुशल, अच्छी सैन्य सचालिका थी। इसी प्रकार अन्य विदुषी नारियों में माहमालिका का नाम है इनके द्वारा लिखित लेख को “राजकीय मोती” की संज्ञा दी गयी है। मालिका जहाँ फिरोजा, खुदाबन्द, दिलदार गाचा आदि का नाम विदुषी नारियो में था।

नारी शिक्षा उच्च वर्ग तक ही सीमित थी पर्दा प्रथा के कारण धीरे धीरे नारी शिक्षा का पतन होता गया। निम्न परिवार की स्त्रियो को शिक्षा का उचित अवसर प्राप्त नहीं होता था। इस प्रकार स्त्रियो का यह वर्ग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका।

शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हिन्दू राजाओ ने भी अपने पुत्रों के लिए किया था। उन्हें वेद वेदांग व्याकरण, ज्योतिष, कामशास्त्र संगीत, स्मृति काव्य, धर्मशास्त्र दर्शनशास्त्र तथा मानसिक शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने बहत्तर कलाओं की शिक्षा प्राप्त की।

इस समय मानसिक तथा शारीरिक दोनों शिक्षाओं पर ध्यान दिया जाता था। शिक्षा में अन्तर्गत पुराणों की व्याख्या, नाट्यशास्त्र, छन्दशास्त्र, अमर कोष अश्व विद्या, काम शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा संगीत आदि में निपुण किया जाता था। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि निश्चित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सुनियोजित शिक्षा का प्रबन्ध किया गया था। मदरसों, मकतबों के साथ साथ सूफ़ी सन्तों को खानकाहों के विशेष उल्लेख मिलते हैं खानकाहों में धार्मिक अध्यात्मिक शिक्षा की प्रधानता थी।

हिन्दू समाज कई वर्गों में बंटा था। प्रारम्भ से ही चार वर्ण थे। इनमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया। दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को रखा गया। तीसरे स्थान पर वैश्य और चौथा स्थान शूद्रों का माना गया। इन चारों के अतिरिक्त जो थे उन्हें (अन्तयज) कहा गया। इनकी गणना किसी जाति में नहीं होती थी। इनमें धोबी, चमार, मदारी, डोम, तथा ढाल बनाने वाला, नाविक मछुआ व्याधा और बुनकर लोग आते थे।

आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु इस युग की स्त्रियाँ विभिन्न जीविका अपनाती थीं। परिवार ही स्त्री के कार्य क्षेत्र का मुख्य बिन्दु रहा है। अपने परिवार को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में ही नारी अपने परिश्रम को सार्थक मानती है। गृहस्थ कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे भी कार्य थे जिनके द्वारा महिलाएँ धनोपार्जन करती थीं तथा अपने परिवार को आर्थिक सहायता

प्रदान करती थी । इसके अतिरिक्त धनार्जन करने वाली स्त्रियो मे गणिकाए , देवदासियाँ, वारागनाए, सेवावृत्ति में संलग्न दासिया ग्वालिन, नाउन, तथा वारवनिताओं का भी उल्लेख किया जा सकता है। सार्वजनिक भोजो त्योहारो तथा शादी मे वैश्याओ, नर्तकियो को बुलाया जाता था। इन्हे रंगी, गणिका, पातुर नर्तकी तथा वैश्या कहा जाता था। सगीत गणिकाओ का प्रधान व्यवसाय था मध्य काल मे गणिकाओ का आदर व सम्मान था।

मध्य युगीन सामन्ती परिवेश मे ईश्वर की पूजा आराधना उन्हें प्रसन्न रखने तथा देव मन्दिर को गुजायमान रखने के लिए मन्दिरों मे नर्तकियों का होना आवश्यक माना जाता था। इस विचार धारा के परिणाम स्वरूप देवदासी वर्ग की उत्पत्ति हुई। मध्यकाल की पेशेवर जातियों में ग्वालिन कहारिन, धोबिन, नाऊन, लकड़हारिन, घोसिन, कुजडी, कलवारिन, भटियारिन, मालिन, बेडिनी, परिहारिन, दूती आदि थी । मध्ययुगीन समाज मे स्त्रियो का एक वर्ग ऐसा था। जिनका कार्य था उच्च वर्गों की परिचर्या करना। राजपरिवारो और धनिको के वैभव वर्णन मे सहस्त्रो दासियो का उल्लेख मिलता है। रानियाँ सदैव दासियो से घिरी रहती थीं। सम्पत्ति के रूप मे दासियों का आदान प्रदान भी होता था। कन्या के दहेज में तथा हस्तगत सम्पत्ति में दासियाँ भी सम्मिलित होती थीं ।

गणिकाए सौन्दर्य, यौवन व कला कौशल द्वारा धनार्जन करने वाली स्त्रिया थी। विशिष्ट अवसर पर इनको बुलाया जाता था। ये अलग अलग मुहल्लो मे रहती थी ये अपने हाव भाव से लोगो को अपनी ओर आकर्षित करती थीं। इनका सर्वप्रथम धर्म धनोपार्जन करना था समाज का कुछ वर्ग ऐसा भी था जो इनके पास जाकर इनके कार्य को प्रोत्साहित किया करता था। इसका मुख्य कारण लोगो का संगीत प्रेमी होना था।

उपर्युक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि इस काल की नारी का अर्थोपार्जन में योगदान था तथा न सिर्फ वे अपने परिवार घर गृहस्थी अपितु अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक रहती थीं। परिश्रम करके अपने परिवार की उन्नति में सहायक होती थीं। इस काल के साहित्य से यह आभासित होता है कि इस युग में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर किंचित प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे, किन्तु इनके आमोद प्रमोद तथा मनोरजन की पर्याप्त व्यवस्था थी। विभिन्न धार्मिक त्योहारों उत्सवों उद्यान क्रीडा, झूला नृत्य संगीत आदि में स्त्रियाँ भाग लेती थीं। इस युग के साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से स्त्रियों के आमोद प्रमोद मय जीवन की अभिव्यक्ति बड़ी सजीवता से की है। समीक्षाधीन अवधि में महिलाओं के मनोरजन एवं मनोविनोद के कई स्रोत थे। यह उल्लेखनीय है कि इनमें से कुछ तो अभी लोकप्रिय हैं, भले ही समय में परिवर्तन के साथ साथ इनके स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो गया हो। इस युग के साहित्य में धार्मिक त्योहारों, उत्सवों, उद्यान क्रीडा, झूला नृत्य संगीत आदि में महिलाओं के भाग लेने के विवरण प्राप्त होते हैं।

सामाजिक उत्सवों में महिलाओं की स्थिति किंचित थी। हिन्दुओं के धार्मिक त्योहार संख्या में अनेक थे जो प्रायः सभी महत्वपूर्ण ऋतुओं में सम्पन्न होते थे इन धार्मिक त्योहारों के अवसर पर स्त्रियाँ विशेष रूचि प्रदर्शित करती थी। इस काल के साहित्यकारों ने हिन्दू त्योहारों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है, इनके अनुसार हिन्दू त्योहार अधिकांश महिलाओं और बच्चों द्वारा मनाये जाते थे।

सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों के रूप में बसन्त पंचमी, होली, तीज, दीपावली, गोवर्धन पूजा, एकादशी आदि का विस्तृत वर्णन इस युग के साहित्य में उपलब्ध

होता है। बसन्त पचमी का त्योहार बसन्त ऋतु का पूर्व सूचक है जो माघ मास में मनाया जाता है। इस अवसर पर बालिकाये व युवतिया और महिलाए अनेक प्रकार की उद्यान क्रीडा सलिल क्रीडा और कदुक क्रीडा आदि में भाग लिया करती थी। बसन्त का विविध चित्रण सूरदास जी ने अपने साहित्य में किया है।

बसन्त ऋतु में फूल पत्ती के लहराने से ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति अपने पूरे सोलह श्रृंगार में है। इस अवसर पर महिलाए नृत्यगान, खेलकूद आदि का भरपूर आनन्द उठाती है।

इस दिन ऐसा लगता है कि मानो पूरे ससार की सजा हो। प्रकृति और संसार की सजावट के साथ महिलाए भी अपना श्रृंगार करके पचमी की पूजा करती है ऐसी मान्यता थी कि इस पूजन से इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस त्योहार को स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार से मनाती थी जैसे - वाद्य यन्त्र के साथ नाच गाकर तालक रास चचरि नृत्य लकुट रास करके।

होली, जैसा कि आज भी ये हिन्दुओं का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार है। यह प्रसिद्ध त्योहार बसन्त ऋतु में ही पडता है। इस अवसर पर सभी वर्णों और वर्ग के लोग एक दूसरे को रंग लगाते थे। यह त्योहार कृष्ण की गोपियों के साथ छेड छाड और होली का त्योहार माना जाता है। अबीर, कुमकुम गुलाल, चोबा एव चन्दन के साथ साथ पिचकारी से रंग खेलने का व्यापक चित्रण मिलता है। इस अवसर पर गायन में विशेष रूप से होली, धमार के गायन का उल्लेख मिलता है। “मनोराझूमक” नामक गीत भी गाया जाता था। इसी प्रकार टेसू से बने रंगों से भी होली खेलने का उल्लेख मिलता है। चॉचरी नृत्य इस मौसम का विशेष नृत्य था। इस नृत्य को ‘डाडिया रास’ के नाम से भी जाना जाता है।

इस प्रकार बसन्त ऋतु की तरह सावन, भादो तक एक उल्लासमय वातावरण बना रहता है। तीज सावन में मनाया जाने वाला स्त्रियो का एक विशेष त्योहार था। स्त्रियाँ पूरे श्रृंगार के साथ अपने सुहाग की कामना करती थी। इसी प्रकार धार्मिक व्रतों में जैनियों और हिन्दुओं में एक माह का व्रत करने का उल्लेख मिलता है।

दीपावली जिसे सामान्यतः दिवाली कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण हषोल्लास का पर्व है। यह दीप-मालाओं के प्रकाश का त्योहार है। रात में चारों तरफ दीपों की रोशनी अत्यन्त मनोहर लगती है। स्त्रियाँ हर्ष से सज सवर कर नाचती गाती हैं। यह त्योहार कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन स्त्रियो द्वारा 'मुनिवर पूजन' का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है।

गोवर्धन पूजा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के अन्नो से पकवान बनाने के कारण इसे अन्नकूट भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त निर्जला एकादशी का व्रत भी स्त्रियाँ किया करती थीं।

आमोद प्रमोद के सीमित साधन होने के कारण स्त्रियाँ प्रत्येक तीज त्योहारों पर श्रृंगार करके एवं नाच गाकर अपना मनोरजन कर लिया करती थीं। इस काल के साहित्य में वर्णित जल क्रीडा, लुका छिपी का खेल (चचरी), चौपड (चौसर या पचीसी) आदि इस युग के स्त्रियो के मनोरजन के अन्य लोकप्रिय माध्यम थे।

मध्यकालीन साहित्यकार जायसी ने अपने साहित्य पद्मावत में जल क्रीडा की चर्चा की है जिसमें पद्मावती अपनी सखियों के साथ जल में क्रीडा करने जाती है। लुकाछिपी का खेल भी मध्यकालीन स्त्रियो के बीच प्रचलित था। इस खेल को चचरी भी कहा जाता था। अन्य प्रमुख खेलों में चौपड का उल्लेख है। चौपड भारत में खेला जाने वाला एक अत्यन्त प्राचीन खेल है। इस खेल को चौसर



या पचीसी भी कहते हैं। यह खेल हिन्दुओ मे और विशेष रूप से राजपूतो मे बहुत लोकप्रिय था। इस खेल का वर्णन जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना पद्मावत मे किया है। इस खेल के वास्तविक स्वरूप को मध्यकालीन परिवेश मे डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत का टीका लिखते हुए उभारा है।

वर्तमान मे लोग पिकनिक मनाने के लिए घर से बाहर किसी रमणीक स्थान पर खेलकूद, नाच गाना, खाना पीना करते हैं। वैसे ही मध्य काल मे ऐसे अवसरो का लाभ उठाकर मनोविनोद किये जाने का हमे उल्लेख मिलता है। नदी तट पर जाकर ऐसे आयोजन किये जाते थे।

अन्य मनोरजन के साधनों में कठपुतली का नाच भी मनोविनोद का एक मुख्य साधन था। कहानी, नाटक कहने व खेलने का यह एक प्रचलित माध्यम था। महिलाओ के लिए नाच गाने और वाद्ययन्त्रो मे प्रशिक्षित प्रवीण होकर उनको बजाकर मनोरजन करने का उल्लेख प्राप्त होता है। नृत्य का अधिक महत्व था। वाद्ययन्त्रो मे “सिंगी” का उल्लेख मिलता था। “जंत्र” भी एक प्रकार का यन्त्र होता था।

उपर्युक्त विवेचनाओं द्वारा यह स्पष्ट होता है कि इस काल मे समाज मे पर्दा प्रथा दृढ होने के कारण महिलाओ की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लग चुके थे। किन्तु साहित्यिक उद्घरणो से यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस काल मे महिलाओ की उन्नति का पूर्ण ध्यान रखा जाता था और साथ ही उनके आमोद प्रमोद एव मनोरजन की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाती थी।

# संदर्भ ग्रन्थ सूची

## प्राथमिक स्रोत

अथर्ववेद	सम्पादक आर रौथ एव डब्ल्यू डी हिटने, बर्लिन 1856, सपादक श्रीपाद शर्मा, औंधनगर - 1938
बृहदाख्यक पुराण	सम्पादक - एच शास्त्री, एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, 1891
चदायन	मौलाना दाऊद दलमई कृत, सम्पादक- डा० परमेश्वरी लाल गुप्त, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, प्रथम सस्करण - 1964
चाँदायन	माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशक राम जी गुप्त, प्रमाणिक प्रकाशन 35 लाजपत कुज, सिविल लाइन, आगरा
चाँदायन	सम्पादक डा० विश्वनाथ प्रसाद, प्रकाशक क० मू० हिन्दी तथा भाषा विज्ञान, विद्यापीठ आगरा विश्वविद्यालय
देवलरानी खिन्न खॉ	अमीर खुसरो कृत, अलीगढ - 1917

ढोला मारू रा दुहा

सम्पादक रामसिंह सूचंकरण पारेख एव  
नरोत्तम स्वामी, नागरी प्रचारिणी सभा  
काशी, द्वितीय संस्करण सवत् -  
2011, सारनाथ, वाराणसी 1936

हशत -बहिशत

अमीर खुसरो कृत, सम्पादक मौलाना  
सैयद सुलेमान अशरफ- अलीगढ  
1918.

कीर्तिलता

विद्यापति ठाकुर कृत, सम्पादक  
वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रकाशक-  
साहित्य सदन चिरगाँव (झासी)  
1962

विद्यापति की पदावली

सम्पादक श्री बसन्त कुमार माथुर,  
प्रकाशक- भारतीय भाषा भवन,  
दिल्ली, प्रथम संस्करण 1952

लैला - मजनों

अमीर खुसरो कृत, नवल किशोर प्रेस,  
तृतीय संस्करण, दिसम्बर- 1880

मतला-उल-अनवार

अमीर खुसरो कृत, दो भागो मे,  
लखनऊ- 1884, पुनः वही, प्रकाशक  
मुर्तजाबाई प्रेस, दिल्ली

पृथ्वी राज रासो

चन्दबरदाई कृत, चार भाग, सम्पादक  
कविराज मोहन सिंह, साहित्य सस्थान  
विश्वविद्यापीठ उदयपुर, राजस्थान,  
विक्रम संवत् -2011-2012

विद्यापति की पदावली

विद्यापति ठाकुर, सम्पादक श्री रामवृक्ष  
शर्मा बेनीपुरी, प्रकाशक- हिन्दी पुस्तक  
भण्डार, लहेरियासराय प्रथम संस्करण  
- 1892, सम्पादक बसन्त कुमार  
माथुर, प्रकाशक- भारतीय भाषा भवन  
दिल्ली- 1952

सत कबीर

सम्पादक - डा० रामकुमार वर्मा,  
प्रकाशक- साहित्य भवन (प्रा०) लि०,  
इलाहाबाद - 1966

कबीर ग्रन्थावली

सम्पादक माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशक -  
साहित्य भवन (प्रा०) लि०, जीरो रोड,  
इलाहाबाद द्वितीय संस्करण, 1992

मृगावती

सम्पादक माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशक  
रामजी गुप्त, प्रमाणिक प्रकाशन, 35,  
लाजपत कुंज, सिविल लाइन्स,  
आगरा- 1968

मधुमालती	सम्पादक - डा० शिव गोपाल मिश्र, प्रकाशक- हिन्दी प्रचारक प्रतिष्ठान, वाराणसी
मधुमालती	सम्पादक - डा० माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशक- मित्र प्रकाशन इलाहाबाद - 1961
सूरसागर	सम्पादक - नद दुलारे वाजपेयी, प्रकाशक- नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी
सूरसागर सटीक	सम्पादक - हरदेववाहरी डा० राजेन्द्र कुमार, लोकभारती प्रकाशन तृतीय स्कन्द
पदमावत	मलिक मुहम्मद जायसी कृत सम्पादक - वासुदेव शरण अग्रवाल प्रकाशक - साहित्य सदन, चिरगाँव (झाँसी)
जायसी ग्रन्थावलि	अखरावट एव आखिरी कलाम, सम्पादक - डा० राम चन्द्र शुक्ल प्रकाशक- नागरी प्रचारिणी सभा, काशी- पंचम सस्करण सवत 2008

चित्ररेखा	मलिक मुहम्मद जायसी कृत, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी प्रथम सस्करण, अप्रैल 1959
लोर कहा	सम्पादक - डा० माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशक- प्र०क०मु०हिन्दी तथा भाषा विज्ञान, विद्यापीठ, आगरा वि०वि०
मीराबाई की पदावली	सम्पादक परशुराम चतुर्वेदी, प्रकाशक - हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, एकादश सस्करण, शक् 1884
<b>सहायक स्रोत - हिन्दी ग्रन्थ</b>	
मोतीचन्द्र	प्राचीन भारतीय वेशभूषा, भारती भण्डार, प्रयाग सवत् - 2007.
रिजवी सैयद अतहर अब्बास	आदि तुर्क कालीन भारत (1206 ई० - 1290 ई०) हिस्ट्री डिपार्टमेन्ट अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ- 1956
डा० किशोरी प्रसाद साहू	मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना - 1981

जयन्त कृष्ण दवे	गुजराती साहित्य का इतिहास, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, 30प्र0 लखनऊ
मनु शर्मा	राणा सागा हि0प्र0पु0 बनारस
गौरी शंकर हीरा चन्द्र	मध्यकालीन भारतीय सस्कृति,
ओझा	हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तृतीय सस्करण 1951
हरिश्चन्द्र वर्मा	मध्यकालीन भारत खड - 1 (750- 1540)
	हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय
पी0 एन0 चोपड़ा, बी0 एन0	भारत का सामाजिक, सास्कृतिक
पुरी, एम0 एन0 दास	और आर्थिक इतिहास, भाग - 2 (मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड) प्र0 स0 1975
आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव	दिल्ली सलतनत- 711 से 1526 प्रकाशक, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, अस्पताल मार्ग आगरा- 3

## प्रारम्भिक मुस्लिम विद्वानों, विदेशी यात्रियों के वृत्तान्त आदि

अबूरेहान अलबेरूनी

अलबेरूनी इडिया (दो भागो मे)  
अनुवाद - डा10 एडवर्ड सी सचाऊ,  
प्रकाशक एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, नई  
दिल्ली प्रथम भारतीय पुर्नमुद्रण 1964

इब्नबतूता

दि रेहला ऑफ इब्नबतूता, सटिप्पणी,  
अनुवादकर्ता, डा10 मेंहदी हुसैन,  
ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट बडोदा 1953

जियाउद्दीन बर्नी

तारीख -ए-फिरोजशाही, सम्पादक  
सैयद अहमद खॉ बिब इण्डिया,  
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला,  
कलकत्ता, 1862

मुहम्मद कासिम हिन्दू बेग

गुलशन-ए-इब्राहीमी उर्फ तारीख-

फरिश्ता

ए-फरिश्ता (फारसी मूल ग्रन्थ,  
बम्बई 1832) पुनः जॉन ब्रिक्स द्वारा  
अग्रेजी अनुवाद हिस्ट्री ऑफ दि राइज  
ऑफ मुहम्मडेन पावर इन इण्डिया टिल  
द इयर 1612 (चार भागो मे) प्रकाशन  
आर0 कम्बो एण्ड कम्पनी कलकत्ता  
1909-10



मुल्ला अब्दुल बकी नहबन्दी

मासीर-ए-रहीमी भाग एक सम्पादक  
शमशुल उल्मा, एम0 हिदायत हुसैन  
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बगाल  
1924

मिनहाज-उस-सिराज

तबकात-ए-नासीरी बिब इण्डिया,  
कलकत्ता 1864 पुन. वही अग्रेजी  
अनुवाद दो जिल्दो मे अनुवादक मेजर  
एच जी रेबल्टी, गिलवर्ड एव  
रिविंगटन, लदन 1881

ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद

तबकाते-अकबरी भाग एक अनुवादक  
ब्रजेन्द्र नाथ डे, बिब इण्डिया, वर्क न0  
225 प्रकाशक रॉयल एशियाटिक  
सोसायटी ऑफ बेगाल, कलकत्ता  
1927 तथा पुनः वही भाग 3 कलकत्ता  
1939

सहायक स्रोत - अंग्रेजी

ए एस अल्तेकर

एजुकेशन इन एन्शियेन्ट इंडिया, नन्द  
किशोर एण्ड ब्रदर्स बनारस, तृतीय  
संस्करण - 1948

ए एस अल्तेकर	राष्ट्र कूटाज एण्ड देयर टाइम्स पूना 1934
ए एस अल्तेकर	स्टेट एण्ड गवर्नमेन्ट इन एन्शियेन्ट इंडिया, बनारस 1949
के एम अशरफ	लाइफ एण्ड कडीशन ऑफ दि पीपुल ऑफ हिन्दुस्तान नई दिल्ली- 1959
एस पी गुप्ता	कास्ट्रियूम्स, टेक्सटाइल्स, कॉस्मेटिक्स एण्ड कॉफ्योर इन एन्शियेन्ट एण्ड मेडिवल इंडिया, दिल्ली - 1973
एस एम जाफर	एजूकेशन इन मुस्लिम इण्डिया, प्रकाशक एन मुहम्मद सादिक खॉ, पेशावर- 1936
एस एम जाफर	सम कल्चरल आस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, पेशावर 1939
एस एम जाफर	एम एम लॉ एन्शियेन्ट हिन्दू पॉलिटी (एन सी मेहता) इलाहाबाद मई 1928
के पी जायसवाल	हिन्दू पॉलिटी कलकत्ता 1924, द्वितीय संस्करण, बंगलोर 1943

ए बी कीथ	ए हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड 1953
एफ ई की	इण्डियन एजुकेशन इन एन्शियेन्ट एण्ड लेटर टाइम्स, डॅडली ब्रदर्स, किंग्सवे, लन्दन 1938
पी एन ओझा	नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, दिल्ली 1975
जान एच पूल	फेमस वीमेन ऑफ इण्डिया, कलकत्ता 1954
ए राशिद	सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इण्डिया, कलकत्ता 1969
डा आशीर्वादी लाल	मेडिवल इण्डियन कल्चर, प्रथम सस्करण,
श्रीवास्तव	शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा 1964
शकुन्तला राव शास्त्री	वुमैन इन सेक्रड लॉज, बम्बई 1953
बी ए स्मिथ	दि ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ऑक्सफोर्ड द्वितीय सस्करण 1923

महदी हुसैन

दि तुगलक डाईनेस्टी, थाक्केर, सिंपक  
एण्ड कम्पनी (प्रा ) लि०, कलकत्ता  
1963

आर के परम

ए हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन  
काश्मीर (1320-1819) पीपुल्स  
पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लि० दिल्ली  
अगस्त 1969

आर आर दिवाकर

बिहार थ्रू द एजेज, ऑरियन्ट लॉगमैन  
1959

जर्नल तथा रिपोर्ट

अध्ययन, इलाहाबाद

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी

## शोध प्रबन्ध

डॉ० हेरम्ब चतुर्वेदी

“दि सोसाइटी ऑफ नार्थ इण्डिया इन द 16वीं सेन्चुरी एज डिपिक्टेड थ्रू कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर”, 1990, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय, अप्रकाशित शोध ग्रन्थ

डॉ० ऋतु जायसवाल

वूमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्रॉम द 10 टू दि 13 सेन्चुरी एज डिपिक्टेड इन दि कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर 1997, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पुस्तकालय अप्रकाशित शोध ग्रन्थ ।